अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2021-22

सतत विकास

अवस्थापना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
website:-http://updes.up.nic.in

पत्रिका संख्या–576

उत्तर प्रदेश
की
आर्थिक समीक्षा

2021-2022

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

प्राक्कथन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत **"उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा** 2021–22" नये कलेवर में प्रकाशित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न अवरोध एवं चुनौतियों के उपरान्त भी प्रदेश सरकार द्वारा अपनी उत्कृष्ट आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के साथ–साथ अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर भी अत्यधिक जोर दिया जा रहा है।

प्रस्तुत संस्करण में विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त विषयगत आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति को 18 अध्यायों में तालिका/ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है।

इस संस्करण हेतु अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराकर विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन नियोजकों, नीति निर्धारकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं प्रशासकों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकाशन को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का सहर्ष स्वागत है।

लखनऊः

दिनांकः 06 जनवरी, 2022

(सुरेश चन्द्रा)
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रकाशन "उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2021–22" को परिवर्धित रुप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकाशन में प्रदेश के आर्थिक–सामाजिक परिदृश्य की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति के साथ ही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं एवं आँकड़ों को सुव्यवस्थित एवं तार्किक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा का प्रत्येक नवीन संस्करण, अधिकाधिक सूचनाओं/आँकड़ों के समावेशन के फलस्वरूप निरन्तर परिवर्धित हो रहा है। अतः गत वर्ष के 16 अध्यायों के सापेक्ष प्रस्तुत संस्करण में 18 अध्यायों के माध्यम से मुख्यतः प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुधन, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, अवस्थापना, ऊर्जा, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण आदि पर सरकार की योजनाओं और तथ्यों को दर्शाया गया है।

केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण योजना खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नये अध्याय के रूप मे प्रथम बार समावेशित किया गया है, साथ ही पूर्व के अध्याय ''कृषि, वन एवं पर्यावरण'' में सूचनाओं और तथ्यों की व्यापकता के कारण दो भिन्न अध्यायों 'कृषि' तथा 'वन एवं पर्यावरण' के रूप में विभाजित किया गया है।

समस्त सम्बन्धित विभागों तथा संस्थाओं के उदार सहयोग के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए संस्करण को इस विश्वास के साथ प्रकाशित किया जा रहा है कि यह योजनाकारों, नीति–निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं एवं शिक्षाविदों के लिए निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊः

दिनांकः 06 जनवरी, 2022

(विवेक)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या
उत्तर प्रदेश।

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

श्री विवेक	निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

श्रीमती मालोविका घोषाल	संयुक्त निदेशक
श्रीमती शालू गोयल	उप निदेशक

पाण्डुलिपि संरचना एवं समन्वय कार्य

श्री अजय कुमार पाण्डेय	अपर साँख्यिकीय अधिकारी
कु0 आरती गुप्ता	अपर साँख्यिकीय अधिकारी

टंकण कार्य

श्रीमती आभा	वरिष्ठ सहायक

ग्राफ/चार्ट, नक्शा एवं कवर पृष्ठ के कार्य

श्री शिव शंकर यादव	चीफ आर्टिस्ट
श्री लक्ष्मी प्रसाद	वरिष्ठ कलाकार

उत्तर प्रदेश का मानचित्र

अनुमानित मानचित्र

आर्थिक समीक्षा

वर्ष– 2021-22

विवरणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
01.	राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक–वित्त	1–15
02.	प्रादेशिक विकास मे चुनौतियाँ एवं रणनीति	16–26
03.	बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त	27–36
04.	कृषि	37–48
05.	वन एवं पर्यावरण	49–56
06.	पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	57–68
07.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	69–75
08.	खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	76–81
09.	ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण	82–91
10.	औद्योगिक प्रगति	92–105
11.	सेवा क्षेत्र	106–111
12.	अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार	112–127
13.	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	128–138
14.	शिक्षा	139–156
15.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	157–172
16.	समाज कल्याण	173–183
17.	श्रमशक्ति एवं सेवायोजन	184–190
18.	सतत् विकास	191–196

अध्याय–01
राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक–वित्त

मुख्य बिन्दु

- **प्रदेश मे राज्य आय विश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता है।**
- **प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन के वर्ष 2019–20 के आँकड़े अनन्तिम एवं वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमान है। स्थिर भावों हेतु आधार वर्ष 2011–12 को लिया गया है।**
- **स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2019–20 व 2020–21 में क्रमशः रू० 42888 एवं रू० 40310 हो गयी है।**
- **प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 के रू० 32002 से बढ़कर वर्ष 2019–20 व 2020–21 में क्रमशः रू० 66136 एवं रू० 65338 हो गयी है।**
- **स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए वर्ष 2019–20 में रू० 1078057 करोड़ एवं वर्ष 2020–21 में रू० 1042902 करोड़ रहा है।**
- **वर्ष 2020–21 में स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए. मे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 24.1, 25.2 एवं 50.6 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 27.0, 23.8 एवं 49.2 प्रतिशत रही है।**
- **राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 40.3 प्रतिशत है जबकि वैट का अंश लगभग 18.0 प्रतिशत एवं राज्य उत्पाद शुल्क का अंश 22.9 प्रतिशत हो गया है।**
- **वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को, इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है।**

किसी अर्थव्यवस्था का आय विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। यह अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा भविष्य की योजनाओं के निर्माण के लिए आधार प्रस्तुत करता है। आय विश्लेषण से विभिन्न खण्डों, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड एवं उनके उप–खण्डों की वृद्धि दर तथा योगदान प्रदर्शित होता है। प्रदेश मे राज्य आय विश्लेषण का यह महत्वपूर्ण कार्य **अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश** द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अन्तर्गत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ ही सकल राज्य मूल्य वर्धन, निवल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रतिव्यक्ति आय का आँकलन किया जाता है।

राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी **त्वरित अनुमान** के अनुसार वर्ष 2020–21 में स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की वृद्धि दर (–)4.2 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर 0.4 प्रतिशत रही है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी) वर्ष 2020–21 के स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय रू० 40310 एवं प्रचलित भावों पर रू० 65338 आँकलित हुई है, जो गत वर्ष से क्रमशः (–)6.0 प्रतिशत एवं (–)1.2 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थायी एवं प्रचलित भावों पर

वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन **(जी.एस.वी.ए)** स्थायी भावों पर (आधार वर्ष 2011–12) एवं प्रचलित भावों पर निम्नवत् है–

तालिका–1.01:– सकल राज्य मूल्य वर्धन का प्रगति विवरण

वित्तीय वर्ष	स्थायी भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	जी.एस.वी.ए (रु0 करोड मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जी.एस.वी.ए (रु0 करोड मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
2012–13	716339	5.1	777206	14.0
2013–14	754331	5.3	885565	13.9
2014–15	780937	3.5	948993	7.2
2015–16	851574	9.0	1057651	11.4
2016–17	952314	11.8	1196900	13.2
2017–18	998406	4.8	1323457	10.6
2018–19	1043975	4.6	1443527	9.1
2019–20	1078057	3.3	1551896	7.5
2020–21	1042902	–3.3	1545013	–0.4

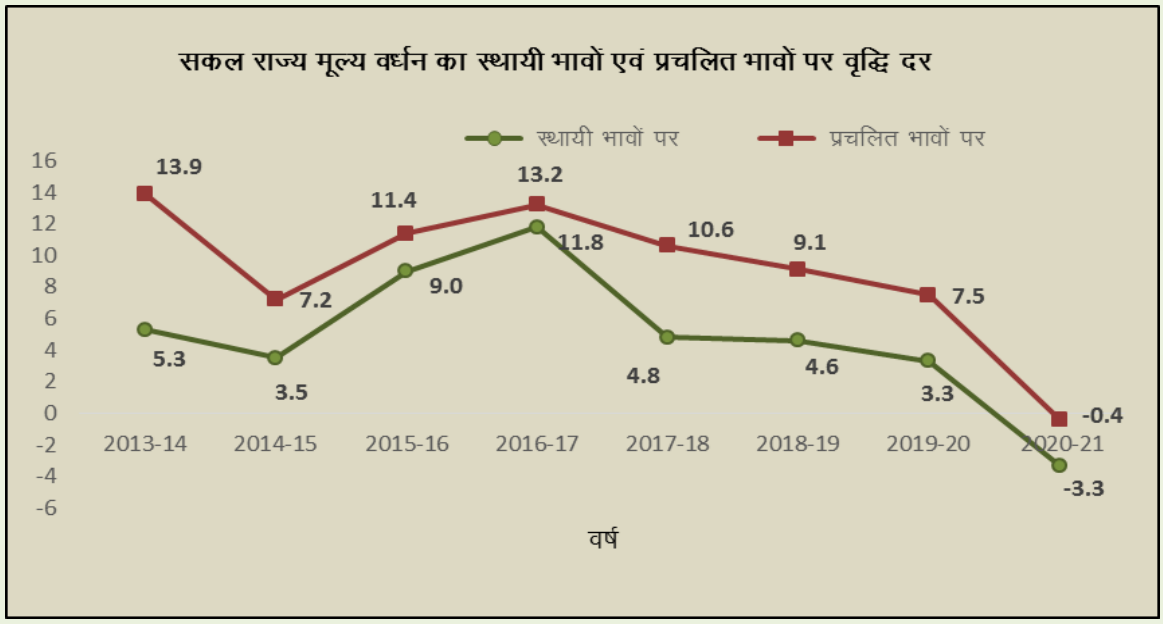

आधार वर्ष 2011–12 पर जारी वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए वर्ष 2012–13 में रू० 716339 करोड़, 2013–14 में रू० 754331 करोड़, 2014–15 में रू० 780937 करोड़, 2015–16 में रू० 851574 करोड़, 2016–17 में रू० 952314 करोड़, 2017–18 में 998406 करोड, 2018–19 में 1043975 करोड़, 2019–20 में रू० 1078057 करोड एवं वर्ष 2020–21 में रू० 1042902 करोड़ रहा है तथा वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 5.1 प्रतिशत, 2013–14 में 5.3 प्रतिशत, 2014–15 में 3.5 प्रतिशत 2015–16 में 9.0 प्रतिशत, 2016–17 में 11.8 प्रतिशत, 2017–18 में 4.8 प्रतिशत, 2018–19 में 4.6 प्रतिशत, 2019–20 मे 3.3 प्रतिशत एवं वर्ष 2020–21 मे (–)3.3 प्रतिशत रही है।

प्रचलित भावों पर जी.एस.वी.ए वर्ष 2012–13 में रू० 777206 करोड़, 2013–14 में रू० 885565 करोड़, 2014–15 में रू० 948993 करोड, 2015–16 में रू० 1057651 करोड़, 2016–17 में रू० 1196900 करोड़, 2017–18 1323457 करोड़, 2018–19 में रू० 1443527 करोड़, 2019–20 में रू० 1551896 करोड़ तथा 2020–21 में रू० 1545013 करोड़ रहा है तथा वृद्धि दर वर्ष 2012–13 में 14 प्रतिशत, 2013–14 में 13.9 प्रतिशत, 2014–15 में 7.2 प्रतिशत, 2015–16 में 11.4 प्रतिशत, 2016–17 में 13.2 प्रतिशत 2017–18 में 10.6 प्रतिशत, 2018–19 में 9.1 प्रतिशत, 2019–20 मे 7.5 प्रतिशत एवं 2020–21 मे (–)0.4 प्रतिशत रही है।

तालिका–1.02:– प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रमुख राज्यों की स्थिति (करोड़ में)

क्र. सं	राज्य	2011-12	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आन्ध प्रदेश	379402	786135	870849	971224	986611
2	गुजरात	615606	1329095	1492156	1630240	अप्राप्त
3	कर्नाटक	606010	1336914	1490624	1628928	1665320
4	उत्तर प्रदेश	724050	1439706	1582853	1710496	1717505
5	मध्य प्रदेश	315562	726338	813820	937405	917555
6	महाराष्ट्र	1280369	2352782	2579628	2818555	अप्राप्त
7	पंजाब	266628	471014	512511	539687	529703
8	राजस्थान	434837	828661	921789	998999	957912
9	तमिलनाडु	751486	1465051	1630209	1797229	1902689
10	बिहार	247144	468746	527976	594016	618628
भारत का सकल घरेलू उत्पाद		8736329	17090042	18886957	20351013	19745670

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी एवं प्रचलित भावों पर)

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के योगदान में परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2020–21 में स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 2.3 प्रतिशत, (–)6.0 प्रतिशत, (–)4.3 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 5.6 प्रतिशत, (–)1.9 प्रतिशत, (–)2.8 प्रतिशत रही है जबकि वर्ष 2019–20 में स्थायी भावों पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः (–)3.5 प्रतिशत, –0.1 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 5.1 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत रही है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है–

तालिका–1.03:– वर्ष 2020–21 में खण्डवार वृद्धि दर एवं जी.एस.वी.ए मे योगदान (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	खण्ड	स्थायी भावों पर		प्रचलित भावों पर	
		वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान
1	प्राथमिक	2.3	24.1	5.6	27.0
2	माध्यमिक	(–)6.0	25.2	(–)1.9	23.8
3	तृतीयक	(–)4.3	50.6	(–)2.8	49.2

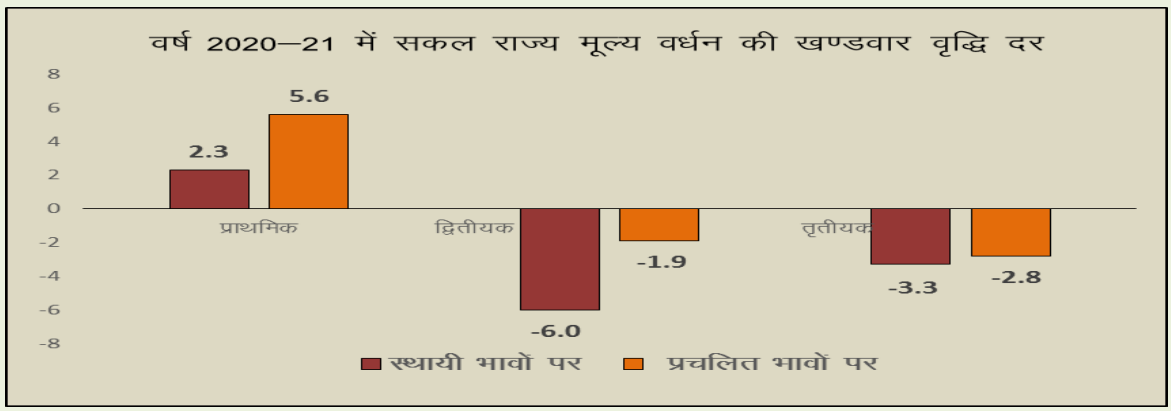

वर्ष 2020–21 में स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए मे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 24.1, 25.2 एवं 50.6 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 27.0, 23.8 एवं 49.2 प्रतिशत ही है। विगत वर्षों मे वृद्धि दर तथा योगदान निम्नवत रही है।

तालिका–1.04:– सकल राज्य मूल्य वर्धन मे खण्डवार वृद्धि एवं योगदान स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011–12) (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	प्राथमिक खण्ड		द्वितीयक खण्ड		तृतीयक खण्ड	
	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान
2012–13	4.4	27.7	2.8	26.1	6.8	46.3
2013–14	–0.1	26.2	7.9	26.7	7.1	47.0
2014–15	–0.9	25.1	–2.0	25.3	9.2	49.6
2015–16	5.6	24.3	15.3	26.7	7.6	49.0
2016–17	6.4	23.1	28.0	30.6	5.7	46.3
2017–18	9.9	24.2	–4.7	27.8	8.6	47.9
2018–19	5.3	24.4	1.0	26.9	6.3	48.7
2019–20	–3.5	22.8	–0.1	26.0	8.5	51.2
2020–21	2.3	24.1	–6.0	25.2	–4.3	50.6

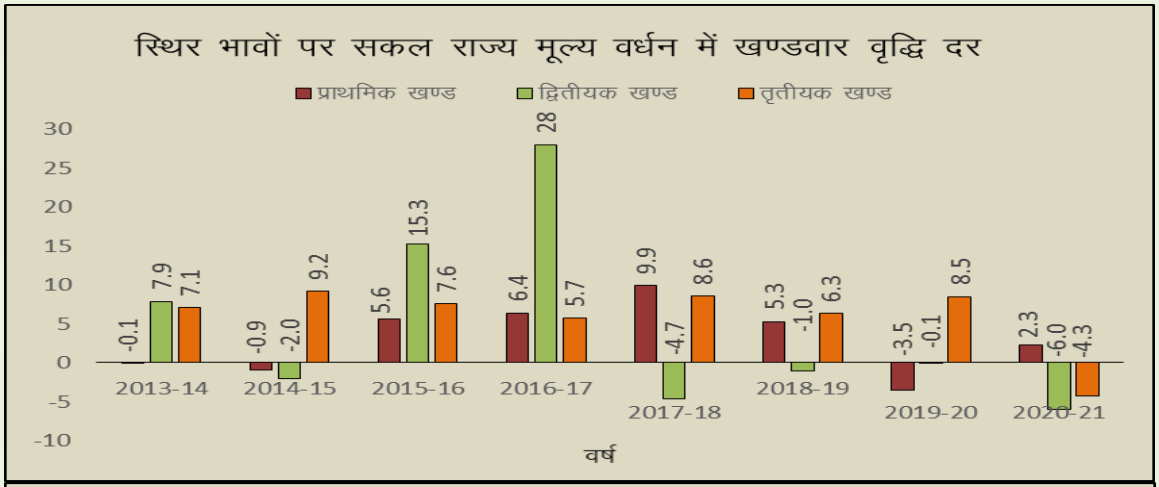

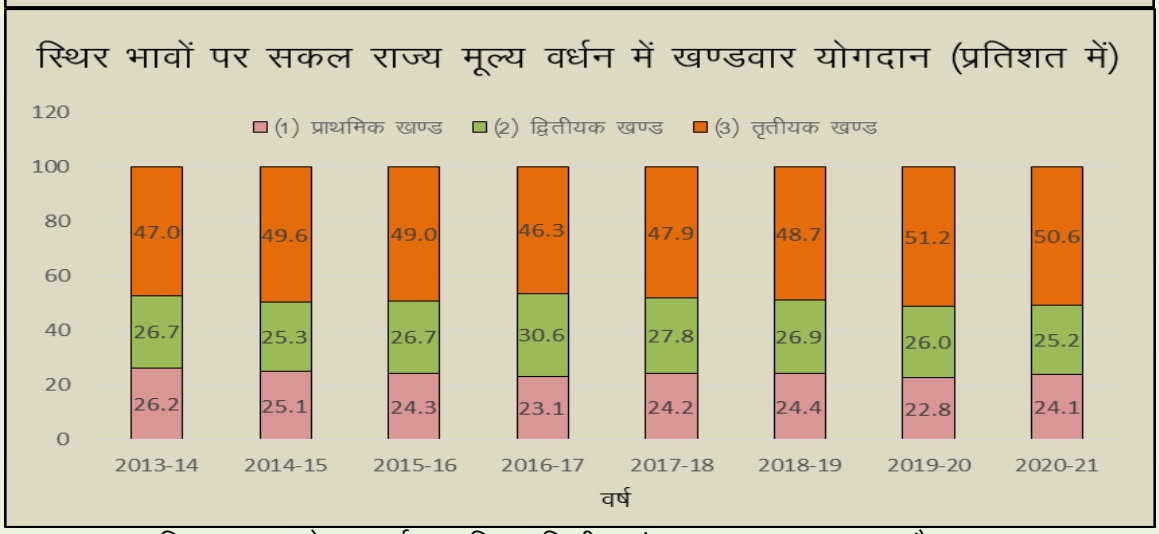

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान

पृथक–पृथक आँकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आंकलित किये जाते थे। द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है तथा तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उप–खण्ड सम्मिलित हैं।

स्थिर भावों पर प्राथमिक खण्ड की वृद्धि दर वर्ष 2013–14 मे –0.1 प्रतिशत, 2014–15 मे –0.9 प्रतिशत, 2015–16 में 5.6 प्रतिशत, 2016–17 में 6.4 प्रतिशत, 2017–18 में 9.9 प्रतिशत, 2018–19 में 5.3 प्रतिशत, 2019–20 मे –3.5 प्रतिशत एवं 2020–21 मे 2.3 प्रतिशत रही है। द्वितीयक खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 7.9 प्रतिशत, –2.0 प्रतिशत, 15.3 प्रतिशत, 28 प्रतिशत, –4.7 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत, –0.1 प्रतिशत तथा –6.0 एवं तृतीयक खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 7.1 प्रतिशत, 9.2 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत तथा –4.3 प्रतिशत रही है। स्थिर भावों पर प्राथमिक खण्ड का योगदान वर्ष 2012–13 के 27.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020–21 मे 24.1 प्रतिशत हो गया जबकि द्वितीयक खण्ड का 26.1 प्रतिशत से कम होकर 25.2 प्रतिशत हो गया, इस खण्ड का योगदान वर्ष 2016–17 मे 30.6 प्रतिशत तक पहुँच गया था तथा तृतीयक खण्ड का योगदान 46.3 प्रतिशत से बढ़कर 50.6 प्रतिशत हो गया है।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 के रू० 32002 से बढ़कर वर्ष 2019–20 व 2020–21 में क्रमशः रू० 66136 एवं रू० 65338 हो गयी एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्रमशः 6.0 तथा –1.2 प्रतिशत रही है। स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011–12 में रू० 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2019–20 व 2020–21 में क्रमशः रू० 42888 एवं रू० 40310 हो गयी एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर मे क्रमशः 0.9 प्रतिशत तथा –6.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

तालिका–1.05:– राज्य मे प्रति व्यक्ति आय का विवरण (वृद्धि दर प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	स्थायी भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	प्रति व्यक्ति आय	प्रतिशत वृद्धि	प्रति व्यक्ति आय	प्रतिशत वृद्धि
2012–13	32908	2.8	35812	11.9
2013–14	34044	3.5	40124	12.0
2014–15	34583	1.6	42267	5.3
2015–16	36973	6.9	47118	11.5
2016–17	40847	10.5	52671	11.8
2017–18	41771	2.3	57944	10.0
2018–19	42523	1.8	62380	7.7
2019–20	42888	0.9	66136	6.0
2020–21	40310	–6.0	65338	–1.2

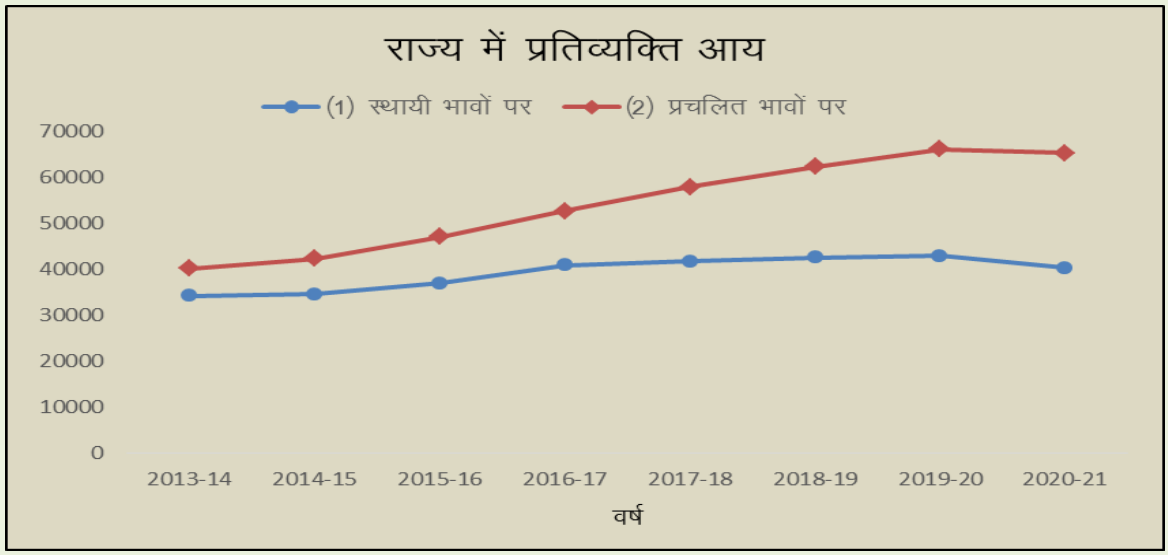

तालिका–1.06:– प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति (प्रचलित भावों पर)

क्र.सं	राज्य	2011-12	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आन्ध प्रदेश	69000	138299	152286	168480	170215
2	गुजरात	87481	176961	197457	213936	अप्राप्त
3	कर्नाटक	90263	186405	205697	223175	226796
4	उत्तर प्रदेश	32002	57944	62380	66136	65338
5	मध्य प्रदेश	38497	81973	90487	103288	98418
6	महाराष्ट्र	99597	172663	187118	202130	अप्राप्त
7	पंजाब	85577	139835	149974	155491	151367
8	राजस्थान	57192	98188	107890	115492	109386
9	तमिलनाडु	93112	175276	194373	213396	225106
10	बिहार	21750	36850	40715	45071	46292
अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय		63462	115224	125883	134186	128829

राज्य आय के त्वरित अनुमान, वर्ष 2020–21

प्रदेश के वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रचलित एवं स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमान निम्नवत हैं–

तालिका–1.07:– सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2020–21 का त्वरित अनुमान

क्र. सं.	खण्ड	प्रचलित भावों पर जी.एस.वी.ए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत	स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	399387	4.4	25.9	232400	–0.02	22.3
1.1	फसलें	272956	10.1	17.7	158489	5.1	15.2
1.2	पशुधन	96700	–9.0	6.3	54877	–12.7	5.3
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	18968	5.2	1.2	14226	–0.7	1.4
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	10762	3.8	0.7	4809	6.7	0.5
2.	खनन और उत्खनन	18349	39.9	1.2	19172	43.5	1.8
क–प्राथमिक (1+2)		417736	5.6	27.0	251573	2.3	24.1
3.	विनिर्माण	160654	–4.7	10.4	130509	–7.3	12.5

क्र. सं.	खण्ड	प्रचलित भावों पर जी.एस.वी.ए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत	स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए (करोड़ रू0 मे)	वृद्धि दर प्रतिशत	योगदान प्रतिशत
4.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	43535	10.4	2.8	17248	1.0	1.7
5.	निर्माण कार्य	163541	–1.9	10.6	115501	–5.6	11.1
ख–द्वितीयक (3 से 5)		367730	–1.9	23.8	263257	–6.0	25.2
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	136146	–16.6	8.8	97198	–19.6	9.3
7.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	100166	–17.5	6.5	92858	–5.8	8.9
7.1	रेलवे	15953	–30.8	1.0	10907	–31.6	1.0
7.2	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	49061	–27.9	3.2	56895	–3.6	5.5
7.3	भण्डारण	2808	4.2	0.2	1775	–3.1	0.2
7.4	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	32345	17.0	2.1	23281	6.6	2.2
8.	वित्तीय सेवायें	64547	8.0	4.2	45811	1.5	4.4
9.	स्थावर संपदा,आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	243378	8.0	15.8	146254	1.6	14.0
10.	लोक प्रशासन और रक्षा	112196	2.5	7.3	80041	2.5	7.7
11.	अन्य सेवाएं	103115	0.9	6.7	65910	0.9	6.3
ग–तृतीयक (6 से 11)		759548	–2.8	49.2	528072	–4.3	50.6
सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)		1545013	–0.4	100.0	1042902	–3.3	100.0
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)		1717505	0.4	100.0	1089612	–4.2	100.0

लोक–वित्त

लोक–वित्त के अन्तर्गत आय, व्यय, एवं ऋण प्रबन्धन का विवरण होता है। इसमें राजस्व के स्रोत, राजस्व व्यय की दिशा एवं स्थिति, राज्य ऋण का विवरण होता है। इनसे सम्बन्धित आँकड़े वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए जाते है। प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत निवास करती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 77.7 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रदेश के कर–करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है।

राजस्व प्राप्ति

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं– कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त अनुदान। वर्ष 2019–20 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को 3,66,393.17 करोड़ रूपये की कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से 2,04,530.91 करोड़ रूपये तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रू0 1,61,862.26 करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। राज्य के गत पांच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को तालिका–1.08 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.08: राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत

(रू0 करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियां
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
1	2	3	4	5	6
2016–17	85,966.25	28,944.07	1,09,427.96	32,536.87	2,56,875.15
2017–18	97,393.00	19,794.86	1,20,939.14	40,648.45	2,78,775.45
2018–19	1,20,121.85	30,100.71	1,36,766.46	42,988.49	3,29,977.51
2019–20	1,22,825.83	81,705.08	1,17,818.30	44,043.96	3,66,393.17
2020–21(पु0अ0)	1,24,866.94	10,811.92	98,618.07	72,504.73	3,06,801.66

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2019–20 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 55.82 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 44.18 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। संसाधनों में वृद्धि के लिये राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2021 में उल्लिखित संसाधन वृद्धि के राज्य सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रयासों को बाक्स–1 में दर्शाया गया है।

बाक्स–1

1. वाणिज्यिक कर विभाग

- संचल दल के वाहनों पर व्हैकिल ट्रैकिंग सिस्टम प्रणाली लगायी गयी है और इसके अनुश्रवण हेतु मुख्यालय में केन्द्रीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया गया है।
- रू0 500 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के टैक्सपेयर्स के लिये ई–इनवाइस की व्यवस्था 01 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी की गयी है।
- प्रदेश में व्यापार कर, बिक्री कर, वैट व मनोरंजन कर के अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक सृजित मांग की अवशेष बकाया जमा कराने हेतु 27 फरवरी से माह तक की अवधि के लिए ब्याज/अर्थदण्ड माफी–योजना–2020 लागू की गयी जिसमें रू0 113.12 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा करायी गयी।
- विभाग द्वारा राजस्व संग्रह बढ़ाने हेतु कर निर्धारण व प्रवर्तन दोनों कार्यो में अधिकाधिक आई0टी0 फैसिलिटी करके कार्य किया जा रहा है।

2. आबकारी विभाग

- देशी शराब की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस, एमजीक्यू0 आदि में वृद्धि की गयी।
- माडल शाप्स की प्रोसिसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।
- बीयर की प्रोसेसिंग फीस, फुटकर दुकानों की नवीनीकरण फीस में वृद्धि की गयी।

3. स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

- प्रदेशान्तर्गत सभी धनराशि ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। ई–स्टाम्पिंग प्रणाली को सामान्य जनता तक पहुॅचाने के उद्देश्य से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा स्टाम्प वेण्डर्स को राज्य सरकार की अनुमति से अधिकृत संग्रह केन्द्र के रूप में नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है जिससे लम्बित स्टाम्पवादों के निस्तरण एवं राजस्व आय में वृद्धि होगी।

4. भूतत्व एवं खनिकर्म

- प्रदेश सरकार द्वारा भूमि स्वामियों को बाढ़ से एकत्रित बालू को हटाये जाने हेतु एक फसली वर्ष में तीन माह हेतु खनन अनुज्ञा पत्र रायल्टी दर के दो गुना पर स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों पर विनियमन शुल्क अधिरोपित किया गया।

जुलाई, 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली लागू हो गयी है। पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होने वाले कर को छोड़ कर मूल्य संवर्धित कर (वैट) के सभी घटक जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं तथा मनोरंजन कर एवं लग्जरी कर भी जी.एस.टी. में शामिल हो गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 40.3 प्रतिशत है जबकि वैट का अंश लगभग 18.0 प्रतिशत है। राज्य उत्पाद शुल्क का अंश 22.9 प्रतिशत हो गया है तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 11.1 प्रतिशत है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व इन मदों से प्राप्त होने वाले कर पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है।

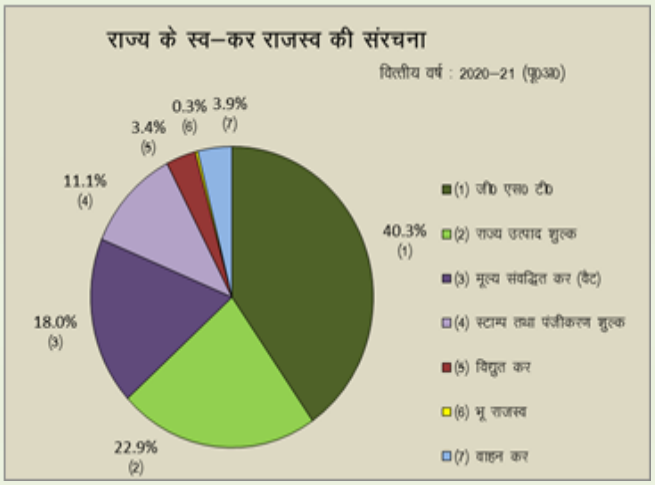

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं– राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को तालिका–1.09 में दिया गया है।

तालिका 1.09: राजस्व व्यय के मुख्य घटक (रू0 करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को समनुदेशन
1	2	3	4	5	6
2016–17	2,36,592.26	88,254.82	91,861.12	45,834.16	10,642.16
2017–18	2,66,223.52	1,05,781.67	84,251.68	64,634.76	11,555.41
2018–19	3,01,727.96	1,31,057.25	91,311.73	67,258.59	12,100.39
2019–20	2,98,833.04	1,17,674.86	1,03,848.76	62,809.42	14,500.00
2020–21(पू०अ०)	3,19,962.43	1,27,264.93	1,12,573.07	64,624.41	15,500.02

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय, विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय, विकासेत्तर व्यय की श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घट कर 37.3 प्रतिशत के स्तर तक

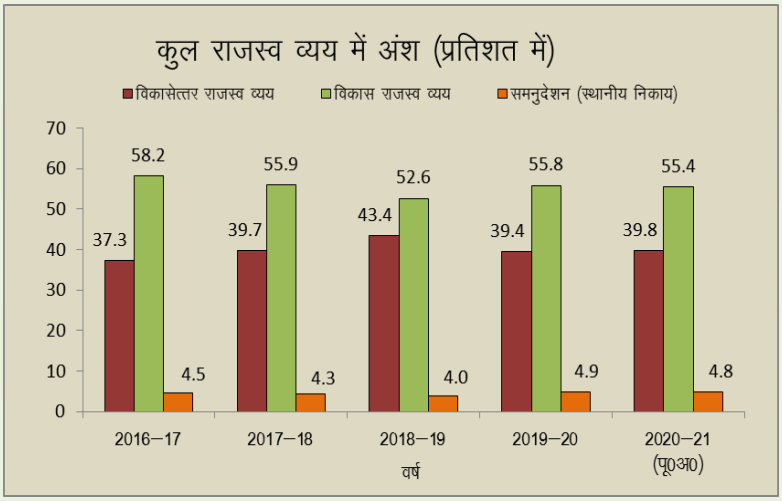

आ गया था परन्तु इसके उपरान्त इसमें लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही है। उल्लेखनीय है कि विकासेत्तर राजस्व व्यय में मुख्य रूप से पेंशन एवं ब्याज की मद शामिल है तथा 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप 01 जनवरी, 2017 (प्रभावी तिथि 01 जनवरी, 2016) से पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप आगे के वर्षों में यह प्रतिशत बढ़ रहा है।

वेतन, पेंशन, ब्याज

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण तालिका–1.10 में दिया गया है।

तालिका–1.10: वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (रू0 करोड़ में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+पेंशन+ब्याज
1	2	3	4	5
2016–17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017–18	84,160.43	38,476.49	29,135.83	1,51,772.75
2018–19	90,262.88	44,023.94	32,042.09	1,66,328.91
2019–20	1,01,780.77	49,603.45	34,813.02	1,86,197.24
2020–21(पु०अ०)	1,09,914.47	52,463.74	38,379.38	2,00,757.59

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर होने वाले कुल व्यय का राज्य की राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय के साथ प्रतिशत ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। वर्ष 2016–17 में यह राजस्व व्यय का 59.1 प्रतिशत था जो 2019–20 में बढ़ कर 62.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में वेतन एवं पेंशन का जनवरी, 2016 की प्रभावी तिथि से पुनरीक्षण के फलस्वरूप इसका प्रभाव परिलक्षित हो रहा है।

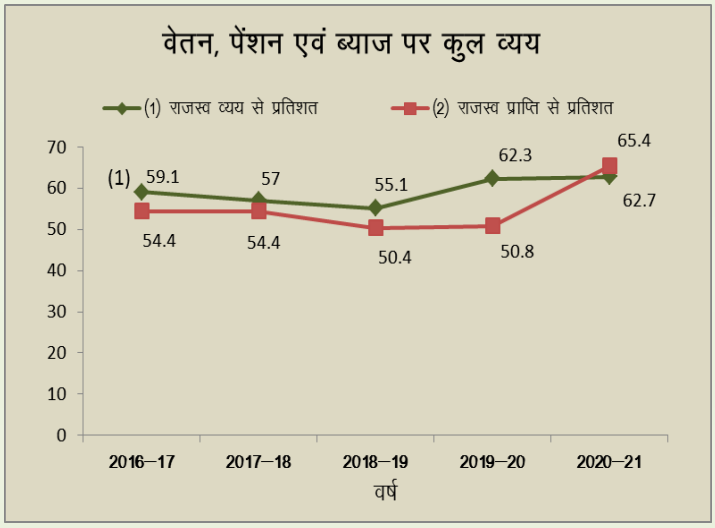

पूँजीगत परिव्यय

पूंजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। यद्यपि पूंजीगत परिव्यय का कोई मानक निर्धारित नहीं है फिर भी यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, राज्य के लिये बेहतर माना जाता है।

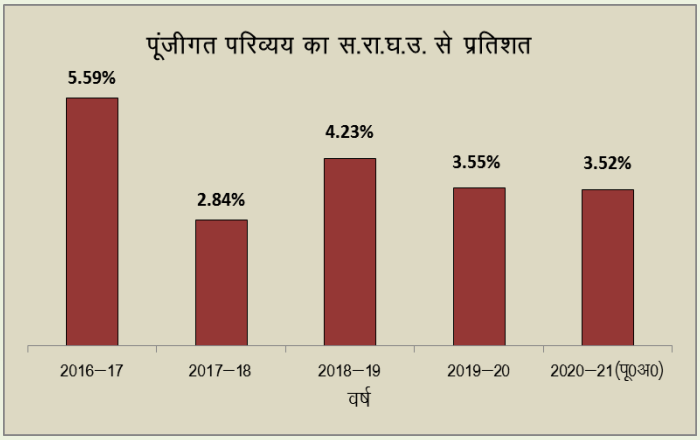

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत ऋणमोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017–18 में कमी परिलक्षित हो रही है, किन्तु आगामी वर्षों में राज्य सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के सार्थक प्रयास किये गये हैं।

वित्तीय संकेतक

वर्ष 1988–89 से वर्ष 2005–06 तक राज्य में राजस्व घाटे की स्थिति बनी रही। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया। विगत पांच वर्षों में राज्य के वित्तीय संकेतकों को तालिका–1.11 से समझा जा सकता है।

तलिका 1.11: राजकोषीय स्थिति के प्रमुख संकेतक (रू0 करोड़ में)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2016-17	20,282.89	*55,988.53* *(41,187.24)*	29,052.86
2017-18	12,551.93	27,809.56	-1,326.27
2018-19	28,249.56	35,203.11	3,161.02
2019-20	67,560.13	-11,082.68	-45,895.70
2020-21 (पु०अ०)	-13,160.77	80,851.49	42,472.11

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े, राजकोषीय घाटा में उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिये वर्ष 2016–17 में रू0 14801.29 करोड़ के बाण्ड्स को केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एफ.आर.बी.एम. एक्ट में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रख कर प्रदर्शित किया गया है।

राजस्व घाटा/अधिशेष

वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व अधिशेष की स्थिति को, इसके बाद के वर्षों में भी लगातार बनाये रखा गया है, साथ ही यह प्रयास भी किया जाता रहा है कि राजस्व बचत के कुल आकार में भी वृद्धि हो सके।

राजकोषीय घाटा

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत होता है। वर्ष 2016–17 में यह 3.30 प्रतिशत के स्तर पर था जो वर्ष 2019–20 में -0.66 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति लागू हो गयी तथा राजकोषीय घाटा के जी.एस.डी.पी. से

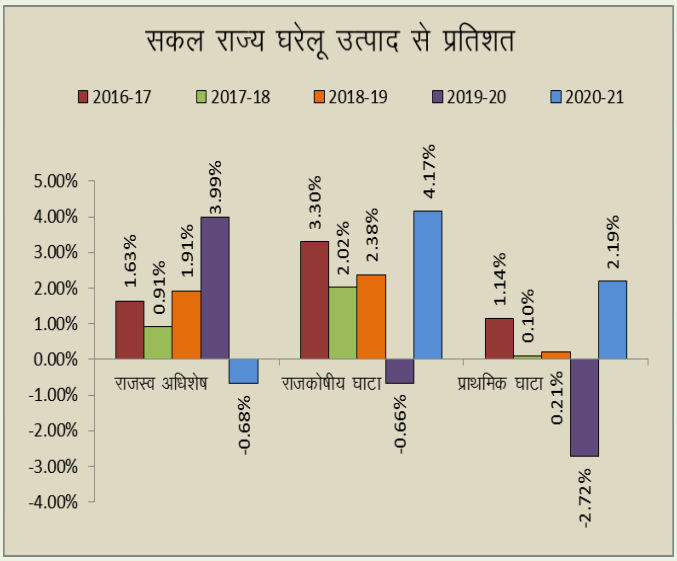

3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा ऋण/जी.एस.डी.पी. के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25–0.25 प्रतिशत की लोचनीयता भी प्रदान की गयी अर्थात दोनों शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की सीमा तक जा सकते हैं। यहॉ उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 में राज्य की ब्याज अदायगी सम्बन्धी शर्त पूर्ण होने के कारण राज्य को वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य थी। ग्राफ में उल्लिखित राजकोषीय घाटे के आंकड़ों में केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप उज्जवल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुर्नसंरचना के भार को शामिल न करते हुये राजकोषीय घाटे का आगणन किया गया है।

प्राथमिक घाटा

राजकोषीय घाटे की राशि में से ब्याज अदायगियों का कुल व्यय भार घटाने से जो राशि निकलती है वह प्राथमिक घाटा दर्शाती है। राज्य का प्राथमिक घाटा वर्ष 2020–21 में लगभग 2.19 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है।

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। जैसा पूर्व में भी कहा गया है कि लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत विकासात्मक एवं पूंजीगत निवेश जैसे कार्यों हेतु ऋण लिया जाना पूर्णतया उचित है। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास हेतु ऋण लिया जाना अपरिहार्य है परन्तु ऋण का उचित प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसके अभाव में पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है तथा राज्य ऋण जाल में फंस सकता है।

तलिका 1.12: राज्य की कुल ऋणग्रस्तता (रू0 करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियां	ऊर्जा बन्ध पत्र	अन्य*	कुल ऋण ग्रस्तता
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	49,674.02	44,886.05	**3,73,417.33**
2017-18	2,02,050.26	60,608.32	51,263.76	49,674.02	45,120.13	**4,08,716.49**
2018-19	2,35,356.93	55,736.67	54,907.14	49,674.02	49,528.48	**4,45,203.24**
2019-20	2,89,383.00	50,614.60	58,220.80	49,674.02	52,075.13	**4,99,967.55**
2020-21 (पु०अ०)	3,63,987.00	45,492.53	59,978.66	45,358.86	51,092.54	**5,65,909.59**

*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेकों स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को तालिका–1.12 से समझा जा सकता है जिसके अनुसार वर्ष 2019–20 तक कुल ऋणग्रस्तता रू0 4,99,967.55 करोड़ तक

पहुंच गयी है तथा वर्ष 2020–21 के अन्त तक इसके रू0 565909.59 करोड़ तक होने का अनुमान है।

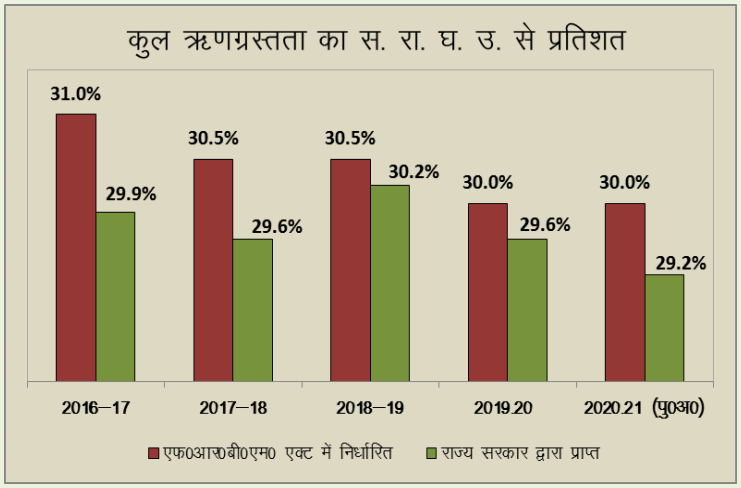

तालिका से स्पष्ट है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है परन्तु किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता का आँकलन उसकी कुल ऋणग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य के ऋणग्रस्तता का सही आंकलन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्य एवं संघ के लिये कुल ऋणग्रस्तता एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है। यदि राज्य अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर है तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है। वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में 'उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004' में समय–समय पर संशोधन कर राज्य का ऋण प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा ग्राफ को देखने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि 14वें वित्त आयोग की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य का ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात, अधिनियम में निर्धारित अनुपात से प्रत्येक वर्ष कम रहा है।

ऋण के स्रोत

राज्य की ऋण की संरचना में सर्वाधिक अंश बाजार ऋण का है। वर्ष 2020–21 तक के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कुल ऋणग्रस्तता का लगभग आधा से अधिक अंश अर्थात 64.3 प्रतिशत अंश बाजार ऋण से ही प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात् अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से लिया गया ऋण लगभग 8.0 प्रतिशत है तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में एन.एस.एस.एफ. से राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की प्रकिया समाप्त होने से इसमें लगातार कमी हो रही है। भविष्य एवं पेंशन निधियाँ भी राज्य के ऋण में समुचित योगदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 से 12वें वित्त आयोग की अवधि लागू होने पर आयोग द्वारा बाजार ऋण को अधिक महत्ता देते हुए केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋण को हतोत्साहित किया गया जिसके उपरान्त यह लगातार घटते हुये अब मात्र 2.5 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है। विदित है कि राज्यों को भिन्न–भिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले ऋण की अदायगी की अवधि एवं ब्याज दर, ऋण की शर्तों के अनुसार अलग–अलग होते हैं।

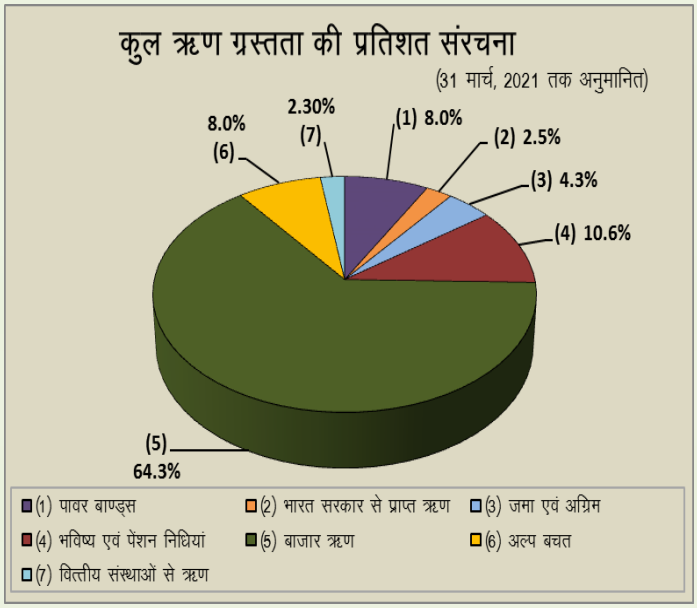

ऋण सीमा एवं ऋण सेवा

14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की ऋण सीमा अवार्ड अवधि 2015–20 हेतु निर्धारित की गयी थी जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यों की मौद्रिक रूप में ऋण सीमा निर्धारित की जाती है तथा राज्यों का यह दायित्व है कि इस ऋण सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाये। यद्यपि राज्यों को ऋण सीमा में 0.25–0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त लोचनीयता प्रदान की गयी है यदि उनका ऋण–जीएसडीपी अनुपात उसके पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम है अथवा ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति का अनुपात 10 प्रतिशत से कम है। यह लोचनीयता अलग–अलग अथवा एक साथ राज्यों को प्राप्त हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा विगत कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के कोविड–19 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन ऋण सीमा को स0रा0घ0उ0 के 03 प्रतिशत से 05 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

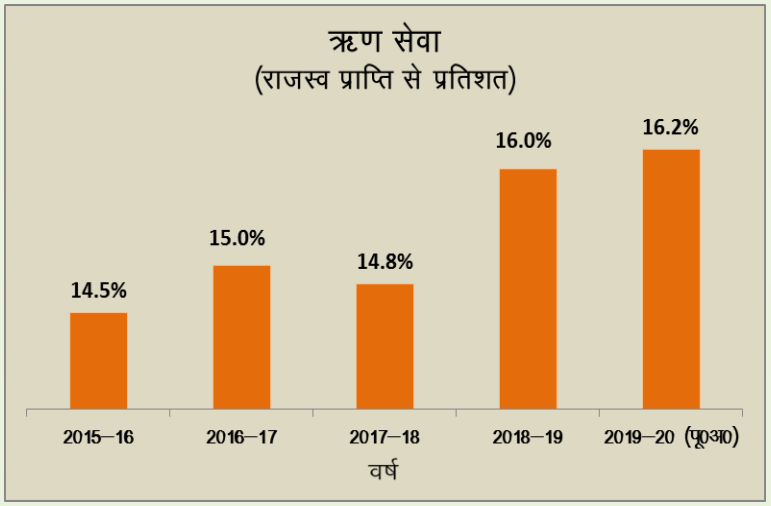

राज्य सरकार की ऋण सेवा के दो घटक हैं, ऋणों का प्रति संदाय एवं ब्याज अदायगी जिसमें विगत वर्षों में लगातार कमी हुयी है। एक दशक पूर्व ऋण सेवा का राजस्व प्राप्ति से अनुपात 26 प्रतिशत से अधिक था जो वर्ष 2016–17 तक घटते हुये 15.0 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। इसके उपरान्त यद्यपि ऋण सेवा में वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा वर्ष 2019–20 में यह 15.6 प्रतिशत के स्तर पर आ गया एवं वर्ष 2020–21 तक इसके 20.6 प्रतिशत रहने अनुमान है। यहां उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के आंकड़ों में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी है।

विश्लेषण

राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में विकास योजनाओं विशेष रूप से अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में जनसंख्या के दबाव के बावजूद राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्र में विकास हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने एयर एवं रोड कनेक्टिविटी से संबंधित सभी परियोजनाओं हेतु धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। साथ ही विकासात्मक गतिविधियों से समझौता किये बिना वित्तीय अनुशासन से एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्धारित राजकोषीय घाटा तथा कुल ऋणग्रस्तता को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित अनुपात को भी नियन्त्रण में बनाये रखा गया है। रोजगार सृजन के लिये भी अनेकों प्रयास किये गये हैं। कोविड–19 के बावजूद संसाधनों की प्राप्ति के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

तलिका 1.13
राज्य आय के अग्रिम अनुमान, वर्ष 2021–22
प्रचलित एवं स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वार्षिक वृद्धि दर एवं प्रति व्यक्ति आय

(करोड़ रू0 में)

क.सं.	खण्ड	जीएसडीपी (प्रचलित भावों पर)	प्रतिशत वितरण	जीएसडीपी (स्थायी 2011–12 भावों पर)	वृद्धि दर
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	432290.56	24.9	236370.56	1.71
1.1	फसलें	291298.72	16.8	158582.94	0.1
1.2	पशुधन	109518.15	6.3	58220.40	6.1
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	20083.03	1.2	14397.51	1.2
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	11390.66	0.7	5169.71	7.5
2.	खनन और उत्खनन	18870.71	1.1	18762.38	–2.1
क–प्राथमिक (1+2)		451161.27	26.0	255132.94	1.4
3.	विनिर्माण	197266.66	11.4	153029.33	17.3
4.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	47691.49	2.8	18721.76	8.5
5	निर्माण कार्य	180760.43	10.4	122777.81	6.3
ख–माध्यमिक(3 से 5)		425718.58	24.6	294528.90	11.9
6	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	152642.36	8.8	104806.32	7.8
7	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	117284.72	6.8	101860.43	9.7
7.1	रेलवे	18020.80	1.0	11618.48	6.5
7.2	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	59514.71	3.4	63987.04	12.5
7.3	भण्डारण	3323.68	0.2	1947.73	9.7
7.4	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	36425.53	2.1	24307.18	4.4
8	वित्तीय सेवायें	72730.32	4.2	48673.26	6.2
9	स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	268752.18	15.5	152284.85	4.1
10	लोक प्रशासन और रक्षा	128090.61	7.4	87187.16	8.9
11	अन्य सेवाएं	117111.89	6.8	70586.42	7.1
ग–तृतीयक (6 से 11)		856612.08	49.4	565398.44	7.1
सकल राज्य मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)		1733491.93	100.00	1115060.28	6.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)		1910216.65	–	1168740.96	7.3
प्रति व्यक्ति आय रु0 – 2021–22 (प्रचलित भावों पर)		उत्तर प्रदेश		भारत*	
		71472		150326	

*प्रथम अग्रिम अनुमान वर्ष 2021–22 के अनुसार।

****

अध्याय–02

प्रादेशिक विकास में चुनौतियाँ एवं रणनीति

"आत्मनिर्भरता में लाखों चुनौतियाँ, किन्तु करोड़ों समाधान"

मुख्य बिन्दु

- सरकार ने निर्णय लिया है कि महान क्रान्तिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किया जायेगा।
- प्रदेश में ख्यातिलब्ध अधिकतम 05 साहित्यकारों एवं कलाकारों, जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हैं, को प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान'' के अन्तर्गत 11 लाख रुपये प्रदान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट–2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है।
- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- लखनऊ में नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर "अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स" का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु सहमति हो गयी है।
- नैमिषारण्य, चित्रकूट, विध्यांचल, शाकुम्बरी देवी तथा शुक्रतीर्थ का समग्र विकास कराया जा रहा है।
- यमुना एक्सप्रेस–वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2020 एवं 2021 मे कोविड–19 वैश्विक महामारी के समक्ष सम्पूर्ण विश्व की चिकित्सा व्यवस्था असहाय रही, परन्तु जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जनसामान्य ने एकजुट होकर इस विभीषिका का सामना किया, वह प्रशंसनीय है। प्रदेश सरकार ने भी संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया।

देश में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की व्यवस्था करना, कोविड–19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना एवं विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलबध कराना, प्रदेश सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौती है। इसके लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना अति आवश्यक है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि–

- ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी प्रदाताओं को आमंत्रित करना। सौर ऊर्जा का उपयोग करके राज्य में स्वच्छ और हरित शक्ति के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना।
- केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कौशल विकास विभागों के प्रयासों को एकीकृत करने और व्यावसायिक कौशल में रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आर्थिक विकास के लिए माध्यम के रूप में सूचना प्रौद्यगिकी का उपयोग करना एवं आईटी को निवेश के लिए उच्च एवं पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को बुनियादी सुविधायें प्रदान करना। शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना और मलिन बस्ती के पुनर्विकास का कार्य करना।
- विश्व मानकों के अनुरूप राजमार्गों का विकास, प्रबंधन और रखरखाव करना। सड़कों को विकसित करके ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।

- क्षमता वाले विभिन्न स्थलों पर धार्मिक पर्यटन विकसित करना। पर्यटकों की रुचि के क्षेत्रों को विकसित करना और बेहतर तरीके से सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रदेश को औद्योगिक विकास में तेजी लाने और अनुकूल कारोबारी माहौल एवं निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करना।
- किसानों के बीच प्रशिक्षण नेटवर्क, प्रदर्शन और संदर्भ सामग्री के विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास, किसानों की खुशहाली तथा सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं त्वरित न्याय, युवाओं की शिक्षा एवं कौशल सम्वर्धन तथा प्रदेश की बढ़ती कार्यकारी जनसंख्या को यथोचित रोजगार उपलब्ध कराकर, जीवनस्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश सरकार उपरोक्त चुनौतियों के सापेक्ष रणनीतिक सामन्जस्य के साथ संतुलित विकास की ओर अग्रसर है। वर्ष 2020 मे कोविड–19 से प्रभावित राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक 01–01 हजार रुपये की दर से भरण पोषण सहायता की दो किश्तें उपलब्ध करायी गयीं। शहरों में स्ट्रीट वेन्डर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली, पल्लेदारों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की धनराशि भरण पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी। मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गयी।

कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना **''मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना''** लाई जा रही है। प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिये निःशुल्क राशन की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी। मनरेगा कार्ड धारकों को भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी। प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन की किश्तें एडवांस में वितरित की गयी।

प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी निष्प्रयोज्य परिसंपत्तियों को संज्ञान मे लेते हुए ऐसी परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2017–2018 का बजट किसानों को, **वर्ष 2018–2019 के बजट में औद्योगिक विकास, वर्ष 2019–2020 मे महिलाओं के सशक्तिकरण** के माध्यम से समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाये जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान दी गयी, वहीं वर्ष **2020–2021 के बजट मे युवाओं की शिक्षा, कौशल सम्वर्द्धन एवं रोजगार** के साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना सुविधा और त्वरित न्याय उपलब्ध कराये जाने को प्रमुखता दी गयी। वित्तीय वर्ष **2021–2022 के** बजट का केन्द्र बिन्दु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का **''स्वावलम्बन से सशक्तिकरण''** है।

रणनीतिक परिवर्तन के अन्तर्गत प्रदेश में राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन कर राज्य के समेकित तथा सतत् विकास के लिये रोडमैप तैयार किया जायेगा। जनपद स्तर पर भी यथार्थपरक योजनाएं तैयार करने तथा उनके समेकन हेतु तंत्र तैयार किया जायेगा। नीति आयोग के वर्ष 2020–21 मे जारी सतत् विकास सूचकांक के अनुसार **प्रदेश के समग्र स्कोर मे वर्ष 2018 के 42 एवं 2019 के 55 से पुनः सुधार करते हुए 60 पर पहुँच गया है,** जिसमें एसडीजी के लक्ष्य–3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य–4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं लक्ष्य–5 लैंगिक समानता मे प्रदेश, एस्पिरेण्ट से परफार्मर मे पहुँच गया है। लक्ष्य–7 मे सर्वोत्तम सुधार हुआ जो परफार्मर से एचीवर हो गया है, वहीं लक्ष्य–11 एवं 12 परफार्मर से फ्रंट रनर पर आ गया है। लक्ष्य–6, 8, 9, 10, 13 एवं 15 मे गिरावट दर्ज हुई है। लक्ष्य–9 परफार्मर से एस्पिरेण्ट पर आ गया है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी लक्ष्यों मे सुधार हुआ है।

प्रादेशिक अर्थव्यवस्था

सरकार, प्रदेश में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलम्बन तथा सशक्तिकरण पर केन्द्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुये **आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश** के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को स्वरोजगार के अवसर एवं सुविधायें उपलब्ध कराते हुये उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाया जाना है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के चार स्तम्भ होंगे– अवस्थापना विकास, जनस्वास्थ्य, मानव सम्पदा एवं सामाजिक–सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों का विकास।

अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे विकास की आगे की अवस्था को प्राप्त करती है, वैसे ही राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों के योगदान मे परिवर्तन होता है। प्राथमिक खण्ड का योगदान निरन्तर कम होता है और द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड के योगदान में वृद्धि होती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व मे जी.एस.टी. की हिस्सेदारी लगभग 40.3 प्रतिशत है। राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। राज्य सरकार इन वचनबद्ध व्ययों को नियन्त्रण में रखने के सार्थक प्रयास कर रही है।

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है। राजस्व व्यय के सापेक्ष इस पर व्यय जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी अधिक तेजी से विकास की ओर अग्रसर होगी। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिये ऋण लेना उपयुक्त होता है। वर्ष 2002–03 में लिये गये ऋण का मात्र 46 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय में उपयोग हुआ था जो वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि में यह 100 प्रतिशत के स्तर से भी ऊपर है, जिसका आशय है कि राजस्व बचत के बड़े अंश का भी उपयोग पूंजीगत कार्यों के लिये किया जा रहा है। राज्य द्वारा विगत् कई वर्षों से निर्धारित सीमा के अधीन ही प्रत्येक वर्ष ऋण लिया जा रहा है। वर्ष 2004 में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम पारित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2006–07 में राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति प्राप्त की जा सकी तथा तब से लगातार राजस्व अधिशेष की स्थिति बनी हुयी है। राजकोषीय घाटे को भी नियन्त्रित किया गया जो एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है।

त्वरित न्याय एवं कानून–व्यवस्था

निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उपयुक्त माहौल का होना अत्यन्त आवश्यक है। विधिक वादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायालयो एवं ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गयी हैं। फोरेन्सिक साइंस, आचार विज्ञान, तकनीक और प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण में आवश्यक तकनीकों की विशेषज्ञता उत्पन्न करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से लखनऊ में पुलिस और फोरेन्सिक साइन्स इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी है।

आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्तियों में से लगभग 1000 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्तियों पर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा इनके लगभग 150 से अधिक शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की गयी। मिशन शक्ति दृढ़तापूर्वक लागू किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी।

प्रदेश में पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेन्सेज) ऐक्ट के अधीन प्रचलित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये 218 न्यायालयो के गठन का निर्णय लिया है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक कोर्ट्स की सख्या 81 है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के 25 कोर्ट तथा 13 कामर्शियल कोर्ट्स की स्थापना करायी गयी है। निर्वाचित सांसदों, विधायकों के लम्बित आपराधिक वादों के लिए 01 स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्यूनल स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा,सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु '**मिशन शक्ति**' की शुरुआत की है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने मे सहायक होगा।

महिला सशक्तिकरण

प्रदेश की महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु उन्हे सुरक्षा प्रदान कर शिक्षा, कौशल सम्वर्धन और रोजगार तथा स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाना सरकार की प्राथमिकता है। बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता से प्रदान की जा रही है। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु उ0प्र0 पुलिस द्वारा 01 नवम्बर, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक विशेष अभियान ''मिशन शक्ति'' चलाया गया जिसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगार में समान अवसरों की वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घण्टे व पुरूषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित है जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा पैनिक बटन लगाये गये हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु प्रयासरत हैं एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों मे उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों मे पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करायी जा रही है। **प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना** के अन्तर्गत संजय गाँधी पीजीआई, लखनऊ में लेवल–3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जायेगी। प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जायेगी। अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

केजीएमयू के अधीन लखनऊ में इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एण्ड इन्फेक्शंस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो–सेफ्टी लेवल–4 लैब की स्थापना लक्षित है जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। केजीएमयू लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर की स्थापना करायी जायेगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये एसजीपीजीआई, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा को बेहतर करने के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। प्रदेश के निजी विद्यालयों में फीस को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 लागू किया गया है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना **''मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना''** प्रारम्भ की गयी है। पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्मय से प्रतियोगी परीक्षाओं की

तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जायेगी। प्रदेश में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगारपरक प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना है ।

सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

कृषि विकास

किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिये अवस्थापना से संबंधित अन्तर को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 से **आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना** क्रियान्वित की जायेगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुये खातेदार एवं सहखातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं, को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा।

किसानों की आय को दोगुना करने के लिये कृषि में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई **प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की** गयी है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। **अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ** का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश, **किसानो को डीबीटी के माध्यम से अनुदान का भुगतान करने तथा मण्डी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।**

प्रदेश का **गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान** है, किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रमशः 65.14 प्रतिशत एवं 66.27 प्रतिशत कम है। कृषि के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे अनुसंधानों से यह संज्ञान में आया कि प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है, इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है।

वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की उप–योजना, चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु उन्नत कृषि पद्धति को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने, जलस्तर को ऊपर उठाने, जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर, उत्पादन में वृद्धि करना है। प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है। खरीफ एवं रबी की अधिसूचित फसलों को दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, फसली ऋण के प्रभाव को बनाये रखने एवं आपदा वर्षों में कृषकों की आय को स्थिर रखने हेतु वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित** की जा रही है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

पेराई सत्र 2019–2020 मे 119 चीनी मिले संचालित हैं, जिनके द्वारा 552 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुये 60 लाख 26 हजार टन चीनी का उत्पादन किया गया। प्रदेश में कुल स्थापित 50 आसवनियों द्वारा दिसम्बर, 2019 तक 50 करोड़ 54 लाख लीटर एथनॉल की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा 46 लाख 20 हजार गन्ना किसानों को 86 हजार 700 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया। विगत 02 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा रिकॉर्ड 2 हजार 143 लाख टन गन्ने की पेराई की गई, जो रिकॉर्ड है।

गन्ना की आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल, रमाला (बागपत) की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 टी.सी.डी. की गई तथा इसके साथ 27 मेगावॉट को–जेन संयंत्र लगाया गया, जिसका लोकार्पण 04 नवम्बर, 2019 को किया जा चुका है। मोहिउद्दीन–मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी से बढ़ाकर 3,500 टी.सी.डी. की गई जिसे 5,000 टी.सी.डी. तक बढ़ाया जा सकता है। सहकारी चीनी मिल, स्नेह रोड, बिजनौर में 40 के.एल.पी.डी. और सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ में 30 के.एल.पी.डी. क्षमता की 02 नई डिस्टलरियाँ लगायी गयीं। बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच, गोरखपुर एवं मुण्डेरवा, बस्ती के स्थान पर 5 हजार टी.सी.डी. की 2 नई चीनी मिलें और 27 मेगावॉट क्षमता की बिजली उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई।

ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

प्रदेश के 38 हजार से अधिक असेवित गाँवों में से वर्ष 2017–2018 एवं 2018–2019 में 19 हजार 5 सौ असेवित गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। वर्ष 2019–2020 में मार्च, 2020 तक 6556 गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के परफार्मेन्स इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में **पहले स्थान** पर रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मे मुसहर, वनटांगिया तथा थारू जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता पर आवास उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत **शौचालय निर्माण मे प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान** प्राप्त किया है। सभी 75 जनपद ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। योजनान्तर्गत आगामी वर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यों के साथ सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत पंचायतों के क्षमता सम्वर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे की उपलब्धता की व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में **चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालयों की स्थापना** की जा रही है।

पशुपालन

पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु किसानों के हित में अनेक लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है तथा उनमें गति प्रदान करने के लिये नये अभिनव प्रयोगों को लागू किया जा रहा है। **पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) के मामले मे प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है,** जो देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत है जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है। वर्ष 2020–21 में मार्च, 2021 तक 305.00 लाख मी0टन0 दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता क्रमश 330 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। वर्तमान में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत 32.5 है जिसे 2022 तक 75 प्रतिशत किया जाना है। प्रदेश की विशाल पशुधन सम्पदा को सुरक्षित, सम्बर्धित तथा रोगमुक्त रखने में सरकार प्रयत्नशील है।

राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका–मुँहपका एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश को खुरपका–मुँहपका रोग से मुक्त कराया जाना है। मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है,

अतः सरकार द्वारा जून, 2014 मे मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में प्रारम्भ की जा रही नयी योजना **''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना''** हेतु 243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत 74 हजार से अधिक गोवंश इच्छुक गोपालकों की सुपुर्दगी में दिये गये हैं। प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में गौ आश्रय स्थलों का विकास किये जाने की योजना है। ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट के कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा।

बुन्देखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05–05 गो–आश्रय केन्द्र स्थापित हैं। **प्रदेश में पहली बार गोशालाओं का ऑन लाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं।**

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

बागवानी का क्षेत्र, कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प है। प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु समन्वित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक–''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' औषधीय पौध मिशन, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि कार्यक्रम संचालित हैं। इन कार्यक्रमो के अन्तर्गत फल सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, दुग्ध, बेकरी आधारित उद्योग आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

सिंचाई एवं जलापूर्ति

प्रदेश मे बढ़ती हुई जनसंख्या के भविष्य की जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 01 हेक्टेयर से 05 हेक्टेयर के तालाबों को वर्षा जल संचयन हेतु पुनर्विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई (यांत्रिक), परती भूमि विकास तथा बाढ़ नियंत्रण पर गठित ''जल शक्ति विभाग'' के अन्तर्गत रखा गया है।

इसी प्रकार नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु **''नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग''** का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों मे भूजल के संचयन और अतिदोहन पर रोक लगाने हेतु 6 हजार करोड़ रूपये की लागत वाली **''अटल भू–जल योजना'' प्रारम्भ** की है।

विगत् तीन वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं जिसके पूर्ण होने के उपरान्त 2 लाख 21 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे प्रदेश में 2 लाख 33 हजार किसान लाभान्वित हुये।

पूँजी निवेश

प्रदेश मे तीव्र औद्योगीकरण के लिये प्रदेश सरकार सतत् प्रयासरत है। प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजीनिवेश के लिये आकर्षक बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किये हैं। विगत् वर्षो में इन्वेस्टर्स समिट, दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एवं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रदेश **में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में निरन्तर सुधार** हुआ है और प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाये जाने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये क्रेडिट आधारित क्लस्टर सुविधायें विकसित किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

ग्यारहवें डिफेन्स एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। इसमें विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3 हजार से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई, जिसमें 23 एमओयू प्रदेश सरकार के डिफेन्स कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किये गये जिनसे प्रदेश में लगभग 50 हजार करोड़ रूपये का निवेश सम्भावित है।

पारम्परिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा

प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये तथा सुदूर इलाके तक विद्युत संयोजन, सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 5 हजार 800 मेगावॉट को माँग के अनुरूप उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 3 हजार 960 मेगावॉट उत्पादन क्षमता की तापीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनसे वर्ष 2020 से 2022 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में लगभग 3 हजार मेगावॉट का उत्पादन संयुक्त उपक्रम के माध्यम से प्राप्त होना सम्भावित है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 घण्टे तथा ग्राम स्तर पर 16 से 18 घण्टे बिजली देने की व्यवस्था की गयी है।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति–2017 क्रियान्वित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10 हजार 700 मेगावॉट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से 4 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावॉट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयी हैं।

नागरिक उड्डयन

प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''**उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति**'' प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ–साथ नॉन–रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

राज्य सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या मे वृद्धि हो गई है। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। इस परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के अन्तर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र (म्योरपुर) स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर गौतमबुद्धनगर में होंगे।

वन एवं पर्यावरण

प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे की भूमि तथा परती भूमि ऊसर,

बीहड़ खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपरण कराने की कार्य योजना है।

05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महाअभियान वर्ष 2020 मे प्रदेश में 28 जुलाई, 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों का पौधरोपण कर **गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड** रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराया गया है।

मानव–वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य **मे बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 मे 173 हो गई है।** वन्य जीव संरक्षण की दिशा में नई तकनीक के प्रयोग हेतु आईआईटी, कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिन्हित किया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में एम–स्ट्राइप्स एप के माध्यम से स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रारम्भ की गई है।

सड़क परिवहन व्यवस्था

प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लम्बाई में **''पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे परियोजना'' का परिचालन प्रारम्भ** हो चुका है। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने के लिये लगभग 91 किलोमीटर लम्बाई में **''गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे''** के निर्माण का निर्णय लिया गया है। **''पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे''** से बलिया को जोड़ने के लिये 'बलिया लिंक एक्सप्रेस–वे'' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिये जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे मार्ग से जोड़ने हेतु लगभग 297 किलोमीटर लम्बाई का ''बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे'' निर्माणाधीन है। यह एक्सप्रेस–वे बुन्देलखण्ड के लिये लाइफ लाइन सिद्ध होगा।

मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लम्बे ''गंगा एक्सप्रेस–वे'' के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में डिफेन्स कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु ''डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर'' परियोजना के लिये आवश्यक भूमि झाँसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों मे चिन्हित की गयी है।

लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहाँपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। ''इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019'' का प्रख्यापन किया गया है। प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की गयी है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुर व लखनऊ–रूपैडिहा–नेपालगंज के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया।

नगरीय विकास

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपरोक्त 10 नगर निगमों के अतिरिक्त, 07 अन्य नगर निगमो– मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लखनऊ, गाजियाबाद तथा नोएडा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित करते हुये परियोजना की लागत 11 हजार 76 करोड़ रूपये अनुमोदित की गयी है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार द्वारा 8 हजार 379 करोड़ रूपये की लागत से अनुमोदित की गयी है। परियोजना की कुल लम्बाई 29 किलोमीटर है। परियोजना हेतु 286 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

'सबके लिये आवास योजना' के अन्तर्गत प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगरीय क्षेत्र में आवासीय आवश्यकता की बढ़ी हुई मांग को लगातार पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

पर्यटन विकास

प्रदेश में प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के बिखरे पड़े अवशेषो को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों, स्मारकों तथा पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलो का उत्खनन आदि कार्य किये जा रहे हैं।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। **4 फरवरी, 2021 को चौरी–चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण** होने के उपलक्ष्य में **चौरी–चौरा शताब्दी महोत्सव** जो पूरे वर्ष चलेगा, के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद गोरखपुर में आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण, कबीर अकादमी की स्थापना, जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस–पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना, गुरू गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना, पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला, उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य का विकास किया जा रहा है।

औद्योगीकरण

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जो प्रयास किये गये हैं उनसे अब उद्यमियों द्वारा प्रदेश में उद्यम लगाना सरल हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के उपरान्त पिछड़े क्षेत्रों के लिये त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति–2020 घोषित की। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं। कोविड–19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है।

औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश मे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सभी आवश्यक निर्णय लिए जा रहे है, परिणामस्वरुप वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'** में प्रदेश गत वर्ष की 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये **दूसरी रैंक** हासिल की है।

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग–बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **'उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020'** लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 03 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

देश के एमएसएमई विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की शिकायतों के निराकरण हेतु '**रिवाइवल एवं फैसिलटेशन सेल**' का गठन किया गया है। उ0प्र0 सरकार ने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये **'उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020'** लागू किया है।

प्रदेश मे ओडीओपी जैसी योजना लाकर परम्परागत उद्योगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। ''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017'' प्रख्यापित की गई है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर,

नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि पारम्परिक हस्तशिल्पियों की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु **"विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना"** लागू है।

अन्य

- त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओ से सम्बंधित यथा–सड़क, पुल, पेयजल तथा स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा आदि को प्राथमिकता पर कराया जाना परिकल्पित है।
- दिव्यांग दम्पतियों के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसे दिव्यांग दम्पतियों, जिनमें पति–पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो गई हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हों, के बच्चों के पालन–पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जायेगा।

प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेंट, कृषि तथा विनिर्माण विकास, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों तथा सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है।

आर्थिक विकास एक सतत् प्रक्रिया है, इसमें नीतिगत निर्णयों का परिणाम धीरे–धीरे ही दृष्टिगोचर होता है। विगत् वर्षों में लिए गए आर्थिक निर्णयों के सार्थक परिणाम मिलने प्रारम्भ हो गए हैं। सरकार द्वारा संतुलित विकास की रणनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। प्रदेश सरकार, एक ओर जहाँ कृषि विकास पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगीकरण हेतु भी निरन्तर प्रयास कर रही है इन्हीं प्रयासों के फलस्वररूप निवेश करने मे निवेशकों की रूचि बढ़ रही है।

अतः प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि कृषि विकास के बिना उद्योगों का विकास सम्भव नही है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। इसीलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों क्षेत्रों के विकास पर एक साथ जोर दे रही है। एक ओर भारत सरकार की नीतियों एवं योजनाओं यथा–प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, स्टैण्ड–अप एवं स्टार्ट–अप इण्डिया आदि के क्रियान्वयन मे उत्कृष्ट कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम–सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि प्रारम्भ कर उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश के माध्यम से उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर है।

****

अध्याय–03
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

मुख्य बिन्दु

- बैंकिंग नेटवर्क मार्च, 2021 तिमाही मे औसतन एक आउटलेट प्रति 2.41 वर्ग कि0मी0 से बढ़कर औसतन 2.28 वर्ग कि0मी0 हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में समीक्षा अवधि जून 2021 तक कुल 1371620 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।
- कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गो हेतु ऋण क्रमशः 26.02 प्रतिशत, 56.67 प्रतिशत एवं 19.65 प्रतिशत है।
- एम.एस.एम.ई/व्यावसायिक इकाइयों/कृषकों/समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई, 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' की घोषणा की गयी हैं।
- प्रदेश प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत देश मे सर्वाधिक 7.24 करोड़ खाते (16.93 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क मार्च, 2021 तिमाही मे औसतन एक आउटलेट प्रति 2.41 वर्ग कि0मी0 से बढ़कर औसतन 2.29 वर्ग कि0मी0 हो गया है। कुल 19045 बैंक शाखाओं, 18713 ए0टी0एम0 एवं 68585 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि0 की 75 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है:–

तालिका 3.01:– प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

क्र0सं0	बैंकिंग केन्द्र	बैंक शाखाओं की संख्या	
		जून, 2020	जून, 2021
1	बैंक शाखा	18912	19045
2	एटीएम	18549	18713
3	बैंक मित्र	69401	68585
4	इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक	76	75

तालिका 3.02:– प्रदेश मे बैंकिंग क्षेत्र का प्रगति विवरण (राशि करोड़ मे)

क्र.सं	विवरणी	जून, 2020	मार्च, 2021	जून, 2021
1	जमा	1172007.35	1277160.14	1280745.30
2	अग्रिम	587339.02	652116.52	653732.99
3	कुल व्यवसाय	1767709.04	1937630.15	1942556.23
4	ऋण जमा अनुपात	50.83	51.71	51.67
5	अग्रिम निवेश सहित	692046.27	782421.66	786586.39
6	अग्रिम + निवेश : जमा अनुपात	59.05	61.26	61.42
7	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	349970.77	382778.47	377168.57
8	कुल अग्रिमों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेंत्र का %	58.75	57.95	56.99
9	कृषि अग्रिम	160925.74	176611.60	175676.55
10	कुल अग्रिमों में कृषि क्षेत्र का %	27.01	26.74	26.54
11	लघु उद्यमियों को अग्रिम	126714.17	138161.54	132623.68
12	कुल अग्रिमों में लघु उद्यमियों का %	21.27	20.92	20.04
13	अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	62330.86	68005.33	68868.34

क्र.सं	विवरणी	जून, 2020	मार्च, 2021	जून, 2021
14	कुल अग्रिमों में अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र %	10.46	10.30	10.41
15	कमजोर वर्गों को अग्रिम	110867.93	120977.05	126875.50
16	कुल अग्रिमों में कमजोर वर्गो का %	18.61	18.31	19.17
17	शाखा विस्तार			
	• ग्रामीण	9029	8926	8671
	• अर्द्धनगरीय	4195	4288	4412
	• शहरी/मेट्रो	5764	5849	5962
18	कुल शाखाओं की संख्या	18988	19063	19045

ऋण–जमा अनुपात

जून 2020 की स्थिति के सापेक्ष जून 2021 तक की एजेन्सीवार, ऋण–जमा अनुपात एवं ऋण निवेश–जमा अनुपात की प्रगति निम्नानुसार है:–

तालिका 3.03:– ऋण–जमा अनुपात की प्रगति (प्रतिशत में)

विवरण	संस्था	त्रैमास		अंतर (जून 2020 से जून 2021)
		जून, 2020	जून, 2021	
ऋण जमा अनुपात	वाणिज्यिक बैंक	48.86	49.94	1.08
	क्षेत्रीय ग्रा. बैंक	56.06	56.74	0.68
	वाणि.बैंक+ क्षे.ग्रा.बै	49.45	50.48	1.03
	कोऑपरेटिव बैंक	86.45	81.96	(–) 4.49
	वाणि.बैंक+ क्षे.ग्रा.बै सहकारी बैंक	50.83	51.67	0.84
ऋण+निवेश जमा अनुपात	वाणिज्यिक बैंक	54.16	55.83	1.67
	क्षेत्रीय ग्रा. बैंक	99.76	104.99	5.23
	वाणि.बैंक +क्षे.ग्रा.बै	57.88	59.74	1.86
	कोऑपरेटिव बैंक	129.49	126.66	(–) 2.83
	वाणि.बैंक+ क्षे.ग्रा.बै +सहकारी बैंक	59.05	61.42	2.37

वार्षिक ऋण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यथा– कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2021–22 हेतु रू0 279793.60 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष जून 2021 तक उपलब्धि रू0 45663.41 करोड़ (16.32 प्रतिशत) रही है। सेक्टरवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 3.04:– वार्षिक ऋण योजना की स्थिति (धनराशि करोड़ मे)

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	:उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	:उपलब्धि
	2020–21	जून, 2020	जून, 2020	2021–22	जून, 2021	जून, 2021
कृषि	170201.05	22921.78	13.47	180540.67	23990.15	13.29
लघु उद्यम	61759.37	19431.36	31.46	72250.99	20558.46	28.45
सेवायें (शिक्षा+गृह+अन्य)	14790.60	1722.07	11.64	27001.91	1114.80	4.13
कुल	246751.02	44075.21	17.86	279793.60	45663.41	16.32

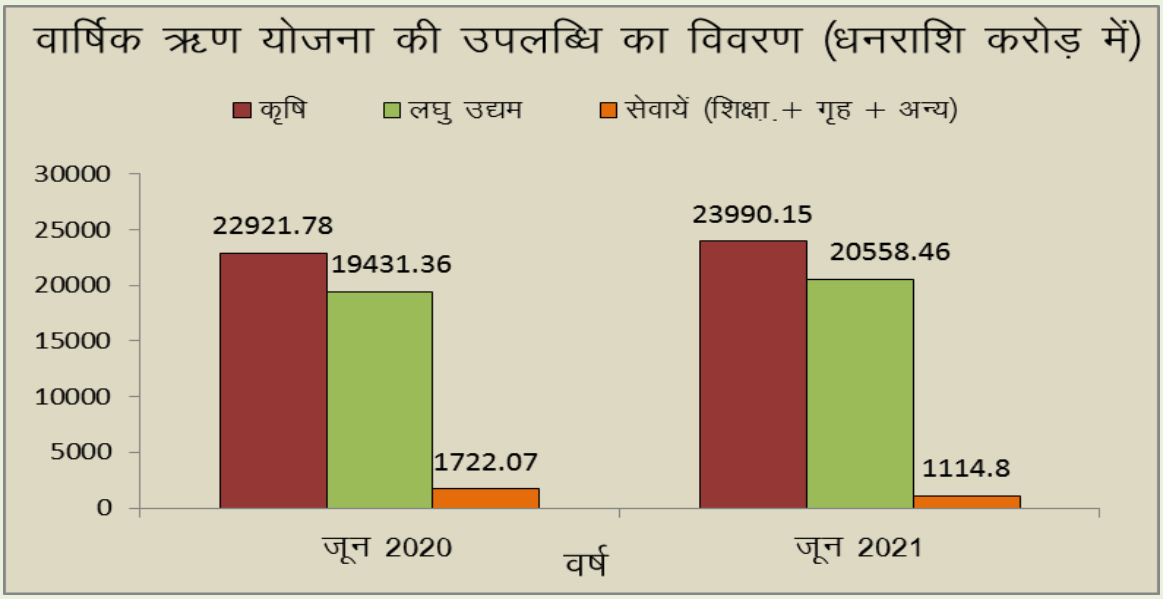

वाणिज्यिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का कृषि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गो हेतु ऋण कमशः रू0 165328.68 करोड़ (26.02%), रू0 60015.90 करोड़ (56.67%) एवं रू0 124851.72 करोड़ (19.65%) हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के सापेक्ष अच्छा है तथा बैंकों द्वारा किये जा रहे सघन प्रयासों का द्योतक है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वसूली

कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत जून 2021 तक कमशः 55 प्रतिशत व 52 प्रतिशत वसूली रही है, जो गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत वृद्धि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे कमी हुई है। कृषि व प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत जून 2021 में ऋण वसूली का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 3.05:– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की वसूली (धनराशि करोड़ मे)

विवरण	मांग	वसूली	अतिदेय	प्रतिशत जून 2021	प्रतिशत जून 2020
कृषि	45228	24978	20249	55	46
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	57800	29901	27898	52	53

किसान क्रेडिट कार्ड

वित्तीय वर्ष 2021–22 की समीक्षा अवधि जून 2021 तक कुल 1371620 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिनमें से नये जारी कार्ड 236748 है तथा कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया 1134872 मामलों में की गयी है।

तालिका 3.06:– किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण (धनराशि रू करोड मे)

बैंक	किसान क्रेडिट कार्ड (वित्तीय वर्ष 2021–22)					
	नवीनीकरण		नवीन स्वीकृत		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वाणिज्यिक बैंक	846303	9988.95	194709	2767.58	1041012	12756.53
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	288569	2672.54	38509	579.14	327078	3251.67
कोआपरेटिव बैंक	0	0	3530	12.80	3530	12.80
कुल योग	1134872	12661.49	236748	3359.52	1371620	16021.00

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसके अन्तर्गत देश के कृषकों को प्राकृतिक आपदा के द्वारा होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करते हुए ऋणी कृषकों हेतु ऐच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित होने का प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा भी जुलाई 2020 को आगामी 3 वर्षों के लिए प्रदेश में योजना के सफल संचालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के परिणामस्वरूप समस्त आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर एमएसएमई इकाइयों, गरीबों, श्रमिकों एवं किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति से अर्थव्यवस्था को निकालने व समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किये जा रहे है। इसी क्रम में एमएसएमई/व्यावसायिक इकाइयों/कृषकों/समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गयी हैं।

इस पैकेज के अन्तर्गत विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 'आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजना' की शुरूआत की गयी है। यह योजना सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से संचालित की जा रही है। सभी पात्र व्यावसायिक/एमएसएमई इकाइयों को फरवरी 2020 के कुल देयता का 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान किया जाना है।

कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पी.एम.स्वनिधि) योजना की शुरूआत की गयी है। योजनान्तर्गत पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं को रू 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ऋण मुद्रा योजना मे शिशु श्रेणी मे प्रदान किया जा रहा है। **पी.एम.स्वनिधि पोर्टल** के अनुसार प्रदेश में अगस्त, 2021 तक कुल 730774 एवं 649896 स्ट्रीट वेन्डर्स को ऋण स्वीकृत एवं वितरित किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पात्र और पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को दी गई सुविधा के संबंध में गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत **क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब–ऑर्डिनेट डेब्ट योजना** की शुरूआत की गयी है। इस योजना का संचालन सूक्ष्म और लघु उद्यमी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के

माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी समस्त एमएसएमई इकाइयां जो मार्च 2018 में स्टैन्डर्ड कैटेगरी में एवं अप्रैल 2020 को एसएमए–2 या एनपीए की श्रेणी में है, किन्तु चालू अवस्था में हो, योजनान्तर्गत पात्र है। ऋण प्रमोटर्स को उनकी इक्विटी प्लस डेब्ट का 15 प्रतिशत या अधिकतम 75 लाख, जो कम हो, प्रदान किया जाना है, जिसकी 90 प्रतिशत गारण्टी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा तथा शेष 10 प्रतिशत प्रमोटर्स द्वारा प्रदान की जाएगी।

भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2020 को एक विशेष अभियान की शुरूआत की गयी हैं। प्रदेश में 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य प्राप्त हुए है।

ऑनलाइन रोजगार संगम–प्रथम

लखनऊ में 14 मई 2020 को एक ऑनलाइन रोजगार संगम का आयोजन कर एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ओ.डी.ओ.पी. मार्जिन मनी योजना, ओ.डी.ओ.पी. प्रशिक्षण एवं टूल ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरूआत की गयी। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 56754 लाभार्थियों को रू 2002 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान–द्वितीय

लखनऊ में 26 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान 135666 नवीन एमएसएमई इकाइयों को रू 4034 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजनान्तर्गत 267980 एमएसएमई इकाइयों को रू 6565 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया।

ऑनलाइन स्वरोजगार संगम–तृतीय

भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज एवं विभिन्न रोजगार परक योजनाओं मे 07 अगस्त 2020 को ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन कर कुल 129753 लाभार्थियों को रू 4661 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। साथ ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारण्टी योजनान्तर्गत 139538 एमएसएमई इकाइयों को रू 3180 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।

प्रदेश में वित्तीय समावेशन

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना मे प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में जून, 2021 तक लगभग 7.24 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें रू0 26625.97 करोड़ की धनराशि जमा है। इनमें से 5.82 करोड़ (86.71%) खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। देश में खोले गये कुल 42.76 करोड़ खातो में प्रदेश सर्वाधिक 7.24 करोड़ खाते (16.93 प्रतिशत) खोलते हुए प्रथम स्थान पर है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अन्तर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष है, को वार्षिक प्रीमियम रू0 12 में रू0 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज है जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। जून, 2021 तक 2.96 करोड़ लोगों के पंजीकरण के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। योजना में जून, 2021 तक 6918 दावों के सापेक्ष 5045 का निस्तारण किया जा चुका है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई) के अन्तर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष है, को रू0 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम

रू0 330/– पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मे जून, 2021 तक 78.13 लाख पंजीकरण के साथ प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान है। योजना में जून, 2021 तक 37232 दावों के सापेक्ष 34177 का निस्तारण किया जा चुका है।

(घ) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अन्तर्गत वृद्धावस्था में जीवन यापन हेतु 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है ताकि 60 वर्ष की आयु से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य नागरिकों को विशेषकर असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। अभी तक 45.52 लाख लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है। इस अभियान में हमारे प्रदेश को बेहतर प्रदर्शन के लिए "अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस" एवं 48 जनपदों को शत–प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु "अवॉर्ड ऑफ प्री एक्सीलेंस" प्रदान किया गया है।

बैंकमित्रों द्वारा प्रदत्त वित्तीय सेवायें

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय सेवायें सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने हेतु समस्त प्रदेश को 27,628 सब–सर्विस एरिया में बाँटा गया है। सब–सर्विस एरिया 4 से 6 हजार की आबादी व 5 कि0मी0 की दूरी को ध्यान में रखकर बनाया गया। प्रदेश में जून, 2021 तक 68585 बैंक मित्र, आधार एवं रूपे कार्ड आधारित ट्रांजेक्शन के माध्यम से सेवायें प्रदान कर रहें हैं।

एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिजिनेस केन्द्र

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना मे कृषि संकाय के स्नातकों, डिप्लोमा होल्डर्स इत्यादि को कृषि क्लीनिक व कृषि व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु 02 माह का पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, तत्पश्चात बैंक ऋण के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है। वित्त–पोषित लाभार्थियों को भारत सरकार से 36 से 44 प्रतिशत तक के अनुदान का भी प्रावधान है। इसके माध्यम से बैंको द्वारा जहाँ एक ओर स्व–रोजगार को बढावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऋण की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में जून, 2021 तक विभिन्न बैंकों द्वारा कुल प्राप्त 27 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 23 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति के साथ–साथ ऋण वितरण की कार्यवाही की गयी है तथा कुल रू 98.19 लाख की धनराशि वितरित की गयी है।

ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह विशेष योजना लागू की है। इसमें कृषि उपज और संसाधित कृषि उत्पादों के भंडारण की जरूरतें पूरी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनुषंगी सुविधाओं के साथ वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण, कृषि उपज के बाजार मूल्य में सुधार के लिए ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढावा देना, वायदा वित्त व्यवस्था और बाजार ऋण सुविधा प्रदान करते हुए फसल कटाई के तत्काल बाद संकट और दबावों के कारण फसल बेचने की मजबूरी समाप्त करना, कृषि जिन्सों के संदर्भ में राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तियों की शुरूआत करते हुए देश में कृषि विपणन ढांचा मजबूत करना है। नाबार्ड द्वारा इस योजना का समन्वय किया जा रहा है जिसमें 15 से 25 प्रतिशत (अधिकतम रू0 37.50 लाख) बैक द्वारा प्रदत्त अनुदान का प्रावधान है, जो 100 से 10000 टन क्षमता की इकाइयों के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय स्व–रोजगार योजना

इस योजना मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं, को कृषि एवं उससे सम्बन्धित तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के

क्रिया–कलापों हेतु ऋण उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। चालू वित्तीय वर्ष मे जून, 2021 तक कुल प्रेषित 15568 आवेदन पत्रों में से ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही क्रमशः 1114 एवं 488 आवेदन पत्रों में सुनिश्चित की गयी।

मुख्यमन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूँजीगत ऋण रू 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष मे जून, 2021 तक कुल वार्षिक लक्ष्य 800 के सापेक्ष ऋण स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही क्रमशः 314 एवं 133 आवेदन पत्रों में सुनिश्चित की गयी।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु दिसम्बर, 2018 से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित की जा रही है। इसमे पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में अप्रैल, 2018 से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए रू 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू 10 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। परियोजना लागत की कुल राशि का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। निर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम रू 6.25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए रू 2.50 लाख की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है।

अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इन समुदायों को प्रदत्त ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गो हेतु ऋणों में वर्गीकृत किया जाता है, साथ ही प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण का 15 प्रतिशत तक प्रदान करने हेतु निर्देश है। प्रदेश के 21 जनपदों को अल्पसंख्यक बाहुल्य के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में जून 2021 तक अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 2269305 व्यक्तियों को रू 51843.09 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जो कि कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 14.46 प्रतिशत (खाते) एवं 13.75 प्रतिशत (धनराशि) है।

अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में कुल 11,63467 व्यक्तियों को रू 19103.72 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण का क्रमशः 23.20 प्रतिशत (खाते) एवं 21.17 प्रतिशत (धनराशि) हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भारत सरकार द्वारा अति लघु इकाइयों के विकास तथा पुनर्वित्तपोषण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु मुद्रा योजना की शुरूआत, गैर–कार्पोरेट एवं गैर–कृषि लघु/लघु उद्यमों को रू0 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। योजना की प्रगति निम्न हैः–

तालिका 3.07:– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मे वित्त पोषण (धनराशि करोड़ मे)

अवधि	शिशु ऋण (रू0 0.50 लाख तक)			किशोर ऋण (रू0 0.50–5 लाख तक)			तरूण ऋण (रू0 5–10 लाख तक)		
	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि	खातों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वितरित धनराशि
जून 2021	492040	1121.93	1069.79	90696	1161.78	977.9	11215	959.79	816.10
जून 2020	413918	758.02	685.37	90748	1740.97	1332.3	17068	1329.4	1020.9

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की जून 2021 तक की ऋण वसूली की स्थिति संक्षेप में योजनावार निम्न है:–

तालिका 3.08:– योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति (प्रतिशत में)

योजना	वाणिज्यिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	जून, 2021	जून, 2020	जून, 2021	जून, 2020
एससीपी	41.90	43.46	43.71	57.06
केवीआईसी(मार्जिन मनी स्कीम)	49.16	55.32	56.73	57.97
केवीआईबी(एमएमजीआर स्कीम)	35.31	44.96	25.37	57.49

यह उल्लेखनीय होगा कि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं को–ऑपरेटिव बैंकों में गैर–निष्पादक आस्तियों का स्तर जून 2021 में क्रमशः 8.36 प्रतिशत, 15.57 प्रतिशत व 9.05 प्रतिशत रहा है। विगत वर्ष की आलोच्य अवधि से वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गैर–निष्पादक आस्तियों का स्तर बढ़ा है, जबकि को–ऑपरेटिव बैंको में स्तर कम हुआ हैं। कुल गैर निष्पादक आस्तियों का औसत स्तर 8.98 प्रतिशत गत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष कम है।

प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना

हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर समुदाय हेतु जून, 2016 द्वारा योजना में संशोधन किये गये। अब बुनकर समुदाय हेतु ऋण सुविधा मुद्रा योजनान्तर्गत कवर की जायेगी और यह **'प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना'** के नाम से जानी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रदेश के 13 परिक्षेत्रों हेतु प्लान तैयार किया गया है। इस एक्शन प्लान के अनुसार हथकरघा बुनकरों को बैंकों की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने हेतु 2051 का लक्ष्य रखा गया है।

स्टैंण्ड अप इण्डिया योजना

भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2016 मे स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को रू 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है। इसमे प्रत्येक बैंक शाखा को एक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं, जिसमे प्रदेश, भारतवर्ष में **प्रथम स्थान** पर है। योजनान्तर्गत संक्षेप में प्रगति निम्नानुसार है:–

सफलता की कहानी (स्टैंड अप इंडिया योजना)

आपको आज मैं अपनी सफलता के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मूल रूप से अलीगढ़ का निवासी हूँ एवं मेरी उम्र लगभग 29 वर्ष है एवं मै ग्रेजुएट हूँ। पिछले पांच वर्षो से मैं एक ताला फैक्ट्री में कार्य कर रहा था परन्तु अपने हुनर एवं कड़ी मेहनत के बाबजूद मुझे उचित मेहनताना/सैलरी नहीं मिल पा रही थी।

बचपन से ही मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने की चाहत थी, परन्तु पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण अपना व्यवसाय शुरू करना बहुत कठिन था, बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता था परन्तु सही माध्यम का पता नहीं था।

मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा, तालानगरी शाखा से संपर्क किया वहां मैंने अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जाहिर की तो शाखा द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया जिसमें भारत सरकार की **स्टैंड अप इंडिया योजना** के तहत शाखा द्वारा रू 25 लाख का ऋण स्वीकृत कर दिया जिससे मैंने परदे के ब्रैकेट्स बनाने की इकाई स्थापित की। शाखा द्वारा किये गए ऋण से मैंने अपनी फर्म देवेश मेसर्स देवेश इंटरनेशनल की स्थापना हो सकी, जिसके लिऐ में बैंक ऑफ बडौदा, ताला नगरी शाखा का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट में रूचि दिखाकर इसे स्थापित करने में सहयोग किया। आज मेरे द्वारा 10 परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है एवं मेरा व्यापार प्रगति पर है, जिसके लिए मैं बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता के लिए सदा आभारी रहूँगा।

प्रो0 देवेश मेसर्स देवेश इण्टरनेशनल, अलीगढ़, उ0प्र0।

तालिका 3.9:– स्टैण्ड–अप इण्डिया योजना में प्रगति (धनराशि करोड़ मे)

बैंक	शाखाओं की संख्या	लक्ष्य /2 प्रति शाखा	स्वीकृत		वितरित	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक	10710	21420	12766	2594.21	9073	1248.25
प्राइवेट बैंक	1631	3262	587	134.00	205	41.00
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4288	8576	723	120.00	571	64.00
कुल योग	16629	33258	14076	2848.21	9849	1353.25

एक जनपद एक उत्पाद योजना

प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना का सृजन किया गया है। इस हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गयी है तथा पात्र व्यक्तियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाना प्रस्तावित है।

लखनऊ में मई 2020 मे आयोजित रोजगार संगम के दौरान ओ.डी.ओ.पी योजना हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की गयी है। इसके अलावा ऑनलाइन ई–रोजगार संगम में प्रदेश के 5 जनपदों में ओडीओपी इकाईयों को उनके उत्पादों में मूल्यवृद्धि करते हुए उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादित करने हेतु आधुनिक उपकरणों से युक्त सुविधा केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 मे सभी शहरी क्षेत्रों हेतु आवास योजना का शुभारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना सभी शहरों में लागू की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैंक को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। चूँकि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 2022 तक सबको आवास देने का लक्ष्य हैं। जून 2021 तक 91026 प्रस्तावों में रू 13462.09 करोङ की धनराशि ऋण वितरण व रू 1656.10 करोङ अनुदान राशि का समायोजन किया है

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मानदण्डों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है, संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों को निम्नानुसार पारिभाषित किया गया है:–

तालिका 3.10:– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

विवरण	इकाइयों में प्लांट एवं मशीनरी क्षेत्र में निवेश	वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम टर्नओवर
सूक्ष्म उद्योग	रू 1 करोड़ तक	रू 5 करोड़ तक
लघु उद्योग	रू 1 करोड़ से अधिक एवं रू 10 करोड़	रू 5 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक
मध्यम उद्योग	रू 10 करोड़ से अधिक एवं रू 50 करोड़ तक	रू 50 करोड़ से अधिक 250 करोड़ तक

आरसेटी संस्थान से सम्बन्धित विवरण

वर्तमान में प्रदेश में कुल 75 आरसेटी संस्थान कार्यरत है। इनमें से 3 संस्थान गैर–अग्रणी बैंको द्वारा अन्य जनपदों में खोले गये हैं यथा–लखनऊ (बैंक ऑफ बड़ौदा), रायबरेली एवं कन्नौज (इलाहाबाद बैंक), जनपद शामली (पंजाब नेशनल बैंक) में, संबंधित अग्रणी बैंक द्वारा आरसेटी संस्थान की स्थापना लम्बित है। विगत वर्षो में आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान किये जाने पर बल दिया गया।

****

अध्याय–04
कृषि

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020–21 मे प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत सर्वाधिक योगदान खनन और उत्खनन मे 43.5 प्रतिशत रहा है।
- वर्ष 2021–2022 में 08 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश, किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा **मण्डी अधिनियम** में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना।
- प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 14 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है।
- गेहूँ, धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी लागू की गयी है एवं अन्तर्राष्ट्रीय कृषि कुम्भ का सफल आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) के अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–2021 में लगभग रू0 250 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है।
- कोरोना काल के दौरान फल एवं सब्जियों के कृषकों के हितार्थ 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त किया गया, ताकि कृषकों को विपणन में सुविधा रहे।

उत्तर प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा सबसे बडा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3 प्रतिशत है। इस राज्य के चार पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो तराई, गंगा के मैदान, भाभर और विंध्य क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। राज्य में छः स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह हैं–भाभर, तराई, विन्ध्य, बुन्देलखण्ड, अरावली और जलोढ़ मृदा हैं। वर्षा, भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर प्रदेश के नौ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।

इस राज्य की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के जल से राज्य में गेंहूँ, मक्का, धान, आलू, गन्ना, दालें, तिलहन और कई फल तथा सब्जियों की खेती की जाती है। प्रदेश मे देश का लगभग 21 प्रतिशत खाद्यान्न, 10.8 प्रतिशत फल और 15.4 प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन मे प्राथमिक खण्ड का योगदान

इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक–पृथक आंकलित किये गये हैं, जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आँकलित किये जाते थे। वर्ष 2020–21 में प्राथमिक क्षेत्र का प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में 28.3 प्रतिशत एवं स्थायी भावों पर 25.5 प्रतिशत का योगदान है।

तालिका–4.01:– सकल राज्य मूल्य वर्धन मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान (स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड. मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2012–13	198113	4.4	27.7
2013–14	197869	–0.1	26.2
2014–15	196024	–0.9	25.1
2015–16	206927	5.6	24.3
2016–17	220250	6.4	23.1
2017–18	242021	9.9	24.2
2018–19	254854	5.3	24.4
2019–20	245815	–3.5	22.8
2020–21	251573	2.3	24.1

स्रोतः– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

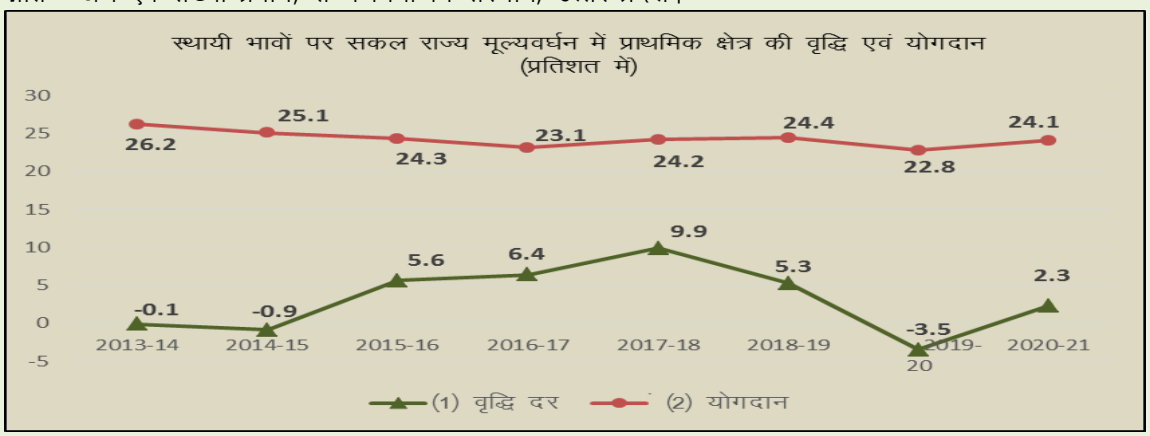

वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी भावों पर राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2012–13 मे 27.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020–21 में कम होकर 24.1 प्रतिशत रही है। वर्ष 2020–21 मे प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत सर्वाधिक योगदान खनन और उत्खनन मे 43.5 प्रतिशत रहा है। विगत् वर्षों मे प्राथमिक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–4.02:– प्राथमिक उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011–12)

क्र.सं	उप–खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर प्रतिशत					
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	4.2	6.2	3.7	6.5	1.7	–0.02
2	फसलें	4.9	6.6	3.6	7.7	0.4	5.1
3	पशुधन	3.7	3.4	5.1	4.2	5.1	–12.7
4	वानिकी और लट्ठा बनाना	0.6	10.9	0.1	4.3	0.4	–0.7
5	मत्स्ययन और जलीय कृषि	2.1	22.4	1.8	5.3	5.5	6.7
6	खनन और उत्खनन	32.4	9.5	105.8	–3.9	–49.2	43.5
प्राथमिक खण्ड (1+6)		5.6	6.4	9.9	5.3	–3.5	2.3

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से प्रदेश के कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राजस्व परिषद तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। स्थायी भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन में क्रमशः 4.2, 6.2, 3.7, 6.5, 1.7, एवं –0.02 प्रतिशत तथा फसल उपखण्ड में क्रमशः 4.9, 6.6, 3.6, 7.7, 0.4 एवं 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अनुमान उत्तर प्रदेश के वन विभाग तथा वन निगम एवं केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में क्रमशः 0.6, 10.9, 0.1, 4.3, 0.4, तथा –0.7 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

पशुपालन उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग, रेशम निदेशालय तथा केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दर एवं अनुपात के आँकड़ों का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में इस उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में क्रमशः 3.7, 3.4, 5.1, 4.2, 5.1 तथा –12.7 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

मत्स्ययन उपखण्ड के अनुमान मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में क्रमशः 2.1, 22.4, 1.8, 5.3, 5.5 तथा 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खनन तथा पत्थर निकालना उपखण्ड के अनुमान भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, आईबीएम, नागपुर तथा केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का उपयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में क्रमशः 32.4, 9.5, 105.8, –3.9, –49.2 तथा 43.5 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

प्रदेश में वर्ष 2001–02 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 16812 हजार हेक्टेयर था, जो वर्ष 2018–19 में 1.63 प्रतिशत घटकर 16538 हजार हेक्टेयर हो गया। प्रदेश में विभिन्न वर्षों में भूमि उपयोग के आँकड़ें तालिका–4.03 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–4.03:– प्रदेश में भूमि उपयोग सम्बन्धी आँकड़ें (हजार हेक्टेयर में)

क्र. सं.	मद	2001–02	2009–10	2017–18	2018–19	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24202	24170	24170	24170	0.0
2	वन	1689	1662	1671	1714	2.57
3	ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि	595	494	444	442	- 0.45
4	खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2514	2801	3163	3169	0.18
5	कृषि अयोग्य भूमि	518	431	389	388	- 0.25
6	स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	71	65	66	70	6.06
7	अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि	355	360	283	269	- 4.94
8	वर्तमान परती	1026	1232	1061	986	- 7.06
9	अन्य परती	624	537	552	594	7.60
10	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	16812	16589	16542	16538	- 0.02
11	फसल गहनता (प्रतिशत मे)	-	-	162.40	162.41	- 0.01
12	कुल बोया गया क्षेत्रफल	25447	25440	26864	26859	- 0.02

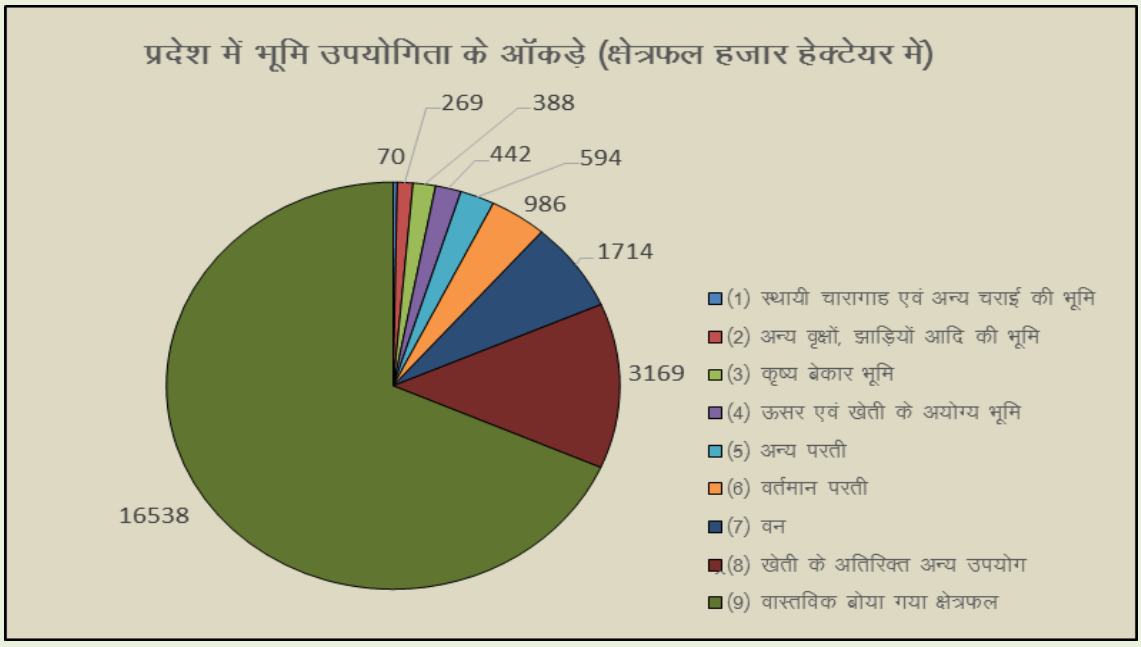

जोतों का आकार

प्रदेश में एक हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5 था, जो कि वर्ष 2015–16 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है–

तालिका–4.04:– प्रदेश में आकार वर्गानुसार क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल

आकार वर्ग (हेक्टे0 में)	2000–01		2015–16	
	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार में)	क्रियात्मक जोतों की सं0(हजार में)	कुल क्षेत्रफल (हजार हेक्टे0 में)
1.0 से कम	16658.9 (76.9)	6647.7 (37.0)	19100 (80.2)	7298 (41.8)
1.0–2.0	3087.1 (14.2)	4365.8 (24.3)	3008 (12.6)	4175 (23.9)
2.0–4.0	1427.1 (6.6)	3905.6 (21.7)	1314 (5.5)	3560 (20.4)
4.0–10.0	463.0 (2.1)	2579.9 (14.03)	377 (1.6)	2075 (11.9)
10.0 और अधिक	32.1 (0.2)	484.3 (2.7)	23 (0.1)	343 (2.0)
योग	21668.2 (100.0)	17983.3 (100.0)	23822 (100.0)	17450 (100.0)

स्रोतः राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
नोटः–कोष्ठक में दी गयी सूचनायें प्रतिशत वितरण से सम्बंधित हैं।

तालिका 4.05 से स्पष्ट है, कि प्रदेश का गेहूँ तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, किन्तु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है–

तालिका–4.05:– वर्ष 2019–20 मे प्रमुख फसलों के योगदान मे प्रदेश की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0 टन में)				उत्पादकता (कु0/हे0)		
	प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	श्रेणी	प्रदेश	भारत	श्रेणी
चावल	169.48	1184.30	13.47	द्वितीय	28.73	26.59	7वॉ
गेहूँ	362.10	1075.90	33.66	प्रथम	36.75	34.21	4था
दलहन	24.47	231.50	10.57	चतुर्थ	10.32	8.17	4था
खाद्यान्न	601.84	2966.500	20.28	प्रथम	29.89	22.99	6ठॉ
तिलहन	13.05	334.20	3.90	आठवां	8.91	12.36	9वॉ

तालिका 4.06 से स्पष्ट है, कि प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है किन्तु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता ही आवश्यकता से कम है। वर्ष 2020–21 में उत्पादन, खपत व उपलब्धता निम्नवत् रही है–

तालिका–4.06:– वर्ष 2020–21 मे उत्पादन, खपत व उपलब्धता की स्थिति

फसल	उत्पादन (लाख मी0टन)	खपत (लाख मी0टन)	अधिक/कमी (लाख मी0टन)	आवश्यक (ग्राम/व्यक्ति/दिन)	उपलब्धता (ग्राम/व्यक्ति/दिन)
चावल	172.24	119.44	52.80	136.49	196.84
गेहूँ	374.79	259.89	114.90	297	428.32
धान्य फसलें	594.13	411.98	182.15	470.82	678.98
दाल	25.34	40.36	–15.02	46.12	28.96
खाद्यान्न	619.47	452.34	167.13	516.95	707.94
तिलहन	17.95	51.45	–33.50	58.80	20.51

वर्ष 2000–01 की तुलना में वर्ष 2019–20 में प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् रही–

तालिका–4.07:– प्रदेश में प्रमुख फसलों का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र. सं.	फसल	2000–01			2020–21		
		आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
1	चावल	59.04	116.72	19.77	59.41	171.36	28.84
2	गेहूँ	92.39	251.68	27.24	98.52	374.79	38.04
3	धान्य फसलें	176.16	405.76	23.03	178.42	594.13	33.30
4	दलहन	26.92	21.61	8.03	23.80	25.34	10.64
5	खाद्यान्न फसलें	203.08	427.37	21.04	202.22	619.47	30.63
6	तिलहन	8.92	7.10	8.25	11.97	17.95	10.65

इकाई– आच्छादन–लाख हे0, उत्पादन– लाख मी0 टन एवं उत्पादकता– कु0/हे0।

वर्ष 2000–01 से 2020–21 के बीच प्रमुख फसलों के आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता के रेखीय वृद्धि दर निम्नवत रहा है–

तालिका–4.08:– वर्ष 2000–01 से 2020–21 के बीच रेखीय वृद्धि दर

फसल	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
धान	0.099	2.774	0.437
गेहूँ	0.363	6.247	0.537
धान्य फसलें	0.267	9.659	0.510
दलहन	–0.243	- 0.039	0.066
खाद्यान्न	0.024	9.619	0.476
तिलहन	0.219	0.259	0.066

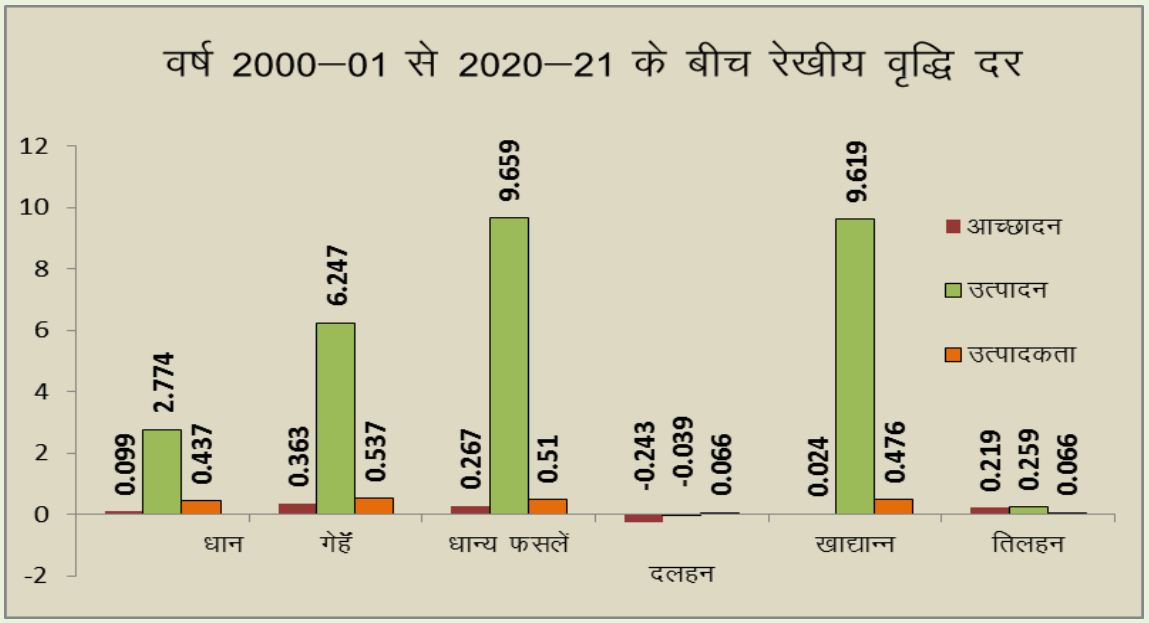

वर्ष 2016–17 से प्रदेश में दैवी आपदाओं का प्रभाव कृषि क्षेत्र में सामान्यतया नहीं रहा है। वर्षा भी सामान्य एवं व्यापक रही, जिसके कारण फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता नई ऊँचाईयों की ओर बढता रहा है। वर्ष 1950–51 में पूरे भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 508.2 लाख मी0टन रहा, वहीं वर्ष 2020–21 में प्रदेश में ही अब तक का सर्वाधिक 619.47 लाख मी0टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। खरीफ 2021 में मानसून अवधि में वर्षा सामान्य रही। मानसून अवधि में वर्षा सामान्य वर्षा का 87.5 प्रतिशत रहा। फसलों का आच्छादन लक्ष्य के अनुरूप रहा। फसलों की स्थिति अच्छी है। उत्पादन एवं उत्पादकता गत वर्ष के सापेक्ष अच्छी रहने की सम्भावना है। वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष मानते हुए आगामी वर्षों में कृषि उत्पाद की पूर्ति का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–4.09:– कृषि उत्पाद की वर्षवार पूर्ति (लाख मी0 टन)

वर्ष	धान्य फसलें	दलहन	खाद्यान्न	तिलहन
2011–12	496.60	23.97	520.57	8.89
2012–13	498.87 (+0.46)	23.89 (-0.33)	522.76 (+0.42)	10.05 (+13.04)
2013–14	490.00 (-1.78)	15.02 (-37.13)	505.02 (-3.39)	8.43 (-16.12)
2014–15	377.43 (-22.97)	11.85 (-21.11)	389.28 (-22.91)	6.72 (-20.28)
2015–16	428.35 (+13.49)	11.12 (-6.16)	439.47 (+12.89)	8.47 (+26.04)
2016–17	533.52 (+24.55)	23.94 (+115.29)	557.46 (+26.85)	10.29 (+21.49)
2017–18	551.83 (+3.43)	22.01 (-8.06)	573.84 (+2.94)	10.87 (+5.64)
2018–19	580.03 (+5.11)	23.97 (+8.91)	604.00 (+5.26)	13.31 (+22.44)
2019–20	577.37 (-0.46)	24.47 (+2.09)	601.84 (-0.36)	10.75 (-19.23)
2020–21	594.13 (+2.90)	25.34 +3.56	619.47 (+2.92)	12.75 (+18.60)

कोष्ठक में गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी प्रतिशत दर्शाया गया है।

उर्वरक

विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में उपयोग वांछित है। वर्ष 2020–21 में कुल 108.50 लाख मी0टन उर्वरकों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ 2020 में 49.89 लाख मी0टन एवं रबी 2020–21 में 34.21 लाख मी0 टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वांछित उत्पादन प्राप्त करने एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए नत्रजन के साथ–साथ फास्फोरस एवं पोटाश के उपयोग पर विशेष बल दिया गया इससे संतुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा मिला है। विभिन्न वर्षों मे रासायनिक उर्वरकों की खपत के लक्ष्य एवं पूर्ति का विवरण निम्नवत है–

तालिका–4.10:– रासायनिक उर्वरकों की खपत

उर्वरक(000मी0 टन में) कृषि रक्षा रसायन (मी0 टन/कि0ली0 में)

क्र0सं0	फसल	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	खरीफ	4575	4124	4131	3553	4989
2	रबी	5816	5203	5483	5078	3421
3	योग(खरीफ+रबी)	10391	9327	9614	8631	8410
4	कृषि रक्षा रसायनों का वितरण	15362	18467	16703	10247	13572

*संकर बीज की मात्रा सम्मिलित है।

रासायनिक उर्वरकों का वितरण

विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। प्रदेश में इसका उपभोग वर्ष 2020–21 में 53.45 लाख मी0 टन हो गया। प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण तालिका–4.11 में दर्शाया गया है:–

तालिका–4.11:– प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण (हजार मी0 टन में)

मद	2001–02	2011–12	2018–19	2019–20	2020–21
1	2	3	4	5	6
नाइट्रोजन(एन0)	2465	3067	3481	3804	3773
फास्फेट(पी0)	708	1024	1051	1263	1316
पोटाश(के0)	87	167	190	203	256
योग	3260	4258	4722	5270	5345

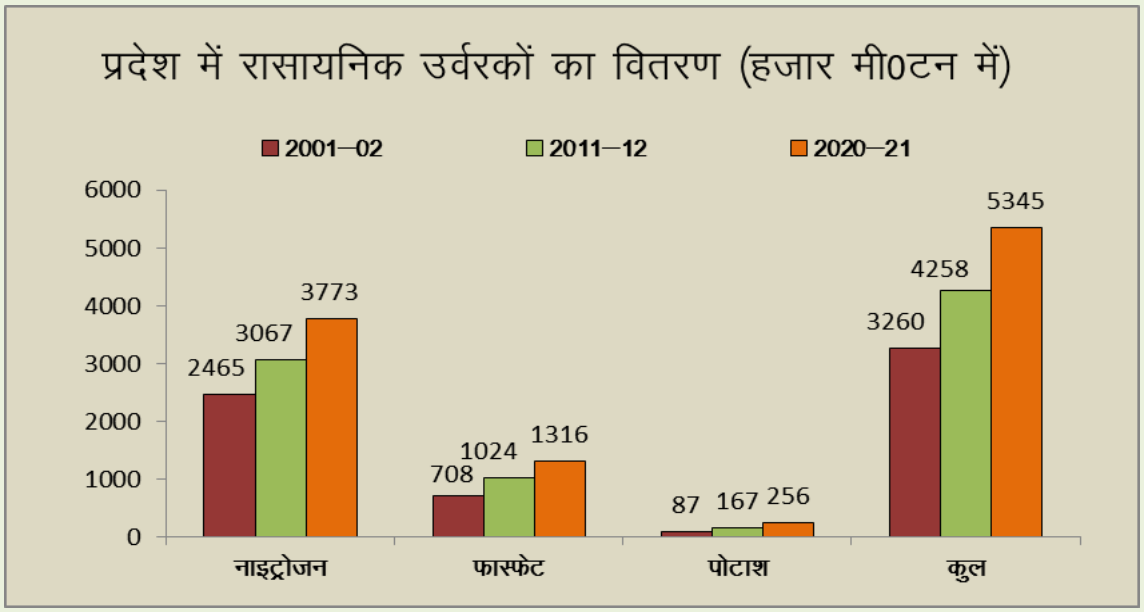

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ–साथ इनका ससमय वितरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2020–21 में कुल 59.31 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है, जिसमें खरीफ 2020 में 8.36 लाख कुन्तल एवं रबी में 50.95 लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया।

तालिका–4.12:– प्रदेश में बीज वितरण (हजार कु0 में)

क्र0सं0	फसल	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	धान	843.42	683.44	698.46	706.76	720
2	अन्य खरीफ	193.20	113.88	115.68	119.09	115.69
3	कुल खरीफ	**1040.60**	**797.32**	**814.15**	**825.85**	**835.69**
4	गेहूँ	3646.16	4218.78	4487.61	4635.96	4626.10
5	अन्य रबी	406.83	452.07	439.79	458.07	468.96
6	कुल रबी	**4052.99**	**4670.85**	**4927.39**	**5094.03**	**5095.06**
7	योग(खरीफ+रबी)	**5093.59**	**5468.17**	**5741.54**	**5919.88**	**5930.75**

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) योजना

वर्ष 2021 में योजनान्तर्गत अब तक लाभार्थी कृषकों की संख्या 25398207 है। कुल 9 किश्त मे यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में अन्तरित की जा रही है जिसका विवरण निम्नवत है–

तालिका–4.13:– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विवरण

किस्त	लाभार्थी	धनराशि (करोड़ रु. में)
पहली	25398207	5079.64
दूसरी	24658494	4931.7
तीसरी	24365854	4873.17
चौथी	23009775	4601.96
पांचवी	22099494	4419.9
छठी	20092705	4018.54
सातवीं	18482812	3696.56
आठवी	16720926	3344.19
नवीं	12115477	2423.1

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2016–17 से प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों मे फसलों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जनपदों में चयनित औधानिक फसलों–केला एवं मिर्च फसल को अधिसूचित करते हुए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।

तालिका–4.14:– 2020–21 मे फसल बीमा योजनाओं का प्रगति विवरण

क्र0सं0	विवरण	इकाई	खरीफ	रबी	योग
1	बीमित कृषक	लाख	22.40	19.88	42.28
2	बीमित क्षेत्रफल	लाख हे0	17.04	14.78	31.82
3	बीमित धनराशि	करोड़ रू0	8940.70	9384.53	18325.23
4	प्रीमियम	करोड़ रू0	–	–	–
	कृषक	–	179.64	153.75	333.39
	राज्यांश	–	335.45	311.89	647.34
	केन्द्रांश	–	334.43	311.84	646.27
	योग	–	849.52	777.48	1627.00
5	लाभान्वित कृषक	–	3.99	2.10	6.09
6	क्षतिपूर्ति	करोड़ रू0	288.45	192.44	480.89

लघु एवं सीमान्त कृषकों का फसली ऋणमोचन

वर्ष 2017–18 में बैंकों के माध्यम से तीन चरणों में कुल 34.80 लाख अर्ह किसानों का कुल रू0 20942.22 करोड़ का भुगतान मार्च, 2018 तक किया गया। इसके अतिरिक्त एन.पी.ए. समाधान योजनान्तर्गत कुल 1.26 लाख कृषकों को आच्छादित करते हुए रू0 149.83 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी। वर्ष 2018–19 में एन0पी0ए0 समाधान योजना एवं फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत छूटे हुये 8.48 लाख पात्र/लाभार्थी कृषकों का रू0 3730.07 करोड़ ऋण मोचन किया गया। वर्ष 2019–20 में जनपद स्तर पर प्राप्त ऑफलाइन शिकायतों के अन्तर्गत 0.69 लाख कृषकों को रू0 411.36 करोड़ भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अब तक कुल 45.23 लाख किसानों को रू0 25233.48 करोड़ का ऋण मोचन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री किसान मान–धन (पीएम–केएमवाई) योजना

वर्ष 2019–20 में प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रू0 3000/माह की एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है। इसमें सम्मिलित होने की आयु 18 से 40 वर्ष तक है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 232255 लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद एवं विन्ध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली जनपद को छोड़कर शेष 65 जनपदों में समस्याग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।

गतवर्ष में किये गये प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण

- वर्ष 2021–22 में 659.38 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत खरीफ में 230.69 लाख मी0टन एवं रबी में 425.62 लाख मी0टन का लक्ष्य निर्धारण के साथ 15.04 लाख मी0टन तिलहन (शुद्ध) उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- वर्ष 2015–16 से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन0एम0एस0ए0) के अन्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चक्र में दिसम्बर, 2019 तक कुल 368.37 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराये गये। इसी क्रम में वर्ष 2019–20 से मॉडल ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 2.55 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया।
- प्रदेश में गेहूँ, चावल, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलों के साथ–साथ वर्ष 2019–20 से तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु सम्मिलित किया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार) भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनायें तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अन्तर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके अन्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की उप–योजना, (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से पोषित) चावल एवं गेहूँ की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, सिंचाई क्षमता सृजन एवं जल के कुशल उपयोग, कृषि यंत्रीकरण, ऊसर क्षेत्रों में जिप्सम का प्रयोग, सामुदायिक भण्डारण योजना तथा खेती की लागत को कम करने हेतु वर्ष 2010–11 से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचालित की जा रही है।
- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी योजनान्तर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब-मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, सब-मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल एवं नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर संचालित किये जा रहे है।

- मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजनाओं (मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री खेत–खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना) के अन्तर्गत वर्ष 2019–2020 में रू0 37. 81 करोड़ आवंटित करते हुए 20,850 कृषकों एवं वित्तीय वर्ष 2020–2021 में जून, 2020 तक में रू0 3.80 करोड़ से भी अधिक की धनराशि आवंटित करते हुए 2,899 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।
- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट, मृदा स्वास्थ्य प्रबंध, परम्परागत कृषि विकास योजना नमामि गंगे मुख्य घटक है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत अटल सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना योजना का संचालन किया जा रहा है।

सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला सिंचाई योजना एवं राज्य सिंचाई योजना तैयार कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था करते हुए अधिकाधिक क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई एवं जल उपयोग क्षमता को बढ़ाने के साथ–साथ भूमि जल स्तर को ऊपर उठाने तथा वर्षा अधारित क्षेत्रों में वाटरशेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो के द्वारा जल संवहरण, जल प्रबन्धन एवं फसल प्रबन्धन कर उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके मुख्य घटक मे एआईबीपी, हर खेत को पानी, प्रति बूँद अधिक फसल, जलागम विकास है।

उत्तर प्रदेश में स्रोतानुसार शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल एवं उनका प्रतिशत वितरण तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल निम्नवत है–

तालिका–4.15:–शुद्ध एवं सकल सिंचित क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)

मद	2011–12		2016–17		2017–18	
(क)शुद्ध सिंचित						
1.नहर	2555	(18.5)	2213	(18.5)	2174	(18.5)
2. नलकूप	10162	(73.6)	10694	(74.6)	10730	(74.9)
(1)राजकीय	490	(3.6)	351	(2.5)	367	(2.6)
(2)निजी	9671	(70.0)	10343	(72.1)	10363	(72.3)
3.कुएं	848	(6.1)	1258	(8.8)	1250	(8.7)
4.तालाब, झील तथा पोखर	99	(0.7)	76	(0.5)	76	(0.5)
5.अन्य	146	(1.1)	96	(0.7)	102	(60.7)
योग	13809	(100)	14337	(100)	14332	(100)
(ख) सकल सिंचित क्षेत्रफल	19901		20882		21596	

स्रोत– कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश। कोष्ठक मे प्रतिशत प्रदर्शित है।

अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी–क्रिटिकल विकासखण्डों में जल की समस्या के आलोक में उपलब्ध जल का समुचित उपयोग करते हुए सिंचाई की लागत को कम करने तथा कम जल से अधिक क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराते हुए फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में सिंचन क्षमता मे वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों का विवरण उल्लिखित है–

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। लम्बे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा

करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निरन्तर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।

- विगत तीन वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं यथा–बाण सागर नहर परियोजना, पहाड़ी बाँध परियोजना, जमरार बाँध परियोजना, पहुँच बाँध पुनरोद्धार परियोजना, गण्टा बाँध रेस्टोरेशन/रिनोवेशन ऑफ एलाइड वर्क परियोजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पथरई बाँध परियोजना, लहचूरा बाँध परियोजना, मौदहा बाँध नहर प्रणाली की क्षमता की पुनर्स्थापना, रसिन बाँध परियोजना, लोअर राजघाट कैनाल के 20 से 30 किलोमीटर तक का नवीनीकरण कार्य तथा जखलौन पम्प नहर के हेड रीच पर 2.50 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त 2 लाख 21 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई जिससे प्रदेश में 2 लाख 33 हजार किसान लाभान्वित हुये।
- वित्तीय वर्ष 2020–2021 में 09 परियोजनाओं यथा–अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर परियोजना, उ0प्र0 वॉटर री–स्ट्रक्चरिंग परियोजना, उमरहठ पम्प नहर परियोजना, लखेरी बाँध परियोजना, भवानी बाँध परियोजना, रतौली वीयर परियोजना, जखलौन पम्प कैनाल टॉप पर 3.42 मेगावॉट क्षमता की सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना तथा बण्डई बाँध परियोजना के पूर्ण होने से 16 लाख 41 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40 लाख 48 हजार कृषक लाभान्वित होंगे।
- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

अन्य योजनाएं

- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठन एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन की योजना के उद्देश्य से कृषक उत्पादक संगठन नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 में 200 लाख की व्यवस्था कर की गई है।
- गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत अटल सोलर फोटो वोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना एवं कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन (एग्री जंक्शन) योजना का संचालन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कृषकों को वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन के प्रति जागरूक करने के लिए, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना की योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ की गयी।
- कोरोना काल के दौरान फल एवं सब्जियों के कृषकों के हितार्थ 45 कृषि जिन्सों को गैर अधिसूचित कर मण्डी शुल्क समाप्त किया गया, ताकि कृषकों को विपणन में सुविधा रहे।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नैम) के अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–2021 में लगभग रू0 250 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है।
- गड्ढामुक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017 से जून,.2020 तक 10136 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग, रू0 1228.45 करोड़ की लागत से मण्डी परिषद द्वारा अपने आन्तरिक संसाधनों से पूरी तरह से नवीनीकृत/ब्लैक टाप कर दिया गया है।

****

अध्याय–05
वन एवं पर्यावरण

मुख्य बिन्दु

- प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है।
- प्रदेश में वर्ष 2017 से 2019 की तुलना में 127 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.05 प्रतिशत है।
- प्रदेश में वर्ष 2019–20 में 180 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 20 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी 47 हजार कौड़ी बांस तथा 189 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ।
- जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान का निर्माण, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है।
- टोटल फारेस्ट कवर योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।
- पक्षियों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है।

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन, दुर्लभ प्रजातियों का प्राकृतिक वास है। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,148 वर्ग कि0मी0 है जो कि कुल भौगौलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 9.19 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–5.01:– प्रदेश के वन–एक दृष्टि (क्षेत्रफल वर्ग किमी0 में)

अः वन क्षेत्र	
1–प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2–अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
क–आरक्षित वन क्षेत्र	12,070
ख–संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
ग–अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,355
3–वनावरण	14,806
क–अति घना वन क्षेत्र	2,617
ख–घना वन क्षेत्र	4,080
ग–खुला वन क्षेत्र	8109
4–वृक्षावरण	7,342
5–वनावरण एवं वृक्षावरण	22,148
6–भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	9.19
बः वन्य जीव परिरक्षण	–
1–प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
2–प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
3–आरक्षित संरक्षण क्षेत्र	1

स्रोतः– स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019।

प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण 22148 वर्ग कि0मी0 है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष 9.19 प्रतिशत है। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.09 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है।

तालिका–5.02:– कुल भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण

वर्ष	वनावरण	वृक्षावरण	कुल वनावरण एवं वृक्षावरण
2003	5.860	3.202	9.062
2005	5.864	3.405	9.269
2009	5.952	3.064	9.016
2011	5.951	3.064	9.015
2013	5.956	2.862	8.818
2015	6.002	2.924	8.926
2017	6.092	3.088	9.180
2019	6.145	3.047	9.192

प्रदेश में वर्ष 2017 से 2019 की तुलना में 127 वर्ग किमी मे वृद्धि हुई है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.05 प्रतिशत है। यह वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षावरण के कारण हुई है।

तालिका–5.03:– वृक्षारोपण की प्रगति (पौध संख्या लाख मे)

वर्ष	वन विभाग की उपलब्धि	अन्य विभाग की उपलब्धि
2018–19	472.20	705.01
2019–20	662.26	1597.60
2020–21	1016.72	1570.75

तालिका–5.04:– प्रदेश का वर्षवार वनावरण (हेक्टेयर मे)

वर्ष	भौगोलिक	अति सघन वन	सघन वन	खुले वन	कुल
1	2	3	4	5	6
2011	240928	1626	4559	8153	14338
2013	240928	1623	4550	8176	14349
2015	240928	2195	4060	8206	14461
2017	240928	2617	4069	7993	14679
2019	240928	2617	4080	8109	14806

तालिका–5.05:– प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

मद	विभाग के अधीन	विभाग के अधीन नहीं	योग
वन क्षेत्र	17065.21	80.91	17146.12
भौगौलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत	7.08	0.03	7.12

वर्ष 1990–91 एवं 2000–01 से वन विभाग द्वारा दिया गया राजस्व तथा वनों का संरक्षण एवं विकास पर किया गया कुल व्यय निम्नवत् है–

तालिका–5.06 :– राजस्व एवं विकास पर कुल व्यय

वर्ष	राजस्व			व्यय			
	कुल (लाख रू0)	वर्ष 1990–91 की तुलना मे 2000–01 से राजस्व का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि	**कुल** (लाख रू0)	वर्ष 1990–91 की तुलना मे 2000–01 से राजस्व का प्रतिशत	प्रतिशत वृद्धि	**व्यय का राजस्व से प्रतिशत (कालम–2 से)**
1990–91	8770.85	100	–	12931.10	100	–	147.43
2000–01	12710.07	144.91	44.91	20091.96	155.38	55.38	158.08
2010–11	28032.59	319.61	219.61	46598.39	360.36	260.36	166.23
2011–12	28496.82	324.90	224.90	48959.79	378.62	278.62	171.81
2012–13	33131.05	377.74	277.74	59136.59	457.32	357.32	178.49
2013–14	35508.73	404.85	304.85	69806.78	539.83	439.83	196.59
2014–15	41292.25	470.79	370.79	79527.10	615.00	515.00	192.59
2015–16	62936.95	717.56	617.56	85097.46	658.08	558.08	135.21
2016–17	25926.16	295.59	195.59	124983.62	966.53	866.53	482.07
2017–18	31997.56	364.81	264.81	83200.92	643.41	543.41	260.02
2018–19	35299.52	402.46	302.46	94782.28	732.98	632.98	268.50
2019–20	46990.32	535.75	435.75	125492.95	970.47	870.47	267.06
2020–21	31552.58	359.74	259.74	150905.36	1166.99	1066.99	478.26
2021–22	57308.62	653.39	553.39	152666.84	1180.61	1080.61	266.39

वर्ष 2020–21 अनुमानित एवं 2021–22 प्राविधानित है।

प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

प्रदेश में वर्ष 2019–20 में 180 हजार घनमीटर इमारती लकड़ी, 20 हजार घन मी0 चट्टा जलाने की लकड़ी 47 हजार कौड़ी बांस तथा 189 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ियों में साल, सागौन, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस आदि प्रमुख है। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण तालिका–5.07 में दर्शाया गया है –

तालिका–5.07:– प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

क0स0	प्रजाति	इकाई	2018–19	2019–20 #
1	साल	घन मी0	16801	18034
2	सागौन	घन मी0	6478	9341
3	शीशम	घन मी0	18115	18858
4	खैर	घन मी0	3537	4566
5	यूकेलिप्टस	घन मी0	63191	70974
6	असना	घन मी0	859	1278
7	विविध	घन मी0	65485	57696

योग		–	174466	180747
8	जलौनी	घन मी0 चट्टा	23421	20642
9	बाँस	कोड़ी	37251	46500
10	तेन्दू पत्ता	मानक बोरा	176152	189000

अनन्तिम

तालिका–5.08:– विक्रय किये गये वनोपज की मात्रा एवं मूल्य

मद	इकाई	उत्पादन	मात्रा	मूल्य (लाख रू0)
मुख्य वनोपज	घन मीटर	174466	183459	24553.90
जलौनी	घन मीटर चट्टा	23421	22859	197.87
गौण वनोपज	–	213403	152702	3774.00

तालिका–5.09:– विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व (लाख रू0)

स्रोत	2016–17	2017–18	2018–19
1	2	3	4
प्रकाष्ठ	14651.48	10185.45	11709.82
जलौनी	15.93	12.91	2.84
बाँस	17.31	24.20	25.07
तेन्दू पत्ता	500.75	520.59	518.57
चराई घास	84.16	40.33	82.59
पौध विक्रय	660.59	604.11	631.98
जुर्माना	1346.26	2506.56	1297.48
पर्यटन	186.07	214.19	331.89
विविध	8463.62	18938.70	20699.75
योग	25926.16	33.047.04	35,300.00

जैव विविधता

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहारों, आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा प्राणि उद्यानों की स्थापना की गयी है। वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद **गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणि उद्यान** का निर्माण, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है। गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता हेतु प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है।

तालिका–5.10:– राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार

क0सं0	नाम	स्थापना का वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थिति (जिला)	मुख्य वन जीव
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय उद्यान					
1	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	1977	490.29	लखीमपुर–खीरी	बाघ, तेन्दुआ, भालू, गैण्डा
टाइगर रिजर्व					

क्र0सं0	नाम	स्थापना का वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थिति (जिला)	मुख्य वन जीव
1	पीलीभीत टाइगर रिजर्व	2014	730.00		बाघ, तेन्दुआ,गैण्डा
2	अमानगढ़ टाइगर रिजर्व	2012	81.00		बाघ,तेन्दुआ, हाथी आदि।
	वन्य जीव विहार				
1	चम्बल वन्यजीव विहार	1979	635.00	इटावा, आगरा	घड़ियाल, मगर, डालफिन,
2	कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार	1976	400.09	बहराइच	तेन्दुआ, शेर, चीतल,
3	रानीपुर वन्यजीव विहार	1977	230.00	बांदा	तेन्दुआ, काला हिरन
4	महावीर स्वामी वन्यजीव विहार	1977	5.00	ललितपुर	भालू, तेन्दुआ, चिंकारा
5	चन्द्रप्रभा वन्यजीव विहार	1957	78.00	चन्दौली	बारासिंघा, शेर चीतल
6	किशनपुर वन्यजीव विहार	1972	203.41	लखीमपुर खीरी	भालू, तेन्दुआ, चिंकारा
7	कैमूर वन्यजीव विहार	1982	501.00	मिर्जापुर	बारासिंघा
8	हस्तिनापुर वन्यजीव विहार	1986	2073.00	मुजफ्फरनगर, मेरठ,	चीतल, शेर, आदिं
9	सोहागीबरवा वन्यजीव विहार	1987	428.00	महराजगंज	चीतल, शेर आदि
10	सोहेलवा वन्यजीव विहार	1988	452.00	गोण्डा,बलरामपुर, श्रावस्ती	कछुआ
11	कछुआ वन्यजीव विहार	1989	7.00	वाराणसी	
	पक्षी विहार				
12	नवाबगंज पक्षी बिहार	1984	2.00	उन्नाव	प्रवासी पक्षी।
13	समसपुर पक्षी विहार	1987	8.00	रायबरेली	प्रवासी पक्षी।
14	लाखबहोसी पक्षी विहार	1988	80.00	कन्नौज	प्रवासी पक्षी।
15	सांडी पक्षी विहार	1990	3.00	हरदोई	प्रवासी पक्षी।
16	बखीरा पक्षी विहार	1990	29.00	संतकबीर नगर	प्रवासी पक्षी।
17	ओखला पक्षी विहार	1990	4.00	गौतमबुद्ध नगर	प्रवासी पक्षी।
18	समान पक्षी विहार	1990	5.00	मैनपुरी	प्रवासी पक्षी।

क्र0सं0	नाम	स्थापना का वर्ष	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	स्थिति (जिला)	मुख्य वन जीव
19	पार्वती अरंगा पक्षी विहार	1990	11.00	गोण्डा	प्रवासी पक्षी।
20	विजय सागर पक्षी विहार	1990	3.00	महोबा	प्रवासी पक्षी।
21	पटना पक्षी विहार	1990	1.00	एटा	प्रवासी पक्षी।
22	सूरसरोवर पक्षी विहार	1991	4.00	आगरा एवं इटावा	प्रवासी पक्षी।
23	जय प्रकाश नारायण पक्षी विहार (सुरहा ताल)	1991	34.00	बलिया	प्रवासी पक्षी।
24	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार	2003	4.00	प्रतापगढ़	प्रवासी पक्षी।
25	शेखा झील अलीगढ़	2016	0.40	अलीगढ	प्रवासी पक्षी।
26	चाँद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा इलाहाबाद	2017	126.12	इलाहाबाद	कृष्ण मृग
प्राणि उद्यान					
1	लखनऊ, प्राणि उद्यान			लखनऊ	बाघ, तेन्दुआ, भालू, गैण्डा
2	कानपुर प्राणि उद्यान			कानपुर	बाघ, तेन्दुआ, भालू, गैण्डा

वानिकी एवं वन्य जीव योजनाएं

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु **सामाजिक वानिकी योजना** के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि यथा अवनत वन क्षेत्र सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है। वर्ष 2018–19 तक योजनान्तर्गत रू0 194105.57 लाख व्यय कर 439267 हेक्टेयर, वर्ष 2020–21 में रू0 37406.81 लाख़ व्यय कर 62947 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। वर्ष 2021–22 में रू0 41568.63 लाख व्यय कर 53915 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराये जाने का अनुमान है।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर **शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी** योजना के अन्तर्गत पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2018–19 तक योजनान्तर्गत रू0 8650.14 लाख व्यय कर 62.72 लाख वृक्षारोपण कराया गया। वर्ष 2020–21 में

रू0 500 लाख व्यय कर 49 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में रू0 1000 लाख व्यय का अनुमान है।

- **टोटल फारेस्ट कवर योजना** जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा–भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 में इस योजना में रू0 12876.50 लाख व्यय कर 9199 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत रू0 160.05 लाख के व्यय का अनुमान है।
- **वनावरण संवर्धन परियोजना** मे अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2014–15 से 2018–19 में इस योजना में रू0 4498.93 लाख व्यय कर 3539 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया। वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत रू0 16.90 लाख के व्यय का अनुमान है।
- **नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम योजना नेशनल वेटलैण्ड कन्जर्वेशन** प्रोग्राम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य संरक्षित तथा गैर–संरक्षित वेटलैण्ड की सुरक्षा, प्राकृत–वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदारी प्रबन्ध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुँचाना है। वर्ष 2013–14 से 2018–19 में इस योजना में रू0 1180.34 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में अनुमानतः रू0 800 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।
- पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में प्रतिवर्ष माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2020–21 में अनुमानतः रू0 100 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में रू0 100 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।
- जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना हेतु वर्ष 2020–21 में अनुमानतः रू0 100 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2021–22 में रू0 100 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।
- प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर–पतवार निकालना, पौधरोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं। इस योजना में वर्ष 2020–21 में अनुमानतः रू0 50 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 में रू0 50 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।

वन्य जीव परिरक्षण योजनाएं

- प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अन्तर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्यजीव विहार, कतर्नियाघाट वन्यजीव विहार, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी संयुक्त रूप से ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजनान्तर्गत लाया गया। वर्ष 2012–13 से 2018–19 में इस योजना में रू0 8561.09 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 2984.42 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2021–22 में रू0 3141.26 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।
- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्यजीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना मे वर्ष 2012–13 से 2018–19 में इस योजना में रू0 2713.10 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में अनुमानतः रू0 1500.00 लाख व्यय किया गया एवं वर्ष 2021–22 में रू0 1307.62 लाख व्यय का प्राविधान किया गया है।

- प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजनान्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व''चलाई जा रही है। हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। इस योजना मे वर्ष 2012–13 से 2018–19 में रू0 177.59 लाख एवं 2019–20 मे 57.39 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2020–21 में रू0 80.51 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में रू0 80.50 लाख आय–व्ययक प्राविधान किया गया है।
- वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 तक इस योजना में रू0 11828.53 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 मे रू0 10000 लाख व्यय किया गया है। 2020–21 में रू0 4000 लाख अनुमानतः व्यय किया गया है।

तालिका–5.11:– दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या

वर्ष	पर्यटकों की संख्या			प्राप्त राजस्व
	भारतीय	विदेशी	योग	
2011–12	12,950.00	119.00	13,069.00	27.77
2012–13	18,071.00	106.00	18,177.00	30.74
2013–14	21,567.00	103.00	21,670.00	41.78
2014–15	20,131.00	94.00	20,225.00	42.18
2015–16	21,820.00	84.00	21,904.00	40.04
2016–17	23,359.00	112.00	23,471.00	45.42
2017–18	24,334.00	94.00	24,428.00	40.82
2018–19	29,125.00	304.00	29,429.00	46.28

****

अध्याय–06
पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

मुख्य बिन्दु

- भारत सरकार द्वारा 21 नवम्बर, 2020 को आयोजित विश्व मत्स्य दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को "बेस्ट इनलैण्ड स्टेट" हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया।
- कुक्कुट विकास नीति 2013 को वर्ष 2022 तक बढ़ाते हुये प्रख्यापित किया गया है।
- 02 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 2.42 करोड प्रजनन योग्य पशु है तथा कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत 32.5 है जिसे 2022 तक 75 प्रतिशत किया जाना है।
- वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता क्रमश 338 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है।
- वित्तीय वर्ष 2020–2021 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति–2018 क्रियान्वित की जा रही है।
- पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

देश के भौगोलिक क्षेत्र के 7.3 प्रतिशत क्षेत्र को आवरित करने वाला उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बडा राज्य है वहीं पशुधन (कुक्कुट को छोड़कर) एवं दुग्ध के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है।

तालिका–6.01:– पशुपालन योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था (रू0 लाख में)

वर्ष	बजट	स्वीकृति	व्यय
2014–15	21990.86	17728.42	16425.75
2015–16	28592.790	23892.705	22012.997
2016–17	62958.66	45075.61	43889.45
2017–18	151623.22	137423.53	122148.16
2018–19	180869.84	121956.44	34744.15
2019–20	200387.83	181636.22	169013.88
2020–21	209168.58	177862.39	150324.66
2021–22 (जुलाई 2021 तक)	213267.00	146945.00	45361.00

प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार कुल 692.20 लाख पशुधन हैं जो जनसंख्या का लगभग एक तिहाई है। दुधारू गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में अवर्णित दुधारू पशु की संख्या बहुतायत में है, जिनका दुग्ध उत्पादन 3.067 कि0ग्रा0 प्रति पशु प्रतिदिन है।

वर्ष 2019–20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन (वृद्धि दर 4.26 प्रतिशत) दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश के दूध उत्पादन का लगभग 5वें हिस्से के बराबर होता है।

वर्ष 2020–21 में मार्च, 2021 तक 305.00 लाख मी0टन0 दुग्ध उत्पादन हुआ। वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 401.00 लाख मी0टन0 के सापेक्ष जुलाई 2021 तक 105 लाख मी0टन0 का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2020–21 में 36288 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया था, वर्ष 2021–22 में 38850 लाख अण्डों के लक्ष्य के सापेक्ष जुलाई 2021 तक 11004 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया है। मांस का उत्पादन वर्ष 2020–21 में 590 हजार मी0टन किया गया था एवं वर्ष 2021–22 में 1586 हजार मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष जुलाई तक 140 हजार मी0टन मांस का उत्पादन किया गया है।

तालिका–6.02:– पशु उत्पाद की प्रगति

उत्पाद	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 जुलाई 2021
दूध (लाख मी0ट0)	305	318	305	105
अण्डा (लाख संख्या)	26050	30950	36288	11004
ऊन (हजार कि0ग्रा0)	1316	1316	886	338
मांस (हजार मी0ट0)	1227	1020	590	140

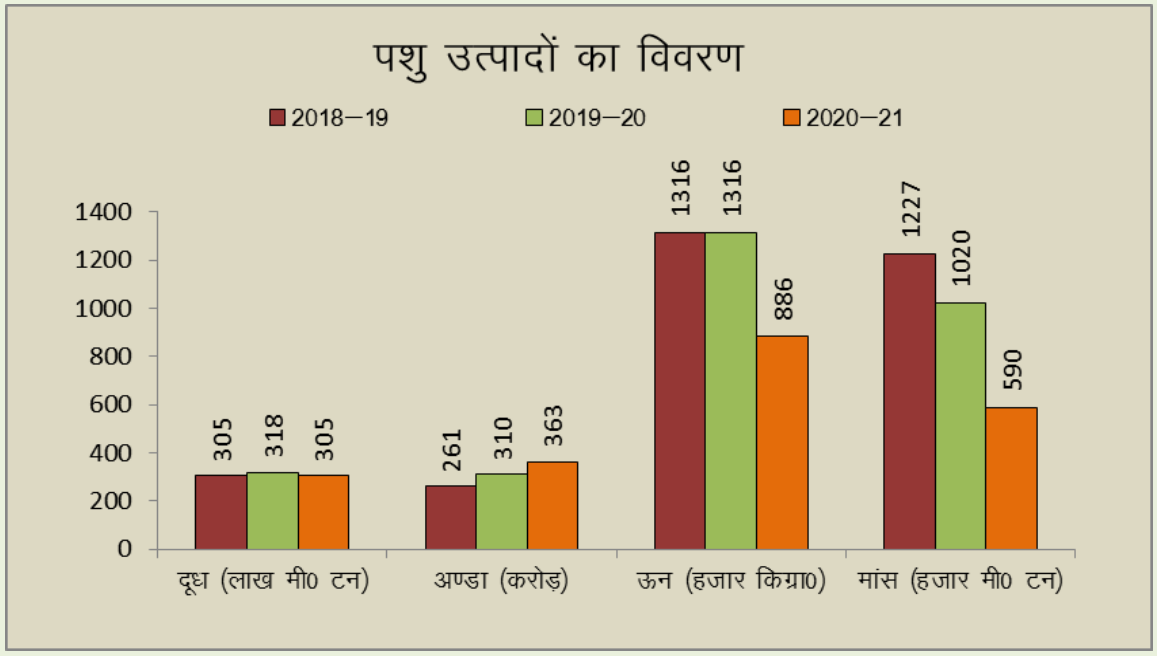

इस दर से वृद्धि के परिणामस्वरुप वर्ष 2030 तक पशु उत्पाद मे 340.5 लाख मी0टन दूध, 293.76 हजार मी0टन0 मांस एवं 28273 लाख अण्डों का उत्पादन सम्भावित है। वर्तमान में दूध, अण्डा एवं मांस की उपलब्धता क्रमश 330 ग्राम प्रति व्यक्ति, 10 अण्डा प्रति व्यक्ति एवं 1039 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। अतः वर्ष 2030 तक 3 गुना उपलब्धता हेतु लगभग 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी।

उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में पशुधन एवं इसमे रोजगार वृद्धि के प्रयासों का विवरण उल्लिखित है–

- पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ–साथ नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ–साथ अस्थायी गो–आश्रय स्थल स्थापित किये जा रहे है।

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका–मुहँपका एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका–मुँहपका रोग से मुक्त कराये जाने का प्रथम लक्ष्य है।
- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन/मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 हजार टन रहा है व प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही ।
- दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 8049 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3 लाख 32 हजार किग्रा0 प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1 लाख 97 हजार लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध बिक्री किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में प्रारम्भ की जा रही नयी योजना **''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना''** हेतु 243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन

गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, भेड़, सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकारण आदि कार्य नियमित रूप से किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में वृद्धि हो सके। वर्ष 2012 एवं 2019 की पशुगणनानुसार प्रदेश में पशुधन तालिका–6.03 में दर्शाया गया है:–

तालिका–6.03:– प्रदेश में पशुधन (लाख में)

पशुधन	2012	2019	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
गाय	205.66	202.04	(-) 1.76
भैंस	306.25	330.17	7.81
भेड़	13.54	9.85	(-) 27.25
बकरी	155.86	144.80	(-) 7.10
सूकर	13.34	4.08	(-) 69.42
कुक्कुट	186.68	125.16	(-) 32.95

नोट:–19वीं पशुगणना 2012 एवं 20वीं पशुगणना 2019 में गोवंशीय पशुओं में छुट्टा गोवंशीय क्रमशः 10.09 लाख 11.84 लाख शामिल है।

प्रदेश में 2202 पशुचिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 267 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 06 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 776 बहुउद्देशीय सचल वाहन कार्यरत हैं। तरल नत्रजन केन्द्र 02, सघन भेड़ विकास प्रायोजना 03, मेढ़ा केन्द्र 05, भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र 180, भेड़ प्रक्षेत्र 02, राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 06, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन 01, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र 10, सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र 06, सूकर रोग निदान प्रयोगशाला 01, सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र 01, बत्तख प्रक्षेत्र 01, कुक्कुट काम्प्लेक्स 09, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला 01, सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब 02, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र 01, कुक्कुट प्रक्षेत्र 08, पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट 02, थनैला रोग नियत्रंण प्रयोगशाला 01, टी0बी0ब्रूसेला एवं जोनाईन यूनिट 01, कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट 10, कृत्रिम गर्भाधान केन्द 5044, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र 03 एवं पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान 01 मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

तालिका–6.04:– पशुजन्य पदार्थों की प्रति पशु उत्पादकता

क0 सं0	पशुजन्य पदार्थ का नाम	पशु प्रजाति का नाम	इकाई	वर्षवार औसत उत्पादन प्रति पशु प्रति दिन (भारित औसत)			
				2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	दुग्ध उत्पादन	स्वदेशी गाय	किग्रा0	3.022	3.066	3.099	3.110
		विदेशी गाय	किग्रा0	7.239	7.309	7.354	7.387
		अवर्णित गाय	किग्रा0	2.219	2.243	2.289	2.294
		क्रास ब्रीड गाय	किग्रा0	7.091	7.150	7.192	7.218
		भैंस	किग्रा0	4.485	4.534	4.577	4.598
		स्वदेशी भैंस	किग्रा0	4.823	4.872	4.917	4.933
		अवर्णित भैंस	किग्रा0	3.286	3.325	3.354	3.363
		बकरी	किग्रा0	0.772	0.780	0.785	0.786
2	अण्डा उत्पादन	अवर्णित	संख्या	140.8	141.8	142.4	143.0
		उन्नतिशील	संख्या	224.9	231.8	240.3	243.0
		औसत सम्पूर्ण	संख्या	204.2	210.3	221.4	224.00
3	ऊन उत्पादन	भेंड़	किग्रा0	0.910	0.914	0.918	0.919

प्रदेश सकल अण्डा उत्पादन में देश में आठवें स्थान पर है, जिसका 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। उत्पादन–खपत के अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 45 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों का प्रतिदिन आयात करना होता है।

प्रजनन सेवाएं

- भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को बढ़ावा देते हुए स्वदेशी प्रजाति के उच्च उत्पादक गोवंशीय पशुओं की संख्या में त्वरित वृद्धि हेतु सांड़ो का उत्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनपद बरेली में स्थापित पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र के माध्यम से उच्च प्रजनन क्षमता के स्वदेशी मादा पशुओं में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का प्रयोग करते हुए 1000 भ्रूण उत्पादन किया जाना है जिससे वर्ष 2022 तक लगभग 400 संतति प्राप्त होंगी जिनकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता 4000 ली0 प्रति ब्यांत होगी। पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र पर स्वदेशी प्रजाति के 200 उच्च जनन क्षमता के सांड़ों का उत्पादन सम्भव होगा।
- प्रदेश में **उ0प्र0 पशु प्रजनन नीति–2018** क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2022 तक 180 लाख प्रजनन योग्य पशुओं को आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। देशी गायों की साहीवाल, थारपारकर, हरियाणा, गंगातीरी प्रजातियों से शत–प्रतिशत उन्नत प्रजनन आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।
- राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एन0ए0आई0पी0) योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में फेज–1 में प्रत्येक जनपद के 300 ग्रामों का चयन किया गया है जहां पर कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम है।

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन प्रतिशत बढाये जाने हेतु 15 लाख पशुओं में निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष जुलाई 2021 तक 19.204 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया है तथा 14.05 लाख ईनाफ पोर्टल पर फीडिंग की गयी। फेज–2 को अगस्त 2020 से मई 2021 तक संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया जिसमें प्रत्येक जनपद में 500 ग्रामों का चयन किया गया है, जहां पर कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन 50 प्रतिशत से कम है। योजनान्तर्गत प्रति जनपद 50000 गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाना है।

तालिका–6.05:– विभिन्न योजनाओं की भौतिक प्रगति (लाख में)

कार्यक्रम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	(जुलाई, 2021 तक)
कृत्रिम गर्भाधान	126.59	133.60	140.80	144.86	31.73
टीकाकरण	1485.45	1434.01	1381.83	996.51	45.92
चिकित्सा	370.88	375.45	399.96	422.95	114.46
बधियाकरण	17.43	23.51	29.42	31.25	6.96

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण

- सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान एवं अशक्त पशु को किसी बीमारी आदि में त्वरित आकस्मिक चिकित्सा के दृष्टिगत 774 विकासखण्ड स्तरीय पशुचिकित्सालय पर बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
- इस वर्ष 10000 पशुचिकित्सा शिविर आयोजित करने के लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन अगस्त 2021 तक 1866 शिविर आयोजित किये गये है।
- विषाणु जनित पी0पी0आर0 बीमारी से 90–95 प्रतिशत पशु प्रभावित होते हैं जिसे फैलने से रोकने हेतु भारत सरकार के 60 प्रतिशत वित्त पोषण से पेस्टडिस् पेट्टिस रूमिनेन्ट्स कण्ट्रोल कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- पशुओं को कृमिनाशक एवं मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट कार्यक्रम अन्तर्गत कृमिनाशक की 2 खुराक एवं 3 कि0ग्रा0 मिनरल मिक्सचर सप्लीमेन्ट से वर्ष 2022 तक चरणबद्ध रूप से 250 लाख पशुओं को आच्छादित किया जायेगा।
- पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारम्भ सितम्बर 2019 को पण्डित दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान वि0वि0 एवं गो–अनुसंधान संस्थान, मथुरा में किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका–मुँहपका टीकाकरण हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 39.52 करोड़ की धनराशि निर्गत की गयी है। खुरपका–मुँहपका नियत्रण हेतु 520.36 लाख एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियत्रण हेतु 40.26129 लाख पशुओं में टीकाकरण किया जाना लक्षित है।

गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन

बुन्देलखण्ड में पशुपालकों द्वारा गोवंशीय पशुओं को छुट्टा छोड़ दिया जाता है जो फसलों के लिए हानिकारक है, जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं। बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों यथा झाँसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर एवं जालौन में अन्ना प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्न कोटि के बछड़ों का बधियाकरण, उच्चगुणवत्तायुक्त सांड़ों की उपलब्धता व उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

उ0प्र0 गो–संरक्षण एवं संवर्धन कोष

- उ0प्र0 में गो–संरक्षण एवं संवर्धन कोष के गठन हेतु उ0प्र0 गो–संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली–2019 प्रख्यापित की गयी है।
- प्रदेश में 20वी पशुगणना के अनुसार 11.84 लाख छुटटा/निराश्रित गोवंश है, इनके संरक्षण हेतु वर्ष 2017–18 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 5–5 पशु आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु कुल 10 लाख की धनराशि व्यय कर निर्माण कार्य पूर्ण कर पशुओं को संरक्षित किया गया है।
- वर्ष 2018–19 में बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 1–1 गोवंश वन्य विहार तथा शेष 68 जनपदों में 1–1 वृहद् गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रति केन्द्र रू0 1.20 करोड की धनराशि से की गयी है ।
- वर्ष 2019–20 में बुन्देलखण्ड के जनपदों में 16 गोवंश वन्य विहार तथा शेष 68 जनपदों में 96 वृहद् गो–संरक्षण केन्द्र की स्थापना प्रति केन्द्र रू0 1.20 करोड की धनराशि से कराया गया।
- गो–संरक्षण केन्द्रों में मनरेगा के सहयोग से वर्मी कम्पोस्ट, हरा चारा उत्पादन, बाउण्ड्री वाल निर्माण, समतलीकरण, सौर ऊर्जा आदि कार्य कराये जा रहे है।
- निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में एक–एक वृहद् गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये रु0 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रु0 8160.00 लाख धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
- गौ–आश्रय स्थलों पर 5302 केन्द्र में 602996 गौवंश संरक्षित किये जा रहे है।
- पशुओं के भरण–पोषण हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से 715161 कु0 तथा दानदाताओं से प्राप्त 72405 कु0 इस प्रकार कुल 787566 कु0 भूसा की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है। चारे–भूसे की उपलब्धता बनी रहे इस हेतु जनपदों में कुल 3444 भूसा बैंक भी स्थापित किया जा चुका है।

दुग्ध उत्पादन

देश में दुग्ध उत्पादन 2018–19 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़कर 18.77 करोड़ टन हो गया, जबकि 2017–18 में यह 17.63 करोड़ टन था। देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर प्रतिदिन 394 ग्राम हो गई।

''सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य होने के उपरान्त भी संगठित क्षेत्रों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण 12 प्रतिशत से भी कम हो पा रहा है जबकि भारत का औसत दुग्ध प्रसंस्करण 17 प्रतिशत है। सर्वाधिक दुग्ध प्रसंस्करण गुजरात में 49 प्रतिशत है।'' *(स्रोत–एन.डी.डी.बी.)*

तालिका–6.06:– प्रमुख कोर पैरामीटर्स के समक्ष उपलब्धि

क्र. सं	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22 (जुलाई, 2021 तक)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	कार्यरत समिति	संख्या क्रमिक	9419	8578	9837	7825
2	समिति सदस्यता	लाख में क्रमिक	4.71	3.69	4.42	3.47
3	दुग्ध उपार्जन	लाख किग्रा0 प्रतिदिन	6.70	2.88	5.19	2.58
4	दुग्ध बिक्री	लाख लीटर प्रतिदिन	2.97	1.87	3.01	1.76

प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम–प्रमुख आयाम

- भारतीय गोवंश द्वारा सर्वाधिक दुग्ध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहन **(नन्दबाबा पुरस्कार)** योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी है। प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को देने वाले दुग्ध उत्पादक को रु0 0.51 लाख का पुरस्कार, जनपद स्तर पर रु0 21,000 एवं विकास खण्ड स्तर पर रू0 5100 की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 के नन्दबाबा पुरस्कार विजेताओं को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरित किया गया।
- समस्त जनपदों के सहकारी डेरियों में सर्वाधिक दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य को प्रोत्साहन के रूप में **गोकुल पुरस्कार** से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2018 में प्रथम, द्वितीय पुरस्कार धनराशि में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2019–20 के गोकुल पुरस्कार विजेताओं को उत्तर प्रदेश दिवस दिवस के अवसर पर 75 चयनित गोकुल पुरस्कार विजेताओं को रू0 38.69 लाख की धनराशि प्रदान की गयी है।
- दुग्ध समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादको को उनके दूध की सही नाप–तौल तथा गुणवत्ता की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं उनके दूध का सही मूल्य दिलाने के उददेश्य से 7331 कार्यशील दुग्ध समितियों में **डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट** (डी0पी0एम0सी0यू0) की स्थापना की जा रही है। वर्तमान समय तक 6576 डीपीएमसीयू की स्थापना की जा चुकी है।
- महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये **मिशन शक्ति कार्यक्रम** के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदो के दुग्ध सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघो में महिला सशक्तिकरण हेतु महिला गोष्ठियों, दुग्ध संघ भ्रमण एवं अन्य कार्यक्रमो का आयोजन कराया गया है। द्वितीय चरण तक 452 गोष्ठियों का आयोजन कराया जा चुका है, जिसमें 22961 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। तृतीय चरण की कार्य योजना प्रक्रियारत है।
- दूध का **ऑनलाइन भुगतान** करने हेतु वेब आधारित ऑनलाइन मानीटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को सीधे उनके खातें में ऑनलाइन दुग्ध मूल्य भुगतान की व्यवस्था करायी जा रही है।
- दूध का प्राकृतिक स्वभाव बना रखने के दृष्टिगत 216 **बल्क मिल्क कूलर** की स्थापना का कार्य रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड/अवस्थापना विकास कोष के अन्तर्गत वित्तीय व्यवस्था से पूर्ण किया जा चुका है।

- दुग्ध परिवहन में ट्रान्जिट हानि को नियंत्रित करने, पूर्णतया पारदर्शी व लाभप्रद बनाये जाने के दृष्टिगत 486 व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम की स्थापना की गयी है।
- प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हितार्थ वर्तमान समय में कुल 14 मिल्क प्लाण्ट संचालित है जहाँ दैनिक रूप से लगभग 37.18 लाख किग्रा0 दूध का उपार्जन कर लगभग 192.16 मी0टन मिल्क पाउडर का निर्माण किया जा रहा है।
- वर्तमान समय में लगभग 42.25 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर लगभग 33.47 लाख लीटर तरल दुग्ध शहरी क्षेत्र में वितरण कराया जा रहा है जिसमें डोर–टू–डोर वितरण को प्रमुखता दी जा रही है।
- लखनऊ दुग्ध संघ द्वारा **खोजो खावो एप** के माध्यम से पराग के सभी उत्पादो को लखनऊ के शहरी क्षेत्रो में उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयास प्रारम्भ किया गया है।
- वर्ष 2020 में कोविड–19 महामारी के कारण देशव्यापी लाकडाउन अवधि में पी0सी0डी0एफ0 के अपने दुग्ध प्लांटों के साथ ही अमूल, मदर डेरी एवं निजी क्षेत्र के सभी प्लांटों को अधिकतम क्षमता पर संचालित कराने हेतु समन्वय किया गया।
- लॉकडाउन अवधि के उपरान्त भी शहरी क्षेत्र में तरल दुग्ध आपूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से औसतन 46.97 लाख किग्रा0 का उपार्जन कर औसतन 33.46 लाख लीटर तरल दुग्ध का प्रतिदिन वितरण किया गया है। डोर–टू–डोर तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति हेतु लगभग 22660 लोगों को लगाया गया है।

कुक्कुट पालन

प्रदेश में 108 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है, जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते है। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते है। कुक्कुट मांस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर के चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे है। जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते है। क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु कुक्कुट विकास नीति–2013 लागू की गयी है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गयी। पुनः उक्त नीति को 2022 तक बढाया गया है जिसके अन्तर्गत 90.00 लाख पक्षी पाले जाने का लक्ष्य है।

कुक्कुट विकास नीति के तहत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (30,000 पक्षी की एक इकाई) 364 इकाईयां क्रियाशील हैं। कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 308 इकाईयां क्रियाशील है। ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की (10,000 पक्षी की एक इकाई) 38 इकाईयां क्रियाशील है जिनसे कुल 88.73 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन उत्पादन हो रहा हैं तथा 92280 व्यक्तियों को स्व–रोजगार मिला है। नीति अन्तर्गत अद्यतन प्रदेश में रू0 1087.60 करोड़ का निवेश हुआ है एवं 45.50 लाख अतिरिक्त चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहे हैं।

मत्स्य पालन

प्रदेश में गंगा नदी प्रणाली में मछलियों की लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रदेश की जीएसडीपी में मत्स्य उद्योग का योगदान लगभग 0.4 प्रतिशत है, जबकि कृषि सेक्टर में मत्स्यिकी का 1.73 प्रतिशत योगदान है। आन्ध्रप्रदेश व प0बंगाल के पश्चात् मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है।

मत्स्य पालन को रोजगारोन्मुख (विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में) करने के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016–2017 में 'नीलीक्रान्ति मिशन' के माध्यम से पूर्व संचालित केन्द्र पोषित व केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को

एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुये नई केन्द्र पुरोनिधानित योजना **"ब्लू रिवोल्युशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज"** लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत जल संसाधनों का मत्स्य क्षमता के अनुसार दोहन करते हुये मत्स्यिकी को आधुनिक उद्योग के रूप में परिवर्तित करने, मछुआरों व मत्स्य पालकों की आय दोगुना करने, प्रदेश की खाद्य व पौषणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, मत्स्य विपणन व पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का विकास तथा नदियों में मत्स्य संपदा के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिन्हें वर्ष 2022 तक प्राप्त करना है। इस योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से वित्तीय सहायता निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से इस योजना के स्थान पर नई केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गई है।

मत्स्य पालन कृषि का ही एक अंग है, अतः सरकार द्वारा जून, 2014 मे मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान कर कृषि से मिलने वाली सुविधाओं को मत्स्य पालकों को भी समान रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रदेश में वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है।

तालिका–6.07: मत्स्य पालन के अन्तर्गत जल क्षेत्र

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जलक्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
वृहद एवं मध्यमाकार	2.28	2.26	99.12
जलाशय प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	5.34	3.66	68.53

तालाबों का पट्टा

प्रदेश में उपलब्ध जलसंसाधनों में मुख्यतः ग्रामसभा के अन्तर्गत आने वाले तालाब एवं झीलें हैं। ग्रामसभा में निहित तालाबों का पट्टा मछुआ समुदाय एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को ही दिया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं।

प्रदेश का कुल अन्तःस्थलीय मत्स्य उत्पादन, वर्ष 2020–21 में 7.457 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। प्रदेश की वर्ष 2020–21 में मत्स्य विकास की वार्षिक वृद्धि दर 6.73 प्रतिशत रही है, मत्स्य उत्पादन स्तर को वर्ष 2019–20 के 6.987 लाख मीट्रिक टन से वर्ष 2020–21 में कोविड–19 लॉकडाउन के विषम स्थिति के बावजूद, मत्स्य उत्पादन का स्तर 7.457 लाख मीट्रिक टन हुआ है।

मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 250 हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में 10 मिलियन क्षमता की एक हैचरी की स्थापना हेतु रू0 25.00 लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रू0 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 15.00 लाख अनुदान धनराशि देय है, शेष 60 प्रतिशत का 40 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

विगत चार वर्षो में अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता, मत्स्य बीज उत्पादन, अंगुलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण से सम्बन्धित लक्ष्य व उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है–

तालिका–6.08
अनुमानित मत्स्य बीज उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी0टन0)	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा0/है0/वर्ष)	अंगुलिका/मत्स्य बीज वितरण (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
2017–18	6.29	4375	26333.92	786.95	27120.87
2018–19	6.62	4455	29442.13	347.22	29789.35
2019–20	6.987	4367	30008.96	278.56	30287.81
2020–21	7.457	4670	33392.98	294.78	33927.40

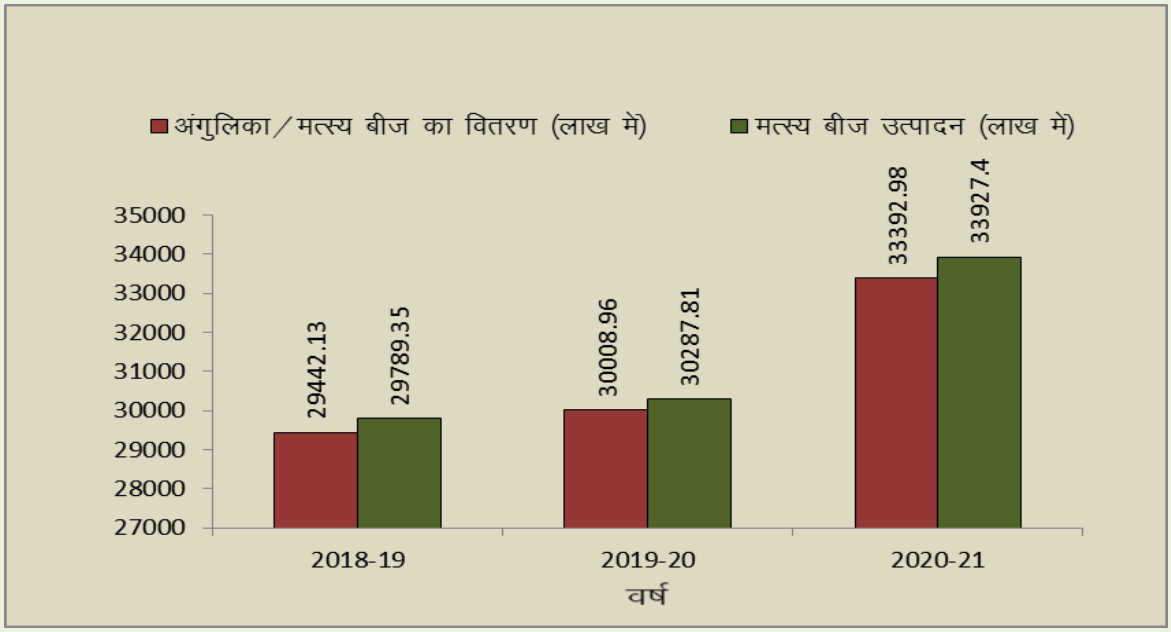

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एंव आवास विहीन मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में 1145 प्राथमिक समितियां, 23 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है।

क– मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

वर्ष 2020–21 से सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालको की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रू0 5.00 लाख व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रू0 2.50 लाख की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। बीमा धनराशि का प्रीमियम रू0 72.44 (रू0 43.46 भारत सरकार व रू0 28.98 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाता है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि वहन नहीं करनी पड़ती है। इस योजना को वर्ष 2018–19 से भारत सरकार द्वारा डाटा फींडिग के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 145000 सक्रिय मत्स्य पालकों को बीमा से आच्छादित किया जा चुका है। योजना प्रारम्भ से अब तक **139 मृत/अपंग सदस्यों के आश्रितों को लाभान्वित कराया गया है।**

ख– मछुआ आवास योजना

भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित इस योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को वर्ष 2017–18 से प्रति आवास रू0 1.20 लाख, जिसमें रू0 0.60 लाख केन्द्रांश तथा रू0 0.60 लाख राज्यांश के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2019–20 तक कुल 25882 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके हैं।

भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना में कल्याणार्थ मद हेतु मछुआ आवास योजनान्तर्गत प्रति आवास इकाई लागत रू0 1.20 लाख जिसमें 60 प्रतिशत रू0 0.72 लाख प्रति आवास केन्द्रांश के रूप में निहित है, का पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। ब्लू रिवोल्यूशन की गाइडलान्स के अनुसार, निर्मित किये जाने वाले आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा। वर्ष 2018–19 में 448 आवासों का निर्माण कराया गया था तथा वर्ष 2019–20 में 718 आवासों को पूर्ण कराया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 के 328 सामान्य, साथ 168 अनुसूचित जाति तथा 88 अनुसूचित जनजाति के आवासों का वर्ष 2020–21 में निर्माण कराया जा रहा है।

नई केन्द्र पुरोनिधानित "ब्लू रिवोल्यूशन" इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना

भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में केन्द्र पोषित विभिन्न योजनाएं वर्ष 2015–2016 तक संचालित थी। केन्द्र सरकार द्वारा नीलीक्रान्ति मिशन के माध्यम से मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के साथ–साथ जैव सुरक्षा तथा पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए धारणीय तरीके से संपूर्ण मत्स्यिकीय विकास के लिए मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता को बढाने हेतु पूर्व संचालित समस्त योजनाओं को एक अम्ब्रैला के अंतर्गत लाते हुए नई केन्द्र पुरोनिधानित ''ब्लू रिवोल्यूशनः इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना को प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2016–17 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मद जो लाभार्थी परक हैं, परियोजना लागत (इकाई लागत व अधिकतम सीमा) के आधार पर कुल का 50 प्रतिशत पोषण केन्द्रीय सहायता अंश तथा शेष 50 प्रतिशत राज्यांश सहायता/लाभार्थी अंश निर्धारित है। वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के द्वारा अनुदान धनराशि/ फन्डिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को

40 प्रतिशत (केन्द्रांश 24 प्रतिशत + राज्यांश 16 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत (केन्द्रांश 36 प्रतिशत + राज्यांश 24 प्रतिशत) अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

''ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' योजना में प्रशिक्षण, स्ट्रेंथनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम आफ द फिशरीज सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि मदों हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से वित्त पोषण अधिकतम सीमान्तर्गत वित्तीय सहायता निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 से इस योजना के स्थान पर नई केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गई है।

वर्ष 2019–20 में मत्स्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की प्रगति

- ग्रामसभा तालाबों का 5634.18 हे0 जलक्षेत्र का पट्टा आवंटन कराते हुए 6728 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन प्रारम्भ कराया गया।
- वर्ष 2020–21 में 33632.67 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को रोजगार वृद्धि के लिए उपलब्ध कराया गया।
- नीली क्रान्ति योजनान्तर्गत 2095 लाभार्थियों को विभिन्न उपयोजनाओं से लाभान्वित किया गया।
- 7403 मत्स्य पालकों को रू0 6501.23 लाख के किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों से स्वीकृत कराते हुए निवेश ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- मत्स्य उत्पादन की नई तकनीकी के अन्तर्गत 64 रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम का निजी क्षेत्र में निर्माण कराते हुए मत्स्यिकी क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया।
- 576 मछुआरों को मछली की बिक्री हेतु मोटर साइकिल विथ आइस बाक्स सहित राजकीय अनुदान पर उपलब्ध कराई गई।
- मथुरा एवं हाथरस जनपद में खारे जल में श्रिम्प उत्पादन में सफलता प्राप्त करते हुए 20 हेक्टेयर में प्रथम बार श्रिम्प उत्पादन करायी गयी।
- सौर ऊर्जा के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की हैचरियों पर 40 सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम स्थापित कराये जा रहे हैं।

वर्ष 2021–22 में कराये जाने वाले कार्य की प्रगति

- मत्स्य उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 8.02 लाख मी0टन के सापेक्ष अगस्त 2021 तक 2.29 लाख मी0 टन मत्स्य उत्पादन किया गया।
- ग्राम सभा के तालाबों के पट्टे का वार्षिक लक्ष्य 3000.00 हे0 के सापेक्ष 1659.24 हे0 जलक्षेत्र का पट्टा आवंटित कराते हुए 1889 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन में आच्छादन किया गया।
- 33632.67 गुणवत्तायुक्त बीज, मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया गया।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में नई केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना प्रारम्भ की गई है।

कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है। पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावनायें हैं। सजावटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भावना है।

****

अध्याय–07
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

मुख्य बिन्दु

- प्रदेश के 45 जनपदों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालित है जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है।
- नवीन उद्यान रोपण की वित्तीय वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना में नवीनतम एक्जोटिक फ्रूट क्रॉप तथा निके फ्रूट क्रॉप को भी शामिल किया गया है।
- वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मे इसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' को प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की ऑपरेशनल गाइड–लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हेक्टेयर धनराशि रू 50000 निर्धारित है।
- प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आँवला के विकास हेतु फल पट्टी विकसित की गयी हैं।
- प्रदेश के 27 चिह्नित जनपदों के 58 विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत स्थापित होने वाले प्रथम शीतगृह को 5000 मी. टन क्षमता हेतु रू. 140 लाख के स्थान पर अधिकतम रू. 200 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा।

कृषि के विविधीकरण मे आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से बागवानी एक सक्षम विकल्प होने के कारण इसके विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के समन्वित बागवानी विकास हेतु संचालित औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–7.01:– बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22		
		आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय	आय व्ययक प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	व्यय (सितम्बर 2021)
1.	उद्यान सेक्टर	72441.56	56995.60	51202.24	74692.56	33360.89	7035.46
2.	खाद्य प्रसंस्करण	8819.94	8519.96	6661.90	48725.17	6652.17	1037.94
	योग	81261.50	65515.56	57864.14	123417.73	40013.06	8073.40

वर्ष 2017–18 के आँकड़ों के आधार पर प्रमुख बागवानी फसलों के उत्पादन में प्रदेश का योगदान निम्नानुसार है–

तालिका–7.02:– बागवानी फसलों का उत्पादन (हजार मी0 टन में)

क्र0सं0	फसल	उत्तर प्रदेश	भारत	योगदान प्रतिशत	प्रथम तीन राज्य
1	**आलू**	15555.53	51310.01	30.32	1.उत्तर प्रदेश 2.पश्चिम बंगाल 3. बिहार
2	**आम**	4551.83	21822.32	20.86	1.उत्तर प्रदेश 2.आन्ध्र प्रदेश 3. बिहार
3	**अमरुद**	928.44	4053.51	22.90	1.उत्तर प्रदेश 2.मध्य प्रदेश 3. बिहार

स्रोत–औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रदेश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कृषक हैं फिर भी प्रदेश में बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017–18 में प्रदेश में कुल 10539.77 हजार मी0 टन फल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन का 10.8 प्रतिशत है। **सब्जी** उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है।

तालिका–7.03:– प्रमुख फल एवं सब्जी के कुल उत्पादन में प्रदेश का अंशदान

(हजार मी0 टन में)

क्र0 सं0	फल			सब्जी		
	उत्पादक राज्य	उत्पादन	प्रतिशत अंश	उत्पादक राज्य	उत्पादन	प्रतिशत अंश
1	आन्ध्र प्रदेश	15215.85	15.63	उत्तर प्रदेश	28316.45	15.36
2	महाराष्ट्र	11728.66	12.05	पश्चिम बंगाल	27695.29	15.02
3	उत्तर प्रदेश	10539.77	10.82	मध्य प्रदेश	17545.48	9.52
4	गुजरात	8996.02	9.24	बिहार	15863.21	8.60
भारत		97357.51	100.00	**भारत**	184394.51	100.00

स्रोत– औद्यानिक सांख्यिकी 2018, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रदेश में बागवानी विकास हेतु संचालित क्रियाकलापों के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं–

- औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु नवीनतम तकनीक को अपनाने हेतु प्रेरित करना।
- फसलों के सघनीकरण एवं फसल–चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुंचाना।
- वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।
- फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास करना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों को प्रभावी बनाना।
- फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
- बागवानी की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढना तथा प्रायोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।
- क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है, बागवानी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना।

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017** प्रख्यापित की गई है जिसके द्वारा पूंजीगत अनुदान, ब्याज उपादान, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन के साथ–साथ उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक रियायतें एवं छूट प्रदान की गई है। आनॅलाइन वेब पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को राज्य सरकार की राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी (एसएलईसी) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण/हाईजीन प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण/विधायन आदि योजनाएँ लागू की गयी हैं। प्रदेश में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नवत् है–

तालिका–7.04:– बागवानी फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्षेत्रफल ('000 हेक्ट. में), उत्पादन ('000 मी0 टन में),उत्पादकता (मी. टन/हेक्ट.)

वर्ष		बागवानी फसलें			
		कुल फल	कुल सब्जियां	कुल मसालें	कुल पुष्प
2015–16	क्षेत्रफल	468.89	1234.58	86.63	20.75
	उत्पादन	10296.14	25840.43	289.82	45.34
	उत्पादकता	21.96	20.93	3.35	6087 (लाख में)
2016–17	क्षेत्रफल	474.89	1255.70	87.70	20.99
	उत्पादन	10504.05	27801.53	293.76	45.97
	उत्पादकता	22.12	22.14	3.35	6191 (लाख में)
2017–18	क्षेत्रफल	476.64	1259.23	88.04	21.22
	उत्पादन	10541.07	27887.98	295.58	46.42
	उत्पादकता	22.12	22.15	3.36	6304 (लाख में)
2018–19	क्षेत्रफल	480.53	1256.27	88.29	21.33
	उत्पादन	10651.26	27694.12	296.54	46.70
	उत्पादकता	22.17	22.05	3.36	6341 (लाख में)

स्रोत– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) एवं खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है–

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (राज्य औद्यानिक मिशन) –

प्रदेश के 45 जनपदों में संचालित बागवानी विकास के दृष्टि से यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। योजनान्तर्गत पेरीनियल एवं नॉन–पेरीनियल फलों के नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी बीज उत्पादन, पुष्प क्षेत्र विस्तार, मसाला क्षेत्र विस्तार, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, आईपीएम प्रोत्साहन, कृषकों को नवीन तकनीकों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। वर्ष 2020–21 की उपलब्धियाँ तथा 2021–22 में का लक्ष्य निम्नवत् हैं–

तालिका–7.05:– विभिन्न औद्यानिक कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2020–21		2021–22
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	3600	3147	3438
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	2700	2635	2000
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	400	366	400
4	मौनपालन	हे0	35350	318223	35350
5	द्वितीय व तृतीय वर्ष के बागों का अनुरक्षण	वर्ग मी0	2760	1851	3590
6	संरक्षित खेती	सं0	89.2	83.27	59.9
7	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पैक हाउस, कोल्ड रूम, शीतगृह, रिफर वैन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर)	सं0	565	211	1036
8	राज्य/जिला स्तरीय किसान मेला/गोष्ठियाँ	सं0	55	17	52
9	मानव संसाधन विकास	सं0	5750	3104	5650
10	बागवानी में मशीनीकरण	सं0	625	302	270
11	संकर शाकभाजी	हे0	5000	2918.87	3000
12	आर्गेनिक फार्मिंग	सं0	–	–	500
13	सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर	सं0	–	–	1

नवीन उद्यान रोपण की वित्तीय वर्ष 2021–22 की कार्ययोजना में नवीनतम एक्जोटिक फ्रूट कॉप (ड्रैगन फ्रूट, फिग, स्ट्रावेरी) तथा निके फ्रूट कॉप (आँवला, करौंदा, जामुन, हनुमान फल, बेल, टेमरिंड, फालसा, जैक फ्रूट) को भी शामिल किया गया है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना का संचालन वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक–पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के 30 जनपदों में क्रियान्वित कराया जा रहा है। इन जनपदों में नवीन उद्यान रोपण, पुष्प विकास, मसाला विकास, शाकभाजी क्षेत्र विस्तार, मौनपालन तथा कृषक प्रशिक्षण के कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2020–21 तथा 2021–22 की उपलब्धियां निम्नवत् है–

तालिका–7.06:– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2020–21		2021–22
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	नवीन उद्यान रोपण	हे0	2930	2811	3552
2	मसाला क्षेत्र विस्तार	हे0	4500	4408	6960
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हे0	800	734	967
4	संकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार	हे0	4950	3883	4660
5	मधुमक्खी पालन	सं0	220	205	434
6	प्रशिक्षण	सं0	6600	6400	7000

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन)

ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है, जिसके उपघटक ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप–माइक्रोइरीगेशन'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान, लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका–7.07:– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	इकाई	2020–21		2021–22
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	ड्रिप सिंचाई	हे0	43303	8843	59627
2	स्प्रिंकलर सिंचाई	हे0	114697	49261	80373
3	मानव संसाधन विकास	सं0	15650	7350	15650

4. आलू बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला (हिमाचल प्रदेश) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में आलू बीज के उत्पादन एवं वितरण का विवरण निम्नवत् है–

तालिका–7.08:– आलू बीज उत्पादन एवं वितरण की प्रगति

क्र. सं.	मद	इकाई	2020–21		2021–22
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
1	भारत सरकार द्वारा प्राप्त ब्रीडर आलू बीज	कुन्तल	11500	9265.88	11400
2	उत्पादित आलू बीज	कुन्तल	40000	34357.00	40000
3	आलू बीज उत्पादकों के मध्य वितरित आलू बीज	कुन्तल	40000	30739.20	40000

5. नवीन योजनाएं–

- लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर अधिक आय प्राप्त करने हेतु **संकर शाकभाजी** का उत्पादन, प्रबन्धन की योजना समस्त जनपदों में क्रियान्वित है। मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की ऑपरेशनल गाइड–लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हेक्टेयर धनराशि रू 50000 निर्धारित है। इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू 20000 प्रति हेक्टेयर संकर टमाटर, पातगोभी, कुकरबिट्स, भिन्डी, फूल गोभी एवं बैगन पर अनुमन्य है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू 2500 लाख की व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में तीन फलों आम, अमरूद एवं आँवला के विकास हेतु फल पट्टी विकसित की गयी हैं। इसके माध्यम से क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक बागों का जीर्णोद्धार, प्लास्टिक क्रेट्स, मैंगों हार्वेस्टर, आई.पी.एम./आई.एन.एम., कृषक प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

तालिका–7.09:– फल पट्टियों का विकास

क्र0सं0	फल पट्टी	आच्छादित जनपद
1	आम	सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड
2	अमरूद	कौशाम्बी एवं बदायूँ के 6 विकास खण्ड
3	आँवला	प्रतापगढ़ के दो विकास खण्ड

- प्रदेश के 27 चिह्नित जनपदों जहाँ आलू एवं शाकभाजी का उत्पादन अधिक होता है जबकि शीतगृहों की भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है, उन जनपदों के 58 विकास खण्डों में प्रथम शीतगृह की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पूर्व से अनुमन्य 5000 मी. टन क्षमता हेतु इकाई लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम रू. 140 लाख) के अतिरिक्त 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 60 लाख) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार ऐसे विकास खण्डों में स्थापित होने वाले प्रथम शीतगृह को 5000 मी. टन क्षमता हेतु रू. 140 लाख के स्थान पर अधिकतम रू. 200 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा।

6. खाद्य प्रसंस्करण हेतु संचालित योजनाएं

- राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ द्वारा निरन्तर शोध कार्य किया जा रहा है तथा नए तथा पूर्व के स्थापित उद्योगों हेतु तकनीकी रूप से दक्षकर्मी उपलब्ध कराने के लिए बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम संचाालित है।
- प्रदेश में कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद की उपलब्धता एवं नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा पर्यटन उद्योग के विकास की पृष्ठभूमि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित हो रहे हैं। कैटरिंग संस्थानों एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 नगरों (वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद) में एक–एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जहाँ एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फैक्शनरी तथा पाककला एवं एक मासीय अंशकालीन बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, पाककला, कुकरी, संचालित हैं।
- घरेलू क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं के लिए प्रदेश के 75 जनपदों में 77 (लखनऊ में 03) राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है जहाँ खाद्य प्रसंस्करण के प्रचार–प्रसार के साथ ही 15 दिवसीय फल संरक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत कुल 803 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पूँजी निवेश रू. 4109.74 करोड़ तथा कुल प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन 63054 प्रस्तावित है। अब तक 379 परियोजनायें, जिनमें पूंजी निवेश रू. 1278.60 करोड़ हेतु स्वीकृत कर दिया गया है । गत वर्ष तक 138 प्रस्तावों की अनुदान धनराशि रू. 3728. 65 लाख संस्थाओं को नेफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अवमुक्त की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में धनराशि रू. 219.15 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।
- महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जागरूकता, उद्यमिता के विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन एवं इच्छुक अभ्यर्थी को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर, इकाई स्थापना हेतु मशीन–उपकरण की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख का अनुदान अनुमन्य है।

तालिका–7.10:– खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति

क्र. सं.	मद	इकाई	2020–21		2021–22
			लक्ष्य	उपलब्धि	प्रस्तावित लक्ष्य
(अ)	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान	संख्या	40	17	40
(ब)	राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजनाएं				
1	एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा–खाद्य प्रसंस्करण	संख्या	150	150	150
2	एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा–बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	संख्या	150	150	150
3	एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा–कुकरी (पाक–कला)	संख्या	150	150	150
4	एक मासीय अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी प्रशिक्षण	संख्या	310	250	310
5	एक मासीय अल्पकालीन कुकरी प्रशिक्षण	संख्या	250	2450	250
6	एक मासीय अल्पकालीन सम्मिलित कोर्स	संख्या	500	485	500
7	15 दिवसीय फल संरक्षण प्रशिक्षण	संख्या	25450	23354	25450
8	100 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	संख्या	510	510	510
9	सामुदायिक संरक्षण कार्य	कि. ग्राम	108000	111680	108000
(स)	उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2017 में महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्व–रोजगार योजनान्तर्गत				
11	03 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण कौशल विकास जागरूकता शिविर	संख्या	13950	13950	7500
12	एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (30 प्रशिक्षार्थी प्रति बैच)	संख्या	1110	1110	1500

'किसान रेल सेवा' एवं 'किसान उड़ान योजना'

देश की पहली किसान रेल सेवा (7 अगस्त 2020) का परिचालन प्रारम्भ किया गया है। यह महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन से होते हुए बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी, किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी। किसान रेल से सस्ती दरों पर कृषि उत्पादों, खासतौर से जल्दी खराब होने वाली उपज के परिवहन में मदद मिलेगी, और यह पहल किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगी।

किसान रेल सेवा के अतिरिक्त उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार विशेष किसान उड़ान योजना के तहत किसानों की उपज को विशेष तरह के विमानों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, इससे किसानों की उपज को बाजारों तक जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद मिलेगी, ये फ्लाइटें घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों तरह की होंगी।

****

अध्याय–08

खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्रदान करना है।
- 'प्राथमिकता' वाले पात्र परिवारों को हर महीने खाद्यान्न 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति एवं अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज की सुरक्षा मिल रही है।
- महिलाओं, बच्चों व पुरूषों में आयरन की कमी तथा कुपोषण दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद चन्दौली में फोर्टीफाइड राईस का वितरण जनवरी, 2021 से प्रारम्भ कराया गया है।
- विपणन वर्ष 2021–22 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1975 प्रति कुन्तल, धान कॉमन का रू0 1940 एवं धान ग्रेड–ए का रू0 1960 प्रति कुन्तल निर्धारित है।
- वर्ष 2021–22 कृषकों से आधार ऑथेन्टिकेशन द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए ई–पॉप इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ परचेज डिवाइज के माध्यम से 56.41 लाख मी0टन गेहूँ की रिकार्ड खरीद की गयी तथा रू0 11140.85 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की योजना और नीति में प्रमुखता पर है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ व्यक्तिगत स्तर पर, किफायती कीमतों पर भोजन की पर्याप्त मात्रा के लिए, घरेलू मांग पूरी करने के साथ–साथ पहुँच के रूप में पर्याप्त अनाज की उपलब्धता है। परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से निपटने के लिए, सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू कर रही है जिसके तहत पात्र परिवारों को सब्सिडी पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएँ प्रदान करना है ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार भी इस योजना को पूरी तन्मयता से लागू कर रही है। इसमें परिवारों को दो श्रेणियों में–अन्त्योदय अन्न योजना और 'प्राथमिकता वाले परिवार' के अधीन कवर किया गया है। 'प्राथमिकता' वाले पात्र परिवारों को खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तथा अन्त्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों को गरीब से भी गरीब की श्रेणी में माना जाता है इसलिए मौजूदा अन्त्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 35 किलो अनाज की सुरक्षा मिल रही है।

यह अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत तथा शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक, लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इस प्रकार, देश की करीब दो तिहाई आबादी अत्यधिक सब्सिडी पर अनाज प्राप्त करने के दायरे में आ जाएगी। अधिनियम मे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 14 वर्ष तक बच्चों को पोषाहार समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है जो उन्हें पौष्टिक आहार का अधिकार देता है। परिवार मे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर, परिवार की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया का दर्जा देकर **महिला सशक्तिकरण** के लिए महत्वपूर्ण प्राविधान किया गया है।

प्रदेश में खाद्यान्न का आवंटन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 01 तारीख को प्रदर्शित एनआईसी उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर आगामी माह हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के चयनित लाभार्थियों (अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी) हेतु लगभग 08 लाख मी0टन खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) का आवंटन किया जाता है। इस वर्ष आवंटन माह–जून, जुलाई एवं अगस्त 2021 में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को एनएफएसए के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है।

खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम से ब्लॉक गोदामों को खाद्यान्न का प्रेषण, खाद्यान्न की प्राप्ति एवं उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न निर्गमन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर दैनिक रूप से ऑनलाइन दर्ज की जाती है।

एनएफएसए के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

कोविड–19 मे एनएफएसए के अन्तर्गत नियमित खाद्यान्न के साथ–साथ भारत सरकार के निर्देशानुपालन में अप्रैल, मई व जून 2020, में 03 माह तक समस्त अन्त्योदय तथा मनरेगा जॉब कार्डधारकों, श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों तथा नगर निकाय विभाग में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों को प्रति माह 05 कि0ग्रा0 (03 कि0ग्रा0 गेहूं व 02 कि0ग्रा0 चावल) खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। इसमे कुल 08 लाख मी0टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण कराया गया है।

तालिका–8.01:– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आपूर्ति का विवरण

(16 दिसम्बर 2021 तक)

क्र0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण
1	कुल राशन कार्ड– पात्र गृहस्थी अन्त्योदय	करोड़ में	3.61 3.20 0.41
2	कुल लाभार्थी – पात्र गृहस्थी अन्त्योदय	करोड़ में	14.90 13.59 1.31
3	लाभार्थी आधार सीडिंग	करोड़ में	14.82
4	उचित दर विक्रेता	संख्या	79518
5	राशन वितरण	लाख मी0 टन	4.41

स्रोत– वेबसाइट, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

कोविड–19 के अन्तर्गत मार्च से अगस्त 2020 तक विशेष अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को 10,35,391 नये राशन कार्ड जारी किये गये।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

इस योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 निःशुल्क चना का वितरण अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक कुल 56.19 लाख मी0टन खाद्यान्न तथा 2.69 लाख मी0टन चना का निःशुल्क वितरण कराया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021 में मई से नवम्बर 2021 तक निःशुल्क वितरण 05 किलो प्रति यूनिट कराया जाना है। वर्ष 2021 में मई, 2021 से अगस्त, 2021 तक कुल 28.22 लाख मी0टन खाद्यान्न का वितरण हो चुका है।

आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

इस योजना के अन्तर्गत प्रवासी/अवरूद्ध मजदूरों को अस्थायी राशन कार्ड संख्या जेनरेट करते हुये मई से अगस्त, 2020 तक प्रति यूनिट 05 किग्रा0 की दर से 11888.657 मी0टन निःशुल्क खाद्यान्न व प्रति कार्ड 01 किग्रा0 की दर से 1060.497 मी0टन निःशुल्क चना का वितरण कराया गया है।

तालिका–8.02:– आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न आपूर्ति विवरण

(16 दिस. 2021 तक)

क0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण
1	नये राशन कार्ड	संख्या	209165
	लाभार्थी		529885
2	राहत से प्राप्त राशन कार्ड	संख्या	78913
	लाभार्थी		100247
3	कुल राशन कार्ड	संख्या	288078
	लाभार्थी		630132

स्रोत– वेबसाइट, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

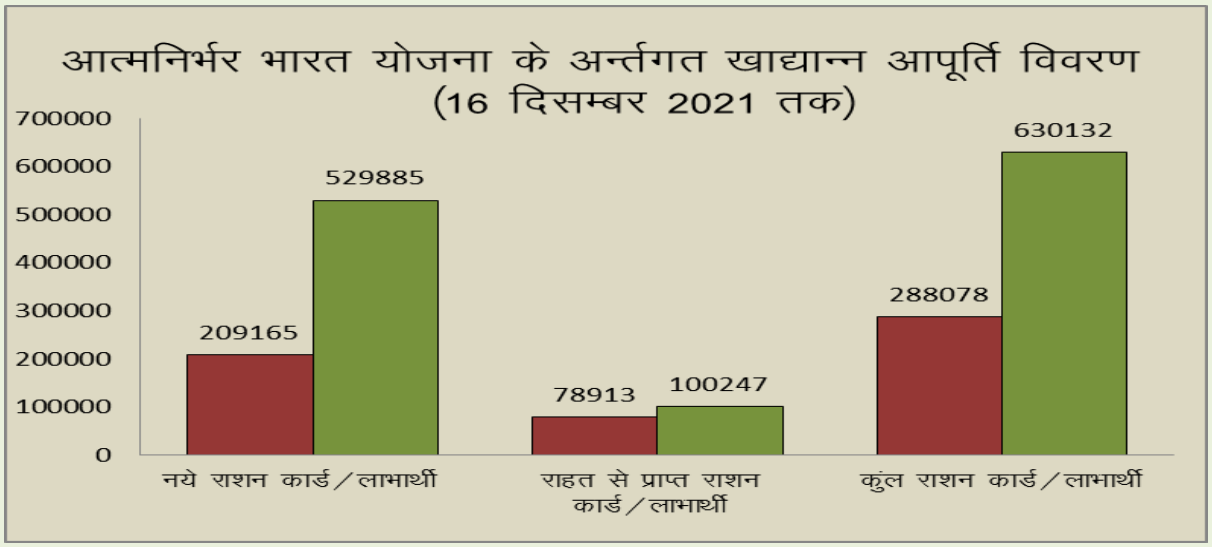

फोर्टीफाइड राइस का वितरण

महिलाओं, बच्चों व पुरूषों में आयरन की कमी तथा कुपोषण को दूर करने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद चन्दौली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत फोर्टीफाइड राईस का वितरण जनवरी, 2021 से प्रारम्भ कराया गया है।

लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त खाद्यान्न व चना का उठान

वर्ष 2020 में कोविड–19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में एनएफएसए से आच्छादित लाभार्थियों हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न–1 के अन्तर्गत अप्रैल से जून, 2020 तक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना–2 के अन्तर्गत जुलाई से नवम्बर, 2020 तक कुल 32.07 लाख मी0टन चावल, 23.73 लाख मी0 टन गेहूँ व 2.65 लाख मी0 टन चना एवं प्रवासी मजदूरों हेतु आत्मनिर्भर भारत (आर्थिक पैकेज) योजना के अन्तर्गत जून एवं जुलाई 2020 में कुल 56859 मी0टन चावल, 84131 मी0टन गेहूँ व 7039.36 मी0टन चना का उठान किया गया।

एनएफएसए के अतिरिक्त उक्त खाद्यान्न (पीएमजीकेएवाई एवं आत्मनिर्भर योजना) की शत–प्रतिशत मात्रा लॉकडाउन अवधि में भारतीय खाद्य निगम से उठान सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को रोस्टर के अनुरूप निर्गत कर कार्डधारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2021 में कोविड–19 महामारी के दूसरे फेस में एनएफएसए के लाभार्थियों हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना–3 के अन्तर्गत मई–जून 2021 में कुल चावल 5.88 लाख मी0टन एवं कुल गेहूँ 8.83 लाख मी0टन (कुल 14.71 लाख मी0टन) का उठान किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना–4 मे जुलाई से नवम्बर 2021 (05 माह) हेतु निःशुल्क 05 किग्रा0 अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन किया गया है जिसके अन्तर्गत कुल चावल 14.71 लाख मी0 टन एवं कुल गेहूँ 22.07 लाख मी0टन (कुल 36.79 लाख मी0 टन) का उठान किया जाना है। ब्लॉक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को रोस्टर के अनुरूप निर्गत कर कार्डधारकों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

चीनी का उठान

एनएफएसए के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी प्रदान किये जाने के निर्णय के क्रम में अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 में कुल 12283.50 मी0 टन चीनी एवं जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 2021 हेतु तथा अप्रैल से जून, 2021 तक ब्लॉक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को चीनी का आवंटन/उठान/निर्गमन किया जा चुका है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का एक समर्थित मूल्य प्रदान करना है। किसी फसली वर्ष मे उत्पादन की बाजार कीमत को एक निश्चित स्तर से नीचे आने से किसानो को होने वाली क्षति से बचाने के लिए सरकार द्वारा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है इससे किसानों की आय में कोई उतार–चढ़ाव नहीं होता है और उनको एक निश्चित आय प्राप्त होती हैं।

रबी विपणन वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के अन्तर्गत गेहूँ खरीद

रबी विपणन वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1925 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। गेहूँ क्रय सत्र की अवधि में कोविड–19 मे लॉकडाउन से उपजी विषम परिस्थितियों के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश मे 5896 क्रय केन्द्र स्थापित कर 663810 कृषकों से 55 लाख मी0टन के सापेक्ष 35.76 लाख मी0टन (लक्ष्य के सापेक्ष 65.03 प्रतिशत) गेहूँ क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष कृषकों के खाते में रू0 6885.16 करोड़ का पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे भुगतान किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को गेहूँ क्रय में और अधिक सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत मोबाइल क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। यद्यपि बाजार मूल्य, समर्थन मूल्य के आस–पास होने के कारण राजकीय खरीद में कमी आई परन्तु कृषकों को उपज का उचित मूल्य खुले

बाजार में भी प्राप्त हुआ है। व्यापक कृषक हित मे गेहूँ क्रय की अवधि को विस्तारित करते हुए जून 2020 तक किया गया।

रबी विपणन वर्ष 2021–22 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1975 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। प्रदेश में इस वर्ष भी 5678 क्रय केन्द्र स्थापित कर 1301753 कृषकों से आधार ऑथेन्टिकेशन द्वारा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराते हुए ई–पॉप इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ परचेज डिवाइस के माध्यम से 56.41 लाख मी0टन गेहूँ की रिकार्ड खरीद की गयी और रू0 11140.85 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

तालिका–8.03: क्रय–केन्द्र विवरण (गेहूँ खरीद 2021–22) (सितम्बर 2021)

क0सं0	एजेंसी का नाम	केन्द्रों की संख्या	डीएससी पंजीकृत केन्द्र	कुल टोकन
1	खाद्य विभाग की विपणन शाखा	1104	1103	165761
2	भारतीय खाद्य निगम	104	104	18096
3	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ	3280	3263	325568
4	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम	85	84	6254
5	उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव यूनियम	598	594	34746
6	उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ	377	376	19238
7	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद	130	113	21751
योग		5678	5637	591414

स्रोत– वेबसाइट, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के अन्तर्गत धान खरीद

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 हेतु भारत सरकार द्वारा धान कॉमन का समर्थन मूल्य रू0 1868 प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड–ए का रू0 1888 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। वर्ष 2020–21 में प्रदेश के 4453 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से कुल 1305929 किसानों से 66.84 लाख मी0टन की रिकार्ड धान खरीद (निर्धारित क्रय लक्ष्य 55 लाख मी0टन के सापेक्ष 121.53 प्रतिशत) की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के खाते में रू0 12477.45 करोड़ का पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान किया गया।

भारत सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2021–22 हेतु धान कॉमन का समर्थन मूल्य रू0 1940 प्रति कुन्तल एवं धान ग्रेड–ए का समर्थन मूल्य रू0 1960 प्रति कुन्तल निर्धारित है। प्रदेश के पश्चिमी सम्भागों में 01 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक एवं पूर्वी सम्भागों में 01 नवम्बर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक धान क्रय प्रस्तावित है। विपणन वर्ष 2021–22 मे धान क्रय किए जाने हेतु प्रगति विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है–

तालिका–8.04: धान खरीद विवरण 2021–22 (16 दिस. 2021 तक)

क0सं0	मद	इकाई	संख्यात्मक विवरण
1	धान खरीद सत्र मे पंजीकृत किसान	संख्या	1135525
2	धान क्रय– लाभार्थी किसान	संख्या	422669
3	धान क्रय– मात्रा	लाख मी0 टन	29.97
4	धान क्रय– केन्द्र	संख्या	4611
5	चावल मिल	संख्या	1708

स्रोत– वेबसाइट, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत मक्का क्रय

खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में भारत सरकार द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य रू0 1850 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। प्रदेश के 23 जनपदों में 24859 किसानों से 01 लाख मी0टन क्रय लक्ष्य के सापेक्ष 1.06 लाख मी0 टन मक्का का क्रय किया गया और रू0 196.86 करोड़ का भुगतान कृषकों के खाते में किया गया। विपणन वर्ष 2021–22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य येाजना के अन्तर्गत किसानों से मक्का क्रय प्रस्तावित है।

सरकार द्वारा वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे उपाय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाये जाने हेतु प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों पर ई–पॉस मशीन स्थापित कर दी गयी है, जिसके माध्यम से प्रति माह ई–पॉस से बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा आधार प्रमाणीकरण और ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। अगस्त, 2021 में 99.84 प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण तथा 0.16 प्रतिशत ओ.टी.पी. प्रमाणीकरण से वितरण कराया गया है।

जीपीएस बेस्ड ट्रैकिग सिस्टम

प्रदेश में स्थित भारतीय खाद्य निगम में डिपो से ब्लॉक गोदामों/उचित दर विक्रेता की दुकानों तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु जीपीएस युक्त वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु डिपों की जियोफैन्सिंग, खाद्यान्न प्रेषण के मार्ग की रूट मैपिंग व ब्लॉक गोदाम/उचित दर विक्रेता की दुकानों (रिसीवर) की जियोफैन्सिंग की गयी है। उक्त खाद्यान्न प्रेषण की निगरानी का कार्य प्रदेश मुख्यालय, मण्डल व जिलास्तर से किया जा रहा है। वर्तमान में खाद्यान्न के उठान कार्यो में लगे 4396 वाहनों में जीपीएस डिवाइस इन्स्टॉल है।

राशनकार्ड पोर्टबिलिटी

प्रदेश मे अन्तर्जनपदीय राशनकार्ड पोर्टबिलिटी संचालित किये जाने के उपरान्त भारत सरकार की **'वन नेशन वन राशनकार्ड'** योजना के अन्तर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टबिलिटी की सुविधा मई, 2020 से लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के कार्डधारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। मई, 2020 से अगस्त, 2021 तक अन्य राज्यों के 8,110 राशन कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 87,239 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अगस्त, 2021 तक जनपद के अन्दर कुल 1,87,10,761 राशन कार्डधारकों द्वारा तथा एक जनपद से दूसरे जनपद में कुल 16,91,178 राशन कार्डधारकों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। इस सुविधा से समाज के उन गरीब मजदूर वर्ग को लाभ होगा, जो आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान रहते हैं, साथ ही राशन कार्ड लाभार्थी और उचित दर विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत असंतुष्टि की स्थिति में लाभार्थी द्वारा पोर्टबिलिटी सुविधा से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।

****

अध्याय–09
ग्राम्य विकास एवं पंचायत सशक्तिकरण

मुख्य बिन्दु

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत **प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान** प्राप्त किया ।
- प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर रू0 201 प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर रू0 204 निर्धारित कर दी गई है।
- वर्तमान वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों मे 592 से बढाकर 826 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत योजना क्रियान्वित है।
- वर्ष 2016–17 से अब तक 26.15 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 21.83 लाख आवास का निर्माण पूर्ण है, शेष निर्माणाधीन है।
- वर्ष 2018–19 से लेकर अब तक 1.08 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक कुल 80211 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष निर्माणाधीन है।
- वर्ष 2020 हेतु समस्त श्रेणियों में 02 जिला पंचायत को 50 लाख, 04 क्षेत्र पंचायत को 25 लाख एवं 32 ग्राम पंचायतों को 05–15 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है।
- प्रथम बार भारत सरकार द्वारा प्रदेश को ई–गवर्नेंस के कार्यो में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ई–पंचायत पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ग्राम्य विकास कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर सृजित करना तथा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना है, जिससे पलायन को रोका जा सके तथा प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

प्रदेश की 77.73 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) के सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं के साथ ही रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एस0डी0जी0 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है :–

- मनरेगा मे रोजगार प्राप्त परिवारों का प्रतिशत।
- स्वयं सहायता समूह से आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
- आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या।
- स्वच्छ जल से आच्छादित परिवारों का प्रतिशत।
- व्यक्तिगत शौचालय प्राप्त परिवारों का प्रतिशत।
- पाइपलाइन पेयजल से आच्छादित बस्तियां।

उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में ग्राम्य विकास की प्रगति हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विवरण उल्लिखित है–

- त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना सम्मिलित है। इस हेतु 2500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास येाजना हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंचायतों के विकास के लिये सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।
- प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत पंचायतों की क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गाँवों में ई–गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास के कार्यक्रम/योजनाएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा)

इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही ग्रामीण अवस्थापना के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना भी है। इसमें भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत–प्रतिशत तथा सामग्री में 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार द्वारा सामग्री में 25 प्रतिशत अंश दिया जाता है। कुल व्यय का 60 प्रतिशत कृषि से सम्बन्धित कार्यों पर किया जा सकता है। मनरेगा अन्तर्गत गत वर्षों में लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका–9.01:– मनरेगा अन्तर्गत लाभान्वित परिवार तथा व्यय धनराशि का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	सृजित मानव दिवस (लाख)	व्यय धनराशि (लाख)
1	2017–18	1815	453020
2	2018–19	2125	583226
3	2019–20	2444	606021
4	2020–21	3946	1262637
5	2021–22 (नवम्बर, 2021)	1953	540540

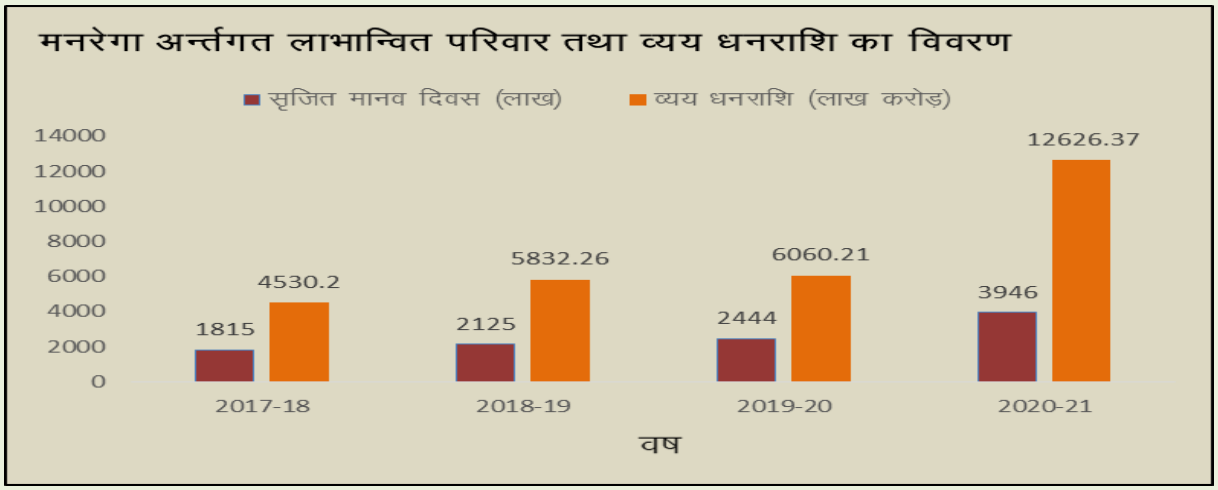

योजना में मजदूरी दर रू0 204 प्रति मानव दिवस निर्धारित है। प्रदेश में कुल क्रियाशील श्रमिक लगभग 168.57 लाख है। पारदर्शिता बनाये रखने के लिये आधार पेमेन्ट ब्रिज सिस्टम तथा जियो टैगिंग को अपनाया गया है। पंचायती राज एवं राहत आयुक्त द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार 1196470 प्रवासी श्रमिकों में से 450565 श्रमिकों की मैपिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसमें से 182780 स्किल्ड श्रमिकों की स्किल के अनुसार रोजगार सृजन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उक्त में से कुल 29552 प्रवासी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से आच्छादित करते हुए आजीविका सम्वर्धन के माध्यम से आय वृद्धि हेतु कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण आजीविका मिशन (यू.पी.एस.आर.एल.एम)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरन्तर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुँच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाते हुए गरीबी को दूर करना है। वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रदेश के 75 जनपदों के 826 विकास खण्डों में इन्टेन्सिव स्ट्रेटजी के तहत कियान्वित किया जा रहा है–

- वर्ष 2020–21 में खादी के कपड़े की आपूर्ति के माध्यम से 20396 स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा 1.23 करोड़ मास्क एवं 1223 सदस्यों द्वारा 50714 पीपीई किट आदि का निर्माण कर देश में सर्वाधिक मास्क एवं पीपीई किट तथा 559 स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा 19921 लीटर सैनिटाइजर आदि बनाया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में अभी तक 15 लाख से अधिक मास्क का निर्माण जा चुका है।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदेश में कुल 793 कम्युनिटी किचन के माध्यम से 31363 पैकेट एवं ग्राम स्तर पर गरीब परिवारों को इस महामारी के समय 37461 खाद्यान्न पैकेट उपलब्ध कराये गये।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 05 जनपदों (चित्रकूट, झाँसी, बांदा, हमीरपुर एवं जालौन) में दुग्ध बेचने हेतु महिलाओं की 'बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी' का गठन दिसम्बर, 2019 मे किया जा चुका है। वर्तमान में 11000 समूह सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 54 हजार किलो ग्राम दुग्ध का संग्रह किया गया है। अभी तक कुल रू0 80.53 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
- प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 5 जनपदों गाजीपुर, सोनभद्र बलिया, मिर्जापुर एवं चंदौली में बलिनी की तरह महिला दुग्ध कंपनी के गठन की प्रक्रिया की जा चुकी है।

- वित्तीय समावेशन हेतु प्रदेश की सभी 58000 ग्राम पंचायतों में 'एक ग्राम पंचायत एक करेस्पॉण्डेण्ट सखी'को विभिन्न बैंकों के माध्यम से पदस्थापित करने की प्रकिया चल रही है। वर्तमान में 25182 सखी द्वारा प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया गया है एवं 13261 को इक्विपमेंट आदि हेतु धनराशि की उपलब्धता की जा चुकी है एवं 3300 सखी द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।
- मिशन द्वारा ईडीआई अहमदाबाद एवं कुडुम्बश्री केरल नेशलन रिसोर्स आर्गनाइजेशन की साझेदारी से स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) कियान्वित किया जा रहा है इस हेतु प्रति विकासखण्ड लगभग रू0 5.97 करोड़ का बजट है।
- एसवीईपी से अभी तक कुल 11406 लघु उद्यमियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इससे प्रति महिला उद्यमी को औसतन 6000–8000 रूपए की मासिक आय सृजिन हो रही है।
- फार्म मशीनरी बैंक, कृषि विभाग की एक महत्वाकाँक्षी योजना है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि विभाग की फार्म मशीनरी बैंक योजना से जोड़ा जा रहा है। अब तक कुल 138 फार्म मशीनरी बैक की स्थापना की जा चुकी है।
- पंचायती राज के माध्यम से ग्राम स्तर पर कुल 807 विकास खंडो में 41416 सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
- मनरेगा अन्तर्गत समूह की महिलाओं द्वारा अभी तक 90500 सिटीजन इन्फार्मेशन बोर्ड का आर्डर दिया गया है जिसका मूल्य लगभग 29 करोड़ का है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का संचालन समूहों के माध्यम से कराये जाने हेतु 1570 दुकानों का चयन किया जा चुका है। 1460 उचित दर की दुकान का संचालन महिला समूहों द्वारा प्रारम्भ किया जा चुका है।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों के कलेक्शन का कार्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कराया जा रहा है। वर्तमान में 10743 समूह की सदस्यों द्वारा 28 करोड़ रूपए का बिल कलेक्शन सम्बन्धित कार्य किया गया है।
- 75 जनपदों में 61050 समूहों द्वारा ड्राई राशन की उपलब्धता का कार्य 164177 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित समस्त विद्यालयों के समस्त छात्रों का ड्रेस, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- वर्ष 2019–20 में **आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना** के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश को **राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान** प्राप्त करने पर भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया।
- 05 जनपदों के 34 ग्राम पंचायतों में वनटांगिया समुदाय के 415 समूहों का गठन, 233 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं 164 समूहों को सीआईएफ वितरण एवं 46 समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज से लाभान्वित किया गया ।
- बावरिया समुदाय के 2346 परिवारों को 236 समूहों में संगठित किया गया है, जिनमें 118 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं 35 समूहों को सीआईएफ दी जा चुकी है।
- प्रदेश के 3 जनपदों मे थारू जनजाति के 371 समूहों का गठन किया जा चुका है, जिनमें 227 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड एवं 205 को सीआईएफ की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।
- प्रदेश के विकास भवन एवं विकास खण्ड कार्यालयों में 705 से अधिक **कैफटेरिया "प्रेरणा कैन्टीन"** का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।
- जननी सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय चिकित्सालयों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गर्भवती/प्रसूता महिलाओं को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश के 39 जनपदों में 2025 उत्पादक समूहों का गठन, ग्राम स्तर पर संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु वर्ष 2021–22 तक करा लिया गया है, इन उत्पादक समूहों द्वारा ग्राम स्तर पर अधिशेष उत्पादन का संग्रहण, सोटिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग एवं पैकेजिंग का कार्य कराया जायेगा।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गत् वर्षों में गठित समूह का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है –

तालिका–9.02:– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रगति विवरण

क्र0 सं0	वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22 (अग. 2021)	योजनारम्भ से अब तक प्रगति
1	गठित समूह	46092	63537	106842	128195	38107	494030
2	रिवॉल्विंग फण्ड प्राप्त समूह	34395	40774	68125	82227	58060	361832
3	बैंक क्रेडिट	26301	21961	31690	48160	10083	167000
4	ग्राम संगठन	2191	3772	6862	5233	703	22232
5	संकुल स्तरीय संघ	190	146	384	335	52	1201
6	सीआईएफ	19811	31076	52620	65880	64350	220772

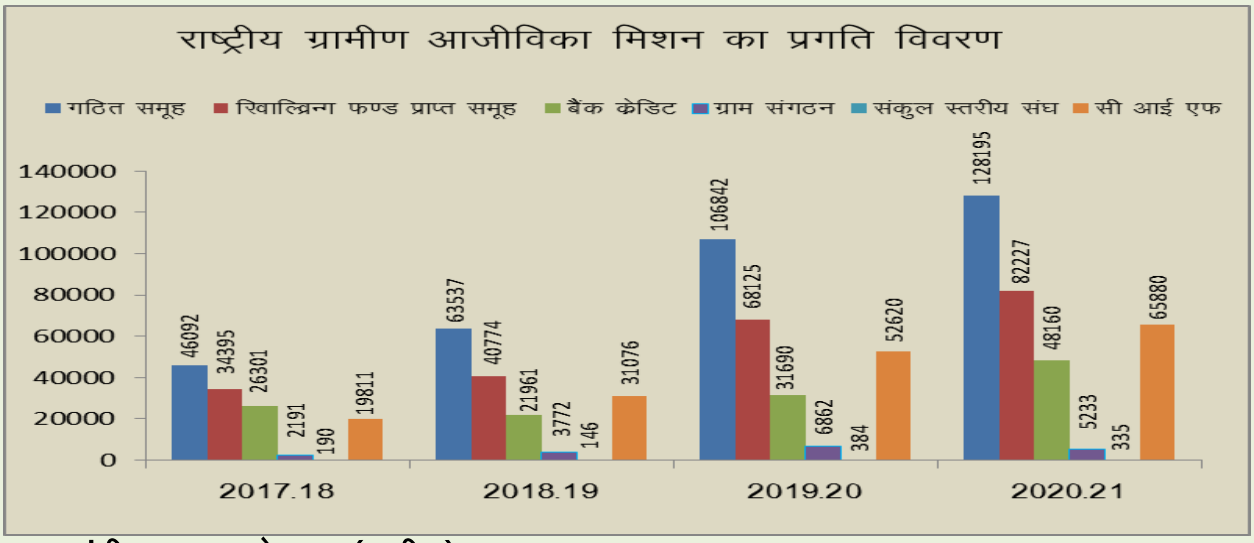

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आवासहीन, कच्चे व जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2022 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर एवं प्रति इकाई लागत, सामान्य क्षेत्रों के लिए रू0 01 लाख 20 हजार तथा नक्सल प्रभावित जनपदों के लिए रू0 1 लाख 30 हजार निर्धारित है। शौचालय हेतु धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है। लाभार्थी को मनरेगा के अन्तर्गत 90/95 मानव दिवस का रोजगार दिए जाने का प्राविधान भी है।

योजना के अन्तर्गत धनराशि केन्द्र एवं राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है। एसईसीसी–2011 के आधार पर बनायी गयी सूची संतृप्त हो गयी है। वर्ष 2020–21 से आवास प्लस के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची से आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 से अब तक 26.15 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ, जिसके सापेक्ष 21.83 लाख आवास का निर्माण पूर्ण है, शेष निर्माणाधीन है।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

फरवरी 2018 से प्रारम्भ मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है। उक्त योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर परिवार, जे0ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता से आच्छादित परन्तु एसईसीसी–2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में न सम्मिलित होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन, कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2018–19 से लेकर अब तक 1.08 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक कुल 80211 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष निर्माणाधीन है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 से शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में प्रारंभ की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक आबादी वाले गैर–जुड़ी बसावटों को एकल संपर्क मार्ग के आधार पर पक्के मार्गों से जोड़ना है। नक्सल प्रभावित जनपदों–सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में उक्त मानक को 250 या उससे अधिक आबादी की बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है।

- योजना के मानकों के अनुसार 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की समस्त बसावटों का आच्छादन कर लिया गया है। प्रदेश की समस्त अर्ह बसावटों के आच्छादन का लक्ष्य पूर्ण कर वर्ष 2013–14 से पीएमजीएसवाई–2 का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया, जिसके अन्तर्गत केवल पूर्व निर्मित मार्गों के उच्चीकरण/सुधार के कार्य ही अनुमन्य हैं।
- वर्ष 2015–16 से केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 कर दिया गया है। पीएमजीएसवाई–3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 तक प्रदेश के लिए 18937.05 किमी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में सडक के निर्माण हेतु रू0 5000 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया, जिसके सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक रू0 1004.01 करोड व्यय किया गया है। वर्ष 2021–22 में 6612.95 किमी0 सड़क निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक 249.690 कि0मी0 का निर्माण कराया गया है।

सामुदायिक विकास योजना

इसके अन्तर्गत विकास भवन तथा विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय संसाधन द्वारा कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 30 करोड का बजट प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष स्वीकृतियां निर्गत की गयी। वर्ष 2021–22 के लिए रू0 10 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक रू0 5.69 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास हेतु उक्त योजना का प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक मा0 सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 से वार्षिक रू0 03 करोड़ (जीएसटी सहित) की धनराशि निर्धारित की गयी है। विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं

में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स–रे मशीन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड हेतु वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय किया जाना अनुमन्य है। कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2021–22 मे भी चिकित्सीय उपकरण क्रय हेतु एवं कोविड केयर फण्ड में धनराशि हस्तान्तरित करने की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रू0 2000 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष रू0 1494 करोड़ प्राप्त हुआ है। नवम्बर 2021 तक रू0 35722.81 लाख व्यय करके 3982 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी है।

बाबा साहब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थानीय उपलब्धता के आधार पर सतत् रोजगार के अवसर सृजित करना है। नवम्बर 2019 के नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार अनु0जा0/अनु0 जाति को 23 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। अनुदान के रूप मे अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति इकाई 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रू 70000 तथा सामान्य लाभर्थियों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 50000 (जो भी कम हो) अनुमन्य है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में सामान्य जाति के 2460 एवं अनु0जा0/अनु0ज0जाति0 के 1785 लाभार्थियों, कुल 4245 के सापेक्ष 3828 लाभार्थी लाभान्वित किये गये। वर्ष 2021–22 में सामान्य जाति के 1900 एवं अनु0जा0/अनु0ज0जाति के 1357, कुल 3257 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित है, जिस हेतु कुल 20 करोड़ बजट का प्रविधान किया गया है। इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 10 करोड़ सितम्बर 2021 को प्राप्त हुआ, जिसे जनपदों को निर्गत कर दिया गया है।

पंचायत सशक्तिकरण

पंचायती राज द्वारा संचालित योजनाएं

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 02 अक्टूबर, 2014 से प्रारम्भ किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश को खुले में शौच मुक्त कर, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। वर्ष 2018–2019 में प्रदेश के समस्त जनपदों द्वारा स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। प्रथम चरण (वर्ष 2014–2019 तक) के पश्चात द्वितीय चरण (वर्ष 2020 से 2025 तक) संचालित किया जायेगा। इस अवधि में प्रदेश के समस्त ग्रामों में अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर एवं स्थायी बनाने में योगदान देना है, जिससे ग्रामीण जनों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। योजना में व्यक्तिगत शौचालय की लागत रू0 12 हजार है, जिसमे केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत है। गत् तीन वर्षों में निर्मित शौचालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका–9.03:– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित स्वच्छ शौचालय

क्र0सं0	वर्ष	निर्मित स्वच्छ शौचालय	व्यय धनराशि (लाख में)
1	2017–18	5358934	4336.19
2	2018–19	8659936	12133.15
3	2019–20	3929318	5141.65
4	2020–21	890210	1738.30
5	2021–22 (सितम्बर 2021)	101320	484.36

ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 15वां वित्त आयोग एवं मनरेगा के कन्वर्जेंस से किया जा रहा है। निर्माण की स्थिति निम्न है –

तालिका–9.04:– सामुदायिक शौचालयों का प्रगति विवरण (सितम्बर 2021 तक)

क्र0सं0	विवरण	प्रगति विवरण
1	सामुदायिक शौचालय निर्माण का कुल लक्ष्य	58189
2	लक्ष्य के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की संख्या	53530
3	प्रगति प्रतिशत	91.99
4	सामुदायिक शौचालयों हेतु व्यय धनराशि	2385.48 करोड़

सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु 48883 स्वयं सहायता समूहों को हस्तान्तरित करते हुये, रु0 138 करोड़ उनके खाते में (रु0 9000 प्रतिमाह) अवमुक्त किये जा चुके हैं।

बहुउद्देशीय पंचायत भवन (जिला योजना)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु आय–व्ययक धनराशि रू0 1400 लाख का प्राविधान किया गया था। पंचायत भवनों के लिए प्रति पंचायत भवन भूकम्परोधी रहित रू0 17.46 लाख एवं भूकम्परोधी सहित रू0 18.03 लाख की दर से कुल 79 पंचायत भवनों हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 54 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बहुउ्देशीय पंचायत भवन जिला योजनान्तर्गत कोई भी बजट प्राविधान नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 20 करोड़ का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 113 पंचायत भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल (जिला योजना)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों पर सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनका विकास किया जा रहा है। प्रति अंत्येष्टि स्थल की लागत रू0 24.36 लाख शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। इसके अन्तर्गत शवदाह के लिए प्लेटफार्म का निर्माण, उपस्थित लोगों को पेयजल, शौचालय तथा शवदाह हेतु लकड़ियों की उचित व सुलभ व्यवस्था के लिए लकड़ी का टाल आदि का निर्माण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में 406 ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु जनपदों को धनराशि अवमुक्त की गयी। वर्ष 2020–21 में रू0 100 करोड़ के बजट से कुल 410 ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, इनमे से 15 का निर्माण कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में भी रू0 100 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष 410 अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** योजना को केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुरूप अनुमोदित गतिविधियों यथा–पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों/संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, संदर्भ साहित्य विकास, मॉडल पंचायतों को लर्निंग सेंटर के रूप में स्थापित करना, पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत, कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना, पंचायतों को कम्प्यूटर डेस्कटॉप/लैपटॉप, जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का निर्माण/संचालन तथा राज्य/मंडल/जनपद स्तर पर तकनीकी व गैर तकनीकी मानव संसाधन की तैनाती आदि का संचालन किया जाता है।

पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की स्थापना हेतु विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को **'ई–ग्राम स्वराज'** के एकीकृत पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे कि ग्राम पंचायतों में नियोजन, कार्यो के क्रियान्वयन तथा लेखा–जोखा का अनुश्रवण किया जा सके। पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता हेतु पी.एफ.एम.एस. का संचालन एवं अनुश्रवण को प्रथम बार क्रियान्वित किया गया है जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 58750 ग्राम पंचायतों हेतु किया गया ऐतिहासिक कार्य है एवं ऐसा कार्य करने वाला उत्तर प्रदेश **देश का पहला राज्य है।**

योजना की प्रगति निम्नवत् है–

- वर्तमान प्रदेश की समस्त 58189 ग्राम पंचायतें ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर है एवं नियोजन, व्यय एवं अन्य कार्य ऑनलाइन कर रही है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 में 388 कॉमन सर्विस सेन्टर के लिए एक अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु पंचायतों को धनराशि रू0 15.52 करोड़ हस्तान्तरित की गई, जिसके सापेक्ष 267 पूर्ण एवं 121 में कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 954 पंचायत भवनों में सी.एस.सी. की स्थापना कर ग्राम पंचायतों को ई–सुविधा से जोड़ा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रिया साफ्ट, पी.एम.एस.एस., जी.पी.डी.पी., आपदा प्रबन्धन, महिला सशक्तिकरण एवं सोशल प्लान से सम्बन्धित विषय पर 71810 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2021–22 में 987546 प्रधान/कर्मियों/अधिकारियों एवं रिसोर्स ग्रुप के प्रशिक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 89303 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने तथा प्रत्येक स्तर पर क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण गतिविधियों के संचालन के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 25 केन्द्रों की स्थापना की गयी है, जिसके सापेक्ष 12 केन्द्र पूर्ण, 08 छत स्तर एवं 05 प्लिंथ स्तर तक है।
- वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में **पंचायत भवन निर्माण** के 2082 के लक्ष्य के सापेक्ष 1001 पंचायत भवन पूर्ण किए जा चुके है एवं 979 छत स्तर तक व 102 प्लिंथ स्तर तक पूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1081 पंचायत भवनों की द्वितीय किश्त एवं 04 नवीन पंचायत भवन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए है।
- पंचायतों को मॉडल के रूप में स्थापित करने एवं उनके द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों से अन्य पंचायतों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि रू 05 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 में 20 ग्राम पंचायतों एवं 2019–20 में 06 ग्राम पंचायतों को **पंचायत लर्निंग सेन्टर** के तौर पर विकसित किया गया।

पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना

पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यो के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार (केन्द्र से वित्त पोषित) द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए –

- **दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार** हेतु जिला पंचायत को रू0 50 लाख, क्षेत्र पंचायत को रू0 25 लाख एवं ग्राम पंचायतों को रू0 08–15 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।
- **नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा** पुरस्कार हेतु ग्राम सभा को रू0 10 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।
- **बाल मैत्रिक पंचायत पुरस्कार** मे रू0 05 लाख की धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।
- **ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार** हेतु रू0 05 लाख की पुरस्कार धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है।

- वर्ष 2020 हेतु समस्त श्रेणियों में 02 जिला पंचायत को 50 लाख, 04 क्षेत्र पंचायत को 25 लाख एवं 32 ग्राम पंचायतों को 05–15 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है।
- प्रथम बार भारत सरकार द्वारा प्रदेश को ई–गवर्नेंस के कार्यो में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर ई–पंचायत पुरस्कार के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

तालिका–9.05:– केन्द्र व राज्य वित्त आयोग की वित्तीय प्रगति (धनराशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ग्राम पंचायत में अवमुक्त धनराशि		क्षेत्र पंचायत में अवमुक्त धनराशि		जिला पंचायत में अवमुक्त धनराशि		कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय
	केन्द्रीय वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग		
2020–21	6826.40	3867.90	1462.80	828.84	1462.80	820.55	15269.29	5152.28
2021–22 (सित.2021)	2522.8	1540.00	540.60	330.00	540.60	330.00	5804.00	3866.38

- पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्यों के सम्पादन, ग्राम पंचायत की नियत समय पर नियमित बैठकें पंचायत कार्यालय में हो, इसके दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना किया जा रहा है। प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों 58189 के सापेक्ष निर्मित ग्राम सचिवालय की संख्या 48377 है, अवशेष 9812 ग्राम सचिवालयों मे कार्य चल रहा है।
- समस्त ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं समस्त सचिवों के **डिजिटल हस्ताक्षर** बनवा दिये गये है तथा समस्त धनराशियों का हस्तान्तरण डिजिटल माध्यम से ही किया जा रहा है।
- पंचम राज्य वित्त आयोग की आवंटित धनराशि में से रु0 149.50 करोड़ जिला स्वच्छता समितियों को, **कोविड–19 महामारी** के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
- केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग की संक्रमित धनराशि से पंचायतों में **आपरेशन कायाकल्प** के अन्तर्गत प्रदेश में 83066 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुरक्षण व मरम्मत, कुल 24580 आंगनबाड़ी भवनों का सुदृढ़ीकरण एवं 79718 बाल मैत्रिक शौचालयों का पुनरूद्धार कराया गया है।
- ग्राम पंचायतों द्वारा श्रमिकों को विभिन्न निर्माण कार्यों में अवसर प्रदान कर वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 में 31964800 श्रम दिवस का रोजगार सृजन किया गया है।

****

अध्याय–10
औद्योगिक प्रगति

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में उत्तर प्रदेश 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुये दूसरी रैंक हासिल कर चुका है।
- अक्टूबर, 2020 मे आयोजित **ओडीओपी वर्चुअल फेयर 35 देशों के क्रेता तथा देश के लगभग 1000 क्रेताओं** द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु **सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार** योजना संचालित है। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।
- सरकार द्वारा **"उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति–2017"** तथा **"उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्टअप नीति–2017"** प्राख्यापित की गयी।
- यमुना एक्सप्रेस–वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप **इलेक्ट्रॉनिक सिटी** एवं **बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर** की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा **'उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020'** लाया गया है।
- राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के उपरान्त पिछड़े क्षेत्रों के लिये **त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति–2020** घोषित की।
- उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुये **'उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (अवस्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020'** लागू किया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के प्रकोप से अत्यन्त अस्थिरता युक्त वातावरण में आत्म–निर्भर भारत की संकल्पना के साथ उद्यम प्रदेश के रूप में अग्रसित है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन की अहम भूमिका है। प्रदेश में रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विशेष योगदान है। सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

प्रदेश सरकार ने राज्य मे औद्योगिक विकास हेतु नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। राज्य स्तर पर बड़ी संख्या में परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं–

1–प्रगतिशील परियोजनाएं

- आगरा–जयपुर हाईवे पर आगरा से लगभग 17 कि.मी. दूर विकसित किए जा रहे **आगरा लेदर पार्क,** चमड़े के सामान या फुटवियर/जूता उद्योग को बढ़ावा देगा। इसे एक क्षेत्रीय ले–आउट के साथ 283 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण मे 71.07 एकड़ भूमि विकसित की जा रही है। भूखंडों के विभिन्न आकार 1000, 2100 और 4000 वर्गमीटर से उपलब्ध होंगे। इसकी लागत 328 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी तथा केंद्रीय फुटवियर

प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तावित तकनीकी सहायता उपलब्ध है।

- कोसी के दिल्ली–मथुरा ब्रॉड गेज में उत्कृष्ट सड़क और रेल संपर्क में होने के कारण **ग्रेटर मथुरा परियोजना** (कोसी–कोटवान एक्सटेंशन) एनएच–2 पर दिल्ली से लगभग 96 कि.मी. और हरियाणा–यूपी बार्डर से 2 किलोमीटर दूर 237.57 एकड़ में चर्चा के चरण में है। यहाँ 600, 800, 1000, 1800 और 4000 वर्ग मीटर के भूखंडों के विभिन्न आकार के भूखंड उपलब्ध हैं। कोसी टाउनशिप में पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, अस्पताल/नर्सिंग होम और शॉपिंग सेंटर उपलब्ध हैं।

2–पूर्ण परियोजनाएं

- बंथरा, उन्नाव में **चमड़े का प्रौद्योगिकी पार्क** 232 एकड़ भूमि पर टेनरियों और चमड़े के सामान की इकाइयों की स्थापना के लिए विकसित किया जा रहा है। पार्क, टेनर्स एसोसिएशन कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा देता है। मेसर्स बंथर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल कंपनी ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर की सुविधा प्रदान करेगी। जिसमें से 69 एकड़ भूमि का इस्तेमाल टेनरियों के लिए, 47 एकड़ में चमड़े की विनिर्माण इकाइयों के लिए, 22 एकड़ में ग्रीन बेल्ट और 30 एकड़ में सीईटीपी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान औद्योगिक भूमि दर – 41/वर्ग मीटर अमेरिकी डॉलर है। तकनीकी सहायता सेवा, सदलरी और निर्यात प्रबंधन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, नेबरहुड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाता है, जो कि सदलरी और निर्यात प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा समर्थित है।
- लोनी, गाजियाबाद (दिल्ली सीमा से 2.5 किमी दूर) मे **ट्रोनिका सिटी** 1975 एकड़ से अधिक भूमि पर एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप मे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित यह क्षेत्र आवासीय व औद्योगिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें ग्रुप हाउज़िंग का बेहतर प्रावधान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थागत एवं अन्य सुविधाओं से युक्त भूखंड का निर्माण कर इसे आत्म निर्भर बनाया गया है। ट्रोनिका में 750 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं तथा बहुत सी अन्य अपनी पूर्णता की स्थिति में हैं।
- कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लखनऊ के बाहरी क्षेत्र में 180 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एवं वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डे के निकट 180 एकड़ क्षेत्र में दूसरा **एग्रो पार्क** विकसित किया गया है। यहाँ की विशिष्ट अवसंरचना में नियंत्रित वातावरण के साथ बहु–कक्षीय शीतलन गृह का निर्माण किया गया है जहां धुलाई–छँटाई–तथा ग्रेडिंग लाइन की सुविधा है।
- वस्त्र तथा कपड़ा उद्योग के संवर्धन हेतु, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में **वस्त्र पार्क** तथा जनपद कानपुर के **रूमा में होजरी पार्क** की स्थापना की है। दोनों ही पार्कों में उद्योग विशिष्ट अवसंरचनाएं उपलब्ध हैं। वस्त्र प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र द्वारा संचालित कपड़ा–प्रशिक्षण केंद्र दोनों पार्कों में उपलब्ध हैं। बेंगलुरु की एएलटी लिमिटेड दोनों ही स्थानों पर प्रशिक्षण महाविद्यालय/फैशन डिजाइन केंद्र/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर रही है। अवसंरचनात्मक सुविधाएं यथा सड़कें, नालियां व पुलिया, आन्तरिक विद्युतीकरण तथा जल वितरण पाइप लाइन सम्बन्धी कार्य दोनों परियोजनाओं में पूर्ण हो चुके हैं।
- प्रदेश मे निर्यात को बढ़ावा देने हेतु गौतम बुद्ध नगर में ईपीआईपी 200 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया गया है यहाँ औद्योगिक भूखंड की वर्तमान दरें 82 अमेरिकी डालर प्रति वर्ग मीटर है। ईपीआईपी आगरा 102 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है यहाँ औद्योगिक भूखंड की वर्तमान दरें 74 अमेरिकी डालर प्रति वर्ग मीटर है। इनमें स्थित इकाइयों द्वारा उनके कुल उत्पादन के 33 प्रतिशत भाग का निर्यात किया जाना है। ईपीआईपी गौतम बुद्ध

नगर की 169 इकाइयों नें उत्पादन व निर्यात प्रारम्भ कर दिया है तथा 36 इकाइयों में संयंत्र निर्माण का कार्य प्रारम्भ है।

3–आगामी परियोजनाएं

- **प्लास्टिक सिटी औरैया** मे गेल, एनटीपीसी, सीआईपीईटी, एमएसएमईडीआई और वित्तीय संस्थानों से समन्वय में एकीकृत प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), औरैया में दो तरह के प्लास्टिक कच्चे माल का प्रमुख उत्पादक है। परियोजना की अनुमानित लागत 33.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें लगभग 300 एकड़ का कुल क्षेत्रफल शामिल है। इसमें औद्योगिक एवं आवासीय टाउनशिप, बाजार, बैंक, आतिथ्य, स्कूल, छात्रावास और पार्क प्रस्तावित हैं। कौशल विकास केंद्र, टूल रूम, ट्रीटमेंट प्लांट, वेयरहाउस जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, विद्युत वितरण लाइन, सीवेज और पानी ओवरहेड टैंक विकसित किए गए हैं।
- हरदोई जिले में सैंडीला औद्योगिक क्षेत्र और कानपुर जिले के रमईपुर में क्रमशः दो ग्रीन–फील्ड मेगा लेदर क्लस्टर परियोजनाएं आने वाली हैं। इनको क्रमशः 150 व 625 एकड़ भूमि प्रदत्त की गई है। दोनों पार्कों में 50 प्रतिशत भूमि लघु और मध्यम क्षेत्र की इकाइयों के लिए रखी गई है। प्रत्येक पार्क में 164.25 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश होगा जिससे लगभग 10,000 लोगों के लिए रोजगार प्राप्त होंगे।
- हाइटेक औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीएल), यूपीएसआईडीसी के सहयोग से चोला (बुलंदशहर जिला) मे पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर के दोनों ओर 2,800 एकड़ भूमि में औद्योगिक निवेश क्षेत्र विशेष प्रयोजन वाहन (एसवीपी) द्वारा स्थापित होगा जिसमें अपेक्षित निवेश 427.05 मिलियन अमरीकी डालर का है। यूपी के 12 जिलों में डीएमआईसी कैचमेंट एरिया का 36068 वर्ग किलोमीटर (15 प्रतिशत) है। विशेष प्रयोजन वाहन मे डीएमआईसीडीएल में 49 प्रतिशत हिस्सा होगा और यू.पी. सरकार के विभिन्न संगठनो का एसपीवीमें 51 प्रतिशत हिस्सा होगा।
- पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर औद्योगिक गलियारे से लगभग 6896 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुमानित निवेश होगा। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 57 प्रतिशत है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के दो एवं औद्योगिक गलियारे में पाँच औद्योगिक क्षेत्र यूपी में हैं। प्रस्तावित एनआईएमजेड में औरैया राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (6,043 हेक्टेयर) और झाँसी राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (5,567 हेक्टेयर) शामिल हैं। इसमे पाँच औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं– पश्चिमांचल औद्योगिक क्षेत्र (2,000 हेक्टेयर), ब्रज औद्योगिक क्षेत्र (2,000 हेक्टेयर) कानपुर लॉजिस्टिक हब (6,000 हेक्टेयर) प्रयागराज–नैनी–बारा निवेश क्षेत्र (3,000 हेक्टेयर) एवं मुगलसराय–वाराणसी–मिर्जापुर निवेश क्षेत्र (3,000 हेक्टेयर) है।

द्वितीयक खण्ड

द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन के वर्ष 2019–20 के आँकड़े अनन्तिम एवं 2020–21 के त्वरित अनुमान है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 26.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2020–21 में 26.8 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अर्न्तगत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 क्रमशः 15.3, 28.0, –4.7, 1.0 तथा –0.1 एवं –6.0 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है। विगत् वर्षों मे द्वितीयक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत रही है–

तालिका–10.01:– सकल राज्य मूल्य वर्धन मे द्वितीयक क्षेत्र का योगदान (स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड. मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2012–13	186814	2.8	26.1
2013–14	201616	7.9	26.7
2014–15	197493	–2.0	25.3
2015–16	227708	15.3	26.7
2016–17	291368	28.0	30.6
2017–18	277720	–4.7	27.8
2018–19	280416	1.0	26.9
2019–20	280188	–0.1	26.0
2020–21	263257	–6.0	25.2

स्रोत– अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

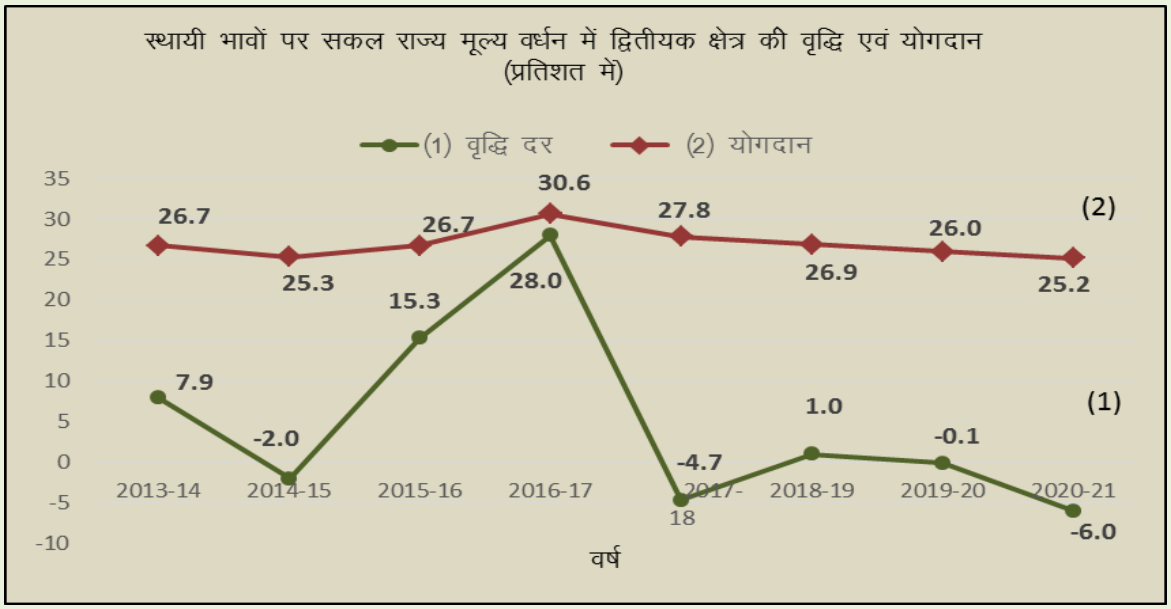

तालिका–10.02:– द्वितीयक खण्ड के उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर

(आधार वर्ष 2011–12)

क्र. सं.	उप–खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर					
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	विनिर्माण	26.4	47.0	–10.9	–5.8	–3.3	–7.3
2	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें	6.3	14.3	11.6	0.6	6.6	1.0
3	निर्माण कार्य	5.2	6.6	3.6	10.8	2.9	–5.6
माध्यमिक खण्ड (1 से 3)		15.3	28.0	–4.7	1.0	–0.1	–6.0

इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में विनिर्माण उप–खण्ड का योगदान 12.5 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.1 प्रतिशत रहा है। विनिर्माण उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तथा एमसीए 21 डाटा बेस का प्रयोग कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के

अन्तर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में क्रमशः 26.4, 47.0, –10.9, –5.8, –3.3 एवं –7.3 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति उपखण्ड के अनुमान मुख्य रूप से विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उपलब्ध कराये गये आँकड़ों, स्थानीय निकायों के आय–व्ययक के खातों तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं वितरण में संलग्न निगमों की बैलेन्स शीट का विश्लेषण कर तैयार किये गये हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल संपूर्ति के अन्तर्गत 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में क्रमशः 6.3, 14.3, 11.6, 0.6, 6.6 एवं 1.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में क्रमशः 5.2, 6.6, 3.6, 10.8, 2.9 एवं –5.6 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है।

व्यापार सुगमता

प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में अनेक सुधारों की पहल की है, जिससे समग्र व्यवसाय वातावरण बेहतर हुआ है। व्यापार सुगमता को बेहतर बनाने के लिये विद्यमान नियमों को सरलीकृत और युक्तियुक्त बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जिससे प्रदेश में अब उद्यमियों द्वारा उद्यम लगाना सरल हो गया है। प्रदेश सरकार के इन्ही प्रयासों का असर, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार द्वारा जारी **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट'** में देखा जा सकता है, जिसमें प्रदेश की रैंकिंग **दूसरे स्थान** पर पहुँच गयी है। इस सुधार से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करते हुये देखा जा सकता है।

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी कालखण्ड के उपरान्त पिछड़े क्षेत्रों के लिये त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति–2020 घोषित की। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं। कोविड–19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है।

राज्य सरकार की सुनियोजित शासन प्रणाली तथा वर्ष 2017 मे औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति की घोषणा के साथ–साथ 20 क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के क्रियान्वयन से प्रदेश मे उद्यमशीलता, नवाचार तथा मेक–इन–यूपी को बढ़ावा मिला है। इनमें फार्मास्युटिकल, रक्षा एवं एयरोस्पेस, सौर ऊर्जा, खाद्य–प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, लॉजिस्टिक्स, जैव ईंधन आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप निवेश एवं उद्योग मे हो रही प्रगति का विवरण उल्लिखित है–

- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पीपीपी मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना मे वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट में 100 करोड़ प्रस्तावित है।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत 34 प्रतिशत खादी कामगारों को 33 प्रतिशत विपणन विकास हेतु तथा 33 प्रतिशत खादी संस्थाओं को उत्पादन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रदेश में माटीकला की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करते हुये नवाचार के माध्यम से शिल्पियों/कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 1 लाख 10 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2 लाख 60 हजार पॉवरलूमों पर 5 लाख 50 हजार पॉवरलूम बुनकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

- वित्तीय वर्ष 2021–2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
- "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017" में **नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे** क्षेत्र को **"इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन"** घोषित किया गया। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रूपये के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया ।
- सरकार द्वारा नई "उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020" प्रख्यापित की गयी है जिसमें इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से सम्पूर्ण राज्य को आच्छादित किया गया है। इस नीति में अगले पाँच वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग रूपये 200 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आई0टी0 पार्क्स की स्थापना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से की जा रही है।
- लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पीपीपी मॉडल पर **"अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स"** का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु सहमति हो गयी है।

प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनेक औद्योगिक संस्थायें कार्यरत हैं जिनमें से पिकअप, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया जैसी अखिल भारतीय संस्थायें भी उद्योगों के विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष (2011–12=100) वर्ष 2019–20 में 118 था, जो (–) 0.08 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2020–21 में 117.90 हो गया। सर्वाधिक वृद्धि सूती कपड़ा व अन्य वर्ग में हुई।

तालिका–10.03:– प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12 =100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2019–20	2020–21	
1	2	3	4	5
1	खाद्य विनिर्माण	101.87	101.71	(–) 0.16
2	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	67.27	57.12	(–)15.09
3	सूती कपड़ा	117.38	124.63	6.18
4	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	131.95	118.97	(–) 9.84
5	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	131.99	125.89	(–) 4.62
6	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	85.50	65.62	(–)23.25
7	अन्य	128.70	138.69	7.76
विनिर्माण सूचकांक		118.00	117.90	(–) 0.08

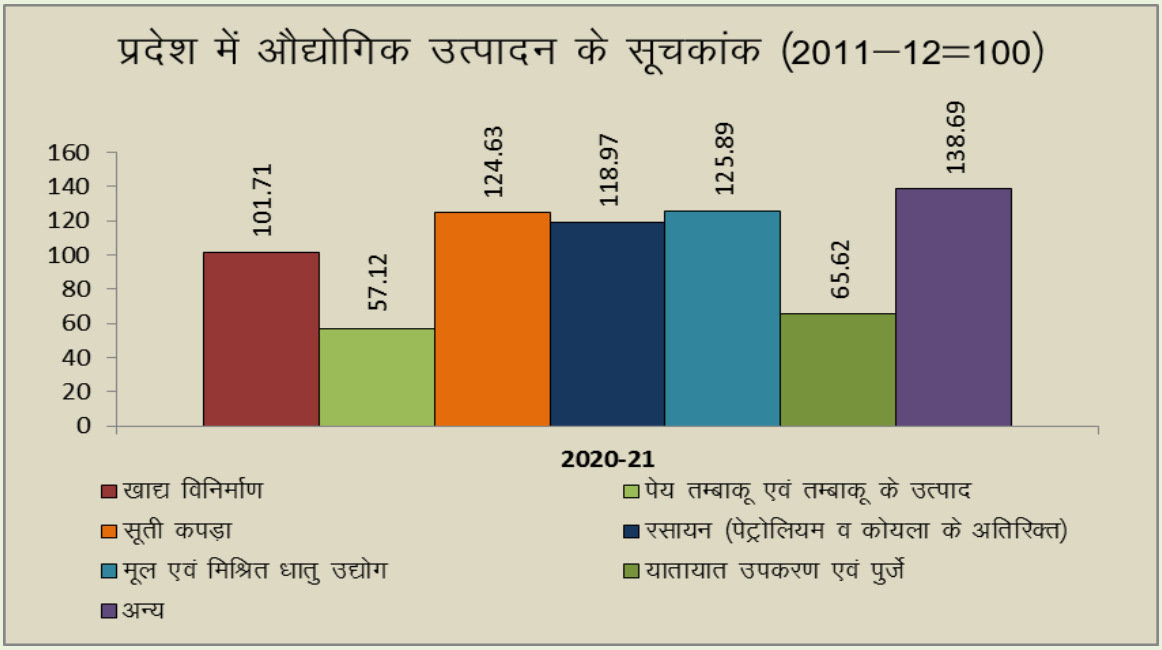

उ0प्र0 द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाएं

प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है। प्रदेश ने राज्य में 31 एसईजेड को स्वीकृत किया है जिसके माध्यम से विभिन्न सेक्टरों/आईटीईएस, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर–पारम्परिक ऊर्जा की पूर्ति किया जा रहा है। प्रदेश के 31 एसईजेड में लगभग 74 प्रतिशत आईटी/आईटीईएस, 20 प्रतिशत बहुउत्पाद, 3 प्रतिशत वस्त्र/हस्तशिल्प एवं गैर–पारंपरिक ऊर्जा 3 प्रतिशत है।

तालिका–10.04:– प्रदेश मे संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र

क्रमांक	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र	प्राथमिक उद्योग
1	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	नोएडा	मल्टी–प्रोडक्ट
2	एचसीएल टेक्नोलॉजी	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
3	मोजर बियर विशेष आर्थिक क्षेत्र	ग्रेटर नोएडा	गैर–पारंपरिक ऊर्जा
4	विप्रो लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
5	मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र	मुरादाबाद	हस्तशिल्प
6	सीव्यू डेवेलपर लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
7	एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
8	आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
9	अर्शिया नॉर्दन एफटीडब्लूजेड लिमिटेड	खुर्जा, बुलंदशहर	एफटीडब्लूजेड

तालिका–10.05:– प्रदेश मे कुछ अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र

क्रमांक	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र	प्राथमिक उद्योग
1	अंसल आईटी सिटी पार्क्स	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
2	ओएसई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
3	एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
4	यूनीटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
5	परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस

क्रमांक	विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्र	प्राथमिक उद्योग
6	यूनीटेक हाई–टेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
7	आचविस सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
8	गैलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	ग्रेटर नोएडा	आईटी/आईटीईएस
9	जुबिलेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
10	सर्व मंगल रीयलटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
11	आईवीआर प्राइम आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
12	गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
13	पवित्रधाम कांस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	नोएडा	आईटी/आईटीईएस
14	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन	कानपुर	वस्त्र,चमड़ा, अभियांत्रिकी सामग्री

स्रोत–प्रवासी भारतीय विभाग, उत्तर प्रदेश।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 मे युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण हेतु योजना संचालित है–

1–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम आठवीं पास बेरोजगारों के स्वरोजगार हेतु महत्वाकाँक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रू0 25 लाख तक विनिर्माण क्षेत्र तथा रू0 10 लाख तक सेवा क्षेत्र की इकाइयों को ऋण, जिसमें सरकारी सहायता के रूप में 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी दिया जाता है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उद्यमों पर 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों पर 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है।

प्रदेश में योजना का कियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत **वित्तीय वर्ष 2020–21** में कुल 4571 लाभार्थियों को रू0 14070.97 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई। **वर्ष 2021–22** में भारत सरकार से 4854 इकाइयों की स्थापना हेतु रू0 14693.00 लाख मार्जिन मनी के लक्ष्य के सापेक्ष जिलों को लक्ष्य आवंटित है। अक्टूबर, 2021 तक 1868 लाभार्थियों को रू0 6089.91 लाख मार्जिन मनी वितरित की गई।

2–विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक हस्तशिल्पियों–बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि को प्रोत्साहन एवं उनकी कलाओं के सम्वर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित है।

वर्ष 2020–21 हेतु रू0 41000 लाख़ बजट के सापेक्ष रू0 5989.66 लाख एवं वर्ष 2021–22 में 75000 को लाभान्वित कराने हेतु रू0 3000 लाख की धनराशि स्वीकृत है। अक्टूबर, 2021 तक 14275 लाभार्थियों को प्रशिक्षण व टूल किट वितरित कराये जाने में रू0 2231.21 लाख का व्यय किया जा चुका हैं।

3–एक जनपद एक उत्पाद

प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों के कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को ''एक जनपद एक उत्पाद'' नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। उत्पादों की उन्नति एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिये कई योजनायें जैसे– वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास और टूल किट वितरण योजना और सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना का संचालन किया है।

एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत 09 जनपदों में सामान्य सुविधा केन्द्र का ऑनलाइन शिलान्यास हुआ तथा ई–सेवा पोर्टल का भी शुभारम्भ किया गया। इसी क्रम में एक जनपद एक उत्पाद योजना की उप योजना सामान्य सुविधा केन्द्र के अन्तर्गत अब तक 41 सीएफसी की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसमें से 22 सीएफसी क्रियान्वयन की स्थिति में है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2764 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रु0 8522.55 लाख़ का व्यय एवं वर्ष 2021–22 हेतु रु0 10670 लाख का आय–व्ययक प्रावधान किया गया है। अक्टूबर 2021 तक लक्ष्य के सापेक्ष 738 लाभार्थियों को रू0 2736.90 लाख की वित्तीय सहायता दी गयी।

ओडीओपी कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 16000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण के लक्ष्य हेतु रू0 3999.51 लाख आवंटित किये गये, जिसके सापेक्ष 16000 लाभार्थियों को टूलकिट वितरण में कुल रू0 3998.88 लाख व्यय हुये जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में 21000 लाभार्थियों हेतु रू0 2109.49 लाख का आवंटन है, जिसके सापेक्ष अक्टूबर 2021 तक कुल 19655 लाभार्थियों को टूलकिट वितरित की जा चुकी है।

4–मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवाओं को उद्योग स्थापना हेतु रू0 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0 10 लाख का ऋण, बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रविधान है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 लाख है।

वर्ष 2020–21 में 4543 इकाइयों पर 9698.47 लाख़ की धनराशि व्यय किया गया। **वर्ष 2021–22** में 5000 इकाइयों हेतु रू0 9700 लाख़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। अक्टूबर, 2021 तक 1053 लाभार्थियों के आवेदन–पत्र बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है।

5–मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु दिसम्बर, 2017 से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन, चयनित हस्तशिल्पी को रू0 500 प्रतिमाह दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला एवं दिव्यांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है) एवं शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1456 हस्तशिल्पियों को पेंशन दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 मे जून, 2021 तक 1431 हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक पेंशन दी जा चुकी है।

6–अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 2018–19 से पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जायेगी। **वर्ष 2020–21** हेतु इस योजना में 2775 प्रशिक्षार्थियों हेतु रू0 200 लाख स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 199.68 लाख का व्यय किया गया। **वर्ष 2021–22** हेतु 2775 प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 200 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

7– अनु0जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

अनु0जाति/ज0जा0 के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर एक माह का सैद्धान्तिक एवं 03 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण के पश्चात सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है। **वित्तीय वर्ष 2020–21** में रू0 487.50 लाख की स्वीकृत धनराशि से 6771 प्रशिक्षणार्थियों को **एवं वर्ष 2021–22 मे** 6771 प्रशिक्षणार्थियों हेतु रू0 487.50 लाख का बजट स्वीकृत है। अक्टूबर, 2021 तक लगभग 5811 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

8–उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर चलायी जा रही है। **वित्तीय वर्ष 2020–21** में 1200 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 06 लाख एवं **वर्ष 2021–22** मे भी 1200 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रू0 06 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। अक्टूबर, 2021 तक 360 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

तालिका–10.06:– रोजगार सृजन हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति (धनराशि लाख रू0 मे)

योजना का नाम	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22(अक्टू.2021 तक)		
	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत मे	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत मे
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	4571	14070	136.78	1868	6089.91	41.45
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना	41000	5989.7	99.83	14275	2231.21	74.37
एक जनपद एक उत्पाद	2764	8522.5	79.87	738	2736.9	25.65
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	4543	9698.5	99.98	1053	2548.24	29.36
मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना	1456	84.06	98.89	1431	21.46	21.46
पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम	2775	199.68	99.84	2405	–	–
अनु0जा0/ज0जा0 प्रशिक्षण कार्यक्रम	6771	486.89	99.8	5811	0.08	–
उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	1200	6.00	100	360	–	–

9–विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त न्यूनतम 50 वर्ष के हस्तशिल्पियों को प्रति माह रू0 2,000 पेंशन, आजीवन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 246 एवं वर्ष 2021–22 में अक्टूबर, 2021 तक 238 हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध करायी गयी।

10–हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लेने के लिये परिवहन व्यय एवं स्टॉल किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रू0 10,000 राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 200 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 74.03 लाख व्यय कर 741 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया परन्तु

कोविड–19 के कारण मेलों का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2021–22 में रू0 200 लाख स्वीकृत की गई है।

11–निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

यह प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में संचालित है, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कला कृतियाँ बनाई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु इस योजना में लक्ष्य 1740 के सापेक्ष 1730 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु रू0 119.40 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 120 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी।

12–विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 वर्ष या इससे अधिक आयु के पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पी को उनकी उत्कृष्ट कलाकृति हेतु राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार तथा दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार 20–20 हस्तशिल्पियों को प्रदान किया जाता है, जिसमें रू0 35000 की धनराशि राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार में एवं रू0 20000 दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार में प्रदान किया जाता है। **वित्तीय वर्ष 2020–21** में 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किया गया एवं **वर्ष 2021–22 में** भी 25 लाख रू0 की धनराशि 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत करने हेतु स्वीकृत की गई है।

13–एकलमेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग–बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार किये जाने की व्यवस्था है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति का गठन किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के सृजन व निवेश बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत फैसले लेती है। कोई भी उद्यमी जिले, मण्डल अथवा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका निराकरण करा सकता है।

प्रदेश में उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा उद्यमों की स्थापना को सुगम (फैसिलिटेट) करने हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की व्यवस्था की गयी है। एमएसएमई क्षेत्र की सुगमता के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश–मित्र पोर्टल की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों द्वारा वेबसाइट निवेशमित्र.यूपी.एनआईसी.इन पर स्वयं आवेदन कर विभिन्न विभागों से संबंधित एनओसी आदि प्राप्त कर सकते हैं।

14–औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण

प्रदेश के वृहद् औद्योगिक आस्थानों में विभिन्न अवस्थापना सुविधा के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 700 लाख से प्रदेश के 19 आस्थानों में विकास कराया गया। वर्ष 2021–22 में भी रू0 700 लाख से प्रदेश के 16 आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराया जा रहा है।

15–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिवर्तन कर उद्योग आधार मेमोरेण्डम व्यवस्था सितम्बर 2015 में लागू की, जिसे पुनः परिवर्तित कर 'उद्यम रजिस्ट्रीकरण' 26 जून 2020 को भारत के राजपत्र मे प्रकाशन के उपरान्त 1 जुलाई, 2020 से लागू किया गया। प्रदेश मे भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो उद्यम स्थापित करने का आशय

रखता है, वह **उद्यमरजिस्ट्रेशन.गव.इन** वेबसाइट पर जाकर स्व–घोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकेगा जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाणपत्रों या सबूत को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नही है।

16–उद्यम विकास की उपलब्धियां एवं रणनीतियां

प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ–साथ अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील हैं।

- उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020 में उद्यम, विस्तारीकरण और विविधीकरण हेतु 72 घण्टे के भीतर अधिस्वीकृति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के लिये उद्यमी द्वारा जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ अपने आवेदन पत्र व अन्य अपेक्षित प्रपत्रों सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोसाहन केन्द्र में जमा किया जायेगा। इससे उद्यमी को 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त अवधि के उपरान्त उद्यमी 100 दिवस मे उद्यमी निवेश मित्र पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन कर सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर सकता है। यह अधिनियम तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पानमसाला, एल्कोहल, वात युक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद एवं पटाखों के निर्माण में लागू नही होगा।
- लॉकडाउन से प्रभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमतापूर्वक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेडिटलाइन गारण्टी स्कीम के रूप में विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा एसएलबीसी के सहयोग से बैंको द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया गया है।
- कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों/परियोजनाओं को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की चयन/संस्तुति प्रकिया को मई 2020 के सर्कुलर द्वारा सरलीकृत करते हुये स्कोर कार्ड के आधार पर चयन की व्यवस्था लागू की गयी है।
- अवध शिल्पग्राम में प्रतिवर्ष यूपी–डे के अवसर पर **ओडीओपी फेयर** में प्रदेश के समस्त जनपदों के उत्पादों का प्रदर्शन व विक्रय किया गया तथा उत्कृष्ट उत्पादों का प्रचार–प्रसार कराया गया।
- रोजगार के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने हेतु जून 2021 को ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के 31542 इकाइयों को 2505.58 करोड़ रूपये का ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत तीन सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किये जा चुके है एवं 02 स्थापनाधीन है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतानों के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर में स्थापित फैसिलिटेशन काउन्सिल को मण्डल स्तर तक विकेन्द्रीकृत किया गया है।
- कोविड–19 के कारण प्रभावी लॉ–टाउन के समय उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु **एमएसएमई–साथी** नाम से एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसपर उद्यमी अपने प्रकरण को दर्ज कर सकता है जो सम्बन्धित विभाग को निराकरण हेतु ऑटोमेटिक रूप से अग्रसित हो जाता है।
- निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 मे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, भारत सरकार द्वारा वाणिज्य मेगा एक्सपोर्ट कान्क्लेव का आयोजन जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, मुरादाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर में किया गया। शेष जनपदों मे भी एक एक्सपोर्ट कान्क्लेव का आयोजन किया गया।

- प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों के लिये जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों को खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश को जेम पोर्टल पर सबसे अधिक क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।
- लखनऊ में रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफेंस एक्सपो का आयोजन फरवरी 2020 मे किया गया।

कोविड–19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 में भारत सहित सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था मांग व पूर्ति दोनों पक्षो से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है। पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, उड्डयन, सिनेमा थिएटर, परिवहन उद्योग को सर्वाधिक क्षति हुई। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र, रियल स्टेट, निर्माण क्षेत्रों पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। कच्चे माल की आपूर्ति, मध्यवर्ती माल की आपूर्ति, वित्तीय समस्यायें, श्रमिकों की अनुपलब्धता ने उद्योगों पर विपरीत प्रभाव डाला है। वहीं फार्मास्यूटिकल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग में पीपीई किट व मास्क का वृहद् स्तर पर मांग का बढ़ना, हैण्डवाश व सेनेटाइजर उत्पादों की मांग बढ़ने से नये स्टार्टअप भी शुरू हुए। कोविड–19 अवधि में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए किये गये प्रमुख प्रयास इस प्रकार रहे–

- भारत सरकार द्वारा **'आत्म निर्भर भारत अभियान'** के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सुगमतापूर्वक कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के रूप में विशेष पैकेज दिया गया।
- केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में आ रही समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण हेतु पूरे देश में चैम्पियन कन्ट्रोल रूम खोले गये है, जिनमें से 4 चैम्पियन कन्ट्रोल रूम कानपुर, आगरा, प्रयागराज एवं वाराणसी में कार्यरत है। प्रदेश सरकार द्वारा भी लॉकडाउन अवधि में एमएसएमई उद्योगों को परमिट देने मे आ रही कठिनाइयों एवं शिकायतों के निवारण हेतु 20 अप्रैल 2020 से विशेष सेल का गठन किया गया है।
- केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया गया जिसमें उन उद्योगों को भी फायदा हुआ, जो एमएसएमई के दायरे से बाहर हो गये थे।

प्रदेश में खनिज उत्पादन

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मैग्नासाइट, ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट, सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उपखनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है। प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आँकड़े तालिका 10.07 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–10.07:– प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आँकड़े

क्र0सं0	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	परिमाण ('000) मी.टन.		गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
		2019–20	2020–21*		2019–20	2020–21*	
1	पाइरोफाइलाइट	230	–	–	5090+	8855+	73.97
2	सिलिका सैन्ड	1415	–	–	152450	310542	103.70
3	कोयला	–	–	–	16598	15390	–7.28
4	चूने का पत्थर	7046	6463	–9.02	2633	2321	–11.85
5	गन्धक				43602	48620	11.51

*अनन्तिम + परिमाण घन मी.

खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रूचि ली जा रही है। प्रदेश सरकार की कार्यदायी संस्था अपट्रान पावरट्रानिक लि0 द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस युक्त साफ्टवेयर तैयार किया गया है। प्रदेश के सभी खनन क्षेत्रों की जिओ टैगिंग भी कराई गई है।

****

अध्याय–11
सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

- आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन के स्थायी भावों पर सेवा क्षेत्र का अंशदान 50.6 प्रतिशत है।
- प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 49.2 प्रतिशत हो गया है।
- प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।
- इस खण्ड के अन्तर्गत स्थायी भाव पर वर्ष 2020–21 में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उपखण्ड का 14.0 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था के तीन खण्डों–प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत तृतीयक खण्ड का जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2020–21 मे इस सेक्टर का अंश 49.2 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं, जिनके कई आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं, तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा–बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी हैं। इसी प्रकार से कुछ सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं। इस कारण इस क्षेत्र के योगदान के आँकलन हेतु आँकड़ों की उपलब्धता मुख्य चुनौती है।

सेवा खण्ड का निष्पादन

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) के वर्ष 2019–20 के आँकड़े **अनन्तिम** एवं 2020–21 के **त्वरित** अनुमान है। आधार वर्ष 2011–12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रदेश के जीएसवीए मे स्थायी भावों पर 50.6 प्रतिशत का अंशदान है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 24.1 प्रतिशत तथा 25.2 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्व स्वयं सिद्ध है।

तालिका–11.01:–सकल राज्य मूल्य वर्धन मे तृतीयक क्षेत्र का योगदान (स्थायी भावों पर)

वित्तीय वर्ष	जीएसवीए (रु0 करोड. मे)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जीएसवीए में योगदान (प्रतिशत में)
2011–12	310326	–	45.5
2014–15	387420	9.2	49.6
2015–16	416939	7.6	49.0
2016–17	440696	5.7	46.3
2017–18	478665	8.6	47.9
2018–19	508704	6.3	48.7
2019–20	552053	8.5	51.2
2020–21	528072	–4.3	50.6

वर्ष 2019–20 व 2020–21 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत तथा (–) 4.3 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011–12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 49.2 प्रतिशत हो गया है।

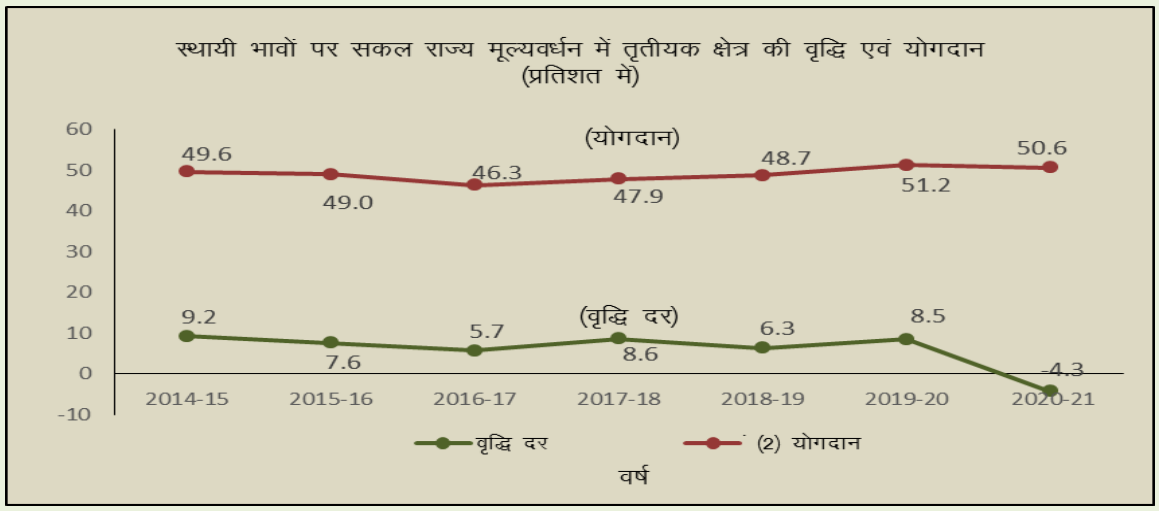

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्गीकरण के अनुसार तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के "परिवहन, संचार, व्यापार", "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" इस उपखण्ड मे सम्मिलित हैं। विगत् वर्षों मे तृतीयक खण्ड के उप–खण्डों की स्थायी भावों पर वृद्धि दर निम्नवत् रही है–

तालिका–11.02:– तृतीयक उप–खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011–12)

क्रसं.	उप–खण्ड	वर्षवार वृद्धि दर					
		2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	9.6	6.6	7.4	6.6	10.7	–19.6
2	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	12.2	3.8	6.6	10.1	13.0	–5.8
3	रेलवे	–2.1	0.3	14.7	3.0	1.9	–31.6
4	अन्य साधनों द्वारा परिवहन	13.1	8.2	9.3	13.1	18.6	–3.6
5	भण्डारण	3.7	1.1	6.5	33.4	3.9	–3.1
6	संचार तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवायें	23.1	–2.0	–4.5	7.1	8.3	6.6
7	वित्तीय सेवायें	8.5	–1.3	13.6	4.4	5.5	1.5
8	स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	4.9	5.3	4.7	3.2	3.9	1.6
9	लोक प्रशासन और रक्षा	3.2	10.8	16.3	7.5	7.5	2.5
10	अन्य सेवाएं	9.1	7.8	11.5	7.4	12.3	0.9
तृतीयक खण्ड (1 से 10)		7.6	5.7	8.6	6.3	8.5	–4.3

वर्ष 2019–20 अनन्तिम एवं 2020–21 त्वरित अनुमान।

तृतीयक खण्ड के अनुमान मुख्य रूप से केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों तथा राज्य की आय–व्ययक, स्थानीय निकायों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के लेखा खातों के विश्लेषण से तैयार किये गये हैं।

प्रदेश के जीएसवीए में सेवा उपखण्ड का स्थायी भाव पर वर्ष, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में क्रमशः 7.6, 5.7, 8.6, 6.3, 8.5 तथा –4.3 प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई है। इस खण्ड के अन्तर्गत स्थायी भाव पर वर्ष 2020–21 में सर्वाधिक

योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उपखण्ड का 14.0 प्रतिशत है।

उप–खण्डवार सेवा क्षेत्र का विश्लेषण

(1) परिवहन, संग्रहण तथा संचार

राष्ट्रीय लेखा साँख्यिकी के वर्गीकरण के अनुसार परिवहन, संग्रहण तथा संचार के अन्तर्गत अधिसंरचनात्मक क्षेत्र यथा–रेलवे, वायुयान परिवहन तथा वित्तीय सेवाएं आदि भण्डारण, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाएं, रेलवे के अतिरिक्त अन्य परिवहन सेवाएं शामिल की जाती हैं। इस उप–खण्ड में वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में सकल मूल्य वर्धन रू० 40475 करोड़ था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर रू० 92858 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 में इस उप–खण्ड में क्रमशः 13.0 तथा –5.8 प्रतिशत की वृद्धि/कमी दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर जीएसवीए में इसका योगदान वर्ष 2011–12 में 5.9 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में 6.5 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2020–21 में भण्डारण का सकल मूल्य वर्धन स्थायी भावों पर रू० 1775 करोड़, सूचना एवं संचार संबन्धी सेवाओं का मूल्य वर्धन रू० 23281 करोड़ था। उल्लेखनीय है कि प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

तालिका–11.03:– परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन

वर्ष	प्रचलित भावों पर (करोड़ रू०में)	स्थायी (2011–12) भावों पर (करोड़ रू०में)	वृद्धि दर स्थायी भावों पर %
2011–12	40475	40475	–
2014–15	72439	63879	22.1
2015–16	81824	71703	12.2
2016–17	87939	74395	3.8
2017–18	95692	79291	6.6
2018–19	107706	87295	10.1
2019–20	121415	98615	13.0
2020–21	100166	92858	–5.8

(2) व्यापार होटल एवं जलपान गृह

इस खण्ड में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह के साथ पर्यटन उद्योग भी शामिल है। वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार इस खण्ड का जीएसवीए स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 मे रू० 69466 करोड़ था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर रू० 97198 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019–20 व 2020–21 में इस खण्ड में क्रमशः 10.7 व –19.6 प्रतिशत की वृद्धि/कमी दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 10.2 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2020–21 में 8.8 प्रतिशत रह गया है।

तालिका–11.04:– व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का सकल मूल्य वर्धन (करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	69466	69466	–
2014–15	93256	81626	6.3
2015–16	105070	89448	9.6
2016–17	115903	95370	6.6
2017–18	130493	102426	7.4
2018–19	149377	109226	6.6
2019–20	163287	120859	10.7
2020–21	136146	97198	–19.6

(3) वित्तीय सेवाएं

इसके अन्तर्गत समस्त वित्तीय सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के साथ जीएसवीए स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 25182 करोड़ था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर रू० 45811 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2019–20 में 5.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2020–21 में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के जीएसवीए में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 3.7 प्रतिशत रहा, जो वर्ष 2020–21 में 4.2 प्रतिशत हो गया है। उल्लेखनीय है, कि इसके आँकड़े केन्द्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त होते हैं जो रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

तालिका–11.05:– वित्तीय सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन (करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	25182	25182	–
2014–15	35209	33662	11.2
2015–16	39377	36534	8.5
2016–17	38885	36075	(–)1.3
2017–18	47600	40989	13.6
2018–19	53567	42791	4.4
2019–20	59790	45134	5.5
2020–21	64547	45811	1.5

(4) स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं

इसके अन्तर्गत स्थावर संपदा, कम्प्यूटर तथा सूचना सम्बन्धी सेवाएं, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां,शोध एवं विकास गतिविधि सहित, प्रशासनिक तथा सहायक सेवाओं सम्बन्धी गतिविधियां, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इसमें वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार जीएसवीए स्थायी भावों पर वर्ष 2011–12 में रू० 97454 करोड़ था, जो बढ़कर वर्ष 2020–21 में रू० 146254 करोड़ हो गया है। इस खण्ड में वर्ष 2019–20 व 2020–21 में क्रमशः 3.9 प्रतिशत व 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान प्रचलित भावों पर 14.3 प्रतिशत था जो वर्ष 2020–21 में 15.8 प्रतिशत रहा है। सेवा खण्ड के अन्तर्गत इस उपखण्ड का योगदान सर्वाधिक है।

तालिका–11.06:– स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का सकल मूल्य वर्धन (करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी (2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	97454	97454	–
2014–15	145156	116097	6.0
2015–16	157675	121739	4.9
2016–17	173477	128182	5.3
2017–18	189101	134216	4.7
2018–19	206350	138563	3.2
2019–20	225344	144009	3.9
2020–21	243378	146254	1.6

(5) सार्वजनिक प्रशासन

सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के अन्तर्गत प्रदेश सरकार, समस्त ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं तथा छावनी परिषद को सम्मिलित किया जाता है। इस खण्ड में वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में जीएसवीए स्थायी भावों पर रू० 42348 करोड़ था, जो कि वर्ष 2020–21 में बढ़कर रू० 80041 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019–20 व 2020–21 में इस खण्ड में क्रमशः 7.5 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में इस खण्ड का योगदान वर्ष 2011–12 में 6.2 एवं वर्ष 2020–21 में 7.3 प्रतिशत रहा है।

तालिका–11.07:– सार्वजनिक प्रशासन खण्ड का सकल मूल्य वर्धन (करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धिदर स्थायी भावों पर
2011–12	42348	42348	–
2014–15	59737	50806	4.8
2015–16	63177	52422	3.2
2016–17	72494	58069	10.8
2017–18	87486	67555	16.3
2018–19	96992	72654	7.5
2019–20	109476	78101	7.5
2020–21	112196	80041	2.5

(6) अन्य सेवाएं

इस खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के साथ ही मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, खेल–कूद गतिविधियां, संघों की सदस्यता सम्बन्धी गतिविधियां, व्यक्तिगत सेवाएं यथा वस्त्र उत्पाद की साफ–सफाई, बालों की कटिंग तथा अन्य ब्यूटी सैलून, दर्जी आदि की सेवाएं भी सम्मिलित है। इस प्रकार इस खण्ड में ऐसे क्रियाकलाप शामिल हैं, जिनकी कई विशेषताएं और आयाम हैं। इस खण्ड में वर्ष 2020–21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में जीएसवीए स्थायी भावों पर रू० 35401 करोड़ था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर रू० 65910 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019–20 व 2020–21 में इस खण्ड में क्रमशः 12.3 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुयी है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में इस खण्ड का योगदान 5.2 प्रतिशत था जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 6.7 प्रतिशत हो गया है।

तालिका–11.08:– अन्य सेवाएं खण्ड का सकल मूल्य वर्धन (करोड़ रू०में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थायी(2011–12) भावों पर	वृद्धि दर स्थायी भावों पर
2011–12	35401	35401	–
2014–15	50351	41350	10.5
2015–16	57526	45093	9.1
2016–17	65352	48605	7.8
2017–18	76052	54188	11.5
2018–19	86779	58175	7.4
2019–20	102172	65336	12.3
2020–21	103115	65910	0.9

सेवा क्षेत्र एवं रोज़गार

प्रदेश में सेवा क्षेत्र प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार मार्च, 2020 में सेवा क्षेत्र में 12.61 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रहे।

तालिका–11.09:– प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

औद्योगिक वर्ग	औद्योगिक विवरण	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
"एच"	परिवहन एवं भण्डारण	228742
"आई"	आवासीय एवं खाद्य सेवा क्रियायें	347
"जे"	सूचना एवं संचार	21224
"के"	वित्तीय एवं बीमा क्रियायें	102579
"एल"	रियल स्टेट क्रियायें	0
"एम"	व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियायें	20183
"एन"	प्रशासकीय एवं सहायतित सेवायें	443
"ओ"	लोक प्रशासन एवं रक्षा, आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	544961
"पी"	शिक्षा	237078
"क्यू"	मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	99692
"आर"	कला, मनोरंजन एवं आमोद–प्रमोद क्रियायें	2040
"एस"	अन्य सेवा कार्य	3379
योग		1260668

****

अध्याय–12
अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार

मुख्य बिन्दु

- विद्युत आपूर्ति मे विद्युत संयोजन सम्बन्धी अभूतपूर्व सुधार लाते हुये वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घन्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गाँवों में 18 घन्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
- उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन सम्बन्धी विभिन्न सेवायें ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वेब आधारित केन्द्रीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयन्त्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 03 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयन्त्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झांसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर समाप्त होगा।

परिवहन, संचार, ऊर्जा, एवं पेयजल आदि अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला निवेश, आर्थिक विकास का उत्प्रेरक है। इनके सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास को उचित दिशा दिया जाना सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में अवस्थापना एवं ऊर्जा मे हो रही प्रगति का विवरण उल्लिखित है–

- वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई, 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 30 नवम्बर, 2021 है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई, 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 30 नवम्बर, 2021 है।
- सौर ऊर्जा नीति–2013 के अन्तर्गत 420 मेगावॉट क्षमता की 24 सौर पावर परियोजनायें संचालित हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों पर प्रकाश, पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 01 लाख 80 हजार सोलर पॉवर पैक संयन्त्रों की स्थापना करायी गयी है।
- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु सोलर पम्प स्थापित कराये जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3400 सोलर आर0ओ0 वाटर संयन्त्रों की स्थापना करायी गयी है।
- वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावॉट है, जो कि 03 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4000 मेगावॉट अधिक है।
- वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8262 मेगावॉट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनायें

पूर्णता की प्रक्रिया में है, जिनका वर्ष 2020–21 से 2023–24 के मध्य आरम्भ होना प्रस्तावित है।

- लगभग 2812 मेगावाट की पुनर्नवीकरणीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भी अनुमानित है।
- रोस्टर के अनुसार वर्तमान में शहरों तथा गावों में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2020–2021 में लगभग 24,000 मेगावॉट विद्युत की उपलब्धता है जो मॉग के अनुरूप पर्याप्त है।
- प्रदेश मे विगत तीन वर्षों में विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, गत वर्ष की 21,632 मेगावॉट की पीक मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 23,867 मेगावॉट पीक मॉग की आपूर्ति की गयी।
- 03 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुये 01 करोड़ 21 लाख 32 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 01 करोड़ 38 लाख 01 हजार विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं।

सड़क परिवहन

सड़क परिवहन अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यह देश में यात्री परिवहन और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टिविटी की भूमिका की वजह से महत्वपूर्ण है।

तालिका–12.01:– सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	मार्ग का वर्गीकरण	मार्च 2016 तक	मार्च 2017 तक	मार्च 2018 तक	मार्च 2019 तक	मार्च 2020 तक	वर्तमान स्थिति
1	राष्ट्रीय मार्ग (किमी0)	7572	8328	10981	11384	11475	11750
2	राज्य मार्ग (किमी0)	7147	7202	6810	6859	8334	9890
3	प्रमुख जिला मार्ग (किमी0)	7637	7486	7277	7388	5434	5536
4	अन्य जिला मार्ग (किमी0)	46006	47576	49037	49138	49027	47258
5	ग्रामीण मार्ग (किमी0)	163035	169051	168694	175437	176698	170077
योग–		**231397**	**239643**	**242799**	**250206**	**250968**	**244511**

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

तालिका–12.02:– वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट प्राविधान (धनराशि रू0 करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22				
	आवंटन	व्यय	उपलब्धि	बजट प्राविधान	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	प्रगति
ग्रामीण मार्गो का नविनिर्माण/पुर्ननिर्माण	2920.11	2093.16	4322 कि0मी0	2640	584.58	73.01	3520 किमी0	310.31 किमी0
ग्राम/बसावटों को जोड़ा जाना			2278 नं0					48.3 नं0
विभिन्न श्रेणी के मार्गो का चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण	4288.54	3519.64	1864 कि0मी0	7252	1785.75	618.82	2900 किमी0	310.60 किमी0
नदी सेतुओं का निर्माण एवं रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य	2529.50	2492.25	154 नं0	3124.41	607.37	419.48	222 नं0	31 नं0
इन्डो नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना	59.25	59.25	26 किमी0	280	44.22	30.15	46 किमी0	6 किमी0

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

तालिका–12.03:–वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2021–22 में बजट प्राविधान (अनुपूरक/पुनर्विनियोग सहित) (धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22
(क)	**ग्रामीण मार्गो का निर्माण/पुर्ननिर्माण**		
1	जिला योजना	135	225
2	पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना	300	650
3	आर0आई0डी0एफ0 योजना	300	300
4	अनजुड़ी बसावटों में मार्गो का निर्माण	800	1050
5	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	100	65
	योग (1–5)	**1635**	**2290**
(ख)	**मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण**		
6	राज्य सड़क निधि	1500	1500
7	आर0आई0डी0एफ0 योजना	600	900
8	पं0 दीन दयाल उपाध्याय तहसील/ब्लाक योजना	180	184
9	केन्द्रीय मार्ग निधि	2080	2836
10	गंगा नहर पटरी चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण	250	250
11	प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	100	150
12	विश्वबैंक/ए0डी0बी0 योजनायें	1450	612.50
13	राज्य योजना	1760	-
	योग (6–13)	**7920**	**6432.50**
14	शारदा कैनाल के दोनो तरफ तीन–तीन लेन का सड़क निर्माण	49.94	18
15	प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट के सुधार/साईकिल ट्रैक का निर्माण	39.20	200
16	उपसा को सहायता	50	50
17	इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग परियोजना	174.18	68.22
18	शहरों के बाईपास/फ्लाईओवर/रिंग रोड	170	300
19	सेतुओं/आर0ओ0बी0 का निर्माण	2527.50	3124.41
20	पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि	510	510
	योग (14–20)	3520.82	4270.63
योग	आयोजनागत व्यय (1–19)	13075.82	12993.13
1	सेतुओं का अनुरक्षण	34	80
2	भवनों का अनुरक्षण	113.76	130.64
3	सड़कों का अनुरक्षण	3524	-
योग	आयोजनेतर व्यय (1–3)	3671.76	210.64
आयोजनागत + आयोजनेतर		16747.58	13203.77

स्रोतः– लोक निर्माण विभाग, उ.प्र.।

प्रदेश में विश्वस्तरीय गुणवत्ता युक्त अनेक हाई–वे एवं एक्सप्रेस–वे विकसित किये जा रहे हैं–

- प्रदेश सरकार ने पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए करीब छह सौ किमी लम्बे **गंगा एक्सप्रेस–वे** के निर्माण के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, यह मेरठ, अमरोहा, बुलन्दशहर, बदायूँ, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा। इसके लिए 6556 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जायेगी। इस परियोजना में 8 आरओबी (ओवर ब्रिज) और 18 फ्लाई–ओवर्स बनेंगें। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 36 हजार करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।
- **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे** 91.352 किमी लंबा होगा और 988 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इस परियोजना की लागत 5555.16 करोड़ रूपये हैं। चार लेन का यह लिंक एक्सप्रेस–वे गोरखपुर

से शुरू होकर आजमगढ़ तक बनेगा। आजमगढ़ के जरिए यह एक्सप्रेस–वे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जुड़ेगा। इसके बाद आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे व यमुना एक्सप्रेस–वे से जोडा जाएगा।

- प्रदेश में **पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे** 340.824 किमी लम्बा 6–लेन चौड़ा (एक्सपेन्डेवल टू 8 लेन प्रवेश नियंत्रित पूर्वाचल एक्सप्रेस–वे) होगा। एक्सप्रेस–वे लखनऊ–सुल्तानुपुर रोड (एनएच–56) के ग्राम चाँद सराय से गाजीपुर में यूपी बिहार सीमा से 18 किमी पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 पर हैदरिया ग्राम पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस–वे पर यातायात संचालन, नियंत्रण व निगरानी के लिए आटोमैटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इस पर 7 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 दीर्घ सेतु, 110 लघु सेतु, 11 इन्टरचेन्ज, 2 टोल प्लाजा, 5 रैम्प प्लाजा, 20 टोल बूथ, 220 अन्डरपास तथा 492 पुलियों का निर्माण होगा। आपात कालीन स्थिति में लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग/टेक ऑफ के लिए सुल्तानपुर में 32 किमी लम्बी हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा।
- **बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे,** चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झाँसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर समाप्त होगा। इसकी दूरी 296.264 किमी और प्रभावित क्षेत्रफल 3641.63 हेक्टेयर अनुमानित है। इसके निर्माण में 14716.26 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है।

सड़क निर्माण को अवस्थापना घटक मानते हुए प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण/मरम्मत सम्बन्धी योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिसका प्रगति विवरण निम्नवत् है–

- प्रदेश के 26 **त**हसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जुड़े नहीं थे जिन्हे जोड़ने हेतु रू0 387 करोड़ की लागत से रू0 269.66 किमी0 मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति दी जा चुकी हैं। वर्ष 2021–22 में अगस्त, 2021 तक 24 **त**हसील मुख्यालय दो लेन मार्ग से जोड़े जा चुके हैं।
- वर्तमान में कुल 138 विकास खण्ड दो लेन मार्ग से जुड़े हुए नहीं है। 144 को दो लेन से 1282 किमी0 को जोड़ने हेतु रू0 2088 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है, जबकि अवशेष की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। अगस्त 2021 तक 97 कार्य पूर्ण कर लिये है।
- वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में अगस्त, 2021 तक कुल लगभग 2174 किमी0 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है, जिसमें से वर्ष 2021–22 में कोविड–19 महामारी की चुनौतियों में भी अगस्त तक 310 किमी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2021–22 में विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के चौड़ीकरण हेतु रू0 7252 करोड़ की व्यवस्था उपलब्ध है।
- प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों एवं राष्ट्र को परोक्ष/अपरोक्ष रूप से जोड़ने हेतु कुल 82 कार्यों को स्वीकृत किया गया है जिनकी लम्बाई 929 किमी0 एवं लागत रू0 1759 करोड़ है, जिन पर रू0 1262 करोड़ व्यय करते हुए 56 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। शेष पर कोविड–19 के बावजूद भी कार्य प्रगति पर है।
- जून, 2017 को एशियन विकास बैंक आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के मध्य ऋण अनुंबध पर हस्ताक्षर हुआ। एडीबी के ऋण से उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना की कुल लागत 428 मिलियन यू.एस. डालर (लगभग रू0 2782 करोड़) है जिसमें एडीबी का 70 प्रतिशत (300 मिलियन यू.एस. डॉलर) एवं उ0प्र0 सरकार का अंश 30 प्रतिशत (128 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। उक्त ऋण में से 105 मिलियन यू.एस. डॉलर समर्पित कर दिया गया है। जिससे अब ऋण की धनराशि 195 मिलियन यू.एस. डॉलर हो गयी है।
- परियोजना के अन्तर्गत 08 मार्ग (लम्बाई 431 किमी0) सम्मिलित है, जिसमें अगस्त–2021 तक 06 मार्गों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 02 मार्गों पर कार्य प्रगति पर है।

तालिका–12.04:– परियोजना का प्रगति विवरण

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जनपद	लम्बाई (कि0मी0)	कार्यावधि	टिप्पणी
1	हुसैनगंज–हठगांव–अलीपुर मार्ग	फतेहपुर	35.67	फर. 2018–फर. 2020	कार्य पूर्ण।
2	हलियापुर–कुड़ेभार मार्ग	सुल्तानपुर	95.63	अक्ट.2017–अक्ट.2019	कार्य पूर्ण।
3	नानऊ–दादऊ मार्ग	अलीगढ़	30.00	नव. 2017–नव. 2020	कार्य पूर्ण।
4	बुलन्दशहर–अनूप शहर मार्ग	बुलन्दशहर	36.12	जन. 2019–जुलाई 2020	कार्य पूर्ण।
5	मुजफ्फरनगर–बढ़ौत मार्ग	मुजफ्फरनगर बागपत	59.17	जन. 2019–जुलाई .2020	कार्य पूर्ण।
6	कप्तानगंज–हाटा–गौरीबाजार–रूद्रपुर मार्ग	देवरिया / कुशीनगर	84.27	मार्च .2019–मार्च.2021	कार्य प्रगति पर है।
7	मोहनलालगंज मौरांवा मार्ग	लखनऊ / उन्नाव	47.80	जुलाई .2019–जन. 2021	कार्य प्रगति पर है।
8	अलीगंज सोरों मार्ग	एटा / कांशीरामनगर	35.51	दिस 2019–जून.2021	कार्य पूर्ण।
योग			424.17		

परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार फर्म द्वारा अगले 5 वर्ष तक अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान है। एडीबी को अद्यतन सम्पूर्ण परियोजना हेतु रू0 1392.40 करोड़ की प्रतिपूर्ति, अगस्त 2021 तक प्रेषित किया जाना है, जिसमे से रू0 1392.40 करोड़ की प्रतिपूर्ति हो चुकी है।

- विश्व बैंक परियोजनाओं में 70 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना के प्रथम चरण में 260 किमी0 के 04 मार्ग चयनित है। वर्ष 2021–22 में द्वितीय चरण के अन्तर्गत चयनित 06 मार्गों पर डीपीआर के गठन की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

तालिका–12.05:– प्रथम चरण के कार्य

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जनपद	लम्बाई (कि0मी0)	टिप्पणी
1	गरौठा–चिरगांव मार्ग	झांसी	49.145	कार्य पूर्ण।
2	हमीरपुर–राठ मार्ग	हमीरपुर	72.78	कार्य पूर्ण।
3	गोला–शाहजहाँपुर मार्ग	लखीमपुर– शाहजहाँपुर	57.30	कार्य प्रगति पर है।
4	बदांयू–बिल्सी–बिजनौर मार्ग	अमरोहा–सम्भल	79.12	कार्य प्रगति पर है।

द्वितीय चरण

1	हमीरपुर–राठ–गुरसराय–झाँसी मार्ग (राज्य मार्ग–42) द्वितीय पैकेज	झाँसी	35.882	आगणन शासन को प्रेषित।
2	बांसी–मेंहदावल–खलीलाबाद (राज्य मार्ग–88)	संतकबीर नगर	28.870	आगणन शासन को प्रेषित।
3	बहराइच–गोंडा–फैजाबाद (राज्य मार्ग–30)	बहराईच / गोंडा	60.082	आगणन शासन को प्रेषित।
4	मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादून (राज्य मार्ग–49)	मुरादाबाद	36	डीपीआर विश्व बैंक को प्रेषित।
5	हामिदपुर–कुचेसर मार्ग (राज्य मार्ग–100)	गौतमबुद्ध नगर	19.10	डीपीआर विश्व बैंक को प्रेषित।
6	गढ़–स्याना–बुलन्दशहर (राज्य मार्ग–65)	बुलन्दशहर	49.50	डीपीआर विश्व बैंक को प्रेषित।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 390 करोड़ (290 चालू एवं 100 नये कार्य) का बजट प्राविधान है। जिसके सापेक्ष जून 2021 तक 170.65 करोड़ का आवंटन प्राप्त है एवं रू0 66.97 करोड़ व्यय हो चुका है। विश्व बैंक को सम्पूर्ण परियोजना हेतु कुल रू0 730.00 करोड़ के सापेक्ष जुलाई 2021 शत–प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

- अन्य प्रादेशिक सीमा वाले महत्वपूर्ण मार्गो को विकसित करने एवं स्वागत द्वार तथा अन्य सौन्दर्यीकरण आदि के उद्देश्य से 25 सड़कों को रू0 996 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 65 कार्य वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में पूर्ण किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त रू0 3034 करोड़ की लागत से 117 प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है।
- सार्वजनिक–निजी भागीदारी से वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राविधानित धनराशि रू0 44.80 करोड़ प्रदेश के पुखरांया–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग (एनएच–46) हेतु अवमुक्त कराया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 32 दीर्घ, 17 रेल उपरिगामी एवं 105 लघु सेतु तथा वर्ष 2021–22 मे अगस्त 2021 तक 3 दीर्घ, 2 रेल उपरिगामी एवं 26 लघु सेतुओं का अप्रोच मार्ग को आवागमन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2021–22 में 767 लघु, 305 दीर्घ एवं 121 रेल उपरगामी सेतु पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना

प्रदेश में भारत–नेपाल सीमा पर मार्ग निर्माण की परियोजना प्रस्तावित है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश के सात जनपद, क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर तथा महराजगंज से होकर गुजरता है। परियोजना की लम्बाई 640 किमी0 तथा लागत रू0 1621 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इण्डो–नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के स्वीकृत कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2013–14 में दो चरणों में क्रमशः रू0 350 करोड़, वर्ष 2016–17 में रू0 31.57 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में 200.92 करोड़ (कुल रू0 582.49 करोड़) की धनराशि प्रदेश सरकार के पक्ष में अवमुक्त की जा चुकी है एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार द्वारा रू0 50 करोड़, 2019–20 में रू0 18.30 करोड़, 2020–21 में रू0 43.20 करोड़ एवं 2021–22 में रू0 44.20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार भारत सरकार से कुल रू0 738.19 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष प्रारम्भ से मार्च, 2021 तक कुल रू0 690.75 करोड़ की धनराशि से 235.34 किमी0 के सापेक्ष 185 किमी0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने हेतु जनपदवार कुल रू0 458.33 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। इसमें भूमि क्रय किये जाने का कार्य प्रगति पर है। मार्च, 2021 तक रू0 335.76 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुये 185.65 किमी0 लम्बाई में भूमि का क्रय किया जा चुका है।

अन्य जन उपयोगी योजनाएं

- **डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम** गौरव पथ के रूप में विकसित किये जाने हेतु वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 तक कुल 314 मेधावी छात्रों के ग्रामों/विद्यालयों/मेधावी छात्रों के निवास स्थलों के निर्माण/मरम्मत के कार्य हेतु रु० 94.16 करोड़ लागत की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जिसके सापेक्ष 260 मार्गों का निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- वर्ष 2020–21 में कक्षा 10 वीं एवं 12वी के लिये विभिन्न शिक्षा परिषद/बोर्ड के अन्तर्गत टॉप–20 टापर्स के ग्रामों मे मार्ग निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

- **मेजर ध्यानचंद पथ योजना मे** प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढाई है, उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/निर्माण हेतु योजना मे अब तक 19 कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है।
- **जय हिन्द वीर पथ योजना को** वर्ष 2020–21 में **प्रदेश** के शहीदों को सम्मान देने हेतु उनके घर/ग्राम तक मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण कराने के लिए 23 मार्गों के कार्यों हेतु अगस्त तक 13.12 करोड़ की स्वीकृति से कार्य प्रगति पर है। अब तक योजना में 2021–22 में कुल 12 कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है।
- सभी 18 मण्डलों में एक–एक मार्ग का चयन कर **हर्बल मार्ग** के रूप में वर्ष 2018–19 में कुल 187 किमी का चयन करते हुये 6690 पौधो को रोपित किया गया। वर्ष 2020–21 में प्रदेश के प्रत्येक खण्ड में एक मार्ग का चयन कर उसे हर्बल मार्ग के रूप में विकसित करते हुए वर्तमान में प्रदेश 175 खण्डों के एक–एक हर्बल मार्ग का चयन किया गया है, इन मार्गो पर 40377 पौधों को रोपित किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 33747 पौधे रोपित किये जा चुके हैं।

- मार्ग निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग विगत वर्षों से किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट का सड़क निर्माण में प्रयोग से लगभग रू 3.25 लाख प्रति किमी0 की बचत आती है। अभी तक 31.68 किमी0 का कार्य रू 947.57 लाख की लागत से कार्यों को पूर्ण कराया एवं 60.01 किमी0 का रू0 943.88 लाख की लागत से कार्य प्रगति पर है।

मार्ग एवं सेतु के निर्माण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों को पूर्णरूपेण पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश में निम्न प्रयास किये गये हैं–

- रू0 10 लाख से अधिक के समस्त कार्यों को ई–टेण्डरिंग के माध्यम से करना।
- सरकार द्वारा लोक निर्माण कार्य के बजट, पंजीकरण, ई–एमबी, ई–बिलिंग, ई–डिमाण्ड एवं ई–एलॉटमेंट, ऑनलाइन करने के लिए '**चाणक्य' एवं 'विश्वकर्मा'** नाम से 2 बड़े साफ्टवेयर लागू किए गए हैं।
- **चाणक्य साफ्टवेयर पर** विभिन्न श्रेणियों में ठेकेदारी के कार्य हेतु पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवदेन करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से **ई–रजिस्ट्रेशन** मॉड्यूल गठित किया गया है। इसमें **ई–एमबी पर** कार्य के अनुबंध गठन का डाटा प्रविष्टि के साथ, कार्य की बिल ऑफ क्वान्टिटी प्रविष्टि अपलोड की जाएगी। प्रविष्टि बिल ऑफ क्वान्टिटी के सापेक्ष संपादित कार्य का बिल, **ई–बिल** पर जनरेट होगा।
- **ई–मॉनीटरिंग मे** ई–एमबी की प्रविष्टियों के आधार पर कार्य की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की मॉनीटरिंग की जा सकेगी। कार्यस्थल के फोटो, गुणवत्ता परीक्षणों की रिपोर्ट अपलोड की जा सकेगी। कार्य सम्पादन में विलम्ब के सम्बन्ध में ई–मेल/एसएमएस के एलर्ट निर्गत होंगे।
- **''विश्वकर्मा''** सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य सम्बन्धी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जायेंगे। प्रदेश की समस्त सड़कों पर जनता की नजर रखने के लिए **'निगरानी ऐप'** भी लॉन्च किया गया है।
- सामान्य जनता की सुविधा के लिए सरकार द्वारा एक **टोल फ्री हेल्पलाइन नं0 1800 121 5707 तथा व्हाट्स–अप नं0 7991995566** जारी किया गया है, जिसमे जनता से प्राप्त निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रकरणों/शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन

परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा यात्री और माल की आवाजाही सड़क परिवहन द्वारा ही होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उददे्श्य से उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आँकड़े तालिका–12.06 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–12.06 :–प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आँकड़े

मद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2019–20 की अपेक्षा 2020–21 में प्रतिशत वृद्धि
औसत परिचालित बसें (सं0)	11862	11615	11688	11343	–2.9
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (संख्या)	2933	2979	2897	2800	–3.3
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गो की औसत लम्बाई (कि0मी0)	258	257	246	256	4.06
वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार कि.मी.)	757	765	712	717	0.7
दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार कि0 मी0)	4092	3972	3939	2955	–24.9
प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	17.15	16.48	15.72	9.41	–40.1
दुर्घटनायें (प्रति लाख कि0मी0)	0.06	0.07	0.06	0.05	–16.6
कुल दुर्घटनायें (संख्या)	741	751	648	471	–27.3

स्रोतः– उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। *अनन्तिम

प्रदेश में आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरुप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों के गाड़ियों से सम्बंधित आँकड़े तालिका 12.07 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–12.07:– प्रदेश में मोटर वाहनो की सख्या मे परिवर्तन

मद	वाहनो की संख्या (31 मार्च को)		2019–20 की अपेक्षा 2020–21 में प्रतिशत वृद्धि	कुल के सापेक्ष वाहनो की प्रतिशत अंश	
	2019–20	2020–21*		2019–20	2020–21
1–मोटर साईकिल	27959149	30452129	8.92	80.0	**80.9**
2–कार	3351115	3558751	6.20	9.6	**9.4**
3–बस	109765	114749	4.54	0.3	**0.3**
4–टैक्सी	753124	625646	–16.93	2.2	**1.7**
5–ट्रक	880630	893971	1.51	2.5	**2.4**
6–ट्रैक्टर	1522750	1646213	8.11	4.4	**4.4**
7–अन्य	348291	347747	–0.16	1.0	**0.9**
कुल	**34924824**	**37639206**	**7.77**	**100.0**	**100.0**

स्रोतः–परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम। **अनन्तिम*

मेट्रो रेल

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना (एलएमआरसी)

किसी शहर में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी, मॉस रैपिड, ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराने एवं ट्रैफिक को कम करने के आशय से भारत एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम, लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा फेज–1 का डीपीआर वर्ष 2013 में तैयार किया गया था।

➢ फेज–1ए नार्थ–साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) नार्थ–साउथ कॉरिडोर के 8.5 किमी. का व्यावसायिक संचालन सितम्बर 2017 से एवं परियोजना के सम्पूर्ण 22.878 किमी0 पर मेट्रो सेवा का संचालन मार्च 2019 से किया गया।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
नार्थ–साउथ कॉरिडोर	19.438	3.440	22.878	17	4	21

➢ फेज–1बी ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर (11.165 किमी0)

यू0पी0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा डी0एम0आर0सी0 के स्तर से तैयार की गई डीपीआर का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करते हुए नवम्बर, 2019 में क्विक अप्रेजल रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
चारबाग से वसंत कुंज	4.286	6.879	11.165	5	7	12

अन्य मेट्रो परियोजनाएं

नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जनवरी 2018 मे भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा विभिन्न मेट्रो रेल परियोजनाओं के आधार पर की गई बेंचमार्किंग के अनुरूप परियोजना की लागत को संशोधित करते हुए अनुपूरक डी.पी.आर. जनवरी 2019 को भारत सरकार को प्रेषित किया। भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 तथा मई 2019 द्वारा स्वीकृति पत्र प्रेषित किया गया।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन का निर्माण कार्य नवम्बर 2019 को प्रारम्भ किया गया जिसका विवरण निम्न है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
आई.आई.टी. कानपुर से नौबस्ता	15.2	8.6	23.8	14	8	22
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा –8	4.2	4.4	8.6	4	4	8

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

आगरा मेट्रो परियोजना के कार्यान्वयन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई। दिसम्बर 2020 को इस परियोजना का निर्माण प्रारम्भ हुआ।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल	एलीवेटिड	भूमिगत	कुल
सिकन्दरा से ताज ईस्ट गेट	6.3	7.7	14	6	7	13
आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार	15.4	–	15.4	14	–	14

गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट (एल.आर.टी.) परियोजना

इस परियोजना हेतु भारत सरकार की अनुभवी एवं विशेषज्ञ संस्था मेसर्स राइट्स को नामित किया गया तथा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को नोडल विभाग तथा लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को समन्वयक बनाया गया है। राज्य सरकार ने उक्त परियोजना के संशोधित डीपीआर को अपनी मंजूरी दे दी है। परियोजना में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है–

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)	स्टेशन की संख्या
श्याम नगर से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज	15.14	14
बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसाद चौराहा	12.70	13

मेरठ मेट्रो रेल परियोजना

नई मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन के समन्वय से राइट्स द्वारा तैयार किये गये संशोधित डी.पी.आर. पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए जनवरी 2019 को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा जून 2019 को लिए गये निर्णय के क्रम में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को पुनर्गठित करते हुए उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के गठन की प्रक्रिया अक्टूबर 2019 को पूर्ण की जा चुकी है।

कोरिडोर का नाम	कोरिडोर की लम्बाई (किमी0)			स्टेशन की संख्या		
	एलीवेटेड	भूमिगत	कुल	एलीवेटेड	भूमिगत	कुल
श्रद्धापुरी फेज–2 से जागृति विहार एक्सटेन्शन	9.864	4.286	14.15	10	3	13

विद्युत

कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं दैनिक जीवन की समृद्धि के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी विद्युत की उपलब्धता पर ही निर्भर है। यही कारण है कि राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

तालिका–12.08:– उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष 2020–21
1	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	5999
2	उपभोग (मिलियन यूनिट)	90357
3	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	24731
4	कुल विद्युतीकृत ग्राम (संख्या)	97814
5	निजी/बाह्य स्रोत से आयात (मि0यू0)	95548
6	पारेषण लाइनों की कुल ल0(कि0मी0)	48298
7	स्वीकृत निजी नलकूपों की सं0(लाख मे)	12.56

स्रोत– उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ।

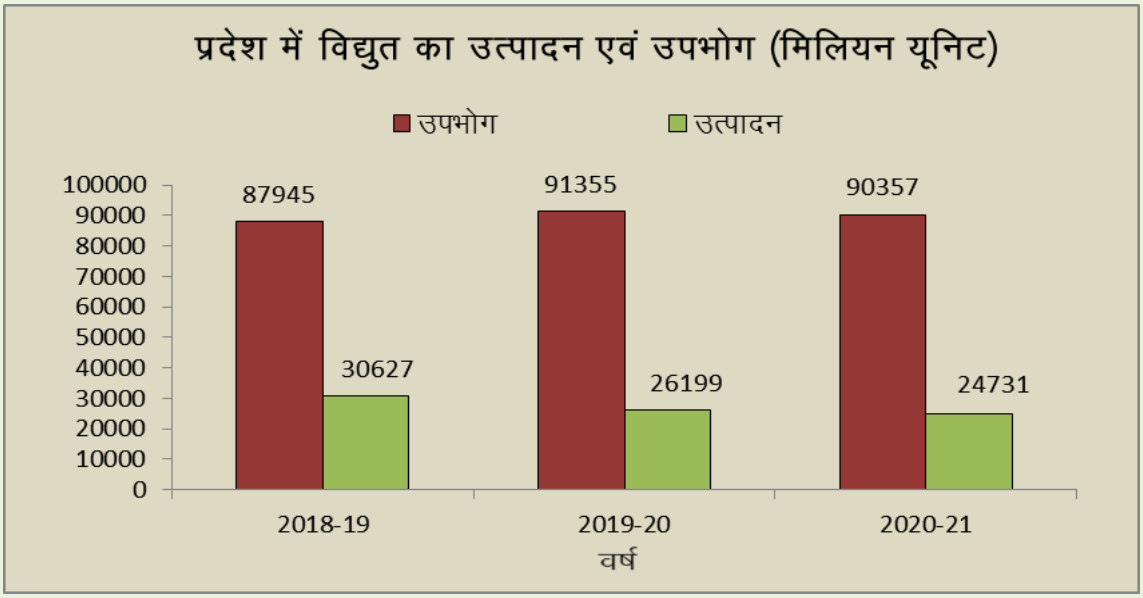

प्रदेश में विद्युत की सर्वाधिक मांग मई–अगस्त माह के मध्य होती है। इससे सम्बन्धित आँकड़े तालिका 12.09 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–12.09:– आँकलित पीक मांग (मेगावाट में)

क्र.सं.	वर्ष	आँकलित पीक मांग (मई–अगस्त के मध्य)
1	2019–20	22500
2	2020–21	24500

स्रोत– पावर मैनेमजमेन्ट सेल, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

तालिका–12.10:– प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग सम्बन्धी आँकड़े–2019–20

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि.वा.घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.घंटा)
1	आन्ध्र प्रदेश	1258	1507
2	बिहार	3	332
3	झारखण्ड	383	853
4	गुजरात	1554	2388
5	हरियाणा	743	2229
6	कर्नाटक	914	1468
8	मध्य प्रदेश	843	1086
9	छत्तीसगढ़	2653	2044
10	महाराष्ट्र	1004	1418
11	ओडिशा	585	1559
12	पंजाब	1266	2171
13	राजस्थान	859	1317
14	तमिलनाडु	864	1844
15	पश्चिम बंगाल	383	757
16	उत्तर प्रदेश	303	629
17	उत्तराखण्ड	1122	1528
भारत		1048	1208

स्रोत–केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण

प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिये उनके विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियों की संख्या 99462 रही।

नलकूप/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण

सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के प्रसार हेतु अधिक से अधिक नलकूल/पम्प सेट्स का ऊर्जीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एंव वर्ष 2020–21 के अन्त तक ऊर्जीकृत नलकूपों/पम्पसेटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 11.20, 11.63, 12.16, 12.54 एवं 12.56 लाख हो गई।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति में सुधार हेतु प्रयास

- प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों में से वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या बढ़कर क्रमशः 87489, 97804, 97814 रही। जो 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के अन्त तक 97814 (शत–प्रतिशत) हो गयी।
- विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में क्रमशः 260, 236, 38 एवं 56 नग नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों तथा 1853.4, 3770, 646 एवं 1145.96 किमी सम्बन्धित 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** (11वीं) के अन्तर्गत 32736 के लक्ष्य के सापेक्ष 36903 मजरों का विद्युतीकरण एवं 837006 के लक्ष्य के सापेक्ष 810764 बीपीएल संयोजन निर्गत कर के शत–प्रतिशत लक्ष्य मार्च 2019 तक पूर्ण कर लिया गया है।
- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (12 वीं)** के अन्तर्गत 140510 लक्ष्य के सापेक्ष 110566 मजरों का विद्युतीकरण एवं 2507980 लक्ष्य के सापेक्ष 2014750 बीपीएल संयोजन निर्गत कर के शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत ग्रामो का विद्युतीकरण कलेक्टिंग–अनकनेक्टेड हाउसहोल्ड (आईईवी) विलेज कलेक्टिंग–अनकनेक्टेड हाउसहोल्ड (आईईवी) मजरे, बीपीएल आवासो का विद्युतीकरण, ग्रामीण घरो का विद्युतीकरण, 33/11 के0वी0 नये उपकेन्द्रो का निर्माण, 33/11के0वी उपकेन्दों की क्षमता वृद्धि, फीडर मीटरिंग, डी0टी0 मीटरिंग, उपभोक्ता मीटरिंग, कृषि एवं गैर–कृषि 11 के0वी0 पोषकों का पृथक्कीरण, वितरण परिवर्तकों की स्थापना आदि कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2021 तक लगभग 97.49 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 नये उपकेन्द्र, 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि, 33 के0वी0 नये पोषक/फीडर का विभक्तिकरण, 11 के0वी0 नये पोषक/फीडर का विभक्तिकरण, नयी ए0बी0सी0 लाईन, भूमिगत केबिल, वितरण परिवर्तक की स्थापना, वितरण परिवर्तक की क्षमतावृद्धि, कैपेसिटर बैंक, सीमा मीटर, डी0टी0 मीटर, 33 के0वी0 रिकन्डक्टरिंग एच0टी0, 11 के0वी0 रिकन्डक्टरिंग एच0टी0, रिकन्डक्टरिंग एल0टी0 आदि कार्य कराये जा रहे है। मार्च 2021 तक लगभग 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- उजाला योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अब तक 10651522 एलईडी बल्ब एवं 199820 ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया जा चुका है।
- प्रदेश के प्रत्येक घर को विद्युत की सुविधा की पहुँच उपलब्ध कराने एवं विद्युत संयोजन निर्गत करने के लिये अक्टूबर 2017 से सम्पूर्ण प्रदेश में सौभाग्य योजना प्रारम्भ की गयी। गरीब परिवार को निःशुल्क संयोजन एवं ग्रामीण क्षेत्र के नॉन पूअर परिवार को रू0 50 प्रतिमाह की कुल 10 मासिक किश्तों में विद्युत संयोजन निर्गत किये गये। इसके अतिरिक्त आवश्यक विद्युत तंत्र के निर्माण का कार्य भी सौभाग्य योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित है। मार्च 2021 तक प्रदेश के समस्त मजरों का विद्युतीकरण कर, सौभाग्य योजना में मार्च 2021 तक कुल लगभग 62.18 लाख घरों को विद्युत संयोजना निर्गत किये गये है।

- नगरों के सौन्दर्यीकरण हेतु 35 नगरों में अण्डरग्राउन्ड केबिलिंग का कार्य लक्षित था जिसमें से वर्ष 2017–18 के अन्त तक 13 स्थानों पर कार्य पूर्ण कराया गया। वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 तक क्रमशः 05, 04 एवं 05 स्थानों (कुल 27) पर कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वर्ष 2021–22 में 6 स्थानों पर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, शेष 2 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा की निरन्तर बढ़ती मांग एवं पारम्परिक ऊर्जा के सीमित भण्डारों के कारण वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन करने के साथ–साथ विद्युत उत्पादन एवं ऊर्जा संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत कुल लक्षित क्षमता 10700 मेगावाट में से 6400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना का होना लक्षित है।

- स्टैण्ड एलोन यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनायें एवं पब्लिक सोलर पार्क में स्थापित सौर पावर परियोजनाओं से उत्पादित पावर के क्रय हेतु यूपीपीसीएल द्वारा 25 वर्ष की अवधि का पावर परचेज अनुबन्ध विकासकर्ता के साथ किया जायेगा।
- प्रदूषण बोर्ड से (स्थापना एवं संचालन की सहमति) सम्बन्धित अनापत्ति प्राप्त करने से मुक्त होंगे।
- परियोजना स्थापना के लिये क्रय की जा रही भूमि पर 100 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से छूट होगी। प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावॉट के सोलर पार्क विकसित किये जा रहे है, जिसमे जनपद मिर्जापुर में 75 मेगावाट, प्रयागराज में 50 एवं जालौन में 40 मेगावाट, कुल 165 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किये जा चुके है।
- सोलर पार्क विकसित करने पर भारत सरकार द्वारा रू0 20 लाख प्रति मेगावॉट अथवा परियोजना मूल्य का 30 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम होगी, की दर से अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर परियोजनाओं की स्थापना की सम्भावना होने के दृष्टिगत इन परियोजनाओं से सुगमतापूर्वक विद्युत निकासी हेतु यूपीपीसीएल द्वारा 4000 मेगावॉट क्षमता हेतु ग्रीन ऊर्जा कोरीडोर का निर्माण किया जायेगा। सौर ऊर्जा नीति–2017 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 1050 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाओं का आवंटन किया गया। इसमें वर्ष 2022 तक 4300 मेगावॉट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट की स्थापना लक्षित है। निजी आवासों पर इन संयन्त्रो की स्थापना पर रू0 15000 प्रति किलोवाट और अधिकतम रू0 30000 प्रति उपभोक्ता राज्यानुदान देय है।

तालिका–12.11:– सौर परियोजनाओं का प्रगति विवरण (अगस्त 2021 तक)

क्र.सं.	योजना	इकाई	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22
1	सौर परियोजनाओं की स्थापना	मे0वा0	490	186
2	संस्थानों मे रूफटॉप सोलर प्लाण्ट	कि0वा0	1252.61	2087.69
3	ग्रामीण क्षेत्र सार्वजनिक प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट मोड	संख्या	1640	2650
4	मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास सोलर स्ट्रीट लाइट योजना	संख्या	2850	–
5	निजी आवासों पर रूफटॉप सोलर प्लाण्ट	मे0वा0	15	5
6	ऑफ ग्रिड सोलर प्लाण्ट		422.4	704

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

- प्रधानमंत्री कुसुम योजना मे तीन कम्पोनेन्ट ए,बी एवं सी है। **कम्पोनेट–ए** के अन्तर्गत, कृषकों द्वारा अपनी अनुपयोगी भूमि मे 500 कि0वाट क्षमता से लेकर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर प्लाण्ट स्थापित किये जा सकते हैं। योजनान्तर्गत 106 मेगावाट की क्षमता के संयन्त्र स्थापित कराने सम्बन्धित निविदा आमंत्रित कर कार्यवाही गतिमान है।
- **कम्पोनेंट–बी** के अन्तर्गत आफग्रिड मोड में मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों को 7.5 एच0पी0 क्षमता तक के संयन्त्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। कृषि विभाग को नोडल/क्रियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है।
- **कम्पोनेंट–सी** योजना के अन्तर्गत प्रदेश में फीडर लेबिल सोलराइजेशन कार्य किये जाने हेतु कृषि पोषकों का चिन्हांकन किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रदेश की चारों डिस्कॉम में प्रथम चरण में 30000 निजी नलकूपों के कृषि फीडरों की तकनीकी सहायता रिपोर्ट सेकी के माध्यम से तैयार करवाई जा रही है।
- विद्यार्थियों को सोलर आर0ओ0वाटर के माध्यम से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति तथा कक्षाओं में पंखों की सुविधा, बजट में प्राविधानित रू0 500 लाख की धनराशि एवं मा0 सांसद/विधायक/ग्राम पंचायत निधियों से प्राप्त धनराशि के 50–50 प्रतिशत से करायी जायेगी। आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर0ओ0वाटर संयंत्र की स्थापना रू0 274.43 लाख की धनराशि से कराया जाना है।
- ऐसे ग्राम, जहाँ विद्युत निर्बाध नहीं है, उन ग्रामों में रू0 500 लाख से सोलर मिनीग्रिड पावर प्लाण्ट की स्थापना कर विद्युत आपूर्ति की जायेगी। पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मे ग्रामीण मुख्य बाजारों में सामुदायिक प्रकाश की स्थापना का कार्य, धनराशि रू0 1500 लाख से कराया जायेगा।
- सोलर पावर पैक की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन द्वारा चयनित लाभार्थी के आवास पर सोलर पावर पैक की स्थापना करायी जाती है, जिससे 3 वॉट की 2 ल्यूमेनियर, 5 तथा 7 वॉट का 1 ल्यूमेनियर एवं 22 वॉट का एक डीसी सीलिंग फैन एवं मोबाइल चार्ज की सुविधा प्रतिदिन लगभग 8 घंटे हेतु उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत लगभग 60,000 सोलर पावर पैक संयन्त्रों की स्थापना करायी गयी हैं।

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम

प्रदेश में जैव–अपशिष्टों से ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत बायो एथेनाल, मेथेनाल बायोगैस, सीएनजी, प्रोड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाइयों की स्थापना करायी जा रही है।

- सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही 10 वर्षो तक एस–जीएसटी की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टॉम्प ड्यूटी में शत–प्रतिशत छूट (बैंक गारण्टी के विरूद्ध) प्रदान की जा रही है। नीति के अन्तर्गत जैव ऊर्जा की 14 परियोजनाओं में कुल रू0 2492 करोड़ का निवेश स्वीकृत है।
- चीनी मिलों में उपलब्ध बगास से को–जनरेशन द्वारा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं स्थापित कराने हेतु यूपीनेडा द्वारा एक उत्प्रेरक/फैसीलिटेटर के रूप में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 65 चीनी मिलों में लगभग 1900 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित हैं।
- बगास के अलावा अन्य बायोमॉस (एग्रो–रेसीड्यू) का उपयोग कर विभिन्न तकनीक यथा– गैसीफिकेशन, सह–उत्पादन तथा कम्बस्शन पर आधारित 286 मेगावॉट के ग्रिड/कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट स्थापित किये जा चुके है।
- विभिन्न औद्योगिक इकाइयों यथा– डिस्टलरीज, फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज, डेयरी, पेपर एण्ड पल्प आदि से निकलने वाले कचरे (अपशिष्ट) से कुल 104 मेगावॉट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं स्थापित है।

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

- भारत सरकार की संस्था नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ विण्ड एनर्जी, चेन्नई द्वारा किये गये प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर घाघरा एवं शारदा नदियों के बेसिन में 80 मीटर की ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की सम्भावनाओं के दृष्टिगत मुख्यतः शाहजहाँपुर, लखीमपुर–खीरी, पीलीभीत, सीतापुर, बलरामपुर एवं सिद्धार्थनगर जिलों में सर्वेक्षण कार्य किया गया।
- अभिकरण द्वारा शाहजहाँपुर के ग्राम बिजौरा एवं लखीमपुर के ग्राम गुलेरिया में 80 मीटर ऊँचाई का पहला विण्ड मॉनीटरिंग मास्ट स्थापित कराकर विण्ड आँकलन एकत्रित कर रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है।
- वायु संसाधन मूल्यांकन, उ0प्र0 में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (पूर्ववर्ती सेन्टर फार विन्ड एनर्जी टेक्नालॉजी) भारत सरकार द्वारा पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की सम्भाव्यता आँकलित की गई, जिसके अनुसार प्रदेश में 50 मीटर की ऊँचाई पर 137 मेगावॉट एवं 80 मीटर की ऊँचाई पर 1260 मेगावॉट के पोटेंशियल का आँकलन किया गया है।

लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा कैनाल फाल्स पर आधारित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति घोषित की गयी है–

- इसके अन्तर्गत 15 मेगावाट तक की परियोजनाएं यूपीनेडा व 15 मेगावाट से अधिक हेतु उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- इस नीति में कैनाल फाल्स पर चिन्हित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा, साथ ही उन्हे ऊपरी पारेषण लाईन बिछाने हेतु राईट–ऑफ–वे की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार उत्पादित ऊर्जा को विद्युत अधिभार से छूट दी जाएगी। इसके अन्तर्गत यूपीनेडा द्वारा 01 परियोजना एवं उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम द्वारा 08 परियोजनायें, (कुल 09 परियोजनायें) जिनकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है, निजी विकासकर्ताओं को आवंटित की जा चुकी है।

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

- **ऊर्जा संरक्षण** के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन, चित्रकला प्रतियोगिता, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिये जाने की योजना लागू की गयी है।
- एग्रीकल्चर डिमाण्ड साइड मैनेजमेण्ट कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान उदय के रूप में संचालित की जा रही है। उक्त कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु अभिकरण, ईईएसएल एवं यूपीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 9000 पुराने कृषक पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों से परिवर्तित किया जाना है।
- एयरकण्डीशनर का तापमान 24 डिग्री सेण्टीग्रेट अथवा उससे अधिक रखकर ऊर्जा संरक्षण किए जाने के संदर्भ में जनमानस को जागरूक करने के दृष्टिगत एक वैन संचालित की गई।
- प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण के प्रचार–प्रसार का कार्य रेडियों पर जिंगल के माध्यम से किया गया। इसमें पुराने पम्पों को ऊर्जा दक्ष पम्पों में परिवर्तित करने हेतु कृषकों को जागरूक करने के दृष्टिगत जिंगल भी प्रसारित किया गया ।

संचार

डाकघर

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्पबचत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। प्रदेश में डाकघरों की स्थिति तालिका–12.12 में दर्शायी गयी है–

तालिका–12.12:– प्रदेश में डाकघरों की संख्या

मद	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	2	3	4	5
डाकघरों की संख्या	17671	17672	17670	17665
(क) नगरीय	1924	1927	1927	1905
(ख) ग्रामीण	15747	15745	15743	15760

स्रोत :– चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश।

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रिया–कलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्व है। वर्ष 2019–20 में प्रदेश में कुल 414600 बेसिक टेलीफोन तथा 2289 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत थे। वर्ष 2020–21 में बेसिक टेलीफोन कनेक्शन तथा टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या घटकर क्रमशः 258617 एवं 2267 हो गयी। मोबाइल सेवा के वृहद् विस्तार के परिणामस्वरूप ही बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में कमी होना प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में प्रदेश में इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या 157236 हजार थी जो वर्ष 2020–21 में घटकर 78843 हजार हो गयी। प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति तालिका–12.13 में दर्शायी गयी है–

तालिका–12.13:– प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइवर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइवर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार)
1	2	3	4	5
2019–20	414600	2289	157236	16126
2020–21	258617	2267	78843	8366

स्रोत : मुख्य महाप्रबन्धक दूर संचार, भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

* भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पश्चिमी परिमण्डल के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

****

अध्याय–13
पर्यटन एवं नागरिक विमानन

मुख्य बिन्दु

- **पीलीभीत टाइगर रिजर्व,** प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में बना हुआ है। इसको सितंबर 2008 में भारत के 45वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप मे स्थापित किया गया।
- अयोध्या में **दीपोत्सव, 2020** का भव्य आयोजन किया गया जिसकी ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस अवसर पर एक साथ 6.06 लाख दिये प्रज्ज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया है।
- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है।
- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति'' प्रख्यापित की गई है।
- जेवर मे निर्माणाधीन एयरपोर्ट मे हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा।
- कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। राज्य मे शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे।

निवेश एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान की अपार क्षमता को देखते हुये वैश्विक अर्थव्यवस्था में पर्यटन के विकास को गति दी जा रही है। भारत भी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं चिकित्सीय पर्यटन हेतु समृद्ध देश है। 'अतिथि देवो भव' को आदर्श मानने वाला यह देश पर्यटन में विदेशी मुद्रा एवं रोजगार सृजन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए उद्योग का दर्जा प्रदान कर व्यावसायिक स्वरुप दिये जाने की दिशा में अग्रसर है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा 4 सितम्बर, 2019 को घोषित एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व यात्रा पर्यटन प्रतियोगी सूची में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 में 40वें स्थान से ऊपर उठकर 2019 में 34वें स्थान पर आ गयी है, जबकि वर्ष 2015 में 52वीं थी। इस प्रकार वर्ष 2015 से 2019 तक पर्यटन क्षेत्र में 18 स्थानों की छलांग से स्पष्ट है कि भारत द्वारा पर्यटन को बढावा देने के लिये प्रायोजित अतुल्य भारत अभियान, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रासाद स्कीम, सरदार बल्लभ भाई पटेल की सबसे लम्बी प्रतिमा की स्थापना तथा होटल पर्यटन के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढाना एक सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।

पर्यटन के बहु–आयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भी भारत का ऐसा राज्य है, जो पर्यटन के विकास हेतु आवश्यक सभी आधारभूत संसाधन, जैसे– भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ एवं शांत वातावरण, गंगा यमुना की अविरल धाराएं, पवित्र स्थलों, एवं ऐतिहासिक स्मारकों से परिपूर्ण है।

राज्य में पर्यटन–विकास हेतु निजी क्षेत्र के लिए भी पूँजी–निवेश की विपुल सम्भावनाएं विद्यमान हैं। हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम निवेश से भी अधिक रोजगार सृजित हो सकते है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के एक आँकलन के अनुसार, पर्यटन में प्रति 10 लाख रुपये के निवेश पर 47.5 रोजगार के अवसर सृजित किये जा सकते है। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार एवं राजस्व के

सन्दर्भ में इस उद्योग की महत्ता को देखते हुये इसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

तालिका संख्या–13.01:– प्रदेश पर्यटन मे क्रमिक परिवर्तन (लाख में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल	प्रतिशत परिवर्तन		
				भारतीय	विदेशी	कुल
2015	2065.15	31.04	2096.19,	(+) 12.06%	(+) 6.67%	(+) 11.98%
2016	2135.44	31.56	2167.01	(+) 3.40%	(+) 1.69%	(+) 3.37%
2017	2339.77	35.56	2375.33	(+) 9.56%	(+) 12.65%	(+) 9.61%
2018	2850.79	37.80	2888.60	(+) 21.84%	(+) 6.31%	(+) 21.60%
2019	5358.55	47.45	5406.00	(+) 87.96%	(+) 25.50%	(+) 87.14%
2020	861.22	8.90	870.13	(–) 83.93	(–) 81.24	(–) 83.90

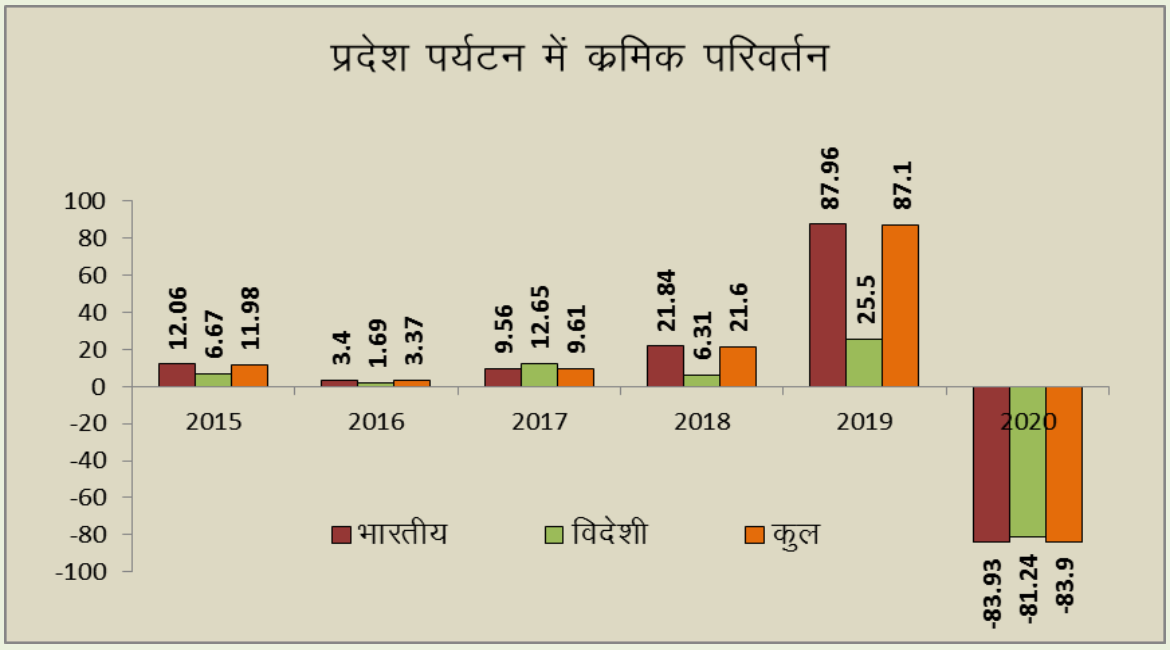

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कि वर्ष 2015 में कुल पर्यटकों की सख्या जो 2096.19 **लाख** थी वह 2019 में बढ़कर 5406.00 **लाख** तक पहुच गयीं, जिसमें विदेशी पर्यटक क्रमशः 31.04 **लाख** से बढकर 47.45 **लाख** और घरेलू पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2096.19 **लाख** से 5358.55 **लाख** हो गयी। वृद्धि दर के विश्लेषण से भी स्पष्ट है कि 2015 की अपेक्षा 2016 में वृद्धि दर कम रही, उसके पश्चात् 2017 में 9.61 प्रतिशत, 2018 में 21.60 प्रतिशत एवं 2019 में तीव्र उछाल के साथ 87.14 प्रतिशत हो गयी, सम्भवतः यह कुम्भ मेला 2019 के सफल आयोजन के फलस्वरूप हुआ है।

कुम्भ 2019 प्रयागराज मे 2394.70 लाख भारतीय पर्यटक एवं 10.30 लाख विदेशी पर्यटक सहित कुल 2405 लाख पर्यटक भ्रमणार्थ/स्नानार्थ आये, जो कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह भी उल्लेखनीय है, कि वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की वृद्धि दर 87.96 प्रतिशत के साथ–साथ विदेशी पर्यटकों की सख्या में भी 25.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु **वर्ष 2020 में कोविड–19 के** कारण मार्च 2020 से प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थलों को बन्द कर दिया गया था जिससे पर्यटकों की संख्या कम होकर **कुल 870.12 लाख** हो गयी जिनमें **भारतीय पर्यटक 861.22 लाख**

एवं **विदेशी पर्यटक 8.90 लाख** है। तदन्तर वर्ष 2021 में कोविड–19 की दूसरी लहर के कारण वर्तमान में भी पर्यटकों का आवागमन अत्यधिक कम है।

पर्यटन मे बजट प्रावधान

- वार्षिक योजना वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत कुल रू0 103820.37 लाख बजट की व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 11649.99 लाख एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 85220.37 लाख, जिला योजना में रू0 500 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 6450.01 लाख सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 6584.62 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 43497.02 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। कुल बजट के सापेक्ष रूपया 50081.64 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गई है तथा जारी स्वीकृतियों के सापेक्ष कुल रूपया 48956.65 लाख व्यय किया गया है।
- वार्षिक योजना वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत कुल रू0 107591.53 लाख बजट की व्यवस्था हुई, जिसमें राजस्व मद में रू0 12188.10 लाख एवं पूँजीगत मद के अन्तर्गत राज्य सेक्टर में रू0 88150.02 लाख, जिला योजना में रू0 500 लाख तथा केन्द्रीय योजना के लिए रू0 7253.41 लाख सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अगस्त 2021 तक राजस्व मद के अन्तर्गत रू0 5022.10 लाख तथा पूँजीगत मद के अन्तर्गत रू0 6879.75 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गयी। कुल बजट के सापेक्ष रूपया 11901.85 लाख की स्वीकृतियाँ निर्गत की गई है तथा जारी कुल स्वीकृतियों के सापेक्ष कुल रूपया 7035.22 लाख व्यय किया गया है।

पर्यटन का विकास

- प्रदेश सरकार 'रामायण पर इन्साइक्लोपीडिया' बनवाने के साथ ही अब विदेशियों को रामलीला के मंचन की बारीकियां सिखायेगीं, अब तक इजराइल, वेनेजुएला, आदि देश के लोगों ने पंजीकरण कराया है। वाराणसी में लहरतारा तालाब, कबीर स्थल, गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर सुदृढीकरण व प्रयाग में भारद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास प्रस्तावित है। नई पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, जैन सर्किट/ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं विकास के लिए तथा अयोध्या की दीपावली और ब्रज की होली के आयोजन के लिये प्रावधान हुआ है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर के लिए प्रावधान है।
- वृन्दावन शोध संस्थान के सुदृढीकरण, काशी विश्वनाथ कोरिडोर के तहत गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक सौन्दर्यीकरण एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक मिशन केन्द्र की स्थापना किया जाना प्रावधानित है।
- प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर रोप–वे की परियोजना प्रदेश के तीन स्थलों चित्रकूट, अष्टभुजा–कालीखोह (विन्ध्यांचल) एवं बरसाना (मथुरा) में क्रियान्वित की जा रही है। चित्रकूट रोप–वे का संचालन सितम्बर 2019 से प्रारम्भ हो चुका है। जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यांचल स्थित अष्टभुजा एवं कालीखोह में रोप–वे का संचालन अगस्त 2021 से प्रारम्भ हो गया है। बरसाना (मथुरा) में राधारानी रोप–वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पर्यटक आवास गृहों/इकाइयों को लीज कम डेवलपमेण्ट मैनेजमेन्ट तथा मैनेजमेन्ट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से संचालित एवं विकसित किया जा रहा है।
- विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक अभिनव परियोजना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों– आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के विकास से स्थानीय लोगों के गरीबी–उन्मूलन तथा रोजगार–सृजन हेतु चिह्नित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटन सुविधाओं का सृजन एवं विकास प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत रू0 371.43 करोड़ (57.14 मिलियन यू0एस0 डॉलर) है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 70 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत वहन किया जायेगा। आगरा में शाहजहाँ पार्क एवं

मेहताब बाग–कछपुरा का कार्य एवं वृन्दावन में बांके बिहारी जी मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विकास का कार्य जनवरी, 2018 में प्रारम्भ करा दिया गया है। इस परियोजना में बुद्धा सर्किट के अन्तर्गत सारनाथ एवं कुशीनगर का विकास कार्य सम्मिलित किया गया है। इन नवीन कार्यों हेतु कान्ट्रैक्टर को योजित कर लिया गया है, कार्य प्रगति पर है।

- बौद्ध सर्किट के 6 स्थलों में वर्ष 2015 में जहाँ 29.24 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ वहीं वर्ष 2019 में बढकर 62.28 लाख हो गया। प्रयागराज कुम्भ 2019 में आस्था एवं तकनीक के अविस्मरणीय तालमेल से लगभग 24 करोड़ घरेलू पर्यटकों के प्रतिभाग करने से एक वैश्विक रिकार्ड स्थापित हुआ।
- अयोध्या नगरी को वेटिकन सिटी की तर्ज पर एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म नगरी के रुप में विकसित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह एक ऐसी धर्म नगरी बन सकती है, जहाँ भारतीय आध्यात्मिकता, संस्कृति, धार्मिक परम्पराओं के मूर्त एवं अमूर्त दोनों स्वरुप मौजूद रहेंगें।
- मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद् स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
- बुन्देलखण्ड सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट एवं वाइल्ड लाइफ सर्किट का प्रचार–प्रसार रेडियो जिंगल, मोबाइल ऐप, डिजिटल वेब, बैनर, समाचार पत्रों में विज्ञापन, आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया एवं वेबसाइट (डाइनमिक बैनर) के माध्यम से कराया जायेगा।

स्वदेश दर्शन एवं प्रासाद योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विभिन्न सर्किट को प्रदेश में एकीकृत विकास हेतु स्वीकृत किया है, वर्ष 2021–22 मे किए जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या–13.02:– स्वदेश दर्शन स्कीम

क्र. सं	सर्किट	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 करोड़)
1.	रामायण सर्किट	चित्रकूट एवं श्रृंगवेरपुर का पर्यटन विकास।	69.45
2.	रामायण सर्किट	अयोध्या का पर्यटन विकास।	127.20
3.	बुद्धिस्ट सर्किट	कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती का पर्यटन विकास।	99.97
4.	स्पिरिचुअल सर्किट	गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज का पर्यटन विकास।	15.76
5.	स्पिरिचुअल सर्किट	जेवर–दादरी–सिकन्दराबाद–नोएडा–खुर्जा–बांदा का पर्यटन विकास।	12.03

तालिका संख्या–13.03:– प्रासाद स्कीम

क्र.सं	योजना नाम	प्रस्तावित धनराशि(रू0 करोड़)
1	वाराणसी में क्रूज बोट संचालन की योजना	10.71
2	वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास (फेज–2)	44.60
3	मथुरा स्थित गोवर्धन का पर्यटन विकास	39.73

तालिका संख्या–13.04:– वर्ष 2021–22 मे राज्य सेक्टर के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख)
1.	वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना	18000
2.	अयोध्या में पर्यटन सुविधा एवं सौन्दर्यीकरण	10000
3.	रामगढ़ताल में वाटर स्पोट्स (गोरखपुर)	500
4.	मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेश्वर–आगरा व अन्य स्थलों का विकास	1000
5.	ब्रज तीर्थ विकास परिषद (मथुरा)	5500
6.	विंध्याचल का पर्यटन विकास	2000
7.	गढ़मुक्तेश्वर का समेकित विकास	100
8.	गोरखपुर में स्थित पर्यटन स्थलों का विकास	1500
9.	इको टूरिज्म का विकास	500
10.	सीतापुर स्थित नैमिषारण्य का पर्यटन विकास	1000
11.	आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो–पुअर पर्यटन विकास परियोजना	5000
12.	चित्रकूट में पर्यटन विकास	2000
13.	विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि क्रय	10000
14.	वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	1000
15.	मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास	2000

हेरिटेज आर्क

प्रदेश में नदियों के किनारे यात्रा करना अपने आप में एक यादगार और रोमांचक अनुभव है। हेरिटेज आर्क, यात्रा का हर पल आनंद उठाने का एक नया आयाम है। इसमें प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक आयाम को करीब से देखने का मौका मिलता है और एक छोर से दूसरे छोर तक फैले सुन्दर और जीवंत समाज के भी दर्शन होते हैं।

वास्तव में प्रदेश के जीवन और सुन्दरता का एक परिपूर्ण अवलोकन हेरिटेज आर्क पर यात्रा करने से होता है। यह ऐतिहासिक स्मारक, स्थापत्य कला के अनोखे नमूने, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, तीर्थ स्थल और आत्मिक शांति प्रदान करने के अनेक प्रतीक और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों की यात्रा करने का एक अवसर प्रदान करता है। ''हेरिटेज आर्क'' के तीन प्रमुख केन्द्रों व उनसे जुड़े दर्शनीय स्थल निम्नवत् हैं–

तालिका संख्या–13.05:– हेरिटेज आर्क एवं सम्बन्धित स्थल

क्र0सं0	हेरिटेज आर्क	सम्बन्धित दर्शनीय स्थल
1.	आगरा	आगरा, फतेहपुर सीकरी, चम्बल सेंचुरी, बरसाना, बटेश्वर, इटावा लायन सफारी, गोकुल, नन्दगाँव, मथुरा, वृन्दावन।
2.	लखनऊ	लखनऊ, अयोध्या, बिठूर, देवाशरीफ, दुधवा, कतरनियाघाट वन्य पशु प्रेक्षक, नैमिषारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य।
3.	वाराणसी	वाराणसी, सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती।

"हेरिटेज आर्क का सफर करें और मंत्रमुग्ध हो जाएं।""

ईको–टूरिज्म

- **पीलीभीत टाइगर रिजर्व,** प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में बना हुआ है। यह विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसको सितंबर 2008 में भारत के 45वां टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप मे स्थापित किया गया। इसमें 127 से ज्यादा जानवरों, 326 पक्षियों की प्रजातियों और 2,100 पुष्पों के लिए एक बेहतर निवास है। यहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 1300 प्रजातियों के पक्षियों में से 326 प्रजातियां देखी जा सकती हैं, जिनमें लाल जंगली मुर्गी, हॉर्नबिल, पी फाउल, फिश ईगल, ब्लैक नेक स्टोर्क, वूली नेक स्टोर्क, ड्रोंगो, नाइट जार, ग्रीन पिजन, स्पॉटड आउल, जंगल बाब्लर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, फिश आउल, आदि शामिल है।
- **दुधवा नेशनल पार्क,** लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित दुधवा नेशनल पार्क नेपाल की सीमा से लगे तराई–भाभर क्षेत्र में स्थित है। दुधवा, देश के तराई वन्य क्षेत्रों में शामिल है, जहाँ विभिन्न वनस्पति और वन्य जीवों की प्रजातियाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। यहाँ के वन्य क्षेत्र में घने हरे जंगल, लम्बी घास और अन्य पेड़ पाए जाते हैं और हिरनों की कई प्रजातियों के अलावा बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा, हाथी, सियार, लकड़बग्घा और एक सींग वाला गेंडा निवास करते हैं।
- **राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य** गंगा डॉल्फिन के लिए एक घर है। यह चम्बल घाटी के प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अनुभव करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।
- **सुर सरोवर (कीथम) पक्षी अभ्यारण्य,** आगरा के निकट स्थित प्रवासी एव अप्रवासी पक्षियों के लिए एक सुलभ आश्रय है। यहाँ कई प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ एक विशाल झील, कई मानव निर्मित द्वीप और अनेक छोटे तालाब भी हैं, जो पर्यटकों के लिए बेजोड़ दृश्य पेश करते हैं।
- **चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य** वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है। यह एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। बरसात के मौसम में झरने अद्भुत दृश्य उपस्थित करते हैं।

पर्यटन–केन्द्रों का प्रचार–प्रसार

- मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, चित्रकूट, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी आदि में सांस्कृतिक पर्यटन सुविधाओं का विकास करते हुए वृहद् स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय समाचार पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापन, पर्यटन–साहित्य व पोस्टरों का प्रकाशन, फिल्म–सी0डी0 का निर्माण व वितरण तथा स्थान–स्थान पर होर्डिंगों एवं साइनेज की स्थापना व समय–समय पर प्रदर्शनियों, महोत्सवों के आयोजन के अवसर पर विभागीय झाँकी का प्रदर्शन करवाया जाता है।
- राज्य सरकार, विभिन्न महोत्सवों एवं आयोजनों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है यथा– मगहर महोत्सव (संत कबीर नगर), ताज महोत्सव (आगरा), गोरखपुर महोत्सव (गोरखपुर) तथा लखनऊ महोत्सव (लखनऊ) आदि।
- **उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018** के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने, निजी उद्यमियों को निवेश की सुगमता एवं पर्यटन उद्योग को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने हेतु **''उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2018''** लागू की गयी है।
- अयोध्या में **दीपोत्सव, 2020** का भव्य आयोजन किया गया जिसकी ख्याति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। इस अवसर पर एक साथ 6.06 लाख दिये प्रज्ज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया है। वर्ष 2021 में भी भव्य आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों को सुविधा एवं मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत वन स्टाप ट्रैवल्स सोल्यूशन पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से

पर्यटकों को सूचना एवं मार्गदर्शन, होटल बुकिंग, टैक्सी एवं रेलवे बुकिंग, आकस्मिक (एम्बुलेन्स सेवा), पुलिस सहायता एवं 24/7 ट्रैवल्स असिस्टेंस इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

पर्यटन हेतु अधोसरंचना का विकास

पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सरकार द्वारा पर्यटन अधोसरंचना का विकास किया जा रहा है, जिसमें जन–उपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं।

- परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टिविटी की वजह से महत्वपूर्ण है। सरकार ने यूपी के पश्चिमी भाग (मेरठ) को पूर्वी भाग (प्रयागराज) से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब छह सौ किमी लम्बा यह एक्सप्रेस–वे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक बनेगा। गंगा के किनारे का यह एक्सप्रेस–वे, रोजगार, उद्योग व पर्यटन में भी सहायक होगा।
- **गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे** से जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय सरकार ने लिया है। चार लेन का यह लिंक एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर से शुरू होकर आजमगढ़ तक बनेगा और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जुड़ेगा। इसके बाद आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे व यमुना एक्सप्रेस–वे से जुड़ जाएगा। प्रदेश में 341 किमी लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
- **बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे**, चित्रकूट में भरतपुर के निकट, झाँसी, मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरू होकर बाँदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर समाप्त होगा जिसकी दूरी 296.264 किमी होगी।
- भारतीय रेलवे भी राज्य के पर्यटन विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और माल, यात्रियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पयर्टकों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है। लखनऊ के अतिरिक्त कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर तथा प्रयागराज मे भी मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वाराणसी, मथुरा, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ एवं अयोध्या में हेलीपोर्ट/हेलीपैड/एअरस्ट्रिप का निर्माण प्रक्रिया मे है।
- प्रदेश के समस्त मण्डलों में पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पर्याप्त संख्या में निजी व शासकीय क्षेत्र में विभिन्न स्तर के होटल उपलब्ध हैं। पर्यटन विकास एवं पर्यटन उत्पादों के विपणन हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कान्क्लेव, ट्रेवेल मार्ट, मेले–महोत्सव एवं सेमिनार का आयोजन किया जाता है।

पर्यटन सुरक्षा–व्यवस्था

प्रदेश में **पर्यटन पुलिस बल** का गठन किया गया है, जिसमें 130 पर्यटन पुलिस कर्मी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। पर्यटन पुलिस बल के गठन में सेना के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया गया है। पर्यटन पुलिस बल की आवश्यकताओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए 130 से बढ़ाकर 500 पर्यटन पुलिस बल की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें 200 महिला सुरक्षाकर्मी हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) का गठन किया जा रहा है। इन्हे मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट, जिला न्यायालयों, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों समेत अन्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों की विधिवत जानकारी दी जाएगी।

तालिका संख्या–13.06:– प्रदेश के पारंपरिक त्योहार, मेला एवं महोत्सव

क्रमांक	स्थान	मेला एवं महोत्सव
1	प्रयागराज	कुंभ मेला वार्षिक माघ मेला
2	आगरा	कैलाश मेला, राम बारात, गंगौर मेला, पशु मेला बटेश्वर ताज महोत्सव
3	ब्रज–मथुरा–नंदगाँव	लट्ठमार होली ,श्री कृष्ण जन्माष्टमी मटकी लीला
4	मेरठ	नौचन्दी मेला
5	गढ़मुक्तेश्वर	गढ़ गंगा मेला
6	चित्रकूट	रामायण मेला
7	वाराणसी	देव दीपावली, नक्कटैया, गंगा महोत्सव
8	झाँसी	आयुर्वेद झाँसी महोत्सव
9	अयोध्या	श्रवण झूला मेला, राम नवमी
10	अंबेडकर नगर	गोविंद साहब मेला, किछौछा शरीफ
11	बाराबंकी	देवा मेला, देवा शरीफ,
12	गोरखपुर	तरकुलहा मेला मकर संक्रांति– खिचडी मेला
13	कपिलवस्तु सारनाथ, कुशीनगर श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा	बुद्ध महोत्सव

नागर–विमानन

माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनन्दन में आशा व्यक्त की, कि महात्माबुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पूर्वांचल के विकास को गति मिलेगी। हमारे लिए गौरव का विषय है, कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, कपिलवस्तु तथा संकिसा उत्तर प्रदेश में हैं। उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी और बोधगया भी दूर नहीं है।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दायित्वों को पूर्ण करने की प्रतिबद्धता दशाई गई है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल कारोबारी वातावरण बनाने के लिए मजबूत नागर विमानन अवसंरचना के विकास हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने, विमानन क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करते हुए निवेश आकर्षित करने, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत नए रूट्स का विकास करके एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने, प्रदेश के नॉन–आर.सी. एस. एयरपोर्ट्स के मध्य इन्टर–कनेक्टिविटी हेतु सुविधा प्रदान करने, भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर राज्य में पर्यटन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने, व्यापार और रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा देने, एयर कार्गो हब के विकास को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में कृषि निर्यात एवं अन्य क्षरण योग्य वस्तुओं के निर्यात व विनिर्माण और ई–कामर्स कारोबार को बढ़ावा देने, मानव संसाधन विकसित करके प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष

और प्रेरित रोजगार के अवसर पैदा कर विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने और राज्य में एम.आर.ओ. सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक समग्र **उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017** को अगस्त, 2017 मे अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

- राज्य में नागरिक उड्डयन अवसंरचना का वर्तमान परिदृश्य यह है कि प्रदेश मे हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति'' प्रख्यापित की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ–साथ नॉन–रीजनल कनेक्टिविटी उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार की इस नीति के सकारात्मकता के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश मे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या मे वृद्धि हुई है।
- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अधिकाधिक शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है जिसकी प्रगति निम्नवत् है–जनपद अयोध्या मे निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जेवर मे निर्माणाधीन एयरपोर्ट मे हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। राज्य मे शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे।
- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के अन्तर्गत प्रदेश के अलीगढ, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र (म्योरपुर) स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए है। अलीगढ़ आजमगढ़ मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट शीघ्र ही पूर्ण हो जायेंगे।

तालिका संख्या–13.07:– वित्तीय वर्ष 2019–2020 मे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की प्रगति (धनराशि लाख में)

योजना का नाम	मार्च, 2020 तक वास्तविक व्यय	अभ्युक्ति
उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्य हेतु द्वितीय किस्त की स्वीकृति	1602.04	उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
आरसीएस योजना में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर नए सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि का क्रय	3925.54	भूमि क्रय
आरसीएस योजना में चयनित जनपद सहारनपुर स्थित सरसावां एयरबेस पर नए सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर अवस्थित फलदान वृक्षों का मूल्य, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति		भूमि क्रय
उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती और मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्य हेतु तृतीय किश्त की स्वीकृति	757.54	उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
सैफई हवाई पट्टी के नाम बैनामा कराकर मुआवजा प्रदान करने हेतु वित्तीय स्वीकृति	11.04	

योजना का नाम	मार्च, 2020 तक वास्तविक व्यय	अभ्युक्ति
उ0प्र0 राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास का कार्य हेतु चतुर्थ किश्त की स्वीकृति	219.97	उ0प्र0रा0नि0 निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
कुशीनगर हवाई अड्डे के परिसर में स्थित अवरोधों को हटाए जाने तथा बल्क पावर सप्लाई स्टेशन की स्थापना के कार्य की स्वीकृति	445.75	जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा कार्य कराया जायेगा
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर(सोनभद्र) हवाई पट्टी के को नो–फिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु आवश्यक भूमि प्राप्त करने तथा ओएलएस सर्वे के अनुसार अवरोध हटाए जाने हेतु व्यय की स्वीकृति	8.69	ओएलएस सर्वे का कार्य
देवागंना शिखर पर निर्मित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु प्रभावित 61.589 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण हेतु प्रभावित 0.99488 हे0 वन भूमि के वर्तमान बाजार दर से मूल्य वन विभाग के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	590.41	भूमि क्रय

वित्तीय वर्ष 2020–2021 मे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की प्रगति

(धनराशि लाख में)

योजना का नाम	मार्च 2021 तक वास्तविक व्यय	अभ्युक्ति
कुशीनगर हवाई अड्डे के रनवे परिसर में 33 के0वी0 और 11 के0वी0 लाइन शिफ्ट के कार्य हेतु राइट्स लिमिटेड को भुगतान किया जाना।	673.45	जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा कार्य पूर्ण कराया गया।
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एवं मुरादाबाद एयरपोर्ट के विकास कार्यो हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को भुगतान	888.16	उ0प्र0रा0 नि0 निगम द्वारा कार्य कराया गया है।
आर0सी0एस0स्कीम में चयनित प्रयागराज एयरपोर्ट पर नाला निर्माण कार्य	148.42	जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा कार्य कराया जायेगा।
चित्रकूट हवाई पट्टी को नो फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की परियोजना में आच्छादित 63.269 हे0 वन भूमि पर अवस्थित/बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	8.63	भूमि क्रय
जनपद सहारनपुर के सरसावा एयरबेस पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण हेतु 0.4338 हे0 सरकारी भूमि के पुनर्ग्रहण मूल्य एवं पूँजीगत मूल्य जमा कराये जाने हेतु	62.48	भूमि क्रय

योजना का नाम	मार्च, 2021 तक वास्तविक व्यय	अभ्युक्ति
जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बँगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुड़ौरा में धारा– 28ए के अन्तर्गत जमा प्रतिकर धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय	57.85	भूमि क्रय
कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन हेतु भूमि क्रय	2388.28	भूमि क्रय
जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना	120346.12	भूमि क्रय
अयोध्या में एयरपोर्ट	47585.76	भूमि क्रय

वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु प्रावधान (धनराशि लाख में)

योजना का नाम	बजट प्राविधान
हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन	1100
भूमि क्रय	8900
जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना	50000
भूमि क्रय	150000
अयोध्या में एयरपोर्ट	100
भूमि क्रय	10000

प्रदेश में महात्माबुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। कुशीनगर में इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनने से देश–विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुँचने में आसानी होगी। एयरपोर्ट बनने से बड़ी सख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। इस एयरपोर्ट के लिये भूमि क्रय की जा चुकी है। भारत सरकार ने कुशीनगर हवाईअड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। इससे थाईलैण्ड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे विश्व के अनेक देशों के बौद्ध धर्म में रुचि लेने वाले शोधकर्ता एवं अनुयायी, जो अच्छी कनेक्टिविटी के अभाव में नहीं आ रहे थे, को बौद्ध सर्किट के भ्रमण में आसानी होगी।

****

अध्याय–14
शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- गोरखपुर के वनटांगिया गावों में 05 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं महाराजगंज के वनटांगिया गाँवों में 08 प्राथमिक एवं 04 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है।
- केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।
- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम **'शारदा'** संचालित किया जा रहा है, जिसमें 5 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को चिह्नित कर नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्तमान में 21 महिला पालीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं, सत्र 2020–21 में इन महिला पालीटेक्निक संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 5813 रही है।
- संस्कृत विद्यालयों मे अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी। दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के भवनों का निर्माण प्रगति पर है।

राष्ट्रीय विकास, सामाजिक उत्थान, आर्थिक समृद्धि, स्वावलंबन, प्रौद्योगिकी तथा सूचना तंत्र के सम्वर्धन में शिक्षा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो छात्र–छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ ही उनमें मानवीय मूल्यों, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र के साथ–साथ उनको भविष्य मे आजीविका के प्रति निश्चिन्त और आशावादी बनाये रख सके, अतएव यह राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है क्योंकि शिक्षा के अभाव मे आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है।

प्रदेश में साक्षरता की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत 67.7 है, जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में 57.2 है। महिला एवं पुरूष के साक्षरता प्रतिशत में भी 20.10 का अन्तर रहा। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में 94 प्रतिशत रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत 73 प्रतिशत से भी अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के स्तर को प्राप्त करना प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। प्रमुख राज्यों के साक्षरता प्रतिशत के वर्ष 2001 एवं 2011 के आँकड़े तालिका–14.01 में दर्शाये गये हैं।

तालिका–14.01:– प्रमुख राज्यों की साक्षरता में प्रदेश की स्थिति (प्रतिशत मे)

संख्या	राज्य	2001			2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	केरल	90.9	94.2	87.7	94.0	96.1	92.1
2	हिमांचल प्रदेश	76.5	85.3	67.4	82.8	89.5	75.9
3	महाराष्ट्र	76.9	86.0	67.0	82.3	88.4	75.9
4	तमिलनाडु	73.5	82.4	64.4	80.1	86.8	73.4
	भारत	**64.8**	**75.3**	**53.7**	**73.0**	**80.9**	**64.6**
5	**उत्तर प्रदेश**	**56.3**	**68.8**	**42.2**	**67.7**	**77.3**	**57.2**
6	झारखण्ड	53.6	67.3	38.9	66.4	76.8	55.4
7	राजस्थान	60.4	75.7	43.9	66.1	79.2	52.1
8	बिहार	47.0	59.7	33.1	61.8	71.2	51.5

प्रदेश में साक्षरता जहाँ वर्ष 1991 में 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गई है किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत का अन्तर है।

प्रदेश के अन्दर भी विभिन्न जनपदों के मध्य साक्षरता की स्थिति समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार जहां गौतमबुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.1 प्रतिशत है वहीं श्रावस्ती की मात्र 46.7 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश की विशालता एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना अपने आप में एक चुनौती पूर्ण कार्य है।

तालिका–14.02:– प्रदेश के विभिन्न जनपदों मे साक्षरता

जनपद	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
गौतमबुद्ध नगर	80.1	88.1	**70.8**
गाजियाबाद	78.1	85.4	**69.8**
कानपुर नगर	79.7	83.6	**75.1**
औरैया	78.9	86.1	**70.6**
उत्तर प्रदेश	**67.7**	**77.3**	**57.2**
बदायूँ	51.3	61.0	**40.1**
बलरामपुर	49.5	59.7	**38.4**
बहराइच	49.4	58.3	**39.2**
श्रावस्ती	**46.7**	**57.2**	**34.8**

नोट– जनपद स्तर पर दिये गये साक्षरता प्रतिशत के आंकड़ों पर आधारित हैं।

शिक्षा मनुष्य निर्माण की पहली शर्त है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 06 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 01 से 08 तक निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने हेतु अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में शिक्षा सुधार की प्रगति एवं रणनीति का विवरण उल्लिखित है–

- प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2 लाख 54 हजार 634 विद्यालय संचालित हैं जिनमें प्रदेश के सभी बच्चों के लिये 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। सरकार का संकल्प है कि सभी बच्चे ''खूब पढ़ें आगे बढ़ें'' साथ ही कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई अवश्य पूर्ण करें।
- प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019–2020 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम ''शारदा'' संचालित किया है। यह कार्यक्रम दो चरणों में पूर्ण किया जायेगा।
- गोरखपुर के वनटांगिया गावों में 05 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं महाराजगंज के वनटांगिया गाँवों में 08 प्राथमिक एवं 04 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में एक–एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक एवं उद्देश्यपरक आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- कक्षा 01 से 08 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी बच्चों को जूता–मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कक्षा–1 से कक्षा–8 तक के छात्र/ छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20,558 वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय अर्थात कुल 27,355 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।
- केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्राप्त की जायेगी।
- सैनिक स्कूल मैनपुरी, झाँसी एवं अमेठी के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने तथा गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- संस्कृत विद्यालयों अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरूकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी। दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
- कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, सैनिक स्कूल सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्यून सकल नामांकन दर वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में वर्तमान में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं जिनमें से 47 संस्थानों में महिला शाखायें उपलब्ध हैं जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 1 लाख 72 हजार से अधिक है।
- पूरे प्रदेश में 12 स्वतंत्र रूप से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिये ही स्थापित हैं एवं सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है जिनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4 लाख 58 हजार है।
- प्रदेश में 84 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें अनु0जाति/जनजाति को प्रवेश में 70 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- प्रदेश में स्थापित 16 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी मॉडल पर प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील किया जायेगा। प्रदेश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये सुल्तानपुर में निर्माणाधीन राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्ण कराकर उसे शीघ्र क्रियाशील कराया जायेगा।

प्रदेश में शिक्षा पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2021–22 के अनुसार वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में सरकार का शिक्षा पर चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–14.03:– प्रदेश में शिक्षा पर व्यय (लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूँजीगत व्यय	योग
2019-20	6352318 (22.28%)	313407 (3.43%)	6665725 (17.71%)
2020-21	6153613 (20.67%)	378515 (3.58%)	6532128 (16.19%)
2021-22	7711027 (21.51%)	714685 (4.10%)	8425712 (15.81%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

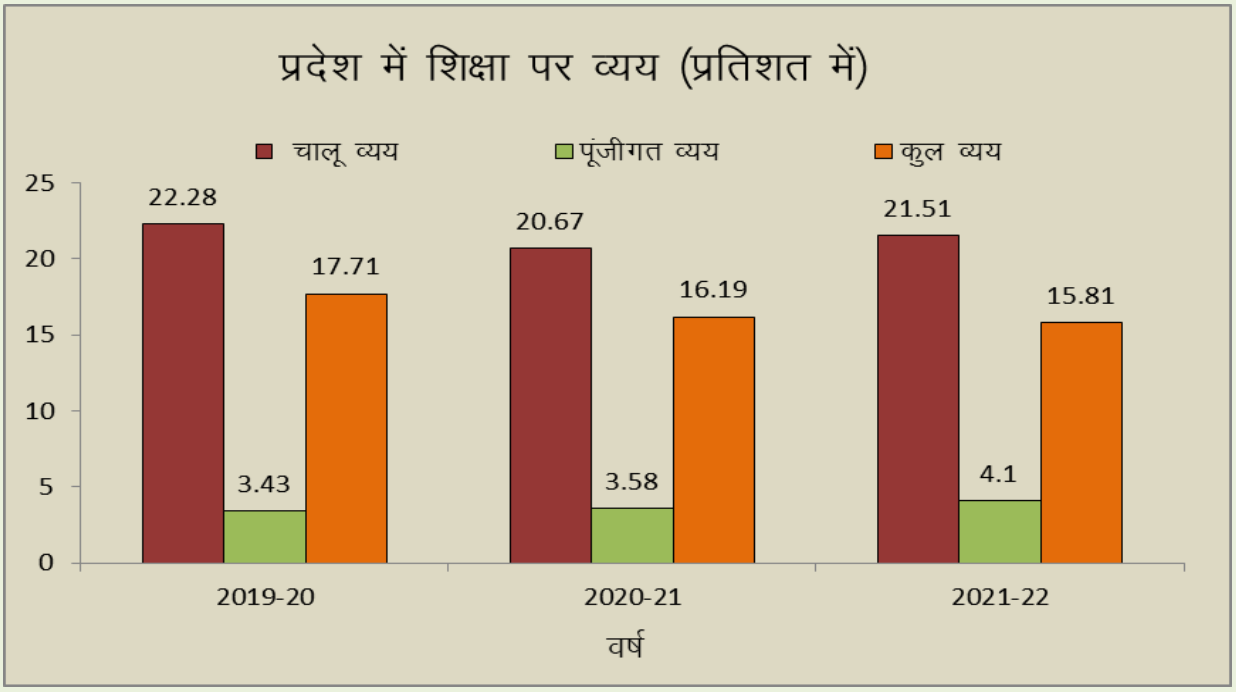

तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर वर्ष 2021–22 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय सरकार के द्वारा सभी मदों पर हुए व्यय के सापेक्ष शिक्षा पर किए गए चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय क्रमशः 21.51 प्रतिशत तथा 4.10 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय का क्रमशः 20.67

प्रतिशत तथा 3.58 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019–20 (वास्तविक अनुमान) में शिक्षा पर कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय का क्रमशः 22.28 प्रतिशत तथा 3.43 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा पर सरकार का चालू व्यय पूँजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय

प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जा रहे राजस्व व्यय तालिका–14.04 में दर्शाए गये है–

तालिका–14.04:– प्रदेश में विभिन्न स्तर की शिक्षा पर राजस्व व्यय (लाख रुपये)

क्रम संख्या	मद	2019–20 (वास्तविक अनुमान)	2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान)	वर्ष 2021–22 (आय–व्ययक अनुमान)
1	प्राथमिक शिक्षा	4121398 (76.1%)	3750389 (73.1%)	4704090 (72.6%)
2	माध्यमिक शिक्षा	986498 (18.2%)	1048640 (20.5%)	1362828 (21.0%)
3	उच्च शिक्षा	236219 (4.4%)	262135 (5.1%)	325538 (5.0%)
4	अन्य	68432 (1.3%)	65885 (1.3%)	86108 (1.4%)
	योग	5412547 (100%)	5127049 (100%)	6478564 (100%)

स्रोत– उत्तर प्रदेश बजट की रुपरेखा 2021–2022

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में शिक्षा पर किये गये कुल व्यय का सर्वाधिक अंश प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया है।

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

प्रदेश में वर्ष 2019–20 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 138185 थी जो वर्ष 2020–21 में कम होकर 138145 हो गयी। इसी प्रकार सी.बे. विद्यालयों की संख्या वर्ष 2019–20 में 83859 थी जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 85570 हो गयी। वर्ष 2019–20 में हायर सकेण्डरी विद्यालयों की संख्या 27959 थी जो वर्ष 2020–21 में कम होकर 27892 हो गयी।

प्रदेश में वर्ष 2019–20 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 558 हजार थी जो वर्ष 2020–21 में बढ़कर 586 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में सी.बे. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 479 हजार थी जो वर्ष 2020–19 में बढ़कर 502 हजार हो गयी। प्रदेश में वर्ष 2019–20 में हा.से. विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 324 हजार थी जो वर्ष 2020–21 में कम होकर 322 हजार हो गयी।

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या–

वर्ष 2020–21 में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे.वि. की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 71.58 थी, जबकि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यह सबसे कम 57.32 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जू.बे. विद्यालयों की संख्या 59.77 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में प्रति लाख जनसंख्या पर सी.बे. विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 48.63 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 32.69 केन्द्रीय क्षेत्र में रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 37.02 रही। वर्ष 2020–21 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पूर्वी क्षेत्र में 12.73 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 9.92 रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12.07 थी।

वर्ष 2020–21 में जू.बे. विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (28.13) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (24.86) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में प्रदेश में यह संख्या 26.97 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2020–21 में सर्वाधिक (29.68) पूर्वी में तथा सबसे कम

(26.50) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में प्रदेश में यह संख्या 28.62 रही। वर्ष 2020–21 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (52.37) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (28.52) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि प्रदेश में यह संख्या 40.84 रही।

तालिका–14.05:–प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या (2020–21)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
पूर्वी	60.80	37.39	12.73	28.13	29.68	46.44
बुन्देलखण्ड	71.58	48.63	9.92	26.35	27.54	39.67
पश्चिमी	57.32	37.22	12.20	25.99	29.07	28.52
केन्द्रीय	59.46	32.69	10.90	24.86	26.50	52.37
उत्तर प्रदेश	59.77	37.02	12.07	26.97	28.62	40.84

प्राथमिक शिक्षा

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके सुसंस्कृत एवं कुशल मानव संसाधन पर निर्भर हैं। सुसंस्कृत एवं कुशल नागरिकों के निर्माण एवं उनके उचित चौमुखी विकास एवं परिवर्द्धन हेतु बुनियादी शिक्षा अहम है। प्रदेश वर्ष 2019–20 तक संचालित विद्यालय (1 से 8) एवं नामांकन की स्थिति निम्नवत रही–

तालिका–14.06:– संचालित विद्यालय एवं नामांकन की स्थिति

वर्ष	कुल विद्यालय	कुल नामांकन
2013–14	240332	36726500
2014–15	243014	36838720
2015–16	246013	36425964
2016–17	237766	34707745
2017–18	244901	29737966
2018–19	241990	33401231
2019–20	222044	317287

गत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार परिलक्षित हुए हैं, किन्तु जिस प्रकार उ0प्र0 में साक्षरता प्रतिशत में पर्याप्त अन्तरजनपदीय विषमतायें है उसी प्रकार से शैक्षिक संकेतांकों में भी विभिन्न जनपदों में पर्याप्त अन्तर है। क्षेत्रीय विशालता एवं अधिक जनसंख्या तथा सीमित संसाधन वाले प्रदेश में सभी जनपदों में एक समान शैक्षिक सुधार लाना चुनौती है।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

1.सर्व शिक्षा अभियान

प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा 1–8) के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से सर्व शिक्षा अभियान सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है।

व्यापक रूप से सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य शिक्षा के स्थायी विकास के लिये प्रदेश, जनपद और उप–जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय और व्यवसायिक क्षमता का निर्माण करना, 6 से 14 आयु वर्ग (कक्षा 1 से 8) के सभी बालक एवं बालिकाओं को सार्थक व लाभदायक शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा की पहुंच में सुधार करना तथा विद्यालयों के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर गैप को समाप्त करना है।

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 द्वारा 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। उपरोक्त अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात अब 6–14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1–8 तक की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक प्रतिबद्धता हो गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कुल धनराशि रू0 748859.58 करोड़ के सापेक्ष रू0 663933.87 करोड़ व्यय किये गये।

समग्र शिक्षा

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा लागू की गयी है जिसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजुकेशन सम्मिलित हैं। समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। इसमें भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार 40 प्रतिशत है।

'आपरेशन कायाकल्प' जून 2020 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय समन्वय/कनवर्जेन्स के माध्यम से प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित किए गए 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं मे से 14 अवस्थापना सुविधाओं यथा–शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक शौचालय, बालिका शौचालय, शौचालय/मूत्रालय में नल–जल आपूर्ति, शौचालय/मूत्रालय का टाइलीकरण, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मल्टीपल हैन्ड वॉशिंग यूनिट कक्षा–कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, श्यामपट्ट, रसोईघर, विद्यालय की समुचित रंगाई–पुताई, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैम्प एवं रेलिंग, कक्षा–कक्ष में उपयुक्त वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, विद्यालय का विद्युत संयोजन) संतृप्त करने का कार्य प्राथमिकता पर गतिमान है।

तालिका–14.07 समग्र शिक्षा की वित्तीय प्रगति–2021–22 (रू0 करोड़ में)

	केन्द्रांश	राज्यांश	योग
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 की अनुमोदित कार्ययोजना	4571.31	3047.54	7618.85
प्राप्त धनराशि का विवरण (31.09.2021 तक की स्थिति)			
01.04.2021 को विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि(अनन्तिम)	2139.94		
वर्ष 2021–22 में प्राप्त धनराशि	909.22	430.93	1340.15
योग	909.22	430.93	3480.09
कुल परिव्यय के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि	3480.09	45.68%	
जनपदों एवं संस्थाओं को कुल अवमुक्त धनराशि	1311.34	34.54%	
उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय	1075.33	30.90%	

ठहराव में सुधार

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के विद्यालय में ठहराव में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्रदेश के 486 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनः निर्माण, 32 **विद्यालयों का वृहद मरम्मत** एवं 1958 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण कराया गया है। 38 विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को पीने के पानी की सुविधा हेतु हैण्ड पम्प 2932 विद्यालयों का विद्युतीकरण एवं 540 दिव्यांग बच्चों हेतु शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सामुदायिक सहभागिता

- आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम **'शारदा'** संचालित किया जा रहा है, जिसमें 5 से 14 आयुवर्ग के बच्चों को चिन्हित कर नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति की ट्रैकिंग शारदा पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- अद्यतन कुल 411773 आउट आफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं 317287 बच्चों का नामांकन की प्रक्रिया जनपदों मे गतिमान है। अद्यतन कुल 4,11,773 आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जा चुका है तथा इनमें से 3,17,287 बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराया जा चुका है।
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन के लिए समेकित फ्रेमवर्क लागू किया गया है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के विभिन्न घटकों की मॉनीटरिंग व तकनीकी सपोर्ट के लिए मोबाइल ऐप बेस्ड इन्टीग्रेटेड प्रणाली **'समर्थ'** लागू की गयी है।

शिक्षा की पहुँच में सुधार

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने 'उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011' के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसके 01 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में, जिसके 03 किमी0 की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है। नगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों के निकट स्कूलों की पहुँच के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिश्रित स्कूल स्वीकृत किये गये थे। यह बहुमंजिले स्कूल भवन कक्षा 1 से 8 तक के लिये है। विगत 15 वर्षो में 26299 नवीन प्राथमिक, 29231 उच्च प्राथमिक एवं 104 नगरीय क्षेत्रों में विद्यालयों के भवन निर्माण हुए।

- आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन हेतु हाउस होल्ड सर्वे में 6–14 आयुवर्ग के कुल 411773 बच्चे चिन्हित किये गये, जिसके सापेक्ष 317287 बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया गया।
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन के लिए समेकित फ्रेमवर्क लागू किया गया है। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के विभिन्न घटकों की मॉनीटरिंग व तकनीकी सपोर्ट के लिए मोबाइल एप बेस्ड इन्टीग्रेटेड प्रणाली **'समर्थ'** लागू की गयी है।
- प्रदेश में संचालित परिषद्ीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी बालिकाओं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बालकों, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण कराया जाता है।
- गरीबी रेखा के ऊपर के 150.42 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क दो जोड़ी यूनीफार्म वितरित की गयी है। वर्ष 2020–21 में शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही कक्षा 1–8 तक 179.60 लाख छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पुस्तक वितरित की गयी।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवासीय कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारम्भ वर्ष 2004–05 में किया गया। यह योजना शैक्षणिक रूप से पिछड़े उन विकास खण्डों में संचालित है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर 01 अप्रैल 2008 से प्रभावी पुनरीक्षित गाइड लाइन्स के अनुसार, 30 प्रतिशत से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले 79 विकास खण्ड तथा राष्ट्रीय औसत 53.67 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले अल्पसंख्यक बाहुल्य 52 कस्बे/शहर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 तथा अल्पसंख्यक वर्ग की 75 प्रतिशत बालिकाएं तथा बीपीएल परिवारों की 25 प्रतिशत बालिकाएं नामांकित की जाती हैं। प्रदेश में कुल 746 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित हैं। 350 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा–12 तक उच्चीकरण किया गया है। सभी संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 78171 बालिकाएं नामांकित की गयी है–

तालिका–14.08:– वर्ष 2020–21 में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में नामांकन की स्थिति

श्रेणीवार नामांकन					योग
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	बीपीएल	अल्संख्यक	
37480	1155	29067	4433	6036	78171

क्रियाशील शौचालय, पेयजल, बायोमैट्रिक, सीसीटीवी, बेडिंग, इन्सीनेरेटर, टी0वी0 एवं सतत् निरीक्षण एवं सुरक्षा–संरक्षा हेतु जनपद स्तर से होमगार्ड की व्यवस्था एवं राज्य परियोजना कार्यालय से प्रान्तीय रक्षा दल के कार्मिकों की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये गये। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए परफार्मेन्स इन्डीकेटर्स निर्धारित कर श्रेणीकरण की व्यवस्था लागू की गई है।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में संचालित विशेष अभियान

- मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारम्भ 15 अगस्त (स्वंत्रता दिवस) 2021 के अवसर पर विद्यालय स्तर पर वरिष्ठ महिला अभिभावक द्वारा झंडारोहण से किया गया। इस दौरान उपस्थित अभिभावकों द्वारा बेटियों के जन्म पर खुशियॉ मनाने तथा बेटियों को शिक्षित करने की शपथ ली गयी।
- **मीना** की लघु फिल्मों के माध्यम से जनजागरूकता एवं प्रचार–प्रसार का प्रारम्भ अगस्त, 2021 से प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत जेण्डर एवं इक्विटी आधारित फिल्म का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से अध्यापकों को उपलब्ध कराया गया।
- समग्र शिक्षा, उ0प्र0, नेशलन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेण्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइन्सेस बंगलौर एवं यूनीसेफ के सयुंक्त तत्वाधान में सितम्बर 2021 को ''जेण्डर इक्विटी टू एडोलसेन्ट–ए लाइफ स्किल एप्रोच'' पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 31000 शिक्षकों, एस0आर0जी0, ए0आर0पी0, जेण्डर नोडल तथा जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- जेण्डर इक्विटी तथा जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित मीना की दुनिया ऑडियो एपिसोड, जो यूनीसेफ द्वारा विकसित किये गये हैं, का प्रसारण किया जा रहा है। 24 सितम्बर, 2021 को 1.33 लाख विद्यालयों में बड़े ही उत्साह एवं धूम–धाम से **मीना दिवस** का आयोजन किया गया।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां एवं अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में वृहद् शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है–

(क) ऑनलाइन मोड

- ई–पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों/प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जा रहा है।
- राज्य स्तर से प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता सन्बंधी सामग्री प्रेषित की जा रही है, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों/प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सऐप ग्रुप पर साझा किया जा रहा है।
- प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड एलांग ऐप और दीक्षा ऐप के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिसके द्वारा प्रति सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों को सीखने–सिखाने का कार्य किया जा रहा है।
- शिक्षण को रूचिकर एवं प्रभावी बनाने के लिये दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों को अतिरिक्त डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। इस ऐप पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए 5000 से अधिक उच्च कोटि के विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं।

(ख) ऑफलाइन मोड

- बच्चों को विद्यालयी वातावरण से सहज होने तथा भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ विभिन्न खेल गतिविधियाँ करायी जा रही हैं।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हिन्दी व गणित विषय में भी प्रारंभिक दिनों में गतिविधियाँ कराने पर फोकस किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन 1 घंटा हिन्दी व 1 घंटा गणित पर कार्य कराया जा रहा है।
- प्राथमिक स्तर पर ''समृद्ध'' व उच्च प्राथमिक स्तर पर ''ध्यानाकर्षण'' मॉड्यूल के अनुसार रिमीडियल टीचिंग की जा रही है। शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षकों द्वारा फार्मेटिव तरीके से बच्चों के अधिगम का नियमित आँकलन कर उनकी प्रगति को प्रेरणा तालिका में अंकित किया जा रहा है।
- 'समृद्ध' हस्तपुस्तिका के साथ–साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्री का व्यापक प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

अन्य कार्य

- पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेन्ट सिस्टम पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ जनपद के विकासखण्ड सरोजनीनगर में लागू किया गया, जिसकी सफलता के उपरान्त प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू कर दिया गया है।
- गवर्नेन्स एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रेरणा' पोर्टल एवं 'मानव सम्पदा पोर्टल' पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। 'मानव सम्पदा पोर्टल' के माध्यम से शिक्षकों का सेवा–विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, विभिन्न देयों का भुगतान, सेवा–पुस्तिका, चरित्र पंजिका आदि की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।

माध्यमिक शिक्षा

शिक्षार्थियों को प्रदेश सरकार ने गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं। वर्तमान में 2273 राजकीय, 5082 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 21252 वित्तविहीन, कुल 28607 माध्यमिक विद्यालय संचालित है। प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने एवं शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि कर सृजनात्मक विकास करने के उद्देश्य से अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही है, जो निम्नवत् हैं–

समग्र शिक्षा अभियान

भारत सरकार की सहायता से 14–18 आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं की शिक्षा के विशेष उपाय किये जाने हेतु यह अभियान वर्ष 2009–10 से संचालित है। यह केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश है। इसका मुख्य उद्देश्य हाईस्कूल के छात्र/छात्राओं के लिये 5 किमी0 की परिधि में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 482.88 करोड बजट के सापेक्ष रू0 161.41 करोड एवं वर्ष 2021–22 में रू0 559.22 करोड़ के सापेक्ष रू0 63.33 करोड़ का व्यय अगस्त 2021 तक हुआ।

व्यवसायिक शिक्षा

यह योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में संचालित है। योजना से 892 माध्यमिक विद्यालय आच्छादित है। इस योजना हेतु 35 ट्रेड, स्वीकृत किये गये है। वर्ष 2020–21 में रू0 30 करोड़ के सापेक्ष रू0 23.92 करोड़ की धनराशि व्यय हुआ एवं वर्ष 2021–22 में प्राविधानित रू0 35 करोड़ के सापेक्ष रू0 7.88 करोड़ की धनराशि अगस्त 2021 तक व्यय की जा चुकी है।

कन्या मा0 विद्यालयों की स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान

वर्ष 2000–01 में आरम्भ इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड को रू0 20 लाख की दर से (दो समान किश्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2016–17 तक 396 विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। वर्ष 2020–21 हेतु रू0 50 लाख बजट के सापेक्ष एक विद्यालय को रू0 10 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2021–22 हेतु रू0 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

नये सैनिक स्कूलों की स्थापना

बच्चों में राष्ट्रीय भावना, शारीरिक विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देते हुए उन्हें सैन्य सेवाओं हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जनपद अमेठी, मैनपुरी एवं झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 40 करोड का बजट स्वीकृत की गयी। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रू0 90 करोड का बजट प्राविधान है।

कोविड–19 महामारी के दौरान किये गये नवोन्मेष परिवर्तन/प्रयास

कोविड–19 के कारण स्कूल बन्द होने के कारण विद्यार्थियों के हित में अप्रैल–2020 से व्हाट्सऐप के माध्यम से एवं मई 2020 से दूरदर्शन के स्वयं प्रथा चैनल एवं ई–ज्ञान गंगा कार्यक्रम के माध्यम से हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की ई–कक्षाएं प्रारम्भ करवाई गयी। विद्यार्थियों को अनवरत शिक्षण प्रदान करने के लिए कक्षा–9 एवं 11 हेतु ई–विद्या चैनल पर पाठ्यक्रमानुसार शैक्षणिक वीडियो का प्रसारण करवाया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर ई–पाठ्य पुस्तकों, **दीक्षा पोर्टल** पर विषयवार शैक्षिक वीडियो, यू–ट्यूब चैनल वेबसाइट पर उत्कृष्ट व्याख्यानों द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान की व्यवस्था की गयी।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों विद्यार्थियों और उनके अभिभावक के माध्यम से निरन्तर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये गये। लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए निबन्ध लेखन पोस्टर एवं सामान्य ज्ञान/स्लोगन लेखन इत्यादि विविध प्रकार की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं

का आयोजन कराया गया। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम अंगीकृत किया गया है, व्यावसायिक शिक्षा में नवीन ट्रेड शामिल किये गये हैं तथा कम मूल्य पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं।

तालिका–14.09:– माध्यमिक शिक्षा का आय–व्ययक प्रावधान एवं व्यय (करोड़ रू0 में)

वर्ष	आय–व्ययक प्रावधान	व्यय
2019–20	12257.89	10449.09
2020–21	13120.26	5733.01
2021–22	14067.26	3144.71 (अनन्तिम)

उच्च शिक्षा

बदलते हुये परिवेश के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास हेतु प्रदेश के उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था एवं व्यवसाय–परक शिक्षा प्रदान कर उच्च शिक्षित युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। इस हेतु एक ओर महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार तो दूसरी ओर उच्च शिक्षा में निजी निवेश एवं सहभागिता को आकृष्ट करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना जैसे कार्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 18 राज्य विश्वविद्यालय, 171 राजकीय महाविद्यालय, 331 अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालय 7372 स्व–वित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षण संस्थाएं एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आँकड़े निम्नवत् है–

तालिका–14.10:– उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्रम संख्या	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रा एवं अध्यापकों की संख्या	2019–20	2020–21
1	2	3	4
1	**विश्वविद्यालयों की संख्या**		
	1–राज्य विश्वविद्यालय	16	18
	2–मुक्त विश्वविद्यालय	01	01
	3–डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01
	4–निजी विश्वविद्यालय	27	28
2	शासकीय महाविद्यालय	170	171
3	अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	331	331
4	अनानुदानित/स्व–वित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	6682	7372
5	कुल महाविद्यालयों की संख्या	7183	7874
6	**महाविद्यालयों में छात्र संख्या**		
	छात्र	1969206	2177467
	छात्रायें	2214786	2363138
योग		**4183992**	**4540605**

उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएं

- उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु प्रदेश में सहारनपुर, आजमगढ़ तथा अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
- महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ के लोकोपयोगी मन्तव्यों एवं उपदेशों को एकत्रित कर योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरू श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना की गयी है। इस हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के कुल 28 पदों का सृजन किया गया है।
- पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एव चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गयी है।
- शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोध पीठ तथा अभिनव गुप्त इन्स्टीट्यूट आफ शैव फिलॉस्फी एवं एस्थेटिक्स की स्थापना की गई है।
- श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अटल सुशासन पीठ की स्थापना की गयी है तथा महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार पीठ की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।
- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइन्स आफ स्टडी एण्ड रिसर्च तथा रिसर्च सेण्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है ।
- 50 नये राजकीय तथा 01 राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना की जा रही है, जिसके भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में रुपया 200 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।
- सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में वाई–फाई की सुविधा प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए सेमिनार एवं वर्कशॉप कराये जा रहे हैं, जिससे नैक मूल्यांकन की कार्यवाही गतिमान हो सके।
- स्व0 अटल बिहारी बाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर डी.ए.वी. कालेज, कानपुर में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय को 5 करोड़ रुपये अवमुक्त किया गया था, जो महाविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया है।
- प्रदेश में प्रथम बार भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मीन्स योजनान्तर्गत ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों एवं शैक्षणिक प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु एकेडमिक स्टाफ कॉलेज लखनऊ के माध्यम से शिक्षकों को लघु अवधि पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
- मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े न्यून सकल नामांकन वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है । इस योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60 एवं 40 है।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के वैश्विक मानकों की प्राप्ति हेतु राज्य विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों हेतु उत्कृष्टता केन्द्र बनाये जाने के उद्देश्य से **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स** की स्थापना की गई है।

- **मिशन शक्ति** का तृतीय चरण वर्तमान में प्रचलित है जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सहभागिता, सम्मान एवं आत्मसुरक्षा तथा पोक्सो एक्ट आदि कानूनों का वृहद् प्रचार–प्रसार के लिए एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 प्रदेश के तहसील ब्लॉक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों में **ई–लर्निंग पार्क** विकसित किये जाने हेतु प्रत्येक राजकीय महाविद्यालयों में 05 कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु रुपये 480 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 प्रदेश के दूरस्थ अंचलों मे स्थित 120 राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों में 1080 प्री–लोडेट टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु 480 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है।
- राजकीय कृषि महाविद्यालय हरदोई, राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला आजमगढ़ एवं राजकीय महाविद्यालय कटरा चुग्घुपुर, सुल्तानपुर के भवन निर्माण के पश्चात् हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
- शोध नवाचार एवं गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेंटर एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दुइज्म, बुद्धिज्म ऐण्ड जैनिज्म के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र में प्राच्य भाषा एवं विदेशी भाषा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 26 मॉडल राजकीय महाविद्यालयों में कक्षायें संचालित की जा रही है।
- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक नगरीय क्षेत्र हेतु 40 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 100 एकड़ निर्धारित था जिसे सरकार द्वारा संशोधित कर क्रमशः नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20 एकड़ एवं 50 एकड़ कर दिया गया है।

प्रावैधिक शिक्षा

विकास के इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्कर्षकाल मे प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता प्रदेश में सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। दिव्यांग एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट प्लान (एमएसडीपी) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पॉलीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा रही है। एआईसीटीई के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं में इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टाफ, इक्विपमेन्ट एवं भवन) उपलब्ध कराये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

तालिका–14.11:– प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

संस्थायें	2018–19	2019–20	2020–21
1–राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की संख्या (डिग्री स्तरीय)	12	12	12
(अ) प्रवेश क्षमता	3021	3079	3069
(ब) वास्तविक प्रवेश	2917	3017	3051
2–राजकीय/अनुदानित संस्थाओं की संख्या (डिप्लोमा स्तरीय)	160	166	166
(अ) प्रवेश क्षमता	36810	42646	46105
(ब) वास्तविक प्रवेश	30875	34991	34309

- सत्र 2020–21 हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बी0टेक0, बी0फार्मा, बी0आर्क0 तथा होटल मैनेजमेन्ट के पाठ्यक्रमों हेतु चयनित 23902 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया।
- डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से कराये जाते हैं। सत्र 2020–21 हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन काउन्सलिंग के माध्यम से 34309 अभ्यर्थियों का प्रवेश कराया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 198 राजकीय एवं 19 अनुदानित अर्थात् 217 पॉलीटेक्निक संचालित हैं एवं 51 डिप्लोमा स्तरीय निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राविधानित आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष 48 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लैंग्वेज लैब की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- एनआईसीटीई के मानकानुसार 09 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं के भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं निर्माणाधीन 10 महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य पूर्ण कराकर जनोपयोगी बनाया जायेगा।
- प्रदेश की पूर्व संचालित 166 एवं पीपीपी मॉडल पर स्वीकृत 02 नवीन संस्थायें अर्थात 168 राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये 47343 सीटों (ईडब्लूएस कोटा सहित) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता से दो संस्थायें यथा–राजकीय पॉलीटेक्निक, अतरौलिया, आजमगढ़ एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, कुलपहाड़ महोबा का वर्ष 2021–22 से पीपीपी माडल पर प्रबन्धन/संचालन कराने की प्रक्रियान्तर्गत पूर्ण निर्मित भवनों को निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करा दिया गया है।
- शोघ विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय पॉलीटेक्निक, गाजियाबाद में स्थापित ईएमआरसी स्टूडियों के माध्यम से प्रदेश की 47 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में स्थित वर्चुअल क्लास रूप में लगभग 150 ई–सजीव व्याख्यान कराया जाना प्रस्तावित है।
- पाठ्यचर्चा पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं को पुनरीक्षित कराने का कार्य प्रस्तावित है। शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एंव तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्तमान में 21 महिला पॉलीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं, सत्र 2020–21 में इन महिला पॉलीटेक्निक संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 5813 रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मण्डल/जनपदों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 07 महिला पॉलीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जो पीपीपी मॉडल के माध्यम से संचालित कराया जाना प्रस्तावित है। विगत पाँच वर्षों में प्रदेश में संचालित की गयी पॉलीटेक्निक की संख्या में हुई अभिवृद्धि का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका–14.12:– पॉलीटेक्निकों की संख्या

वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21
145	155	160	166	166

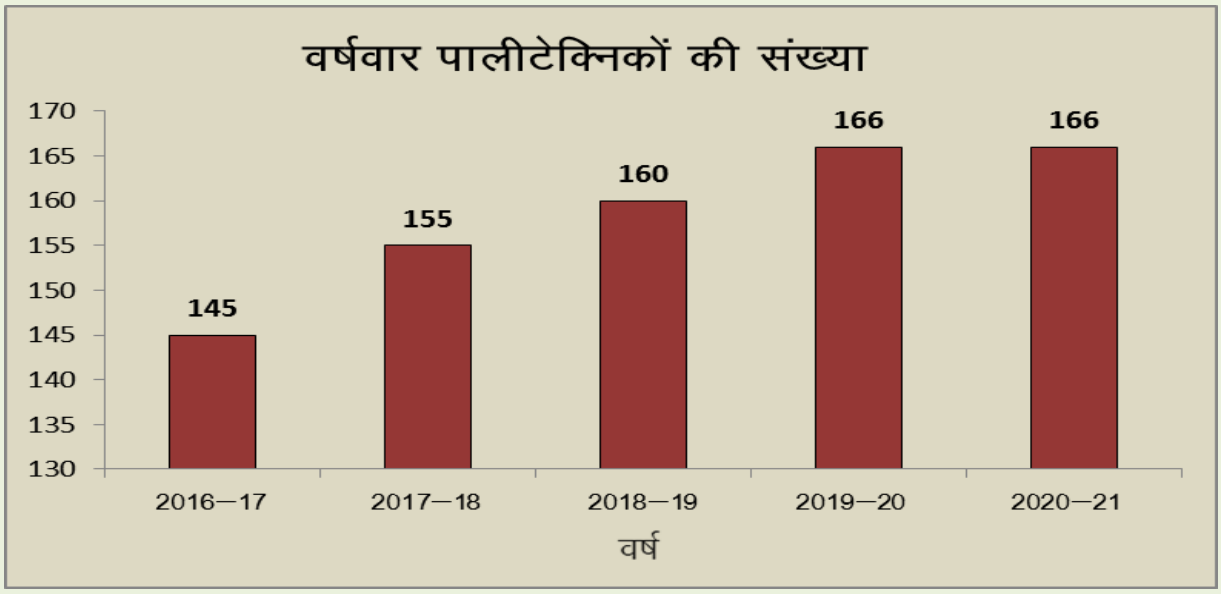

दिव्यांगजन हेतु प्रदेश में विशिष्ट संस्था डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर मे स्थापित है, जिसकी प्रवेश क्षमता सत्र 2020–21 में 150 निर्धारित थी। इसके अतिरिक्त सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा स्वीकृत '' स्कीम फार इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलटीज इन दि मेन स्ट्रीम आफ टेक्निकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन'' के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, झाँसी में 26 एवं राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, मुरादाबाद में 06 सीटों पर दिव्यांग छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में दिव्यांगजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी अनुमन्य है।

पॉलीटेक्निक छात्रों के प्रवेश से लेकर उनके अध्ययन, परीक्षा, परिणाम तथा प्लेसमेंट तक के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित छात्र सुविधाओं को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु एक **यू राइज पोर्टल** का निर्माण कराया गया है। पाठ्यचर्या विकास के अन्तर्गत शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर द्वारा सत्र 2020–21 में 20 पाठ्यक्रम (1 तीन वर्षीय, 1 दो वर्षीय तथा 8 एक वर्षीय) के प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या प्रदेश की पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लागू किया गया।

नन्दी फाउण्डेशन, हैदराबाद के द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं के अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं, जिसमें छात्रों को एप्टीट्यूड एण्ड कम्यूनिकेटिव इंग्लिश के साथ साफ्ट स्किल, इन्टरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन एवं पर्सनॉल्टी डेवलपमेन्ट आदि टॉपिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2020–21 में कुल 3604 छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

विगत तीन वर्षो में प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर के अन्तर्गत पॉलीटेक्निक के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण एवं अवस्थापना कार्यों हेतु पूँजीगत मद में प्राविधानित धनराशि एवं उसके सापेक्ष हुये वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत हैः–

तालिका–14.13:– पॉलीटेक्निक के अनावसीय/आवासीय भवनों के निर्माण में प्राविधानित एवं वास्तविक व्यय

वित्तीय वर्ष	प्राविधान	व्यय
2018–19	15048.02	12490.62
2019–20	12370.02	7242.04
2020–21	11882.02	6257.18

प्रदेश में डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं की अभिवृद्धि में राज्य सेक्टर से जनपद मैनपुरी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में एक–एक राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना की गयी है। जिसमें से तीन इन्जीनियरिंग कालेज यथा– जनपद–मैनपुरी, कन्नौज एवं सोनभद्र अपने निजी भवन में संचालित हो रहे हैं तथा प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर इन्जीनियरिंग कालेज अवस्थापना की प्रक्रिया में है।

तालिका–14.14:– डिप्लोमा सेक्टर में आय–व्ययक प्राविधान एवं व्यय की स्थिति (रू0 लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान	व्यय
2018-19	32203.95	29734.86
2019-20	36147.69	31685.55
2020-21	36735.11	29704.72

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकानुसार प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निक के अध्ययनरत छात्रों में कम्यूनिकेशन स्किल, साफ्ट स्किल आदि की वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से संस्थाओं में लेंग्वेज लैब की स्थापना करायी जा रही है। वर्ष 2020–21 में 10 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में लैंगवेज लैब की स्थापना की गयी। इस प्रकार वर्तमान में कुल 74 संस्थाओं में लैंग्वेज लैब की स्थापना हो चुकी है।

तालिका–14.15:– पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश की स्थिति

राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्था		
वर्ष	प्रवेश क्षमता	वास्तविक प्रवेश
2018–19	36810	30875
2019–20	42646	34991
2020–21	46105	34309

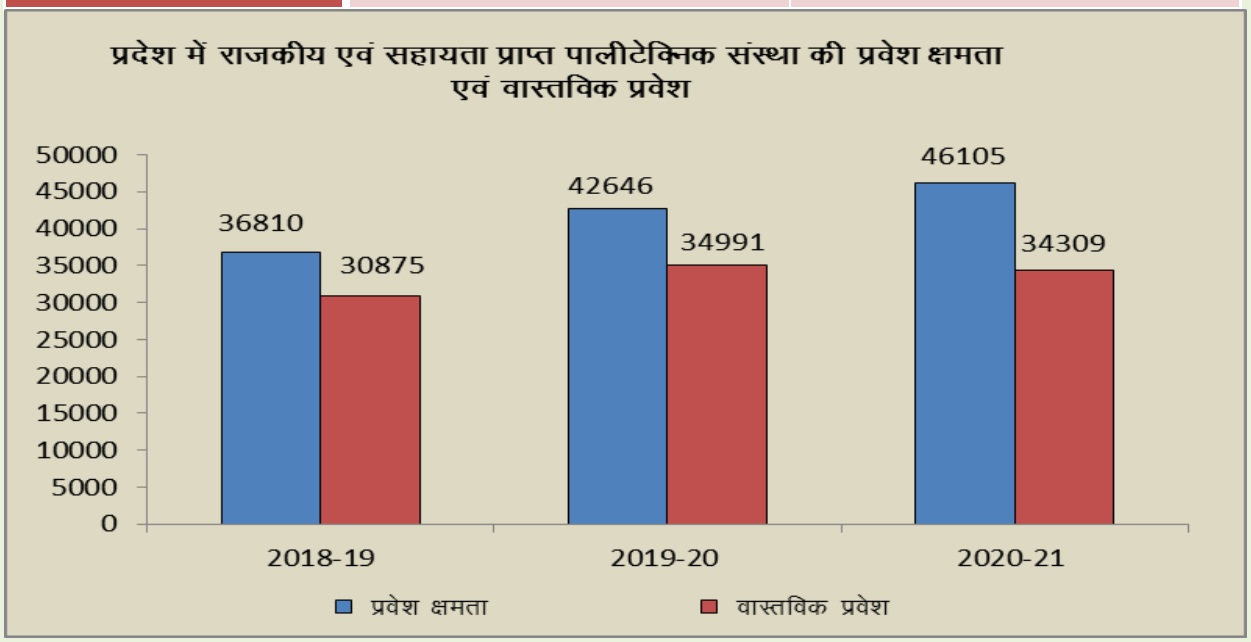

भारत सरकार की आर्थिक सहायता से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान **रूशा योजना** के अन्तर्गत जनपद गोण्डा एवं बस्ती में राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज की स्थापना की जा रही है। मदन मोहन मालवीय इन्जीनियंरिग कालेज, गोरखपुर को रूड़की विश्वविद्यालय की भाँति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है। हरकोर्ट बटलर टेक्नोलोजिकल इन्स्टीट्यूट (एचबीटीआई कानपुर) को उपर्युक्त की भाँति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है।

****

अध्याय–15

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

मुख्य बिन्दु

- टी0बी0 केस नोटीफिकेशन दर में सुधार लाने हेतु प्रदेश के 60 जनपदों में **जीत प्रोजेक्ट** के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
- जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों मे उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों मे पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करायी जा रही है।
- वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 65.62 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट को 53 जनपदों में 170 यूनिट से विस्तारित करते हुये समस्त जनपदों में कुल 214 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित कराये जाने की योजना है।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ''महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान'',लहरतारा में होमीभाभा कैंसर हॉस्पिटल और बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में ''सुपर स्पेशिएलटी ब्लॉक'' क्रियाशील हो चुके हैं।
- लखनऊ में एक नये चिकित्सा विश्वविद्यालय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का एक सैटेलाइट सेन्टर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 से जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारंभ की जा रही है।
- बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मण्डल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना संचालित है।

स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं, मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। **सतत विकास के लक्ष्य–3** के अन्तर्गत सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना है।

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश बजट भाषण 2021–2022 में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं मे हो रही प्रगति का विवरण उल्लिखित है–

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1576 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी कालेज एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय हैं।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अन्तर्गत संजय गाँधी पीजीआई, लखनऊ में लेवल–3 की बायो सेफ्टी लैब की स्थापना की जायेगी।
- प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक की भी स्थापना की जायेगी।
- वर्ष 2017 तक 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान संचालित थे। इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कालेज/संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 07 नये मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किये गये हैं। 09 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण प्रगति पर है जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021–2022 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है।
- प्रदेश में 13 जनपदों–बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, औरैया, लखीमपुर–खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एव मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मा0 अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की निर्धन आबादी की असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में 02 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली में स्थापित कर आउटडोर सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी है तथा शैक्षणिक सत्र 2019–2020 में एम्स, गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स रायबरेली में 100 छात्रों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पठन–पाठन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
- केजीएमयू के अधीन लखनऊ में इन्स्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एण्ड इन्फेक्शंस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो–सेफ्टी लेवल–4 लैब की स्थापना लक्षित है जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी।
- केजीएमयू लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेन्टर की स्थापना करायी जायेगी।
- प्रदेश में डायबिटिज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये एसजीपीजीआई, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों मे जल संयोजन पहुँचाना है। योजना हेतु 15,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में सतत रूप से रैकिंग में सुधार के साथ वर्ष 2020 में पूरे देश में 7 वें स्थान पर है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अक्टूबर 2021 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर से सम्बन्धित आँकड़े जारी किए गए। इन आँकड़ों पर संकलित डाटा के नमूना पंजीकरण प्रणाली कहा जाता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एक जनांकिकी सर्वेक्षण है, जो जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर पर वार्षिक अनुमान प्रदान करता है।

तालिका–15.01:–देश एवं प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्युदर

मद	वर्ष			
	2009		2019	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
जन्म दर	22.5	28.7	19.7	25.4
मृत्यु दर	7.3	8.2	6.0	6.5
प्राकृतिक वृद्धि दर	15.2	20.5	13.8	18.9
शिशु मृत्यु दर	50	63	30	41

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

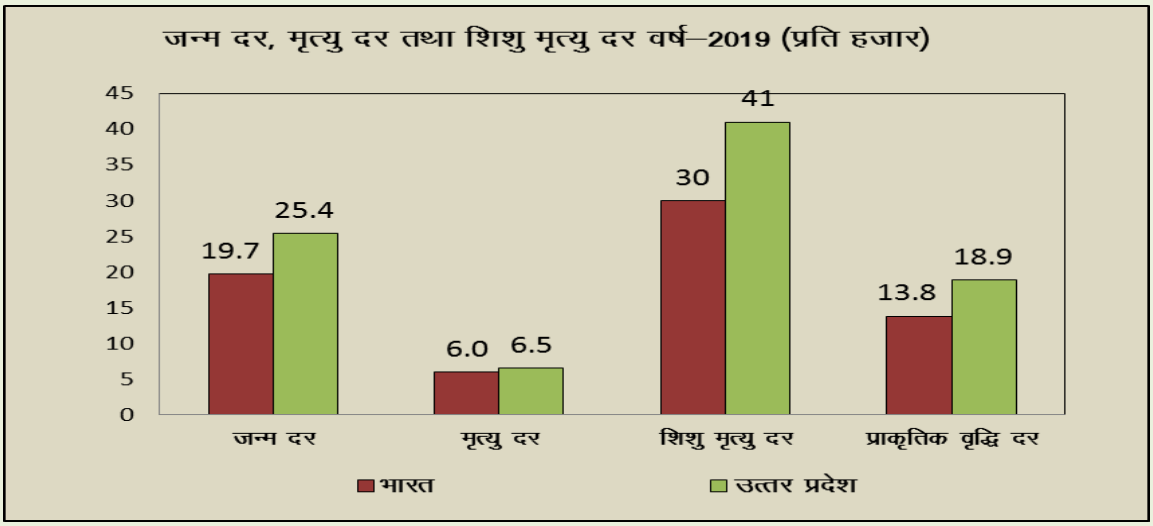

एसआरएस के उपरोक्त आँकडों से स्पष्ट है कि वर्ष 2009 से वर्ष 2019 के बीच राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर 2009 के 22.5 प्रति हजार से घटकर 19.7 प्रति हजार पर आ गया और मृत्यु दर 7.3 प्रति हजार से घटकर 6.0 प्रति हजार हो गई, जिससे प्राकृतिक वृद्धि दर 15.2 प्रति हजार से गिरकर 13.8 प्रति हजार पर आ गई है, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है, जो 50 प्रति हजार जीवित जन्म से कम होकर 30 प्रति हजार जीवित जन्म पर आ गई।

राज्य स्तर पर भी गम्भीरता पूर्वक प्रयास किये गए, परिणामस्वरूप जन्म दर 2009 के 28.7 से गिरकर 2019 में 25.4 पर आ गई और मृत्यु दर 8.2 से घटकर 6.5 हो गया, इससे प्राकृतिक वृद्धि दर मे 1.7 की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में उक्त अवधि के दौरान 22 की कमी आई है, जो 63 से कम होकर 41 हो गई हैं।

तालिका–15.02:– प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर

मद	वर्ष 2009			वर्ष 2019		
	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण
जन्म दर	28.7	24.7	29.7	25.4	22.3	26.4
मृत्यु दर	8.2	6.5	8.6	6.5	5.3	6.9
प्राकृतिक वृद्धि दर	20.5	18.3	21.1	18.9	17.1	19.6
शिशु मृत्यु दर	63	47	66	41	31	44

स्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन, महारजिस्ट्रार, भारत सरकार ।

जन्म दर

जन्म दर, जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह किसी दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या बताता है। वर्ष 2009 एवं वर्ष 2019 की अवधि में **प्रदेश स्तर** पर जन्म दर में 3.3 की कमी दर्ज की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में 3.3 और शहरी क्षेत्रों में 2.4 की कमी हुई, इसके बावजूद देश में बिहार के बाद प्रदेश जन्म दर में दूसरे स्थान पर है।

मृत्यु दर

मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के मूल घटकों में से एक है,जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के लिए आवश्यक है। इसे एक निश्चित क्षेत्र और समयावधि में प्रति हजार जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या के रूप में पारिभाषित किया गया है। **प्रदेश** में मृत्यु दर वर्ष 2009 में 8.2 से घटकर 2019 मे 6.5 पर आ गई। शहरी क्षेत्रों में 1.2 और ग्रामीण क्षेत्रों मे 1.7 की कमी आई है। इस कारण राज्य के प्राकृतिक वृद्धि दर में 1.6 की कमी आई है, शहरी क्षेत्र में प्राकृतिक वृद्धि दर 1.2 की और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 की कमी आई है।

शिशु मृत्यु दर

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), जिसे व्यापक रूप से किसी देश या क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य परिदृश्य के क्रूड संकेतक के रूप में स्वीकार किया जाता है, को एक निश्चित समयावधि में और किसी दिए गए क्षेत्र के लिए प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्यु (एक वर्ष से कम) के रूप में पारिभाषित किया जाता है। शिशु मृत्यु दर को नियन्त्रित करने के मामले में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है जो वर्ष 2009 में 63 से कम होकर 2019 में 41 पर आ गई है तथा शहरी क्षेत्र में 16 और ग्रामीण क्षेत्र में 22 की कमी दर्ज हुई है।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख आँकड़ें तालिका–15.03 में दर्शाए गए हैं–

तालिका–15.03:– प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र. स.	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी		होम्योपैथिक	
		1.1.2020	1.1.2021	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21
1	चिकित्सालयों/ औषधालयों की संख्या	5113	5115	2360	2360	1576	1585
2	शैय्याओं की संख्या	86737	84779	11077	11077	438	438
3	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	958	658	27908	18268	25616	15452

प्रदेश के 07 नये मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष का पठन–पाठन वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ हो गया है। गोरखपुर और रायबरेली एम्स मे 50–50 एमबीबीएस सीटों पर छात्रों का प्रवेश हो चुका है।

चिकित्सा हेतु बजट प्राविधान

बजट 2020–21 में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा उपकरणों हेतु 65 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। नवसृजित जनपदों में 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु क्रमशः 81 करोड़ एवं 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हेतु 919 करोड़ रूपये एवं ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 309 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जिला पुरूष तथा महिला चिकित्सालयों में सुधार–विस्तार एवं नवीनीकरण हेतु 70 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ परिसर में ओपीडी एवं वार्ड के विस्तार हेतु 50 लाख रूपये एवं ट्रॉमा सेन्टर के भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एसजीपीजीआई हेतु 820 करोड़ रूपये की एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु 477 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

तालिका–15.04:– राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम	वर्ष 2020–21			वर्ष 2021–22 (अग.2021 तक)		
	कुल बजट	कुल व्यय	प्रतिशत व्यय	कुल बजट	कुल व्यय	प्रतिशत व्यय
आईडीएसपी	2372.60	1285.86	54.20	2155.76	245.18	9.79
रेबीज	374.58	83.79	22.37	450.36	4.41	0.98
पीपीसीएल	8.75	1.88	21.49	9.85	0	0
कोविड–19	76170	72906.54	95.72	**कोविड हेतु रू. 3133.28** लाख प्रस्तावित		

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डीकेटर की दृष्टि में प्रदेश

वर्ष 2020–21 में प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.08 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 2.01 केन्द्रीय एवं पश्चिमी क्षेत्र में है। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 45.97 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 32.94 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.79 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.34 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 8.46 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सब से कम 4.13 पश्चिमी क्षेत्र में रही जैसा कि तालिका 15.05 से स्पष्ट है–

तालिका–15.05:– प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2020–21)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1	2	3	4	5
पूर्वी	2.39	36.44	1.91	5.17
बुन्देलखण्ड	2.01	32.94	1.34	4.13
पश्चिमी	2.01	42.58	1.76	5.21
केन्द्रीय	3.08	45.58	2.79	8.46
उत्तर प्रदेश	2.21	36.97	1.71	4.94

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के प्रकाशन उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2021–22 के अनुसार वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं पर चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत है–

तालिका–15.06:–प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय (लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूँजीगत व्यय	योग
2019-20	2097260 **(7.36%)**	62337 **(0.68%)**	2159597 **(5.74%)**
2020-21	2107023 **(7.08%)**	95009 **(0.89%)**	2202032 **(5.46%)**
2021-22	2870062 **(8.01%)**	395393 **(2.27%)**	3265455 **(6.13%)**

स्रोतः– उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2021–22। कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो कमशः प्रदेश के कुल व्यय के अर्न्तगत चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं योग के सापेक्ष दिया गया है।

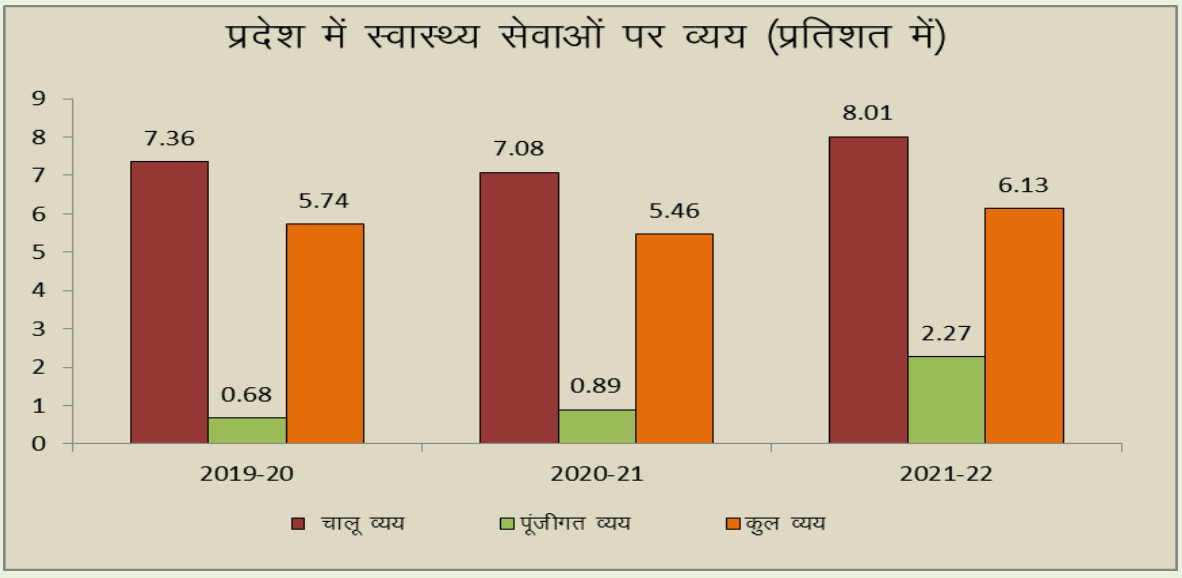

तालिका से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर वर्ष 2021–22 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय का क्रमशः 8.01 प्रतिशत तथा 2.27 प्रतिशत रहा। वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय का क्रमशः 7.08 प्रतिशत तथा 0.89 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019–20 (वास्तविक अनुमान) में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय का क्रमशः 7.36 प्रतिशत तथा 0.68 प्रतिशत रहा। स्पष्ट है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का चालू व्यय पूँजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना

जनसेवा केन्द्रों द्वारा नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। जन–मानस को किफायती, पारदर्शी एवं सहज–सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र कर एक ही स्थान से नागरिकोंको उपलब्ध कराना इस परियोजना का मुख्य कार्य है। इस परियोजना को 75 जनपदों मे लागू कर दिया है, इसके तहत वर्तमान मे निम्नवत् 09 सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा है।–

1– क्लीनिकल/मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण।
2–मेडिकल सर्टिफिकेट का निर्गमन।
3– विकलांगता प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।
4–असफल परिवार नियोजन के क्लेम का भुगतान।
5– सफल टीकाकरण प्रमाण–पत्र का निर्गमन।
6– आयु प्रमाण–पत्र का निर्गमन ।
7– अस्पताल में मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण–पत्र का निर्गमन।
8–सरकारी कर्मचारियों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति शुल्क का निर्गमन।
9– मेडिको–लीगल (इन्जरी) प्रमाण पत्र का निर्गमन।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिन्द आपरेशन के लिए आई0ओ0एल0 विधि द्वारा शल्य–क्रिया की जाती है। मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों (डायबिटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, लेजरटेक्निक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

यह योजना अब वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक बेंचमार्क बन गयी है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक सम्पूर्ण देश को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। आयुष्मान भारत पर आने वाले व्यय को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 60–40 के अनुपात में वहन करेंगी। इन सभी परिवारों को पाँच लाख रूपये तक प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया गया है, जो क्लेम की जाँच करेगी। आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए सरकार ने कुल 1425 सर्जिकल व मेडिकल पैकेज निर्धारित किए है,

जिसमें 67 तरह के उपचार केवल राजकीय अस्पतालों में मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड व एमआरआई जैसी सुविधाएं भी मुफ्त मिलेंगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नही आने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, 2019 में की गई। इसमें हीमोग्लोबीन, मूत्र द्वारा गर्भ की जाँच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि की जाँच की सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यकम

गम्भीर मानसिक विकारों में सीजोफ्रेनिया बाई पोलर विकार, आर्गेनिक साइकोसिस और गहन अवसाद से एक हजार की जनसंख्या में बीस व्यक्ति पीड़ित हैं, जिनके उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में उपचार और सन्दर्भन की व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

टेलीमेडिसिन केंद्र का लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने मार्च, 2019 में गोरखपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर एवं बहराइच में 15 टेलीमेडिसिन केन्द्रों का शुभारम्भ किया। इसके जरिए रोगियों को टोल फ्री नम्बर पर दूरभाष के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम

प्रदेश के समस्त जनपदों में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में रोगियों के पंजीकरण, जाँच से लेकर उपचार तक की सभी सुविधाएं, समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। प्रदेश में क्षय नियन्त्रण हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

- वर्ष 2021 मे सरकारी क्षेत्र में 224125 एवं निजी क्षेत्र में 105297 कुल 329422 क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किये गये।
- कल्चर डीएसटी लैब (मेरठ में) तथा सी0बी0नॉट मशीन क्रियाशील करा दिया गया है।
- 22 नोडल डीआरटीबी सेन्टर में एमडीआर/एक्सडीआर क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन का शुभारम्भ किया जा चुका है।
- अप्रैल 2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से रू0 500 प्रति माह की दर से सितम्बर, 2021 तक 9.48 क्षय रोगियों को कुल धनराशि रू0 235.29 करोड़ का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश

प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम एवं सीओटीपीए–2003 का संचालन सामान्य जनता विशेषकर युवा पीढ़ी को तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कानपुर नगर प्रशासन द्वारा 31 मई, 2015 को ही कानपुर नगर को देश का **प्रथम तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया गया। इसके पश्चात् जनपद रामपुर प्रशासन द्वारा 12 नवम्बर, 2018 को रामपुर को **तम्बाकू मुक्त जनपद** घोषित किया चुका है।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम

वर्ष 2019–20 में प्रदेश के कुल 56 जनपद राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम से आच्छादित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित इस कार्यक्रम में बधिरता की जाँच एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर कान की बीमारियों की जटिल एवं नाजुक माइक्रो सर्जरी द्वारा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

कार्यक्रम से आच्छादित 52 जनपदों के चयनित जिला चिकित्सालयों में साउण्ड प्रूफ कक्ष का निर्माण किया जा चुका है। बधिरता के निदान के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण तथा कान की सर्जरी हेतु सर्जिकल उपकरणों का क्रय, सम्बन्धित जिला चिकित्सालयों द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु 54 जनपदों के चयनित ईएनटी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर करा लिया गया है। 53 जनपदों में बाल रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ तथा 54 जनपदों में स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकरियों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 143503 मरीज देखे गये एवं 1123 की शल्य क्रिया द्वारा उपचार किया गया।

जे०ई०/ए0ई0एस0 अभियान

प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार के समूल उन्मूलन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यापक स्तर पर प्रभावित जनपदों में पूर्णरूप से सुसज्जित पीआईसीयू, मिनी पीआईसीयू, ईटीसी की स्थापना कर प्रभावी उपचार व्यवस्था को रोगी के घर के निकट पहुँचाया गया। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के इस मॉडल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है एवं दिमागी बुखार के प्रकोप को नियन्त्रित करने में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 65.62 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। इसी प्रकार से वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2020 में जापानी इन्सेफ्लाइटिस के रोगियों की संख्या में 86.29 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में ए0ई0एस रोगियों की संख्या में 24.63 प्रतिशत तथा मृत्यु दर में 34.13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। इस प्रकार जे0ई0 रोगियों की संख्या में वर्ष 2020 में वर्ष 2019 की तुलना में 57.26 एवं मृत्यु दर में 57.14 प्रतिशत की प्रभावी कमी दर्ज की गयी। प्रदेश सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया, कालाजार सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण संचारी रोगों के विरूद्ध नियमित अन्तराल पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है।

102 नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं 01 वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक भेजने में भी प्रयोग की जाती है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घंटे उपलब्ध है। जुलाई 2019 से प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण हेतु निष्पादित अनुबन्ध में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये रोगी तक 108 एम्बुलेंस को 15 मिनट में पहुँचाये जाने का प्राविधान कर दिया गया है।

एम्बुलेन्स सेवा

- रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 2200 एम्बुलेंस का संचालन पूर्णतया निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ''108'' के माध्यम से किया जा रहा है।
- एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि के साथ ही प्रतिदिन प्रति एम्बुलेंस संचालित किये जाने वाले ट्रिप्स की संख्या में वृद्धि कर इसे 04 ट्रिप्स से बढ़कार 05 ट्रिप्स प्रतिदिन कर दिया गया है।
- गम्भीर रोगियों को सुरक्षित उच्च स्तरीय चिकित्सा इकाई हेतु सन्दर्भित किये जाने के लिए अप्रैल 2017 को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के अन्तर्गत वर्तमान मे 250 एम्बुलेंस संचालित किया जा रहा है। एएलएस मे एडवांस उपकरण वेंटिलेटर, डिफिबिलेटर, फिटल

डॉप्लर, जीवन रक्षित दवायें, जरूरी उपकरण एवं प्रशिक्षित इमरजेन्सी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है।

- प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारम्भ फरवरी, 2019 से किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में फरवरी, 2019 से जुलाई, 2021 तक कुल 35,07,404 रोगियों को उपचारित किया गया है।
- नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक डाक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स एवं एक लैब टेक्नीशियन उपलब्ध रहता है।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

राज्य स्तर पर कुष्ठ उन्मूलन का स्तर वर्ष 2007 मे प्राप्त किया जा चुका है। **प्रदेश मे कुष्ठ रोग का उपचार** वर्ष 1995–96 से मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा किये जाने के फलस्वरूप जून, 2021 के अन्त तक प्राप्त परिणाम निम्नवत है–

तालिका–15.07:– राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम

क्रमांक	विवरण	जुलाई 2020 के अंत में	जुलाई 2021 के अंत में
1	अवशेष अभिलिखित कुष्ठ रोगी	8102	6965
2	नये रोगी खोजी दर प्रति लाख जनसंख्या	2.75	3.07
3	कुष्ठ रोग की व्यापकता दर प्रति दस हजार जनसंख्या	0.34	0.29
4	नये खोजे रोगियों में विकलांगता दर (प्रतिशत में)	0.83	0.98
5	अवयस्क रोगी दर (प्रतिशत में)	2.46	1.79
6	विकलांगता दर प्रति दस लाख जनसंख्या पर	0.23	0.30

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी0बी0, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस–बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- नियमित टीकारण कार्यक्रम के अन्तर्गत एचएमआईएस डेटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि वर्ष 2020–21 में 48.68 लाख (83.55 प्रतिशत) रहा है।
- वर्ष 2021–22 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि अगस्त, 2021 तक 17.99 लाख (77.12 प्रतिशत) है।
- प्रदेश मे जनवरी, 2021 से कोविड–19 टीकारण किया जा रहा है, जिसमे 18 वर्ष से ऊपर वाले लाभार्थियों को अक्टूबर 2021 तक कुल 12.23 करोड़ डोज वैक्सीन लगायी जा चुका है, जिसमें से 9.44 करोड़ को प्रथम डोज एवं 2.79 करोड़ को द्वितीय डोज लगायी जा चुकी है।
- समस्त प्रदेश में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार, जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन–ए की खुराक से निःशुल्क दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2020 में कुल 2.24 करोड़ एवं जुलाई–अगस्त 2021 में कुल 2.28 करोड़ बच्चों को विटामिन–ए की खुराक से आच्छादित किया गया।

- प्रदेश के 37 जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष 3.0 दो चरणों में चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 215115 (85 प्रतिशत) बच्चों का टीकारण किया गया, साथ ही कुल 62004 (92 प्रतिशत) गर्भवती माताओं को टी0डी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 38 जनपदों में जे0ई0 टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों हेतु जे0ई0 विशेष टीकाकरण अभियान 22 फरवरी, 2021 से चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 424227 बच्चों का टीकारण किया गया।
- पोलियों उन्मूलन के अर्न्तगत 05 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादन हेतु प्रदेश में एनआईडी (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एसएनआईडी (सब–नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे है, प्रदेश के समस्त जनपदों में 31 जनवरी, 2021 को पल्स पोलियो एनआईडी अभियान चलाया चलाया गया जिसके अन्तर्गत कुल 3.32 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।
- रोटा वायरस वैक्सीन को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर रोटा वायरस की तीन डोज निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश की सकल प्रजनन दर 2.7 को आगामी वर्षो में 2.1 का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु परिवार कल्याण की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम मे निम्नांकित सेवाएं/सुविधायें प्रदान की जा रही है।

- दो बच्चों के जन्म में अन्तर बनाये रखने हेतु गर्भ निरोधक, जैसे ओरल पिल्स, निरोध, आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी, गर्भ–निरोधक इन्जेक्शन–अंतरा तथा गैर–हार्मोन गर्भनिरोधक गोली सैन्ट्रक्रोमॉन–छाया की सेवा आशा के माध्यम से तथा चिकित्सा इकाइयों में प्रदान की जा रही है।
- 03 या उससे अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल 2017 से प्रदेश में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमे नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जा रहा है।
- प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु अधिनियम लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिसमें तीन वर्ष की कठोर सजा का प्राविधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 01 जुलाई **2017 से मुखबिर** योजना लागू की गई है।
- महिला तथा पुरूष नसबंदी हेतु जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदान की जाती है।
- कण्डोम बॉक्स की स्थापना–समस्त जनपदों ने प्रमुख स्थलों तथा उपकेन्द्र स्तर तक की इकाइयों पर निःशुल्क कण्डोम आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कण्डोम बाक्स की स्थापना की जा रही है।
- मिशन परिवार विकास अन्तर्गत आच्छादित 03 या उससे अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में नवीन गर्भनिरोधक साधन (इन्जेक्शन) को प्रयोग करने पर लाभार्थी को रूपये 100 प्रति डोज एवं आशा द्वारा नवविवाहित जोडों को शगुन किट उपलब्ध करायी जाती है। इनमें परिवार नियोजन सम्बन्धित गतिविधियों के समुदाय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु प्रत्येक तिमाही **सारथी वाहन** का संचालन किया जा रहा है।

- परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेबपोर्टल के माध्यम से **हौसला साझीदारी योजना सिफ्सा संस्था** के माध्यम से संचालित की जा रही है।
- परिवार कल्याण सेवाओं को गति प्रदान करने हेतु राज्य द्वारा नवम्बर 2020 से मुहिम के तौर पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को **खुशहाल परिवार दिवस** मनाया जा रहा हैं। सभी लक्षित दम्पतियों, विशेषकर विगत 01 वर्ष के दौरान नवविवाहित दम्पति, चिन्हित उच्च जोखिम गर्भावस्था वाली महिलायें, एचआरपी एवं 03 या उससे अधिक बच्चे वाले योग्य दम्पति को परामर्श एवं सेवाएं प्रदान की जा रही है।
- **खुशहाल परिवार दिवस** के आयोजन के दिन प्रदेश में समुदाय में चिन्हित लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों के कुल 1,03,953 लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध करायी गई, जिसमें पुरूष नसबन्दी–356, महिला नसबन्दी–662 आईयूसीडी–7,273 पीपीआईयूसीडी–3,498 साप्ताहिक गर्भनिरोधक गोली छाया–37,353 माला एन–42,878 तथा इन्जेक्शन अन्तरा–11,933 की सेवायें लाभार्थियों को दी गई एवं कण्डोम के कुल 3,19,540 पीसेज वितरित किये गये। साथ ही नवविवाहित दम्पतियों को परिवार नियोजन के बास्केट ऑफ च्वाइस साधनों की जानकारी देते हुये कुल 3,915 शगुन किट का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज के संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं, उन्हे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत मुख्यतया गर्भावस्था तथा प्रसवोपरान्त माताओं की मृत्युदर घटाना, शिशु मृत्युदर को कम करना, हर बच्चे को सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। साथ ही परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना एवं माताओं, बच्चों व किशोरों में कुपोषण के स्तर में सुधार करना निहित है।

मातृ–मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एसआरएस सर्वे के अनुसार 2011–13 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ–मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था जो वर्ष 2016–18 सर्वे के अनुसार घटकर 197 प्रति 01 लाख जीवित जन्म हो गया है।
- एसडीजी गोल के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2030 तक इसे 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- समस्त जनपदों में मातृ–मृत्यु को कम करने के लिए पीपीएच प्रबन्धन प्रशिक्षण कराया गया। जिसमें अब तक प्रदेश के 640 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2008–09 से अब तक एसबीए प्रशिक्षण 5032 को दिलाया गया।

वर्षवार	2020–21	2021–22 (अगस्त 2021)
सम्भावित मृत्यु	11894	11894
मातृ–मृत्यु	3743	1465
मातृ–मृत्यु प्रतिशत	31	12.31

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध–विकसित मलिन बस्तियों मे स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का

निर्णय लिया गया है, जिसे प्रदेश मे चरणबद्ध रुप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है–

- प्रत्येक 50,000 की शहरी जनसंख्या पर एक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से 17 नये केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल 610 केन्द्रों में से वर्तमान में 593 केन्द्र क्रियाशील है। इनमें से चिह्नित 123 केन्द्र को 24 X 7 प्रसव केन्द्र के रूप में सुदृढ़ किया जा रहा है।
- प्रत्येक 5 लाख की शहरी जनसंख्या वाले शहर में प्रत्येक 2.5 लाख की जनसंख्या पर एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जानी है। लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूतिगृह एवं वाराणसी में संचालित 03 मैटरनिटी होम एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत एवं झाँसी व वाराणसी के दो, इस प्रकार कुल 14 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 11 केन्द्रों को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में संचालित किया जा रहा है।
- प्रदेश के चयनित 18 बड़े जनपदों में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर वर्ष 2019–20 से 250 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ई–यूपीएचसी के रूप में परिवर्तित कर संचालित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से प्राप्त 50 नये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टरों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्तमान मे कुल 509 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में से 477 सेंटर क्रियाशील है।
- प्रत्येक 10 हजार की शहरी जनसख्या पर एक ए.एन.एम. एवं शहरी मलिन बस्तियों के प्रत्येक 200–500 घरों पर 01 अरबन आशा बस्तियों में निवास करने वाली जनता, स्वास्थ्य इकाई, सेवा प्रदाता एवं महिला आरोग्य समिति के मध्य लिंक वर्कर का कार्य करेगी।
- शहरी मलिन बस्तियों में निवास करने वाली जनसंख्या जैसे घुमन्तू, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले आदि जो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आकर स्वास्थ्य लाभ उठाने में असमर्थ है, के लिए विशेष रूप से प0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400 व शहरी क्षेत्र में रू0 1000 एवं बीपीएल श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500 सहायता राशि के रूप में दिये जाते है। आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रू0 600 एवं शहरी क्षेत्र में कुल रू0 400 दिये जाते हैं। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है। गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक एवं चिकित्सा

इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने की निःशुल्क सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों मे अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टेड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियां एवं जाँच आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है, साथ ही चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन एवं एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से सेवा प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है। समस्त जनपदों के 100 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री मातृ–वन्दन योजना

इससे आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किश्तों में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किश्त रू0 1000, कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच पर (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किश्त–रू0 2000 तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किश्त रू0–2000 दी जाती है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाते हुए वर्ष 2013–14 से जन्म से 19 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु ''राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम'' पूरे भारत वर्ष में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों में जा रही है तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है।

इसके अन्तर्गत 13 सर्जिकल चिह्नित बीमारियां, जो केवल मेडिकल कालेजों में सम्भव है, के निःशुल्क उपचार हेतु प्रदेश के 7 सरकारी मेडिकल कालेजों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, झाँसी, मेरठ, एवं गोरखपुर) एवं दो चिकित्सा संस्थानों (एसजीपीजीआई लखनऊ एवं आरआईएमएस सैफई, इटावा) में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। जनपद अलीगढ़ (जिला महिला चिकित्सालय), मुरादाबाद एवं गाजियाबाद में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टर्वेन्शन सेन्टर स्थापित किया गया है।

प्रसव केन्द्रों पर जन्में नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों के पहचान हेतु कुल 2.86 लाख शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश में 4 डीईआईसी सेन्टर (डिस्ट्रिक्ट अर्ली इन्टरवेशन सेन्टर) यथा– एएमयू अलीगढ़, केपीएमयू लखनऊ, एसएसपीएचपीजी टी.आई.जी.बी. गनर एवं डीसीएच गाजियाबाद संचालित है।

साप्ताहिक आयरन एण्ड फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि मे पंजीकृत लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियों को आयरन की नीली गोली शिक्षकों की निगरानी में खिलायी जाती है।

इसके अतिरिक्त विफ्स कार्यक्रम में स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियों को आईसीडीएस की आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय डी–वार्मिंग डे

प्रदेश के 01 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, मदरसो, अनाथालयों एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में दो बार माह फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल 400 मि0ग्रा0 की गोली दिये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे बच्चे, पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सके तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सके।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा जनवरी 2016 से किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 22.99 लाख किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इससे शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

- किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक प्रदेश के 32 जनपद चिकित्सालय एवं 25 हाईप्रायोरिटी जनपदों में जनपद चिकित्सालय के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी किशोर/किशोरियों को परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित हैं।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित 344 किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर प्रशिक्षित काउन्सलर्स द्वारा किशोर/किशोरियों के स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श एवं प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा उपचारात्मक सेवायें प्रदान की जा रही है।

पियर एजूकेशन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 25 उच्च प्राथमिता वाले जनपदों के 50 प्रतिशत ब्लॉकों में ग्राम पंचायत स्तर पर 1000 आबादी पर आशा द्वारा 02 स्कूल जाने वाले तथा 02 स्कूल न जाने वाले कुल 4 पियर एजूकेटर्स (15 से 17 वर्ष) का चयन किया गया है। पीयर एजूकेटर जिन्हें **साथिया** भी कहा जाता है, जो अपने साथियों में सकारात्मक एवं स्वस्थ विचारों का संचार करेंगे।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरन्तर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ–साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है।

गाँवों में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत करायी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 से जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना की अवधि 05 वर्ष रखी गयी है। केंद्र सरकार की इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य कराये जायेंगे।

प्रदेश के जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र के बाँदा एवं चित्रकूट मण्डल के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 14 जनपदों में 28 हजार से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25–25 लीटर भण्डारण क्षमता के संयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2020–21 में पेयजल सुविधायुक्त नगरों की संख्या 652 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 492 लाख हैं। इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में पेयजल सुविधा युक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 259895 एवं इससे लाभान्वित जनसंख्या 1698 लाख थी। प्रदेश में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सरण सुविधा का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश में वर्ष 2020–21 में जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 63 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 95 लाख थी।

तालिका–15.08:– पेयजल एवं जलोत्सरण सुविधायुक्त नगर एवं मजरे

	मद	2019-20	2020-21
	1	2	3
1.	पेयजल सुविधायुक्त–		
	(1) नगरों की संख्या	652	652
	(2) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	492	492
	(3) पूर्ण आच्छादित मजरे	259739	259895*
	(4) आंशिक आच्छादित मजरे	0	0
	(5) लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	1698	1698
	(6) अनाच्छादित मजरों की संख्या	0	0
2.	जलोत्सारण सुविधायुक्त नगर–	63	63
	लाभान्वित जनसंख्या (लाख)	91	95

* पूर्व की कुछ बस्तियां नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या कम हो गयी है। स्रोतः– उत्तर प्रदेश, जल निगम।

****

अध्याय–16
समाज कल्याण

मुख्य बिन्दु

- पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ–साथ मुख्यमन्त्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021–2022 से क्रियान्वित की जायेगी जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकेगा।
- ग्रामीण अँचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं सम्वर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी।
- बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उनके प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गयी है।
- प्रदेश की महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान हेतु हर बालिका को स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना इस क्रम में अहम भूमिका निभा रही है।

सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजनों तथा महिलाओं हेतु छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रम पद्धति विद्यालय, पेंशन, शोषण के विरूद्ध सहायता एवं भरण पोषण सम्बन्धी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2021–22 के अनुसार वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में सरकार का सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रदेश के बजट के सापेक्ष चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय निम्नवत् है–

तालिका–16.01:– प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर व्यय (लाख रुपये)

वर्ष	चालू व्यय	पूँजीगत व्यय	योग
2019-20	2161707 (7.5%)	100794 (1.1%)	2262501 (6.0%)
2020-21	2563298 (8.6%)	268991 (2.5%)	2832289 (7.0%)
2021-22	2894488 (8.0%)	346265 (1.9%)	3240753 (6.0%)

नोट–कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है जो प्रदेश के चालू व्यय, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय के सापेक्ष दिया गया है।

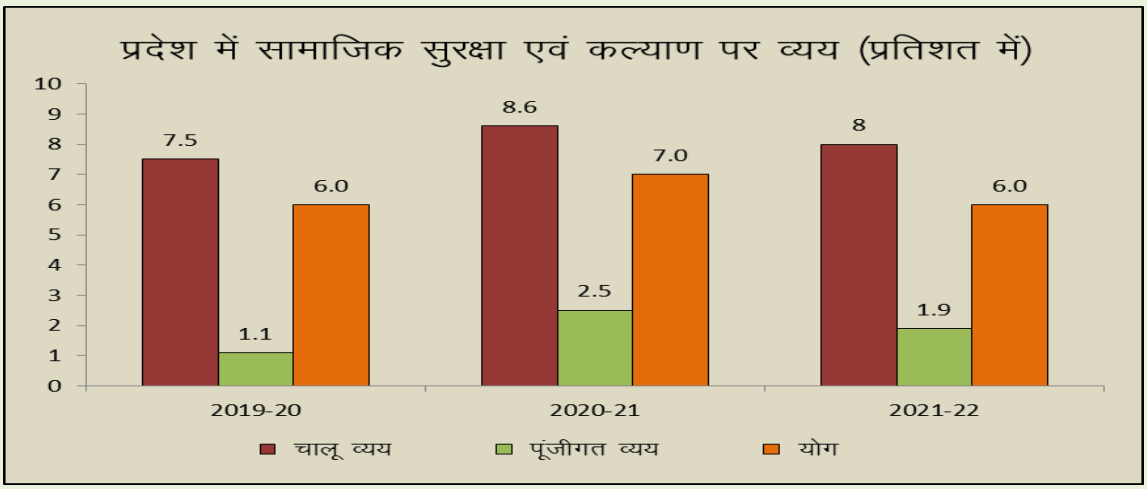

तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2021–22 (आय व्ययक अनुमान) में कुल चालू तथा पूँजीगत व्यय सरकार के कुल चालू तथा पूँजीगत व्यय का क्रमशः 8.0 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2020–21 (पुनरीक्षित अनुमान) में क्रमशः 8.6 प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत रहा एवं वर्ष 2019–20 (वास्तविक अनुमान) में क्रमशः 7.5 प्रतिशत तथा 1.1 प्रतिशत रहा। तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर सरकार का चालू व्यय पूँजीगत व्यय की तुलना में अधिक है।

समाज कल्याण सम्बन्धी प्रमुख योजनाएं

- **वृद्धावस्था/किसान पेंशन** योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों, जिनकी आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46080 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 56460 वार्षिक से कम है, को कुल रु0 500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। वर्ष 2020–21 में 5121454 लाभार्थियों को पेंशन के रूप में रु0 369444.20 लाख धनराशि दी गई। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 5597245 लाभार्थियों के लिए रु0 359500.00 लाख बजट का प्राविधान है जिसमें से अगस्त, 2021 तक रु0 83421.47 लाख धनराशि व्यय की जा चुकी है।

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ** योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर भारत सरकार द्वारा रु0 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा रु0 10,000 (कुल रु0 30,000) का एक मुश्त अनुदान, सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2020–21 में 150959 लाभार्थियों को रु0 45287.70 लाख का अनुदान दिया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु0 50000 लाख बजट का प्राविधान है। अगस्त, 2021 तक रु0 6228.30 लाख धनराशि व्यय कर 20761 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है।

- सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा विवाह में अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को समाप्त करने हेतु **'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना'** संचालित है, जिसमें गरीब, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं निराश्रित परिवार की कन्याओं का रीति–रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है। योजना में कन्या के खाते में रु0 35,000 की धनराशि का अनुदान एवं रु0 10,000 की धनराशि से विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है तथा विवाह आयोजन पर प्रति जोड़ा रु0 6,000 की (कुल रु0 51,000) धनराशि व्यय की जाती है। इस प्रकार योजनान्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल रु0 51,000 की व्यवस्था है। वर्ष 2020–21 में 23272 लाभार्थियों पर रु0 11868.61 लाख का व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रु0 25000 लाख की बजट व्यवस्था की गयी है जिसमें अगस्त, 2021 तक 5447 लाभार्थियों पर रु0 2478.05 लाख धनराशि व्यय की गई।

- **राजकीय आश्रम पद्धति** के 94 विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म एवं खेल–कूद आदि की निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में से 45 सीबीएसई बोर्ड से एवं शेष 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध हैं इन्हें भी सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 93 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था एवं एण्टी बैक्टीरियल वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रु0 25075.71 लाख की बजट व्यवस्था में से अगस्त, 2021 तक रु0 3754.25 लाख धनराशि व्यय कर ली गयी है।

➢ पूर्वदशम् (अनु0जा0 एवं सामान्य वर्ग) एवं दशमोत्तर (सामान्य वर्ग) के छात्र, जिनके अभिभावक की आय रु0 2.00 लाख वार्षिक एवं दशमोत्तर (अनु0जा0) हेतु रु0 2.50 लाख वार्षिक तक होती है, को ई–पेमेंट के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।

तालिका–16.02:– छात्रवृत्ति वितरण की प्रगति (धनराशि रु0 लाख में)

क्र0 स0	योजना का नाम	वर्ष	बजट प्राविधान	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
1	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	2020–21	20500	362511	8943
2	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	2020–21	2500	118153	2911
3	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अनु0जाति	2020–21	158000	736052	95187
4	दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सामान्य वर्ग	2020–21	66000	500204	65779

वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति में अनु0जाति हेतु रु0 20500 लाख तथा सामान्य वर्ग हेतु रु0 2500 लाख बजट का प्राविधान है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति में अनु0जाति हेतु रु0 80 हजार लाख तथा सामान्य वर्ग हेतु रु0 40 हजार लाख बजट का प्राविधान है।

➢ **अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था**, फर्नीचर, विद्युत एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में 261 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 4079.63 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रु0 2896.68 लाख व्यय कर 7442 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में अगस्त, 2021 तक प्राविधानित बजट रु0 4190.51 लाख के सापेक्ष रु0 711.15 लाख व्यय किया जा चुका है।

➢ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पीसीआर एक्ट के अन्तर्गत **अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति** के परिवारों को न्यूनतम रू0 85,000 से लेकर रू0 8,25,000 तक की सहायता घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 22831.29 लाख से 23592 एवं 2021–22 में प्राविधानित बजट रु0 27500 लाख के सापेक्ष अगस्त, 2021 तक रु0 5433.76 लाख से 5889 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी चुकी है।

➢ उत्तर प्रदेश **माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण** तथा कल्याण नियमावली–2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वृद्धों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है जिनकी क्षमता 150 वृद्ध संवासियों की है। पीपीपी माडल पर स्थापित इन वृद्धाश्रमों में निवासरत जा रही है। वर्ष 2020–21 में प्रदेश में रु0 5000 लाख बजट के सापेक्ष रु0 4630.46 लाख व्यय किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु रु0 5000 लाख की बजट व्यवस्था की गई है। अगस्त, 2021 तक रु0 1570.91 लाख व्यय कर 5177 निवासरत संवासियों को सुविधा प्रदान की गई है।

➢ **अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी** हेतु शादी अनुदान योजना में रु0 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजनान्तर्गत ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 56,460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080 हो एवं वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष हो, पात्र होते हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति हेतु रू0 10000 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 4791.40 लाख व्यय कर 23957 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021–22 में रू0 10000 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। सामान्य वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 5000 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष 2274.80 लाख व्यय कर 11374 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021–22 में रु0 5000 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री अभ्युदय** योजना में प्रदेश के दूरस्थ आंचलों में स्थित तथा निर्बल आय के परिवारों के प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा समुचित मार्गदर्शन के उद्देश्य से प्रत्येक मण्डल मुख्यालयों में मण्डलीय मार्गदर्शन एवं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 11839 लाख व्यय करते हुए 5128 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2021–22 में रु0 2500 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। अगस्त, 2021 तक रु0 51.29 लाख व्यय किया गया है।
- **निःशुल्क बोरिंग योजना** के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्राविधानित बजट रू0 1500 लाख है।
- विमुक्त जातियों के लिए 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई, सिलाई का प्रशिक्षण एवं हिन्दी टंकण का प्रत्येक ट्रेड में 15–15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 40.11 लाख का प्राविधान है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से उन्नति हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित है, जो निम्नवत् है–

- प्रदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् ऐसे छात्र/छात्राओं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तथा जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2.00 लाख या उससे कम हो, को **पूर्वदशम् छात्रवृत्ति** कक्षा 9 व 10 को रु0 150 प्रति माह, अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक तदर्थ अनुदान रु0 750 एकमुश्त, अधिकतम रु0 2250 वार्षिक पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से बैंक खातों में दिए जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रु0 132 करोड़ से कक्षा 9–10 के 698955 छात्रों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुल रु0 175 करोड़ धनराशि का व्यय प्राविधानित है।
- पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना की भाँति ही **दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना** मे शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कोर्सग्रुप–1 के छात्रों को अधिकतम रु0 50 हजार, कोर्सग्रुप–2 अधिकतम रु0 30 हजार, कोर्स ग्रुप–3 व 4 के तकनीकी पाठ्यक्रमों के छात्रों को अधिकतम रु0 20 हजार व गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों/01 वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु0 10 हजार अथवा संस्था की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा छात्र द्वारा मांग की गई शुल्क, इनमें से जो न्यूनतम हो, दिए जाने का प्राविधान है। वर्ष 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु कुल रु0 124 करोड़ से 1203475 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रु0 120 करोड़ की धनराशि व्यय हेतु प्राविधानित है।
- **शादी अनुदान योजना से** वर्ष 2020–21 में रु0 7500 लाख बजट प्राविधान था जिसके सापेक्ष पात्र 37500 लाभार्थियों को पीएफएमएस/ई–कुबेर के माध्यम से अन्तरित की गयी। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत कुल रु0 150 करोड़ प्राविधानित है। सितम्बर 2021 तक कुल 164256 द्वारा ऑनलाइन आवेदन में से रु0 15.62 करोड़ का आवंटन पात्र लाभार्थियों को किया गया।
- अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास ऐसे बेरोजगारों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रु0 01 लाख अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की डोयक सोसाइटी नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से **'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण** हेतु अधिकतम रु0 15,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी तथा सीसीसी हेतु रु0 3,500 संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2020–21 में रु0 14.61 करोड़ से 8496 लाभार्थियों को 'ओ–लेवल' एवं 8379 को सीसीसी कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु प्रदान कराया गया। वर्ष 2021–22 में रु0 15 करोड़ व्यय हेतु प्राविधानित है।

➢ निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु **छात्रावासों का निर्माण** किया जाता है। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु0 207.74 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु0 131.73 लाख निर्धारित है। यह केन्द्र/राज्य पोषित योजना है। छात्राओं के छात्रावास हेतु केन्द्र व राज्यांश 90:10 तथा छात्रों के छात्रावास हेतु 60:40 का है। वर्ष 2020–21 में गत वर्षों के निर्माणाधीन 03 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रचलित था जिसे वर्ष 2020–21 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2020–21 में भारत सरकार/शासन द्वारा निर्गत धनराशि रु0 84.13 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी है। वर्ष 2021–22 में 1500.00 करोड़ व्यय हेतु प्राविधानित है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

जनगणना–2011 के अनुसार प्रदेश में निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या 41.58 लाख है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। इसमें दृष्टि, वाक्, श्रवण, अस्थि, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य से ग्रसित व्यक्ति शामिल हैं।

प्रमुख योजनाएं

➢ ऐसे दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का परिश्रम कर सकते हैं उनके भरण–पोषण हेतु **दिव्यांग भरण–पोषण** अनुदान योजना अन्तर्गत रू0 500 प्रतिमाह दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 765.80 करोड़ व्यय कर 11,03,541 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया जिसमें 38,727 नवीन दिव्यांगजन सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राविधानित रूपये 685.02 करोड़ के सापेक्ष पेंशन की द्वितीय त्रैमास किश्त से अगस्त 2021 तक रू0 167.62 करोड़ व्यय कर कुल 11,18,809 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

➢ **कुष्ठावस्था पेंशन** योजनान्तर्गत रू0 2500 प्रतिमाह दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में रूपये 35.04 करोड़ व्यय कर 11,812 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया जिसमें 1089 नवीन दिव्यांगजन सम्मिलित हैं। वर्ष 2021–22 में प्राविधानित धनराशि रूपये 39 करोड़ के सापेक्ष पेंशन की द्वितीय त्रैमास किश्त से अगस्त 2021 तक कुल रू0 8.89 करोड़ व्यय कर कुल 11,884 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

➢ प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी रेखा मे हों, को अधिकतम रू0 10,000 के **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण** प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2020–21 में रूपये 31.10 करोड़ व्यय कर 59283 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण वितरित किये गये। वर्ष 2021–22 में प्राविधानित धनराशि रूपये 37.40 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर 2021 तक रू0 2.58 करोड़ व्यय कर कुल 3219 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

➢ **दिव्यांग व्यक्तियों को शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार** योजना में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000 युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000 तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000 प्रदान की जाती है। वर्ष 2020–21 मे रू0 89.80 लाख व्यय कर 340 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवंटित रूपये 2.64 करोड़ के सापेक्ष रूपये 18.60 लाख व्यय कर 82 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

➢ दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु **दुकान निर्माण/संचालन योजना** के अन्तर्गत रू0 20000 दुकान निर्माण हेतु अथवा रू0 10000 दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। वर्ष 2020–21 में प्राविधानित धनराशि रू0 1.06 करोड़ के सापेक्ष रू0 1.06 करोड़ व्यय कर 985 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2021–22 में प्राविधानित रू0 1.06 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर 2021 तक रूपये 16.40 लाख व्यय कर 164 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया।

➢ न्यूनतम् 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के अंतिम गंतव्य स्थल तक **निःशुल्क यात्रा सुविधा** उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2020–21 में रूपये 35.00 करोड़ का भुगतान परिवहन निगम को किया गया हैं। वर्ष 2021–22 में इस हेतु रू0 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

➢ **दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा** हेतु अधिकतम रू0 10,000 एवं श्रवण बाधित बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लान्ट हेतु अधिकतम रू0 6 लाख प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में रू0 5.06 करोड़ के व्यय से कुल 230 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राविधानित धनराशि रूपये 6.40 करोड़ के सापेक्ष अद्यतन कुल रू0 1.76 करोड़ व्यय कर 44 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया जा चुका है।

➢ 18 मण्डल मुख्यालयों पर **बचपन डे केयर सेन्टर** स्थापित हैं जिनमें मानसिक मंदित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित जैसे विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगता वाले 03–07 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ मिड–डे मील भी दिया जाता है।

अल्पसंख्यक कल्याण

प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

तालिका–16.03

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या में समुदाय का प्रतिशत		कुल अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	14.23	19.26	71.27	96.40
2.	ईसाई	2.30	0.18	11.50	0.89
3.	सिक्ख	1.72	0.32	8.61	1.61
4.	बौद्ध	0.70	0.10	0.05	0.03
5.	पारसी	नगण्य	0.01	3.48	0.52
6.	जैन	0.37	0.11	1.86	0.53
	योग	19.32	19.98	96.77	99.98

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से राज्य पोषित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है–

➢ वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु0 20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2020–21 में योजना के अन्तर्गत में रु0 50 करोड़ का बजट प्राविधान है।

➢ पूर्वदशम् कक्षा 9 व 10 के ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख है, को अधिकतम रु0 3000 वार्षिक की छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खातों में अन्तरित किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2020–21 में रु0 20 करोड़ तथा जिला योजना में रु0 10 करोड़ का बजट प्राविधान है।

➢ दशमोत्तर कक्षाओं के ऐसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2 लाख तक है, को निम्नलिखित निर्धारित मासिक दरों पर पीएफएमएस के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित किये जाने की व्यवस्था है–

श्रेणी	छात्रवृत्ति दर (प्रति माह)		अधिकतम शुल्क प्रतिपूर्ति
	दिवाछात्र	छात्रावासीय छात्र	
समूह–1	रु0 550/–	रु0 1200/–	50000/-
समूह–2	रु0 530/–	रु0 820/–	30000/-
समूह–3	रु0 300/–	रु0 570/–	20000/-
समूह–4	रु0 230/–	रु0 380/–	10000/-

- जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 15000 प्रति अभ्यर्थी का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के लिये बजट में रु0 15 लाख की धनराशि का प्राविधान है।
- प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है।
- प्रदेश में सर्वाधिक अल्पसंख्यक वाले 20 जनपदों में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। स्थानीय औचित्य तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रावास की स्थापना की भी व्यवस्था है। कालेज के मानक केन्द्रीय विद्यालय के अनुरूप होंगे व पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा। 13 जनपदों के 23 मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण की द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की गयी है तथा निर्माण कार्य चल रहा है। वर्ष 2020–21 में योजना के लिए रु0 1 लाख का सांकेतिक प्राविधान कराया गया है।
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावास/भवन निर्माण की योजना वर्ष 1993 से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रावास निर्माण हेतु रु0 340.58 लाख एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु रु0 340.58 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख है तथा गत परीक्षा मे कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000 एवं दिवा छात्रों को रू0 5000 वार्षिक (अधिकतम) डीबीटी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती मल्टी–सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम) मे प्रदेश के 47 जनपदों के 145 विकास खण्डों, 89 नगर पंचायत/नगर पालिका एवं 15 जिला मुख्यालयों में लागू है। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत मद में रु0 69830.65 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रु0 8510.00 लाख अर्थात कुल रु0 78340.65 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
- वर्ष 2019–20 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए कुल रु0 313.67 लाख एवं वर्ष 2020–21 में रु0 309 लाख का प्राविधान कराया गया है।

महिला कल्याण

संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है और राज्यों को भी इनके सर्वांगीण विकास हेतु योजनायें बनाकर क्रियान्वित करने का अधिकार देता है। इस परिप्रेक्ष्य मे प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत है और इसी उद्देश्य से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए शासन द्वारा अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं।

- संकटग्रस्त महिलाओं को संस्थागत सहयोग प्रदान करने एवं उनके पुनर्वासन हेतु वर्तमान में कुल 14 **स्वाधार आश्रय गृह योजना** भारत सरकार के सहयोग से संचालित है। वर्ष 2021–22 में रूपये 500 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत किया गया है
- अनैतिक देह व्यापार से पीड़ित महिलाओं के पुर्नवासन तक आश्रय प्रदान किये जाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से **उज्ज्वला योजना** के अन्तर्गत कानपुर में एक संस्था संचालित की जा रही है। जिससे लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या 23 है। वर्ष 2021–22 में रू0 150 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।
- भारत सरकार की योजना, नेशनल मिशन फॉर वूमेन के अन्तर्गत **बेटी बचाओ बेटी पढाओ**, बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने तथा बाल लैंगिक अनुपात की दर में वृद्धि हेतु समेकित प्रयास के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 68 जनपदों में संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जिला प्रोबेशन अधिकारियों के संयुक्त खाते प्राविधानित धनराशि में अन्तरित की जाती है। जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 900.79 लाख का व्यय किया गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 1700 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।
- राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान में **महिला हेल्प लाइन योजना डायल–112** उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से संचालित है।
- **रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति केन्द्र** की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार, अल्पावास पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 17 जनपदों आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, झांसी, बांदा तथा मिर्जापुर में संचालित की जा रही है। इसमें वर्ष 2021–22 में रू0 20 लाख की धनराशि स्वीकृत है।
- महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित वृन्दावन मथुरा में संचालित दो आश्रय सदन, लीलाकुंज एवं रास बिहारी सदन मे **वृद्ध, निराश्रित तथा विधवा महिलाओं** को फूड मनी, पाकेट मनी व औषधि आदि निःशुल्क एवं कन्ट्रोल रेट पर राशन, आधार कार्ड, पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। डाक्टरों द्वारा महिलाओं की समय–समय पर जाँच की जाती हैं। वर्ष 2021–22 में रू0 380 लाख प्राविधान हैं।
- बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु जनवरी, 2019 से **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** लागू की गयी है। प्रदेश के अधिकतम दो बच्चे वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रू0 3 लाख हों, बालिकाओं के जन्म से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने तक भिन्न–भिन्न समय पर कुल रू0 15000 प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2021–22 में रू0 120000 लाख बजट का प्राविधान किया गया है।
- ऐसी बालिकाएं/किशोरियां जो अपराध की गिरफ्त में आ जाती हैं अथवा जिन्हें संरक्षक के अभाव में विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते, उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश में 14 राजकीय महिला शरणालयों का संचालन किया जा रहा है।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज उत्पीड़ित महिलाएं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को

आर्थिक तथा कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक वाद की पैरवी हेतु रू0 2500 की एक मुश्त राशि तथा वाद के निस्तारण होने तक रू0 125 प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आर्थिक सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 9 लाख एवं कानूनी सहायता हेतु रू0 8 लाख का बजट उपलब्ध है।

- ऐसी विधवा महिला जो 35 वर्ष से कम आयु की है आयकर दाता नही हैं, उनसे विवाह करने पर दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 11000 का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में रु0 45 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।
- **रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष** का उपयोग, जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं को तत्काल आर्थिक तथा चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करने, उनके भरण–पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य एवं अवयस्क बच्चों के भरण–पोषण एवं शिक्षा के लिए किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार बालिकाओं द्वारा बहादुरी का कार्य करने, खेल में विशिष्ट उपलब्धि तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुंरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2020–21 में रू0 4565.50 लाख व्यय किया गया एवं वर्ष 2021–22 हेतु रू0 4599.06 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

- **निराश्रित महिला पेंशन योजना** के अन्तर्गत प्रदेश की पात्र विधवा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रू0 2 लाख से अधिक न हो, को रू0 500 प्रति माह की दर से चार तिमाही में पेंशन का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विशेष पैकेज के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित अनुदान के साथ ही रू0 500 की 02 किश्तों में रू0 1000 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है।
- विधवा पेंशन पा रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रू0 10,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 70 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।
- उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत रू0 634.51 लाख के सापेक्ष रू0 51.97 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2021–22 में रु0 643.77 लाख का आय–व्ययक स्वीकृत है।

- समाज में उपेक्षित, निराश्रित एवं आपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त बालकों को स्वस्थ शैक्षिक एवं पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में कुल 9 योजनाओं का संचालन, केन्द्रांश 60 प्रतिशत व राज्यांश 40 प्रतिशत से किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजनान्तर्गत 56 राजकीय गृह तथा 127 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से क्रमशः लगभग 3870 तथा 1140 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 0–6 वर्ष के बच्चों, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समुचित पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रतिरक्षण के लिए समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत अनुपूरक पुष्टाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकारण), स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा, निर्देशन एवं संदर्भन सेवायें प्रदान की जाती है।

अनुपूरक पुष्टाहार योजना

- सम्पूर्ण **अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था** को अक्टूबर 2020 से विकेन्द्रीकृत करते हुए प्रदेश भर में 60 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पुष्टाहार वितरण की नवीन व्यवस्था लागू की गयी। इससे स्थानीय स्तर पर सामुदायिक सहभागिता, योजना के प्रति दायित्वबोध एवं स्थानीय स्तर पर ही कार्य एवं गुणवत्ता की निगरानी बेहतर रूप से सम्भव हो सकेगी।

- पारदर्शिता तथा रियल टाइम मानीटरिंग हेतु डिजिटिल प्रणाली अन्तर्गत **"दिया पोर्टल"** तैयार कराया गया है।
- प्रत्येक माह 79.38 लाख 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, 38.45 लाख 03 से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चें, 3.73 लाख अतिकुपोषित बच्चों तथा 35.35 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं अर्थात कुल 1.57 करोड़ से भी अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
- प्रदेश के 0–6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था भी की गयी।

अन्य योजनाएं

- भारत सरकार द्वारा 11–14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु इस विशेष योजना का आरम्भ जनवरी 2019 में किया गया। इन किशोरी बालिकाओं के 11295 वीरांगना दलों का गठन कर बीरांगना दल में से चयनित 33,885 सखी सहेलियों को 1355 समूहों में जीवन कौशल तथा स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षिण दिया गया।
- राष्ट्रीय पोषण अभियान की प्रेरणा से प्रदेश के समस्त जनपदों में 25 जुलाई 2018 को **पोषण अभियान** का शुभारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार हेतु सितम्बर में ''पोषण माह'' का आयोजन किया जाता है।
- पोषण स्तर के सही चिन्हीकरण तथा नियमित वृद्धि हेतु प्रदेश में प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु **ग्रोथ मानीटरिंग डिवाइसेस** यथा–स्टेडियोमीटर (02 वर्ष से अधिक आयु की लम्बाई नापने हेतु), इन्फेन्ट वेईग स्केल, मदर कम चाइल्ड वेईग स्केल तथा इन्फेन्टोमीटर (02 वर्ष से कम आयु की लम्बाई नापने हेतु) की क्रय प्रक्रिया की गयी।
- प्रदेश के समस्त 75 जिलों के लिए 1,52,432 शिशु वजन मशीन और 1,88219 स्टैडियोमीटर की मशीने समस्त आँगनबाडी केन्द्रों पर वर्ष 2020–21 में उपलब्ध करा दी गई है। राज्य स्तर पर आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु मदर कम चाइल्ड वेईग स्केल तथा इन्फेन्टोमीटर की क्रय प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- शिशु वजन मशीन और स्टैडियोमीटर की मशीने समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्धता एवं पोषण के सही चिन्हीकरण के लिए **''सम्भव'' अभियान** का 1 जुलाई 2021 से शुभारम्भ किया गया। जिसमें पोषण से सम्बन्धित मौजूदा व्यवहारों एवं मिथकों में सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु एवं सैम, मैम व गम्भीर अल्पवजन बच्चों का चिह्नांकन किया जायेगा।
- इस अभियान से पूर्व सभी जनपदों के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गयी जी0ए0डी0 का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रयोग करते हुए **''वजन सप्ताह''** (17–24 जून 2021) का आयोजन किया गया। इस अभियान में पहली बार 20,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों का भी चिह्नांकन, नई रणनीति तैयार करने हेतु किया गया।
- पोषण–ट्रैकर हेतु प्रत्येक आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री को **स्मार्ट फोन** उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इस स्मार्ट फोन में अपलोडेड पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर आँगनबाड़ी कार्यकर्त्री दैनिक कार्यों की प्रविष्टियां अंकित करेंगी तथा इसका उपयोग गृह भ्रमण/परामर्श हेतु आईईसी के रूप में भी करेगी।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में 24 जनपदों हेतु 54,818 स्मार्ट फोन **क्रय** किये गये तथा वर्ष 2021–22 में 1,23,398 आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों हेतु स्मार्ट फोन की क्रय–प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मे भी 03 से 06 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये बाल्यावस्था में उचित देख–भाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा को महत्व देते हुए आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु पिछले 07 वर्षो में

पहली बार प्री–स्कूल किट आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रयोग के लिये उपलब्ध करायी गयी है।

- आईसीडीएस द्वारा स्वयं एवं सहयोगी विभागों के समन्वय से उपलब्ध कराये जा रही सेवाओं के सत्यापन एवं लाभार्थियों के फीडबैक पोषण मिशन द्वारा वर्ष 2020–21 में 40 सीट का **कॉल सेन्टर** (नं.–1800–180–5500) स्थापित किया गया।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 800 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु रू0 1600 लाख का प्राविधान है, जिसमें 425 आँगनबाडी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रू0 850 लाख है। भारत सरकार द्वारा नवीन विकसित मोबाइल पोषण ट्रैकर ऐप पर निर्धारित समय के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों का शत–प्रतिशत पंजीकरण एवं 01 करोड़ 70 लाख से अधिक लाभार्थियों का विवरण फीड कर देश में **प्रथम स्थान** प्राप्त किया।

****

अध्याय–17
श्रमशक्ति एवं सेवायोजन

मुख्य बिन्दु

- बालिका मदद योजना मे परिवार की पहली बालिका के जन्म पर एक मुश्त धनराशि रू0 25,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
- एक वर्ष के लिए अंशदान जमा करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक को रू0 1,00,000 की धनराशि निर्माण कामगार आवास सहायता योजना मे एक मुश्त प्राप्त होंगे।
- पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में रू0 55,000 तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में रू0 61,000 तथा सामूहिक विवाह की दशा में प्रति जोड़ा रू0 65,000 की धनराशि प्रदान की जाती है।
- पंजीकृत श्रमिक के किसी दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर रू0 05 लाख, पूर्ण स्थायी अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 03 लाख, स्थायी आंशिक अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 02 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है।
- रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सेवायोजन वेब पोर्टल सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन पर आनलाइन व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों को मार्ग–दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

श्रमशक्ति का अभिप्राय 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में 15–59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1114.42 लाख थी जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का अंश 55.77 प्रतिशत था। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या से सम्बन्धित आँकड़े तालिका–17.01 में दर्शाये गये हैं–

तालिका–17.01:– प्रदेश में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकर (लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकर	सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
1	2	3	4
ग्रामीण	335.38	184.13	**519.51**
नगरीय	110.97	27.67	**138.64**
उत्तर प्रदेश	**446.35**	**211.80**	**658.15**

प्रदेश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इस हेतु बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय स्थापित है। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े तालिका 17.02 में दिये जा रहे हैं–

तालिका–17.02:– प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आँकड़ें

क्रमांक	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	985449	304836	(–) 69.06
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	116	109	(–) 6.03
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	897	512	(–) 42.92
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	95961	123525	28.72
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	270	31	(–)88.52
6.	सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3305	3615	9.38

स्वतः रोजगार/नियोजन कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन के लिये बनायी गयी विभिन्न योजनाओं की भली–भाँति जानकारी कराकर उन्हें स्वतः रोजगार के क्षेत्र में अपना रोजगार आरम्भ करने के लिये प्रेरित किया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2019 में 270 एवं 2020 में 31 अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराया गया। स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण तालिका–17.03 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–17.03:– प्रदेश में स्वतः नियोजन कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई प्रगति

क्रमांक	कार्य विवरण	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1.	स्वतः नियोजन हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	1766	452	(–) 74.40
2.	स्वतः नियोजन हेतु प्रार्थना पत्रों का अग्रसारण	312	411	31.73
3.	स्वतः नियोजित की संख्या	270	31	(–) 88.52
4.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित सामूहिक वार्ताएं	498	395	(–) 20.68
5.	स्वतः नियोजन हेतु आयोजित गोष्ठियों/बैठकों की संख्या	95	56	(–) 41.05

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र मे कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवायोजकों की संख्या को निम्न तालिका 17.04 में दर्शाया गया है–

तालिका–17.04:– प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एव सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	मद	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या			सेवायोजकों की संख्या		
		मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि	मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्र सरकार	302524	302326	(–) 0.06	726	726	0
2.	राज्य सरकार	701418	700823	(–) 0.08	8377	8378	0.01
3.	अर्द्ध–सरकारी (केन्द्र)	158530	158167	(–) 0.23	5599	5620	0.38
4.	अर्द्ध–सरकारी (राज्य)	332268	331872	(–) 0.12	1602	1602	0
5.	स्थानीय निकाय	107135	107578	0.41	1311	1314	0.23
योग		1601875	1600766	(–) 0.07	17615	17640	0.14

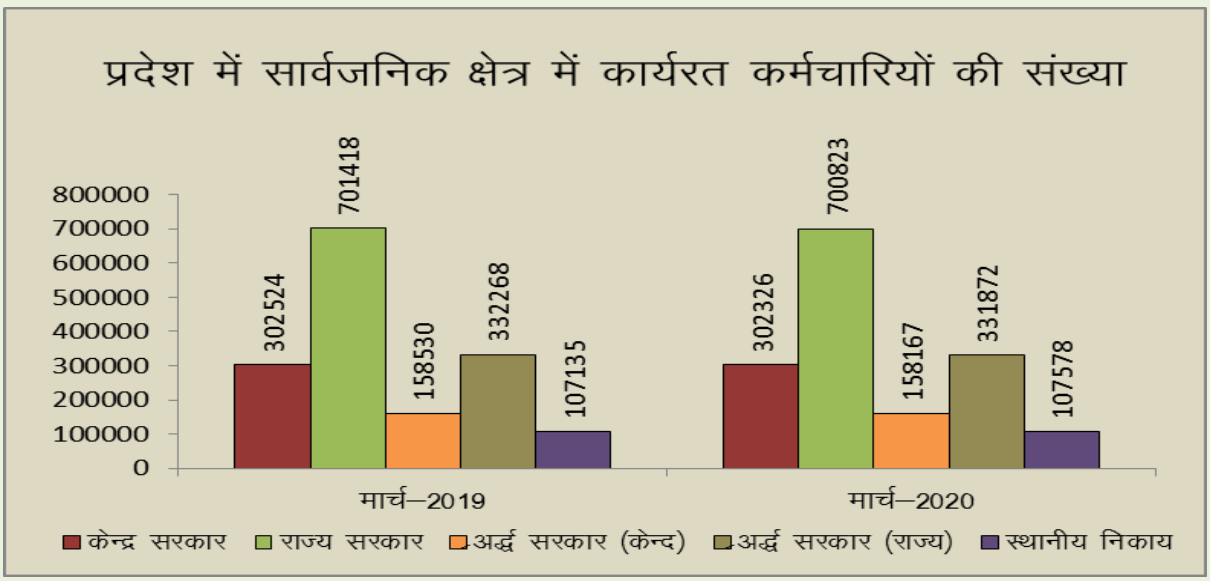

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में मार्च, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अधिष्ठानों की संख्या में (–)0.07 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई। प्रदेश में मार्च, 2019 के अन्त में 17615 सेवायोजक पंजिका पर उपलब्ध थे, जो मार्च, 2020 में 17640 हो गये। प्रदेश में मार्च, 2019 से मार्च, 2020 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में 0.14 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। सर्वाधिक वृद्वि 0.38 प्रतिशत अर्द्व–सरकारी (केन्द्र) क्षेत्र में हुई है। रोजगार सुलभ कराने में निजी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में निजी क्षेत्र मे कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवायोजकों की संख्या से संबंधित आँकड़े तालिका–17.05 में दिये जा रहे है–

तालिका–17.05:– प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवायोजकों की संख्या

क्रमांक	मद	कार्यरत कर्मचारियो की संख्या			सेवायोजकों की संख्या		
		मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि	मार्च 2019	मार्च 2020	प्रतिशत वृद्धि
1.	एक्ट–अधिष्ठान	667740	666839	(–) 0.13	5583	5590	0.13
2.	नानएक्ट–अधिष्ठान	50226	50709	0.96	3407	3439	0.94
	योग	717966	717548	(–) 0.06	8990	9029	0.43

सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च, 2020 में गत वर्ष की अपेक्षा (–) 0.03 प्रतिशत का कमी तथा निजी क्षेत्र में 0.07 प्रतिशत अधिक रही, जबकि दोनो में गतवर्ष की अपेक्षा कुल 0.01 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है।

तालिका–17.06:– प्रदेश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत् महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
		मार्च, 2019	मार्च, 2020	
1	सार्वजनिक क्षेत्र	213226	213168	(–) 0.03
2	निजी क्षेत्र	111038	111118	0.07
	योग	324264	324286	0.01

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा संचालित कार्यक्रम

सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित हैं–

1–रोजगार मेलों का आयोजन

रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। रोजगार मेलों के आयोजन हेतु सेवायोजन वेब पोर्टलः **सेवायोजन.यूपी.एनआईसी.इन** पर आनलाइन व्यवस्था की गयी है।

2–कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

तालिका–17.07:– कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेला की प्रगति रिपोर्ट

वर्ष	रोजगार मेला		कैरियर काउन्सिलिंग	
	मेलों की संख्या	चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5
2019	720	95898	3113	342043
2020	889	123465	1815	156684
2021(अगस्त 2021)	478	110382	1534	139417

3–शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा समाज के निर्बल वर्गों यथा–अनुसूचित जाति–जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को मार्ग–दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन केन्द्रों में अंग्रेजी भाषा, सचिवीय पद्धति, हिन्दी टंकण, आशुलिपि हिन्दी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

तालिका–17.08:– शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की प्रगति

वर्ष	सेवायोजित	स्वतः नियोजित	कुल
1	2	3	4
2019	49	32	81
2020	27	17	44

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं

1. मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

मातृत्व, शिशु मदद योजना मे पंजीकृत महिला एवं पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को अधिकतम 02 बच्चों तक प्रसव के उपरान्त शिशुओं के 02 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। कामगारों की पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6,000 एकमुश्त एवं महिला निर्माण श्रमिक को उपरोक्त के अतिरिक्त रू0 1,000 की धनराशि चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगी। प्रसव के उपरान्त शिशु के लड़का होने पर धनराशि रू0 20 हजार तथा लड़की होने की स्थिति में धनराशि रू0 25 हजार वर्ष में एक बार एक मुश्त, दो वर्षों तक प्रति शिशु की दर से देय होगा।

बालिका मदद योजना मे परिवार की पहली बालिका के जन्म पर एक मुश्त धनराशि रू0 25,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं के संदर्भ में यह धनराशि रू0 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। दूसरी बालिका को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब दोनों संतान बालिका हों।

2. सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बालक, बालिकाओं को कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनकी आयु 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हों तथा वे ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

कक्षा 1 से 05 तक रू0 150 ,कक्षा 06 से 10 तक रू0 200, कक्षा–11 से 12 तक रू0 250, स्नातक में रू0 1000, स्नातकोत्तर में रू0 2000 प्रतिमाह, प्रोफेशनल कोर्स मे सरकारी संस्थानों/कॉलेजों के वार्षिक शुल्क के समान देय होगी।

3. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत कर्मकार के मेधावी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना है इसके अन्तर्गत कक्षा 05 से लेकर इन्जीनियरिंग/चिकित्सा डिग्री हेतु रू0 4,000 से 12000 तक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

4. आवासीय विद्यालय योजना

इसका उद्देश्य पंजीकृत निर्माण–श्रमिकों के साथ कार्य स्थल पर ही रहने वाले 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।

5. निर्माण कामगार आवास सहायता योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत कर्मकारों को आवासीय सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराना है। एक वर्ष के लिए अंशदान जमा करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक को रू0 1,00,000 की धनराशि (02 किश्तों में) एवं मरम्मत हेतु रू0 15,000 की धनराशि एक मुश्त प्राप्त होंगे तथा इस योजना का लाभ सम्पूर्ण जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा, परन्तु एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जाएगा।

6. कन्या विवाह सहायता योजना

पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के स्वजातीय विवाह की स्थिति में रू0 55,000 तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में रू0 61,000 तथा सामूहिक विवाह की दशा में प्रति जोड़ा रू0 65,000 की धनराशि तथा रू0 7,000 प्रति जोड़े की दर से आयोजन व्यय तथा उक्त के अतिरिक्त वर एवं वधू को रू0 5000 प्रत्येक की दर से पोषाक क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह की स्थिति में हितलाभ देय नहीं होगा।

7. गम्भीर बीमारी सहायता योजना

पंजीकृत कर्मकार के स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य के गम्भीर बीमारी जैसे– गुर्दा एवं लीवर ट्रान्सप्लान्ट, मस्तिष्क, हृदय व रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, पैर के घुटने बदलना, कैंसर इलाज, एड्स, आँख एवं पथरी का ऑपरेशन, अपेन्डिक्स, हाइड्रोसील, स्तन कैंसर, सर्वाइकल आदि का सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज की प्रतिपूर्ति होगी।

8. मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना

पंजीकृत श्रमिक के किसी दुर्घटना मे मृत्यु हो जाने पर रू0 05 लाख, पूर्ण स्थायी अपंगता/विकलांगता की स्थिति में रू0 03 लाख, स्थायी आंशिक अपंगता/ विकलांगता की स्थिति में रू0 02 लाख, कार्यस्थल से इतर स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0 02 लाख, अस्थायी आंशिक विकलांगता की स्थिति में रू0 01 लाख, सामान्य मृत्यु की स्थिति में रू0 02 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी तथा लाभार्थी को दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण पूर्ण एवं स्थायी रूप से अक्षम होने की दशा में अकुशल श्रमिकों के लिए रू0 1000 एवं अर्धकुशल को रू0 1250 तथा कुशल को रू0 1500 प्रतिमाह अक्षमता पेंशन उसके जीवनकाल तक प्रदान की जायेगी।

9. चिकित्सा सुविधा योजना

योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के परिवार को इकाई मानकर सामान्य बीमारियों व चोट हेतु वर्ष में एक बार चिकित्सा सुविधा हेतु एकमुश्त धनराशि रू0 3000 तथा अविवाहित पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 2000 की धनराशि उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान है।

10. महात्मा गाँधी पेंशन योजना

पंजीकृत 60 वर्ष की आयु के निर्माण श्रमिकों को पेंशन के रूप में रू0 1,000 प्रतिमाह और मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति को देय होगी। पेंशन में प्रति दो वर्ष पर रू0 50 प्रतिमाह (अधिकतम रू0 1,250) की दर से वृद्धि करते हुए भुगतान किया जायेगा। योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में रू0 8.59 लाख एवं 2020–21 में सितम्बर, 2020 तक रू0 3.25 पेंशन वितरित की गयी है।

11. निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार हेतु रू0 25,000 तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है किन्तु यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

12. आपदा राहत सहायता योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की ऐसी स्थिति में, जबकि उनकी जीविका एवं भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की संभावना हो तो उस आपदा काल में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

तालिका–17.09:– पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं एवं प्रगति विवरण

योजना	योजनाओं का प्रगति विवरण					
	2019–2020		2020–2021		2021–2022 (जुलाई तक)	
	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (सं0)	वित्तीय (लाख में)
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना	44780	6378	76292	14224	6762	1582
सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना	4181	58	10624	367	1051	50
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	7295	238	7728	238	344	19
आवासीय विद्यालय योजना	–	1163	–	615	–	0
निर्माण कामगार आवास सहायता योजना	523	170	280	122	04	02
कन्या विवाह सहायता योजना	15530	7929	33110	18863	5074	3081
गम्भीर बीमारी सहायता योजना	07	5.97	10	04	0	0
मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना	2006	3851	1996	4219	8	16
चिकित्सा सुविधा योजना	204462	4680	325282	18677	12043	355
महात्मा गाँधी पेंशन योजना	–	8.59	–	41	–	4.9
निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना	2036	482	1979	500	48	12
आपदा राहत सहायता योजना	973422	9734.22	2589267	25892	1810335	18103

****

अध्याय–18
सतत् विकास

मुख्य बिन्दु

- समग्र सुधार के शीर्ष तीन राज्यों मे उत्तर प्रदेश उच्चतम है, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है।
- लक्ष्य– 7, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मे प्रदेश की छलांग 40 अंकों की रही है।
- प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग नामित है। नियोजन विभाग समन्वय की भूमिका मे है।
- नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 में से 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जबकि वर्ष 2018 में 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था।
- नीति आयोग के रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आँकलन करना, राज्यों के मध्य विकास में प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है।

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को विश्व के बेहतर भविष्य के लिये महत्वपूर्ण बताया तथा वर्ष 2030 तक इनकी प्राप्ति हेतु क्रियान्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों के साथ साझा की, जिसका मूल उद्देश्य समाज की बेहतरी के लिये आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मोर्चे पर उच्च मानदंडों को प्राप्त करना है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने के लिए एक साहसिक और सार्वभौमिक समझौता है जिसंका उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना तथा विकास के तीनों पहलुओं, सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।

मानव जीवन का आधार पारितंत्र एवं पर्यावरण ही है अतः प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा सदुपयोग, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिये भी संसाधन उपलब्ध रहें और सबका जीवन सुखी बना रहे, इसके लिये जैव–विविधता, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, खतरनाक कूड़े–करकट का प्रबंधन, पारिस्थितिकी सुरक्षा आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, गुणात्मक मानव विकास के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। मानव समाज भी अपनी मान्यतओं में परिवर्तन करे और यह समझें कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित है।

सतत् विकास लक्ष्य

1. गरीबी उन्मूलन

गरीबी सिर्फ आमदनी या संसाधनों की सुलभता का अभाव नहीं है। यह शिक्षा के लिए घटते अवसरों, सामाजिक भेदभाव और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने की अक्षमता के रूप में प्रकट होती है। गरीबी के हर रूप को हर जगह से मिटा देना, 2030 के सतत् विकास एजेंडा का पहला लक्ष्य है। इसके लिए सामाजिक संरक्षण देना एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाना आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि समावेशी हो एवं सभी को प्राकृतिक संसाधनों, उपयुक्त नई टैक्नॉलॉजी तथा वित्तीय सेवाएं सुलभ होनी चाहिए।

2. शून्य भुखमरी

लक्ष्य–2 का उद्देश्य भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना है। वर्ष 2030 तक भूख और कुपोषण को मिटाने तथा खेती की उत्पादकता दोगुनी करने का लक्ष्य है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून शामिल हैं। खेती की ऐसी विधियाँ अपनाना, जिनसे उत्पादकता बढ़े, पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण में मदद मिले तथा जमीन एवं मिट्टी की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो।

3. उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली

उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली सतत् विकास का केंद्र बिंदु है। बेहतर स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि वर्ष 2030 तक सभी को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं और किफायती दवाएं सुलभ हों। संचारी और असंचारी रोगों के लिए टीकों और दवाओं के अनुसंधान और विकास को मजबूत करना होगा।

4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

सतत् विकास लक्ष्यों मे समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसरों को वर्धित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भी सबको उत्तम शिक्षा और आजीवन सीखने की सुविधा देना है। सरकार की प्रमुख योजना, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करना ही है।

5. लैंगिक समानता

लक्ष्य–5 का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिला भेदभाव और हिंसा को समाप्त करते हुए आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार, संपत्ति में स्वामित्व एवं राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया मे भागीदारी तथा नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना है।

सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय प्राथमिकता माना है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पहल का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर देना है। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना और जननी सुरक्षा योजना आदि लैंगिक समानता के प्रति गम्भीरता को दिखाता है।

6. स्वच्छ जल और स्वच्छता

इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सबके लिए शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और साफ–सफाई की सुविधा सुलभ कराना है। इस दिशा में अनेक कार्यक्रम शुरु किए गए हैं ,जिनमें स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और नमामि गंगे कार्यक्रम आदि शामिल है। प्रदूषण, कचरा और हानिकारक रसायनों तथा सामग्री को कम करना, जल की गुणवत्ता सुधारना, अनुपचारित गंदे जल का अनुपात कम करना, जल की रिसाइकलिंग मे वृद्धि तथा जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूती देना है।

7. सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा

सतत् विकास लक्ष्य–7 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी के लिए किफायती, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पवन, जल, सौर, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती एवं प्रदूषण मुक्त होती है। सरकार का राष्ट्रीय सौर मिशन, नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से सबके लिए ऊर्जा सुलभता तथा उज्ज्वला एवं सौभाग्य योजना आादि इस हेतु महत्वपूर्ण प्रयास है।

8. उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि

आर्थिक वृद्धि का समावेशी होना अनिवार्य है अर्थात् सभी वर्गों को इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। ऐसी विकासपरक नीतियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो उत्पादन गतिविधियों, उत्कृष्ट

रोजगार सृजन, नई उद्यमिता तथा वित्तीय सेवाओं सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना और वृद्धि को प्रोत्साहन दे।

9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं

समुत्थानशील अवसंरचना का निर्माण करना, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना भी सतत् विकास का लक्ष्य है। वर्ष 2030 के लिए सतत् विकास एजेंडा का मूल मंत्र है 'कोई पीछे छूटने न पाए'। आवश्यक है, कि घरेलू वित्तीय संस्थाओं की क्षमता मजबूत की जाए, जिससे बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन मिले और वे सबके लिए सुलभ हो सके।

10. असमानताओं में कमी

इसमे सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को प्रोत्साहन देना और सशक्त करना लक्ष्य है। बढ़ती असमानताएं मानव विकास पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। वर्ष 2030 तक उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार, समावेशन, वित्तीय सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की एक समग्र रणनीति पर कार्य कर रही है।

11. संवहनीय शहर और समुदाय

शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और संधारणीय बनाया जाना आवश्यक है । तेजी से बढ़ते शहरीकरण मे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, सीवेज, स्वास्थ्य पर बुनियादी सेवाओं की सुलभता आदि सुनिश्चित करना लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आदि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुधार का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है।

12. संवहनीय उपभोग और उत्पादन

संवहनीय उपभोग और उत्पादन का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, विनाश और प्रदूषण कम करके आर्थिक गतिविधियों से जन कल्याण मे वृद्धि करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्ष 2030 तक सुनिश्चित करना कि जनसामान्य को सतत् विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के बारे में उपयुक्त सूचना और जागरूकता हो।

13. जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी उपायों को नीतियों, रणनीतियों और नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, ऊर्जा कुशलता बढ़ाने, तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में रणनीतिक जानकारी को प्रोत्साहित करने के बारे में अनेक कार्यक्रम भी अपनाए गए हैं।

14. जलीय जीवों की सुरक्षा

सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग करना है।

15. थलीय जीवों की सुरक्षा

मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण वृक्षों का कटाव और मरुस्थलीकरण, सतत् विकास में एक बड़ी चुनौती है। लक्ष्य–15 में प्राकृतिक पर्यावास का विनाश रोकने और जैव विविधता को स्थानीय नियोजन एवं विकास प्रक्रियाओं में शामिल करने को कहा गया है।

16. शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं

सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज को प्रोत्साहन, सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध कराना और सभी स्तरों पर जवाबदेह, समावेशी संस्थाओं की रचना करना लक्ष्य है।

17. लक्ष्य हेतु भागीदारी

कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण और सतत विकास के लिए एक महत्वाकाँक्षी एवं परस्पर जुड़े हुए वैश्विक विकास एजेंडा के लिए नई वैश्विक भागीदारी आवश्यक है।

सतत विकास लक्ष्य : नीति आयोग

नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप सूचकांक तैयार किया है। हर नए संस्करण में कार्य निष्पादन की उत्कृष्टता के स्तर का निर्धारण करने और अब तक हुई प्रगति का आँकलन करने के अलावा केंद्र और राज्यों से मिले आँकड़ों को अद्यतन रखने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2018–19 के पहले संस्करण में 13 उद्देश्यों, 39 लक्ष्यों और 62 सूचकों का विवरण था, जबकि दूसरे संस्करण में 17 उद्देश्य, 54 लक्ष्य और 100 सूचक थे। तीसरे संस्करण में 17 उद्देश्य, 70 लक्ष्य और 115 सूचक शामिल किए गए हैं।

1. आकांक्षी – 0–49
2. परफार्मर – 50–64
3. फ्रंट रनर – 65–99
4. अचीवर – 100

नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन का आँकलन किया जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इसका उद्देश्य, राज्यों की प्रगति का आँकलन करना, राज्यों के मध्य विकास की प्रतिस्पर्धा और परस्पर सहयोग को बढ़ाना है। रिपोर्ट का एक अन्य उद्देश्य राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके विकास के बाधाओं की पहचान करने और प्राथमिकताओं को चुनने में सहायता करना है।

सतत् विकास लक्ष्य–2030 : उत्तर प्रदेश की प्रगति

सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) के अन्तर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन की उपलब्धता तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एसडीजी विजन–2030 तैयार किया गया है जिसका भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक नोडल विभाग नामित है। नियोजन विभाग समन्वय की भूमिका मे है। प्रदेश में नामित नोडल विभाग एवं सतत् विकास लक्ष्य में प्रदेश का प्रदर्शन निम्नवत् है–

तालिका–18.01:– सतत् विकास लक्ष्य में प्रदेश का प्रदर्शन

लक्ष्य क्रमांक	लक्ष्य	नोडल विभाग	प्रदर्शन 2018		प्रदर्शन 2019		प्रदर्शन 2020	
			स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गरीबी उन्मूलन	ग्राम्य विकास	48	23	40	24	44	24
2	शून्य भुखमरी	खाद्य एवं रसद / कृषि	43	25	31	24	41	23
3	उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	25	29	34	27	60	26
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	बेसिक / माध्यमिक शिक्षा	53	19	48	22	51	18
5	लैंगिक समानता	महिला कल्याण	27	27	41	10	50	14
6	स्वच्छ जल और स्वच्छता	सिंचाई / ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज	55	18	94	02	83	19
7	सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा	ऊर्जा	23	25	63	19	100	01
8	उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	55	23	64	19	53	21
9	उद्योग,नवाचार और बुनियादी सुविधाएं	औद्योगिक विकास	29	22	63	10	42	17
10	असमानताओं में कमी	समाज कल्याण	38	29	46	25	41	28
11	संवहनीय शहर और समुदाय	नगर विकास	37	16	56	09	77	14
12	संवहनीय उपभोग और उत्पादन	पर्यावरण	–	–	62	10	79	09
13	जलवायु परिवर्तन	पर्यावरण	–	–	48	13	39	24
14	जलीय जीवों की सुरक्षा	प्रदेश में लागू नहीं	–	–	–	–	–	-
15	थलीय जीवों की सुरक्षा	वन	55	28	62	25	61	19
16	शांति, न्याय और सशक्त संस्थाए	गृह	61	23	69	19	79	07
17	लक्ष्य हेतु भागीदारी	वित्त	42	–	55	–	–	–

स्रोत(स्कोर एवं रैंक)- नीति आयोग, भारत सरकार।

नीति आयोग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर दिसम्बर, 2019 को जारी सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश, समग्र सुधार कें शीर्ष तीन राज्यों मे उच्चतम रहा, जिसने 2018 में अपने समग्र स्कोर मे 42 से सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है। लक्ष्य–6, 7 एवं 9 में बड़ा सुधार हुआ। लक्ष्य–6 स्वच्छ पानी और स्वच्छता, लक्ष्य 9–उद्योग, नवाचार, और बुनियादी सुविधाएं क्रमशः 39 और 34 अंक तक चढ़ गए हैं। जबकि लक्ष्य–7 सस्ती और

प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा में छलांग 40 अंकों की रही। वर्ष 2020–21 मे जारी सूचकांक के अनुसार प्रदेश ने समग्र स्कोर मे वर्ष 2019 के 55 से पुनः सुधार करते हुए 60 पर पहुँच गया है, जिसमें–

- एसडीजी के **लक्ष्य–3** उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, **लक्ष्य–4** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं **लक्ष्य–5** लैंगिक समानता मे प्रदेश, एस्पिरेण्ट से परफार्मर मे पहुँच गया है।
- एसडीजी के **लक्ष्य–7** मे सर्वोत्तम सुधार हुआ जो परफार्मर से एचीवर हो गया है, वहीं **लक्ष्य–11 एवं 12** परफार्मर से फ्रंट रनर पर पहुँच गया है।
- एसडीजी के **लक्ष्य–6, 8, 9, 10, 13 एवं 15 मे गिरावट दर्ज हुई है। लक्ष्य–9** परफार्मर से एस्पिरेण्ट पर आ गया है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लक्ष्यों मे सुधार हुआ है।

सतत् विकास लक्ष्य से सम्बन्धित भारत सूचकांक के आँकड़े सरकारों के समक्ष प्रगति की वास्तविक छवि प्रकट करते है, जिसके अनुरूप ही सरकार को भविष्य की योजनाओं और उसकी रणनीति तैयार करने मे बहुत ही मददगार साबित होंगें।

****